खण्ड-360, अंक-3
मंगलवार, 3 फाल्गुन, शक संवत् 1904
(22 फरवरी, 1983 ई0)

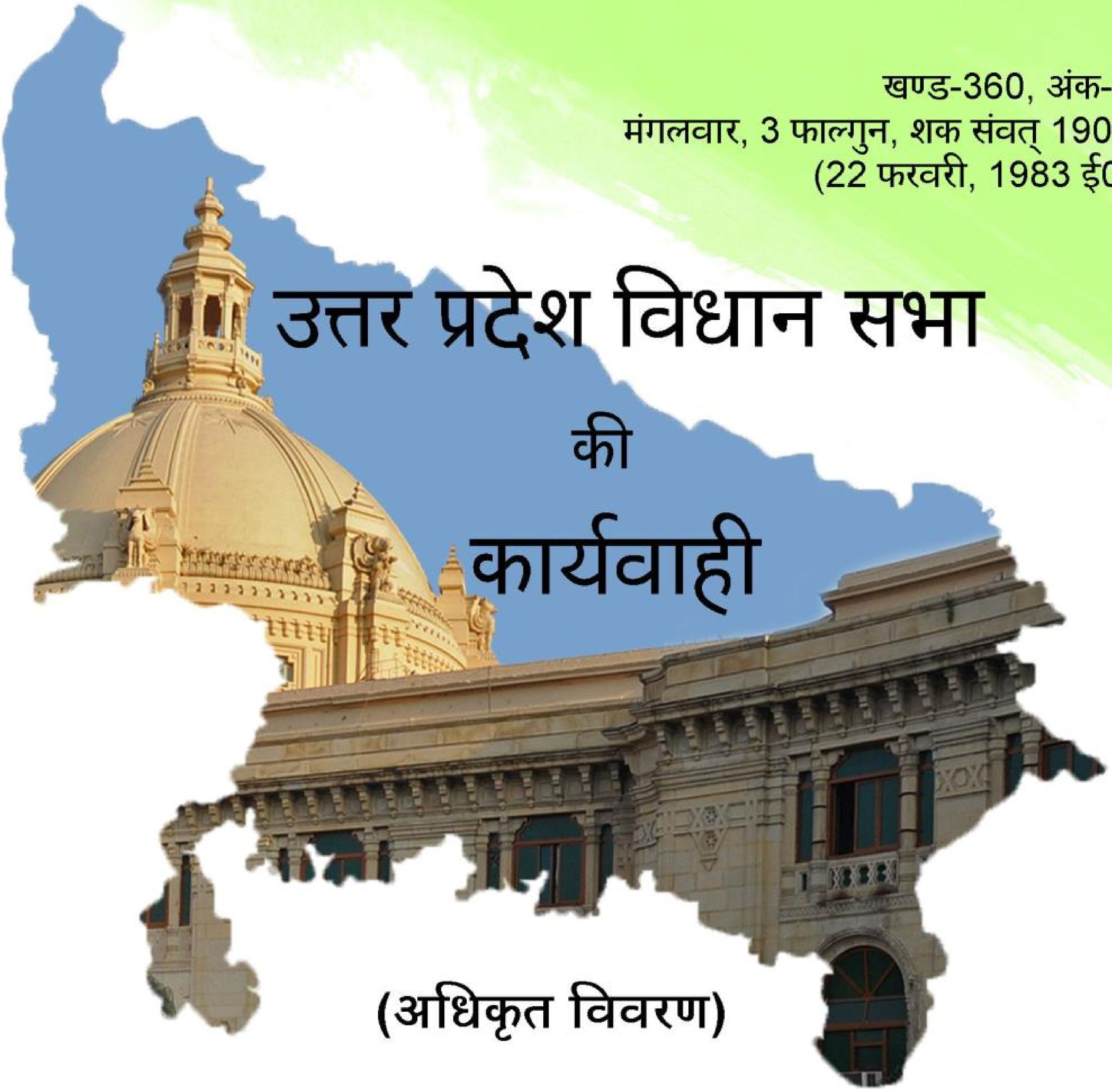

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 360 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य ..	395–399
प्रश्नोत्तर ..	401–530
जनपद स्तर पर पोस सूत्रीय कार्यक्रम की समितियों में विरोधी दलों के सदस्यों को सम्मिलित न किए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	530–538
भूतपूर्व सदस्य, श्री बलवीर सिंह के निधन पर शोकोद्गार ..	538–541
भूतपूर्व सदस्य, श्री जगन्नाथ सिंह के निधन पर शोकोद्गार ..	541–544
भूतपूर्व सदस्य, श्री शम्भूनाथ चौधरी के निधन पर शोकोद्गार ..	544–546
बेसिक शिक्षा परिषद्, पौड़ी गढ़वाल के स्कूलों में शिक्षकों की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	546–547
गौसगंज (हरदोई) के निकट सई नदी में तीन नावों के डूबने से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	547
टांडा ब्लाक (फैजाबाद) में नील गायों द्वारा फसल को नष्ट किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	547–548
महुला गढ़वाल बांध (आजमगढ़) के रख-रखाव हेतु स्वीकृत धन के फर्जी भुगतान हो जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	548
कानपुर, इटावा एवं फर्रुखाबाद में बच्चों का अपहरण करने वाले गैंग के श्री रघुवीर सिंह के पुलिस नियंत्रण से भाग जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	549
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की 27वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) ..	549
श्री हरी किशन श्रीवास्तव, श्री मुख्तार अनीस, श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री लटूरी सिंह एवं श्री रेवती रमण सिंह के दल परिवर्तन की सूचना ..	550
महोली जनपद सीतापुर में गन्ना किसानों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज एवं गोली वर्षा किए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	550–553
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	553–556
1983–84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 19—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा), अनुदान संख्या 20—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) तथा अनुदान संख्या 21—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत) ..	557–595

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	595
प्रदेश में बिजली की दरों में की गयी वृद्धि से बिजली उपभोक्ताओं में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में होने वाली चर्चा के स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	595–596
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में संकल्प (स्वीकृत) ..	596–605
तारांकित प्रश्न संख्या 2 (नत्थी 'ख') के उत्तर के सम्बन्ध में सूचना	605
नत्थियां ..	607–618

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 22 फरवरी, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य–348

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री उर्फ (अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अंसारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कदम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैय्या) (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कमला दरियावादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश टंडन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदाद्दीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
खवाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपीनाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0 (बांदा)

चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल 'विकल सकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
महेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्मसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
धूप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेश सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परशुराम लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलदेव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)

बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भोखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईस उद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री, (बहराइच)
राजकुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
रामकरन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
राम जी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)

राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री, (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी) (इलाहाबाद)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजयपाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डाक्टर (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (राय बरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी-गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री, (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजवानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जयसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नबाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सुल्तानपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)

स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पांडेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पांडेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 22 फरवरी, 1983

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

पुलिस उप महानिरीक्षक, गोरखपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक, देवरिया की जांच

*1--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस उप महानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र, गोरखपुर 22 मई, 1982 को पुलिस अधीक्षक, देवरिया की जांच में गए थे ? यदि हां, तो कौन-कौन से आरोप पुलिस अधीक्षक, देवरिया (श्री एस0 के0 रिजवी) पर सही पाए गए हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)--

जी हां। जांच से आरोप सत्य नहीं पाए गए। अतः किसी कार्यवाही के किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेरा पत्र 8-4-82 का जो शिकायती है, उसे पढ़ने की कृपा करें, जिससे सारा प्रकरण सदन के समक्ष आ जाए।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, आपका जो शिकायती पत्र दिनांक 8-4-82 का है, इसमें 11 शिकायतें हैं:--

(1) श्री रमा शंकर सिंह, निवासी परसिया चन्दौर, थाना खुखुन्दू के कत्ल होने के बाद उनके आश्रितों को परेशान किया जाना।

(2) ग्राम नारंगी बरबढ़ के पोखरा में अज्ञात लाश मिलना और उसकी जांच पर पर्दा डालना।

(3) मगहरा चौराहे पर श्री दद्दन मिश्र के खाद व बीज की चोरी नकब लगाकर की गयी। जांच नहीं हुई।

(4) शेरवा रमनाली के पंचानन तिवारी तथा थाना खुखुन्दू का शिकायती पत्र जिसे अपने पत्र के साथ डी0 आई0 जी0 गोरखपुर को दिया था और डी0 आई0 जी0 गोरखपुर के निर्देश का माननीय विधान सभा के सवाल के बाद भी जांच न करना।

(5) 28/29 जनवरी, 1982 की रात्रि को ग्राम दोहनी, थाना खुखुन्दू में बम विस्फोट, जीवित कारतूस, चाकू, कट्टा एवं मांस का लोथड़ा मिलना। कार्यवाही कुछ नहीं।

(6) 24-1-82 को परसिया मगौली के श्री सत्य नारायन गुप्त को थाना खुखुन्दू के सब-इंसपेक्टर श्री कन्हैया लाल एवं सब-इंसपेक्टर श्री जे0 के0 सिंह द्वारा मारकर रुपया छीना जाना जिसकी शिकायत 27-1-82 को एस0 पी0 से किया । माननीय विधान सभा में प्रश्न किया । जांच नहीं किया गया ।

(7) 18-7-82 को परसिया मिश्र, थाना खुखुन्दू के गोपाल मिश्र की पुत्री कुमारी मुन्नी को एक मोटर डब्लू0 बी0 जे0 7631 से दुर्घटनाग्रस्त होने की रपट न लेना । 19-2-82 को मुन्नी की मृत्यु 4 बजे भोर में सदर अस्पताल में होने के बाद पुलिस का मौन रहना ।

(8) 2/3 मार्च, 1982 की रात को श्री घनश्याम यादव, ग्राम जिनिनी सोनली, थाना खुखुन्दू के यहां डकैती पड़ने पर बगल के ग्राम बपनी व एस0 ओ0 शम्भू शरन एवं सब-इंसपेक्टर श्री कन्हैया लाल थे, किन्तु मदद न करना । बदले में गांव के सहयोगियों को परेशान करना एवं पैसा लेना ।

(9) 23 मार्च, 1982 की रात को उपरोक्त घटना के बाद लगभ 10-12 बजे दिन के अन्दर ग्राम पिपरा खेमकरन में एक कुशवाह परिवार में डकैती हुई पुलिस ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मेरे शिकायती-पत्र 26 मार्च, 1982 के बिन्दु एक से लेकर 9 तक की जांच कराने के सम्बन्ध में मैं तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, देवरिया के यहां गया तो उन्होंने मुझे आतंकित किया ।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें, आप तो सूचना दे रहे हैं ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मैंने जो शिकायती-पत्र दिया तो उस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, देवरिया मेरी हत्या कराने की साजिश कर रहे हैं और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है । तो बिन्दु एक से लेकर 9 तक जांच न कराने और जांच पर पर्दा डालने का क्या कारण है ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, डी0 आई0 जी0 की 11 बिन्दुओं पर विस्तृत जांच की रिपोर्ट मेरे पास उपलब्ध है । पूरी विवेचना 10 पेज की है । जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाये हैं उनकी एक-एक शिकायत की जांच की गयी है ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, जिन माननीय सदस्य ने यह शिकायतें की हैं उनकी एक शिकायत यह भी थी कि जब वह जानकारी देने के लिए गये तो उनकी जान का खतरा पैदा हुआ और उनको आतंकित किया गया । मैं जानना चाहता हूं कि शिकायतकर्ता से जांच अधिकारी ने कोई पूछ-ताछ की या नहीं ? उनका बयान लिया गया या नहीं, यदि बयान लिया गया तो पत्रावली में उपलब्ध है कि नहीं है ?

श्री गुलाब सेहर:--

मान्यवर, दुर्गा प्रसाद मिश्र जी का बयान लिया गया है वह पत्रावली में मौजूद है और उनके दस्तखत हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जो दुर्गा प्रसाद मिश्र जी ने बयान दिया है तो बिन्दु एक से लेकर 9 तक उन्होंने क्या बयान दिया है ? मंत्री जी कृपया पढ़कर सुना दें ?

श्री अध्यक्ष--

संक्षेप में बता दें ।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, 3 पेज का बयान है । पूरा बयान है । कहीं पर क्रमशः नहीं है । बयान क्रम से नहीं दिया गया । आप कहें, तो सुना दूं ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा बयान सुनाने की अनुमति नहीं दी गई ।)

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, डी0 आई0 जी0 गोरखपुर प्रक्षेत्र जब जांच करने गये तो मैंने पूछा कि बिन्दु एक से लेकर 9 तक की जांच करने आये हैं या पुलिस अधीक्षक की शिकायत में आये हैं । उन्होंने कहा कि बिन्दु एक से लेकर 9 तक जांच में नहीं आया हूं । पुलिस अधीक्षक की जांच के लिए आया हूं । तो बिन्दु एक से लेकर 9 तक की जांच कराने में पुलिस अधीक्षक कतरा रहे हैं । इनकी जांच न कराने का क्या कारण है ?

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, पुलिस अधीक्षक देवरिया का मामला था इसलिए डी0 आई0 जी0 से जांच कराई गई । मेरे पास रिपोर्ट है । अगर माननीय सदस्य किसी एक विशेष बिन्दु की बात पूछना चाहते हैं तो मैं बताने के लिए तैयार हूं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, यह प्रश्न पहले लम्बित किया गया था, उस समय मंत्री जी ने यह बताया था कि प्रश्नकर्ता को मौका दिया गया या नहीं दिया गया । शिकायतकर्ता माननीय सदस्य को धमका दिया गया है । तो मूल प्रश्न यह है कि एक से लेकर 9 तक जो शिकायतें थीं जिनके सम्बन्ध में यह प्रश्न लम्बित किया गया था उस सम्बन्ध में मिश्रा जी को बुलाया गया या नहीं ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, मैंने यह कहा कि सम्पर्क की बात है । माननीय सदस्य ने तो अपना बयान दिया है, बयान पर उनके दस्तखत हैं ।

(अगला प्रश्न लेने पर)

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, एक प्रश्न और कर लेने दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

और प्रश्नों को मैं इजाजत नहीं देता, आप लोग बैठ जायं। अगर आप उत्तर से असन्तुष्ट हैं तो नियमानुसार लिखकर देंगे तो चर्चा करा दी जायगी।

थाना त्रिलोकपुर के भूतपूर्व थानाध्यक्ष द्वारा विधायक श्री माता प्रसाद पाण्डेय के साथ दुर्व्यवहार किये जाने की जांच

*2--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के अन्तर्गत थाना त्रिलोकपुर के भूतपूर्व थानाध्यक्ष (श्री जयपति नाथ) को 1 अप्रैल, 1982 को विधायक श्री माता प्रसाद पाण्डेय के साथ दुर्व्यवहार करने के फलस्वरूप निलम्बित किया गया था और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या अपराध अनुसन्धान शाखा ने अपनी जांच आख्या शासन को दे दी ? यदि नहीं, तो उक्त थानाध्यक्ष को किस आधार पर निलम्बन समाप्त कर पुनः नियुक्त किया गया ?

मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

जी हां। इस प्रकरण की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा किये जाने के आदेश दिये गये थे। अपराध अनुसंधान विभाग की अन्तिम जांच आख्या अभी शासन को प्राप्त नहीं हुई है। इसी सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सौंपी जांच की आख्या प्राप्त होने और मामले के गुणावगुण पर विचार करने के उपरान्त थानाध्यक्ष का निलम्बन समाप्त कर दिया गया।

[मंगलवार, 22 फरवरी, 1983 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

पुलिस विभाग में लागू नया वेतनमान

*1--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस विभाग में नया वेतनमान लागू कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

पुलिस विभाग की संलग्न तालिका में अंकित पदों को छोड़कर शेष के लिए नया वेतनमान लागू लिया जा चुका है। जिन पदों पर अभी नया वेतनमान स्वीकृत नहीं हुआ है उनसे सम्बन्धित शासनादेश शीघ्र प्रसारित किया जा रहा है।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि किन-किन पदों का वेतनमान लागू किया गया और अलग-अलग पदों का वेतनमान क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, जिन पदों को छोड़ दिया गया है, उनकी सूची साथ में संलग्न† कर दी गई है।

---

†देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 607 पर।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा प्रश्न सिर्फ यह है कि किन-किन पदों का नया वेतनमान लागू किया गया है। जिन पदों का नया वेतनमान लागू किया गया है उन पदों के बारे में मैं जानकारी चाहता हूं कि अलग-अलग पदों का वेतनमान क्या है, जो लागू किये जा चुके हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, जिन पदों को छोड़ दिया गया है, वे करीब 40 बैठते हैं तालिका सूची में जिसको कर दिया गया है, उनकी बड़ी लम्बी सूची है, जो मेरे पास नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सवाल की जड़ ही समाप्त कर दी है। जिन पदों को किया गया है, उसकी सूची माननीय मंत्री जी के पास नहीं है। मान्यवर इस तरह से इस सवाल को आगे बढ़ाने का औचित्य नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस सवाल को आप स्थगित कर दें। मान्यवर, पदों का वेतनमान लागू करने के सिलसिले में माननीय मंत्री जी के पास इसकी सूचना है नहीं, तो मैं अनुरोध करूंगा कि इस सवाल को आप स्थगित कर दें।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, वेतन आयोग द्वारा विभाग के जिन पदों की संस्तुति की गयी है, उसमें दो कोटि रखी गयी हैं, एक सामान्य कोटि और एक कुछ छुटे हुये की। वह मैंने दी है। वेतन आयोग जो वित्त विभाग की शाखा के अन्तर्गत काम करता है, उनको यह दे दी गयी है, उस पर शीघ्र निर्णय होना चाहिए।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी सूची को सदन के पटल पर रख देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जो यह सूचना मांग रहे हैं, वह आप मंगवाकर इन्हें भिजवा दीजिएगा।

जनपद गोरखपुर के घुघली उपनगर में स्थानीय पुलिस द्वारा व्यक्तियों की पिटाई

*2--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद के घुघली उपनगर में स्थानीय पुलिस ने गत 5 अप्रैल, 1982 को लोगों की जिस बर्बरतापूर्वक पिटाई की थी क्या उसकी मजिस्टोरियल जांच का आदेश जिलाधिकारी, गोरखपुर ने प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर किया था ? यदि हां, तो क्या जांच हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी नहीं। कोई मजिस्टोरियल जांच नहीं हुयी। मजिस्टोरियल जांच का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इस सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलतबयानी करके। मैं उनसे यह चाहूंगा कि वे कृपया मूल पत्र एवं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, गोरखपुर की टिप्पणी को पढ़ कर सुना दें ?

श्री गुलाब सेहरा--

मूल पत्र आपका किस तारीख का है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, जिस पत्र के आधार पर उत्तर आया है कि जांच का औचित्य नहीं पाया गया। तो जिसके सन्दर्भ में आपने उत्तर दिया है, उसको कृपया पढ़कर सुना दें और जो जिलाधिकारी, गोरखपुर की टिप्पणी है, उसको भी कृपया पढ़ कर सुना दें ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, जो प्रश्न किया गया था, उसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी प्रश्न के इस भाग को आधार बनाकर के कि जिलाधिकारी गोरखपुर ने प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर किया था, इसी चीज को आधार बनाकर के जो पत्र श्री ओझा ने लिखा और जिस पर जिलाधिकारी ने आदेश दिये, क्या उसको सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, जो प्रश्न किया गया था, उसका उत्तर दिया गया। पत्र का कोई जिक्र नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

किस तरीके से आपने पत्र लिखा है, पत्र की प्रतिलिपि आपकी पत्रावली में होना चाहिए थी ?

श्री हुकम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान प्रश्न की ओर आकर्षित करते हुए यह कहना चाहता हूं कि 5 अप्रैल, 1982 को लोगों की जिस बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई क्या उसकी मैजिस्टोरियल जांच का आदेश जिलाधिकारी, गोरखपुर ने प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर किया था ? मान्यवर, दोनों चीजें हैं, प्रश्नकर्ता ने अनुरोध किया, उस अनुरोध पर जिलाधिकारी ने आदेश दिये। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह अनुरोध है और क्या जिलाधिकारी के आदेश हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, शुद्ध रूप से माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। मान्यवर, यह तो अवमानना का प्रश्न हो जायेगा। आप कृपया इस प्रश्न को लम्बित कर दें ?

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैं प्रश्न को लम्बित करने के लिए इसलिए कह रहा हूं, ताकि पूरी सूचना सदन के सामने आ सके।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस प्रश्न को स्थगित नहीं कर रहा हूं । आपने मैजिस्ट्रीयल जांच के बारे में प्रश्न किया, उत्तर है मैजिस्ट्रीयल जांच का कोई औचित्य सिद्ध नहीं हुआ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, कृपया उत्तर देख लें, कहा गया है कि मैजिस्ट्रीयल जांच का कोई औचित्य नहीं पाया गया । तो मैं जानना चाहता हूं कि किस आधार पर माननीय मंत्री जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि औचित्य नहीं पाया गया । अगर मैंने कोई पत्र नहीं दिया तो किस आधार पर यह अनुरोध है कि मैजिस्ट्रीयल जांच का कोई औचित्य नहीं है, यह बता दें ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, मजिस्ट्रीयल इन्क्वाएरी का कोई औचित्य नहीं निकला ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, आपने औचित्य नहीं पाया । हमारे माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि कोई अनुरोध माननीय सदस्य ने किया और जिलाधिकारी ने उस अनुरोध को स्वीकार करते हुये मैजिस्ट्रीयल जांच के आदेश दे दिये, क्या यह आदेश जिलाधिकारी ने दिया या नहीं ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, इनके बाद के वार्तालाप की मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, यह देखते हुये कि जो पत्र था उसको रिजक्सन किया गया, उस पर आदेश हुआ या नहीं तो इसका मतलब यह है कि पत्र था कोई । चाहे वह एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट । क्या माननीय मंत्री, जिसने यह पत्र गायब किया है, के खिलाफ कार्यवाही करेंगे या नहीं ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, जिसकी मुझे जानकारी नहीं है उसको क्या जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप उसे पुनः देख लें इस पत्र को, जिस पर माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्न किया जा रहा है । उसे दिखवाने के बाद सदन के उठने से पहले उसकी सूचना दे दें ।

श्री गुलाब सेहरा--

जी हां ।

ग्राम परेहटा, थाना गोसाईगंज, जनपद लखनऊ में श्री दुर्गादीन की हत्या की लिखायी गई रिपोर्ट और आश्रितों को आर्थिक सहायता

*3--सन्त बक्स रावत--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दुर्गादीन पुत्र माता दीन हरिजन, निवासी, ग्राम परेहटा, थाना गोसाईगंज, जनपद लखनऊ की हत्या, दिनांक 29 मार्च, 1979 को हुई थी जिसकी रिपोर्ट मु0 अ0 स0, 9/ए, धारा 304 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत दिनांक 2 अप्रैल, 1949 को थाना गोसाईगंज में दर्ज हुई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई तथा मृतक हरिजन परिवार एवं उसकी विधवा पत्नी को क्या आर्थिक सहायता की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 2 अप्रैल, 1979 को श्री ननकऊ पुत्र देवी, निवासी शिवलर, थाना गोसाईगंज, जनपद लखनऊ के प्रार्थना-पत्र के आधार पर मृतक दुर्गादीन की मृत्यु के सम्बन्ध में अपराध सं0 91ए/79 अन्तर्गत धारा 304 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया था । अब तक की विवेचना से नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या का अपराध साबित नहीं हो सका है । अपितु जांच से ज्ञात हुआ कि उसकी मृत्यु दिनांक 29 मार्च, 1979 को ग्राम भदवारा में चोरी करते समय ग्रामीणों द्वारा उसे मौके पर पकड़े जाने एवं अपने जान-माल की रक्षा करते समय हुई । जिसके सम्बन्ध में वादी श्री कल्लू पुत्र परागी की सूचना पर दुर्गादीन मृतक के विरुद्ध मु0 अ0 सं0 97/79 धारा 454/380 भारतीय दण्ड विधान पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के मर जाने के कारण मुकदमें की विवेचना द्वारा अन्तिम रिपोर्ट सं0 120, दिनांक 26 अप्रैल, 1980 को समाप्त की गई । पुलिस अभिलेखों के अनुसार दुर्गादीन आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति था । इस प्रकार के मामलों में मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है ।

श्री संत बक्स रावत--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जैसा कि अपने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि मृतक दुर्गादीन की मृत्यु दिनांक 29 मार्च, 1979 को हुई और 5 दिन के बाद मृतक के सिलसिले में थाने में सूचना दी गई इस प्रकार लाश 5 दिन तक पड़ी रही । इसके बाद इसे धारा 304 के अन्दर दर्ज कर दिया गया । गांव वालों की तरफ से रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई कि यह चोर था । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह हत्या 29 तारीख को हुई, उसके खिलाफ चोरी का मुकदमा कितने दिन बाद और कब दर्ज की गई ?

श्री गुलाब सेहरा--

दिनांक 29 मार्च, 1979 को चोरी करते समय ।

श्री संत बख्श रावत--

अपराध संख्या 91-ए जो पहले दर्ज हुई है वह मृतक के रिश्तेदारों ने लिखवाई है और जो बाद में लिखी गई है वह अभियुक्तों से मिलकर लिखवाई गई है कि वह चोर था। मान्यवर, जब उसके खिलाफ चोरी का कोई भी इवीडेन्स या उसकी अपराधिक प्रवृत्ति का सबूत नहीं मिल पाया तो उसके आश्रितों को सहायता न देने का क्या कारण है जबकि वह एक हरिजन जाति का है ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, गृह विभाग की ओर से जो आर्थिक सहायता दी जाती है और उसके जो आधार हैं, उस आधार के अन्तर्गत वह नहीं आता है लेकिन जहां तक हरिजन समाज कल्याण की बात है, उनकी ओर से आर्थिक सहायता दिये जाने पर विचार किया जायेगा।

*4--श्री हरिवंश सहाय--

[8वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*5--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

[दिनांक 15 फरवरी, 1983 को तारांकित प्रश्न संख्या 40 द्वारा उत्तरित]

*6--श्री गोपीनाथ वर्मा--

[10वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव में श्री जटाशंकर की कथित दर्ज रिपोर्ट

*7--श्री नन्द किशोर सिंह (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मन्त्री को यह जानकारी है कि थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव की पुलिस ने जटाशंकर, निवासी ग्राम नेवलगंज, थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव के विरुद्ध पुनः मु0 अ0 71/82 धारा 302/201 भा0 द0 वि0 नकल रपट नं0 14 रो0 आ0, दिनांक 20 अप्रैल, 1982 में अंकित कर दिया है ? यदि हां, तो क्या इसकी न्यायिक जांच करवा कर दोषी पुलिस जनों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं।

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव में मु0 अ0 सं0 71/82, धारा 302/201 भा0 दं0 वि0 में रपट नं0 14, दिनांक 20 अप्रैल, 1982 में जटाशंकर, निवासी ग्राम नेवलगंज को किसी अपराध के सम्बन्ध में अंकित नहीं किया गया है और न उक्त जटाशंकर पर कोई आरोप लगाया गया है। अतः न्यायिक जांच का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई में अतरौली से भट्टपुर घाट तक मार्ग के निर्माण हेतु कृषकों की अर्जित भूमि तथा मुआवजा का वितरण

*8--श्री रामलाल वर्मा (अनुपस्थित)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में अतरौली से भट्टपुर घाट तक स0नि0वि0 द्वारा सड़क का निर्माण किया गया

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 8 श्री पंचानन राय की रुचि पर लिया गया।

है तथा उसके अन्तर्गत कृषकों की भूमि अर्जित की गयी है ? यदि हां तो क्या अर्जित भूमि का मुआवजा दे दिया गया है तथा धारा 17 का प्रमाण-पत्र लागू कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक प्रश्नगत मुआवजा दे दिया जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)—

जनपद हरदोई में अतरौली से भट्टपुर घाट तक मार्ग का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया तथा उसके निर्माण में कृषकों की भूमि अध्याप्ति की गई । प्रश्नगत मार्ग में पड़ने वाले कुल 10 ग्रामों में 367 काश्तकारों की भूमि स्थायी रूप से तथा 557 काश्तकारों की भूमि अस्थाई रूप से अर्जित की गई थी । इनमें से स्थाई रूप से ली गई 325 काश्तकारों तथा अस्थाई रूप से ली गई 360 काश्तकारों की भूमि का मुआवजा क्रमशः 77,027·45 रु0 तथा 20,069·07 रु0 दिनांक 29 जून, 1979 से 23 फरवरी, 1980 के बीच काश्तकारों को वितरित किया जा चुका है । शेष स्थायी रूप से ली गई 42 काश्तकारों तथा अस्थाई रूप से ली गई 197 काश्तकारों की भूमि के मुआवजे क्रमशः 6,963·90 रु0 तथा 5,033·66 रु0 को सम्बन्धित काश्तकार लेने के लिये उपस्थित नहीं हुये । अतः यह धनराशि उनके नाम रेवेन्यू डिपाजिट में जमा कर दी गई है । भूमि अर्जन की कार्यवाही में धारा 17 लागू करने की आवश्यकता अथवा औचित्य नहीं था । उक्त मार्ग में उपरोक्त अर्जित भूमि के अतिरिक्त भी 7 खातों की 3 बीघा 6 बिस्वा 18 बिस्वांसी भूमि मार्ग निर्माण में प्रयोग की गई है, जिसका प्रतिकर आपसी समझौते से तय करके वितरित करने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि सड़क का निर्माण कब हुआ था और इस जमीन को उन्होंने कब लिया इसके अलावा यह भी जानना चाहता हूं कि उन्होंने दो कटेग्री क्यों बना दीं, कुछ मुआवजा दिया गया और कुछ मुआवजा क्यों नहीं दिया गया ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर, 29 जून, 1979 को जिस समय यह सड़क शुरू हुई थी, तब मुआवजा सभी काश्तकारों को मिल गया था, कुछ जमीन ऐसी थी जिसमें तालाब पड़ गया था, फलस्वरूप कुछ एलाइनमेंट बदलना पड़ा, इसके कारण इसका मुआवजा नहीं दे पाये । वह भी हम समझौते के आधार पर पेमेन्ट कर रहे हैं ।

श्री माधव प्रसाद—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 10 ग्रामों में 367 काश्तकारों की स्थाई रूप से तथा 557 काश्तकारों की भूमि अस्थाई रूप से अर्जित की गई तो मैं, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्थाई रूप से और अस्थाई रूप से भूमि के अर्जन करने में क्या अन्तर है ? और दूसरा यह कि 557 काश्तकारों में से कितने अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि का अर्जन किया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

यह अनुसूचित वाले भाग को उठाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, केवल अंतर के बारे में यदि माननीय मंत्री जी जानते हों तो उसका उत्तर दे दें ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

स्थाई रूप में वह है जहां से सड़क निकलती है और अस्थाई वह होती है जहां से सड़क के लिए मिट्टी डाली जाती है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित में यह जानना चाहता हूं कि मुआवजे की धनराशि के बजाय जो धनराशि फिक्स की गयी है, वह किन नियमों के अनुसार फिक्स की गयी है, उनके आधार क्या हैं ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

रेमेन्यू के रूल्स एवं रेगुलेशन के अनुसार जो धनराशि का आधार फिक्स करने का होता है उसी के अनुसार फिक्स की गयी है ।

श्री शंकर सिंह--

जो मुआवजा भू-स्वामियों को दिया गया है, वह किस हिसाब से दिया गया है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

यह गणित आप स्वयं लगा लीजिए, मैंने उसकी सारी फीगर्स अपने उत्तर में दे दी हैं ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या माननीय मन्त्री जी को यह जानकारी है कि प्रतिकर का जो भुगतान भू-स्वामियों को किया गया है, वह जो पूरे प्रदेश में 1337 फसली में रिकार्ड आपरेशन हुआ था, उसके अनुसार भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? या मौजूदा स्थिति के अनुसार आप मुआवजा दे रहे हैं तो इस हिसाब से भी प्रतिकर देना क्या जायज है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

श्रीमन्, रेवेन्यू विभाग जो इस सम्बन्ध में तय करता है, हम उसी हिसाब से पेमेंट करते हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

जिस जमाने में यह प्रतिकर भू-स्वामियों को दिया गया है, उस जमाने में तहसीलदार द्वारा जो वैल्यूयेशन निर्धारित हुआ था क्या वही मुआवजा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भी तय हुआ था, या दोनों की भिन्न प्रणाली थी, मुआवजा तय करने की ? यदि हां, तो दोनों में किस प्रणाली के आधार पर मुआवजा दिया गया और दूसरा प्रश्न मान्यवर, मेरा यह है कि क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायत माननीय मंत्री जी के पास आयी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

श्रीमन्, ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है यदि माननीय सदस्य को कोई शिकायत हो, तो वह कृपया लिखकर दे दें, उस पर कार्यवाही करा दी जायेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का पहला अंश रह गया उसका उत्तर तो माननीय मन्त्री जी से दिलवा दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया शांत रहिए, यदि मौका मिला तो अवश्य आपको फिर मौका दे दिया जाएगा ।

(शोर)

श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या सरकार की नीति के अनुसार जो मुआवजा लोगों को दिया गया है, वह राजस्व विभाग की नीति के अनुसार अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग की नीति के अनुसार भुगतान किया गया है ?

(व्यवधान)

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

राजस्व अनुभाग के नियमों के अनुसार मुआवजा दिया गया है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

जिस जमाने में मुआवजा भू-स्वामियों को दिया गया है, उस समय में तहसील द्वारा मुआवजा कितना निर्धारित हुआ था और बाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो तय हुआ मुआवजा, वह कितना निर्धारित हुआ था ? और यदि दोनों में कोई फर्क है तो क्या उसका डिफरेन्स भी उन भू-स्वामियों को दिये गये हैं ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

राजस्व विभाग के अधिकारियों ने जो मुआवजा आंका, उसी के आधार पर भू-स्वामियों को मुआवजा दिया गया है । किसी अन्य विधि से और नहीं आंका गया है, इसलिए डिफरेन्स का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

सब इन्सपेक्टर से एस० पी० तक विभागीय प्रोन्नति को समाप्त करने पर विचार

*9--श्री श्याम लाल बाजपेयी--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सब इन्सपेक्टर से एस० पी० तक विभागीय प्रोन्नति की वर्तमान पद्धति को समाप्त कर केवल परीक्षा पद्धति पर प्रोन्नति करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी नहीं । वर्तमान में विद्यमान प्राविधानों के अनुसार विभिन्न पदों पर प्रोन्नति की प्रक्रिया सर्वथा उपयुक्त है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से बड़ी निराशा हुई। माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में उनका ध्यान में एक प्रश्न की ओर आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने पूछा है कि सब इन्सपेक्टर से लेकर एस0 पी0 तक जो विभागीय प्रमोशन की पद्धति है अंग्रेजों के जमाने से स्थापित है। आज सब इन्स-पेक्टर की परीक्षा होती है। इंस्पेक्टर, डिप्टी एस0 पी0, एस0 पी0 सभी आई0 ए0 एस0 और आई0 पी0 एस0 की कृपा पर निर्भर करते हैं। तो क्या वर्तमान सरकार आई0 ए0 एस0 आई0 पी0 एस0 के एकाधिकार को समाप्त कर, इस दृष्टि से कि अच्छे लोगों को मौका मिले, सीधी परीक्षा पद्धति स्वीकार करेगी ? इसको बताने की कृपा करें।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, तीन आधार हैं। पहला आधार सब इंस्पेक्टर से इंसपेक्टर बनाने का आधार है। अनुभव और चरित्र पंजिका के आधार पर पुलिस ऐक्ट की धारा 403 के तहत प्रमोशन होता है। इंसपेक्टर से डिप्टी एस0 पी0 का पूरा कोटा नहीं है। 50 प्रतिशत प्रमोशन विभागीय चरित्र पंजिका एवं अनुभव पर आधारित है। आई0 पी0 एस0-एस0 पी0 की बात है, वह 33 प्रतिशत प्रमोशन है। पूर्ण नहीं है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

प्रश्न कुछ और है, माननीय मंत्री जी उत्तर दूसरा दे रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि पुलिस फोर्स में सुरुचिता लाने के लिए और आई0 ए0 एस0, आई0 पी0 एस0 के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए क्यों नहीं इंसपेक्टर की डायरेक्ट परीक्षा करा देते। क्यों नहीं डिप्टी एस0 पी0 की डायरेक्टर परीक्षा करा देते ? दूसरे पिछले 14 वर्षों से कितने ऐसे इंसपेक्टर हैं जो कनफर्म नहीं हुए। डिप्टी एस0 पी0 के 60 पद रिक्त पड़े हैं क्या इनकी पूर्ति करायेंगे ? नीति विषयक प्रश्न है। कैबिनेट में जायेगा। मान्यवर, आज पुलिस फोर्स में जो असन्तोष है वह इसलिए है कि सब इंसपेक्टर के बाद कोई परीक्षा नहीं है। यह पद्धति अंग्रेजों ने बनायी थी, खुशामद कराने के लिए। इंसपेक्टर को जब चाहा डिप्टी एस0 पी0 बना दिया, डिप्टी एस0 पी0 को एस0 पी0 बना दिया ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न करें।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

आप तो समझें मान्यवर, आप पुराने ज्ञाता हैं।

क्या कारण है कि पुलिस फोर्स को स्वच्छ बनाने के लिए सीधी चयन परीक्षा पद्धति नहीं अपनायी जा रही है ? अनेक वर्षों से डिप्टी एस0 पी0 के पद रिक्त पड़े हैं। दसियों सालों से इंसपेक्टर कनफर्म नहीं हो पाये।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, बाजपेयी जी ने प्रश्न तो कोई किया नहीं, लम्बी चौड़ी बात कह डाली।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

फिर समझाये देता हूं । मैंने कहा कि डिपार्टमेन्टल लोगों को इन्सेन्टिव बना रहे । डिपार्टमेन्ट के लोग जो काम कर रहे हैं, उनके लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित हैं । तो क्यों नहीं उन्हीं पदों के लिए परीक्षा करा देते । प्रमोशन को कृपा पर क्यों आधारित रख रहे हैं ।

श्री गुलाब सेहरा--

डिप्टी एस0 पी0 का चयन 50 प्रतिशत डायरेक्ट होता है । इन्टेन्सिव बना रहे, काम के प्रति रूचि रहे इसलिए उनको चरित्र पंजिका के आधार पर किया जाता है । नियमों की जो बात है, दिल्ली से आई0 पी0 एस0 पर प्रमोशन के नियम बने हैं । जहां तक नियम बदलने की बात है, इसमें जो आई0 पी0 एस0 का नियम है, वह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का है, बाकी स्टेट का है, इसलिए उसमें कोई ऐसा विचार नहीं है बदलने का ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, यह प्रश्न माननीय मंत्री जी की बुद्धि से ऊपर का है । दो पद्धतियां हैं एक प्रोन्नति पद्धति और दूसरी परीक्षा पद्धति । जो प्रश्न किया गया है वह विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और वरिष्ठ अधिकारियों के विवेक पर निर्भरता का है । तो उस को हटा कर परीक्षा पद्धति क्यों नहीं लागू करते ?

श्री गुलाब सेहरा--

इसका रोस्टर है, सीनियारिटी लिस्ट है और किसने कैसा काम किया है, ये सब चीजें हैं । इसमें आई0 पी0 एस0 के 33 प्रतिशत और डी0 वाई0 एस0 पी0 30 प्रतिशत हैं ।

श्री मुख्तार अनीस--

जो कैटागरीज गिनाई हैं, उसमें प्रमोशन का जो मामला है, उसमें बात चरित्र पंजिका को आधार बनाते हैं और उसके अनुसार बहुत हद तक लोगों को न्याय नहीं मिल पाता । अधिकारी यदि किसी व्यक्ति से नाराज हो जाता है तो उसे सी0 आई0 डी0 में भेज देते हैं या उस को कहीं और हटा देते हैं । तो शासन इस पर विचार करेगा ? और परीक्षा पद्धति को लागू करेगा ।

श्री गुलाब सेहरा--

आपको भी समझाता हूं । इसमें सेवा अभिलेखों एवं साक्षात्कार, श्रेष्ठता का मापदंड है । चयन समिति होती है जो चयन करती है । कोई एक व्यक्ति नहीं करता...

(व्यवधान)

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मंत्री जी ने कहा कि उसकी चयन समिति होती है, फलानी है ढमाकी है । मैं उनकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि सब इंसपेक्टर का नाम जब इंस्पेक्टर के लिए भेजा जाता है तो जिले का जो एस0 पी0 होता है, वही इसके लिए

समर्थ हैं कि वह नाम भेजे । वही होता हुआ आगे तक जाता है । तो बहुत स्पष्ट रूप से घोषणा कर दें कि इस व्यभिचार, पापाचार को समाप्त करने के लिए परीक्षा पद्धति को स्वीकार कर रहे हैं ।

श्री गुलाब सेहरा—

बाजपेयी जी क्या चाहते हैं, इसका आशय स्पष्ट ही नहीं हो रहा है ।

(हंसी)

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश के सुयोग्य और सुलझे हुए राज्य मंत्री सेहरा जी हैं, मेरी बात नहीं समझ पाते हैं । मुझे इसके लिए दुख है । इस प्रदेश के घमड़ से घामड़ व्यक्ति हमारी बात समझ लेते हैं और यह हमारी बात नहीं समझ पाते हैं । हमारा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि सभी सब-इंस्पेक्टरों की परीक्षा होती है, लिखित भी होती है और शारीरिक भी होती है उसके बाद साक्षात्कार होता है । फिर सब इंस्पेक्टर आगे के लिए एस0 पी0 डी0-वाई0 एस0 पी, आई0 जी0, डी0 आई0 जी, होम सेक्रेट्री पर निर्भर करता है । 60 डी0-वाई0 एस0 पी0 के पद खाली पड़े हैं, सब इंस्पेक्टरों को कन्फर्म नहीं किया जा सका है, जो इन लोगों को विभागीय अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है, आप उसको हटाने के लिए परीक्षा पद्धति क्यों नहीं निर्धारित करते कि उसी के आधार पर पदोन्नति हो सके ? वे क्यों आपके विभागीय अफसरों की इच्छा पर निर्भर रहें ? अब मैं समझता हूं आप मेरी बात समझ गये होंगे और अब इसमें कोई घुमाव-फिराव की जरूरत नहीं है । मेरा ख्याल है कि अब आप मेरी बात को समझ गये होंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

जहां तक माननीय सदस्य का कहना है वह इंस्पेक्टर के प्रमोशन की बात है । शेष डिप्टी एस0 पी0 की परीक्षा होती है उसमें 50 प्रतिशत परीक्षा वाले लोग आते हैं । सार्वजनिक परीक्षा देकर लोग यू0 पी0 पी0 में आते हैं और 50 प्रतिशत प्रोन्नति के लिये आरक्षित है । एक सेलेक्शन कमेटी है जो उसी आरक्षण का आधार बना कर रोस्टर, सीनियरिटी तथा चरित्र पंजिका और श्रेष्ठता को तथा प्रमाण पत्र को देख कर सेलेक्शन करती है प्रोन्नति के लिए जिसमें 33 1/2 परसेन्ट इंस्पेक्टर, 50 परसेन्ट डिप्टी एस0 पी0 बनाये जाते हैं । इसमें आदमी सब इंस्पेक्टर से लिया जाता है । सब इंस्पेक्टर की परीक्षा होती है और 10 वर्षों के बाद ही उसे इंस्पेक्टर बनाया जाता है ।

श्री ऊदल—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के प्रमोशन में और इंस्पेक्टर से डिप्टी एस0 पी0 के प्रमोशन में और डिप्टी एस0 पी0 से एस0 पी0 के प्रमोशन में पिछले 10 वर्षों के बाद 1981 में और 1982 में क्या एस0 पी0 के प्रमोशन के लिए चयन समिति बनी और डिप्टी एस0 पी0 के प्रमोशन के लिए पिछले 10 वर्षों में कोई समिति बैठी या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं बनाई गयी और पिछले तीन वर्षों से जिन लोगों के प्रमोशन रुके हुए हैं उन लोगों के प्रमोशन के लिए मंत्री जी क्या शीघ्र ही कोई चयन समिति द्वारा सेलेक्शन करा करके प्रोन्नति देने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

इसमें सुनिश्चित करा लेंगे ।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, प्रश्न तो साफ है और इस पर शासन विचार करे इसलिए यह प्रश्न किया गया है कि जो प्रमोशन हैं उनकी आप परीक्षा नहीं करते हैं और जो डिपार्टमेन्टल लोग हैं वे उसमें बैठेंगे । उनकी चरित्र पंजिका तो परीक्षा के बाद प्रोन्नति के समय देखी ही जायेगी और ऐसा करने पर बात सामने आ जाती है कि कौन व्यक्ति अर्ह है कौन नहीं, इस तरह से किसी की मर्जी पर प्रोन्नति आधारित नहीं रह कर योग्यता के आधार पर सामने आ जाती है तो क्या शासन इस पर विचार करेगा ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, मैंने पहले ही कहा कि यह तीन ऐक्ट से गाईडेड है और इसमें हिसाब से चयन चल रहा है और वह न्यायपूर्ण है । यदि किसी विशेष के साथ अन्याय हुआ हो तो उसे आप कहें, उसे हम दिखवा लेंगे ।

पटना-मुगलसराय पैसेन्जर गाड़ी के द्वितीय श्रेणी में मधुशर्मा के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा बलात्कार तथा दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

*10—श्री राम नरायन एडवोकेट—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 4-5 अगस्त, सन् 1982 की बरसियानी रात्रि में गाजीपुर जनपद के भदौरा और जमानिया स्टेशनों के बीच पटना मुगलसराय पैसेन्जर ट्रेन से मुजफ्फरपुर जनपद (प्रांत बिहार) की एक नव विवाहिता युवती जो जालन्धर जा रही थी, के साथ ट्रेन में 3 पुलिस कर्मियों ने बलात्कार किया तथा दिनांक 6-8-82 को थाना जमानिया जनपद गाजीपुर में सम्बन्धित रिपोर्ट दर्ज कराई गई ? यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अब तक कौनसी कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 30-8-82 को मुख्य मंत्री को जो पत्र लिखा था ? यदि हां, तो पत्र के आधार पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गुलाब सेहरा—

विवेचना से ज्ञात हुआ कि दिनांक 4/5 अगस्त, 1982 को रात्रि में पटना-मुगलसराय पैसेंजर गाड़ी के द्वितीय श्रेणी में मधुशर्मा उर्फ फातिमा उर्फ आसमांखातून नामक एक महिला के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा बलात्कार किया गया ।

उक्त घटना की रिपोर्ट थाना जमानिया जिला गाजीपुर में दिनांक 5-8-82 को दर्ज की गई । दो दोषी पुलिस कर्मी को निलम्बित कर दिया गया है । अभियोग धारा 376/342 भा० द० वि० के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ ।

दिनांक 30-8-82 का विधायक जी का पत्र प्राप्त हुआ, तथ्यों की जांच कराई गई और दोषी कर्मियों के विरुद्ध उक्त कार्यवाही की गई । विवेचना जारी है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, यह प्रश्नकाल है और 12 बजने वाले हैं और अभी तक प्रश्न संख्या 10 हो आ पाया है तो इस तरह से अधिकांश सदस्यों के प्रश्न यहां नहीं हो पाते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

कृपा करके आप बैठें, मैंने आपकी बात सुन लिया है ।

श्री राम नरायन, एडवोकेट--

मान्यवर, अभी तक पुलिस द्वारा प्रदेश में विभिन्न थानों में ही महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता था परन्तु अब तो ट्रेनों में भी महिलाओं के साथ बलात्कार होने लगा है जिसके कारण महिलायें अपने को बहुत ही असुरक्षित पाती हैं । मैं इस सम्बन्ध में तीन बिन्दु उठाना चाहता हूं कि प्रथम तो यह कि जो पुलिस कर्मी ट्रेन में थे वह तीन व्यक्ति कौन-कौन हैं और उनके नाम व पते क्या हैं ? दूसरा कि बलात्कार की घटना की जांच प्रक्रिया में मधु शर्मा उर्फ फातिमा उर्फ आसमां खातून का बयान लिया गया या नहीं और तीसरे कि....

श्री अध्यक्ष--

आप एक-एक करके ही प्रश्न पूछें नहीं तो मंत्री जी उत्तर देने में प्रश्नों को भूल जायेंगे ।

श्री राम नरायन, एडवोकेट--

तो मैं यह पूछ रहा था कि वे पुलिस कर्मी कौन थे उनके नाम व पते क्या हैं तथा उनके खिलाफ क्या मुअत्तली की कार्यवाही की गई ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन् उनकी उस समय ड्यूटी ट्रेन पर थी । एक का नाम है मुईउद्दीन खां, वे लोग उस समय ड्यूटी पर थे ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

आपने कहा कि दो कांस्टेबिल थे और उनको निलम्बित कर दिया गया है । उन पर अभियोग की धारा 376/342 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ । तो मेरी जानकारी के लिए मंत्री जी आप यह और बतला दें कि 376 में जो गिरफ्तारी होती है तो क्या उन पुलिस वालों को उसी तरह से गिरफ्तार किया गया था और उसी तरह से उनको अदालत के जरिए जेल भेजा गया है ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, मुईउद्दीन खां ने अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और दूसरा जो था उसके विरुद्ध साक्ष्य के अभाव में सस्पेंशन किया गया परन्तु उसे जेल नहीं भेजा गया ।

श्री मेंहदी असगर--

ये पुलिस वाले पुलिस के कौन से विभाग से सम्बन्धित हैं--ये सिविल पुलिस के थे, आर्म्स पुलिस के थे या फिर जी0 आर0 पी0 के थे । उनमें कौन दीवान था और कौन कांस्टेबिल था ?

श्री गुलाब सेहरा--

यह कांस्टेबिल जी0 आर0 पी0 के थे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता श्री राय ने पुलिस के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी थी । श्री राय ने स्वयं और मैंने भी इस बात को मंत्री जी को लिखा कि पुलिस श्री राय को इसके लिए बराबर प्रताड़ित कर रही है और अभी भी उसे प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है । तो श्री राय की सुरक्षा के लिए मंत्री जी ने कोई व्यवस्था की है ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी अपने उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि एफ0 आई0 आर0 किन आदमियों के खिलाफ है और तीसरा व्यक्ति कौन है ? उसके खिलाफ कोई कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में दो व्यक्ति तो प्रकाश में आ गये लेकिन तीसरा व्यक्ति कौन है इसका पता नहीं लग पाया, उसकी विवेचना जारी है ।

श्री हुकम सिंह--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित कि एक ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया और दूसरे के विरुद्ध साक्ष्य का अभाव रहा तो आपने उसे निलम्बित किस आधार पर किया ? क्या यह नामजद है, तो यह 6-8-1982 का मामला है, चार्जशीट तो नहीं लगा दी गई है ? यदि नहीं, तो विवेचना की स्टेज क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा--

जो बयान है उस में है कि मुझे दूसरे वाले सिपाही से कोई शिकायत नहीं है । मोटे मुसलमान सिपाही के खिलाफ शिकायत की है ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसकी जांच जी0 आर0 पी0 पुलिस कर रही है या सिविल पुलिस कर रही है और किस पद का अधिकारी इसकी जांच कर रहा है ?

श्री गुलाब सेहरा-

एस0 पी0, जी0 आर0 पी0 कर रहे हैं ।

श्री फखरे आलम--

क्या उस औरत का मेडिकल एक्जामिनेशन हुआ है या नहीं । यदि हुआ है तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा--

मेडिकल एक्जामिनेशन बाकायदा हुआ है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

जो रिपोर्ट लिखायी है, तो उसके लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है और उसने रिपोर्ट क्या लिखायी है ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, रमा कान्त राय, रमेश राय, निवासी सैदाबाद, पुलिस स्टेशन जमानिया, जिला गाजीपुर ने यह रिपोर्ट लिखायी है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

जो रिपोर्ट लिखायी है उसको पढ़कर सुना दें ।

श्री अध्यक्ष--

सारांश बता दें ।

श्री गुलाब सेहरा--

साढ़े सात बजे घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी केस नं0 210 है और धारा 376 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है ।

प्रदेश में भाषा निधि की स्थापना व उद्देश्य

*11--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि हाल ही में 10 करोड़ रुपये से प्रदेश में हिन्दी विकास कोष की स्थापना की गई है ? यदि हां, तो इनका उद्देश्य कार्य-विधि तथा सहायता देने की एजेन्सी क्या होगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

जी हां 10 करोड़ रुपये से उत्तर प्रदेश भाषा निधि की स्थापना की गयी है । इस निधि के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

1--हिन्दी में अनुपलब्ध इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य और चिकित्सा से सम्बन्धित पाठ्य पुस्तकों का मुख्यतः तथा इनके अतिरिक्त तकनीकी प्रशासनिक एवं विधिक विषयों से सम्बन्धित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक लेखन, अनुवाद और प्रकाशन ।

2--हिन्दी माध्यम से शिक्षा देने वाले पब्लिक स्कूलों के लिए अनावर्तक अनुदान। इसके एवज में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निर्धारित संख्या में सीटों का आरक्षण।

3--विभिन्न विश्वविद्यालयों में तथा भाषा संस्थानों में बोलियों तथा अन्य विषयों पर जो शोध कार्य किये जा रहे हैं तथा जो दुर्लभ एवं अप्रकाशित पांडुलिपियां हैं उनके प्रकाशन में सहायता देना।

4--संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं की उत्तम साहित्यिक कृतियों के हिन्दी अनुवाद एवं प्रकाशन में सहायता देना।

इस निधि का प्रशासनिक विभाग, भाषा विभाग होगा और इसका संचालन निम्नलिखित अधिकारियों की समिति करेगी :

1--मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2--सचिव, शिक्षा विभाग	सदस्य
3--सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4--सचिव, नियोजन विभाग	सदस्य
5--सचिव, भाषा विभाग	सदस्य-संयोजक

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 10 करोड़ की जो भाषा निधि स्थापित की गयी है तो यह कब निर्गत की गई है। यह रुपया क्या किसी संस्था में डिपाजिट कर दिया गया है? यदि हां, तो निर्धारित ब्याज की दर क्या है और आज तक कितना रुपया मिला और किस ढंग से खर्च किया गया है?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इस निधि की स्थापना 2-7-1982 को की गयी। निधि का रुपया बिजली बोर्ड को ऋण दिया गया है। तीसरा प्रश्न आपने किया कि ब्याज के रेट क्या होंगे? मान्यवर, ब्याज साढ़े सात प्रतिशत होगा। जहां तक उन्होंने यह प्रश्न किया कि यह कब मिलेगा तो मान्यवर, मार्च में 6 महीने के बाद उसकी पहली किश्त मिलेगी।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो कोष बना है उसमें जो हिन्दी भाषा के अन्तर्गत बोलियां हैं-भोजपुरी है, कुमायूनी है, गढ़वाली है, उनके विकास के ऊपर भी खर्च किया जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इस निधि का मतलब यह है कि हिन्दी भाषा के अन्तर्गत जो भाषायें हैं, जो बड़े-बड़े लेख हैं, उनका अनुवाद कराना और जो टेक्निकल किताबें हैं, जो स्वास्थ्य से सम्बन्धित हैं, इंजीनियरिंग से सम्बन्धित हैं उनका ट्रांसलेशन कराना है। उनके विकास के लिये इसकी स्थापना की गई है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने जो पहले प्रश्न किया था उसके अंतिम भाग को फिर से दुहराऊंगा और फिर दूसरा सवाल करूंगा। क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि भाषा निधि स्थापित होने से आज तक उसे व्याज के तहत कितना रुपया मिला और उसके अन्तर्गत कितना काम किया गया। मान्यवर, मेरे प्रश्न के उत्तर का जो अंतिम हिस्सा है उसके अनुसार कार्य निर्धारण के लिये पैसा देने के लिये जो समिति बनाई गई है वह सरकारी अधिकारियों की है। यह जरूरी नहीं है कि उनके अन्दर साहित्यिक टेलेन्ट भी हों। यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि शासन ने कभी इस बात पर विचार किया है कि उस समिति में काम करने के लिये हमारे प्रदेश के अन्दर जो भाषा के जानकार हैं उनको भी इस समिति में सम्बद्ध कर दिया जाय। शासन की इस सम्बन्ध में क्या नीति है और अब तक उसमें कितना पैसा खर्च किया गया है?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि मार्च, 1983 में 6 महीने के बाद इसकी पहली किश्त मिलेगी और साढ़े सात प्रतिशत के हिसाब से मिलेगा। दूसरा बात यह है कि जो विशेषज्ञ हैं दूसरी किताबें हैं, साइन्स की हैं, टेक्निकल किताबें हैं उनके अन्दर उन्हें नहीं रक्खा गया है। दूसरी बात यह है कि यह जो कमेटी बनी है यह सरकारी अधिकारियों की है। अगर कोई टेक्निकल सबजेक्ट होते हैं जिसके अन्दर दूसरे विशेषज्ञ लिये जा सकते हैं। यदि कोई ऐसी बात हो तो वह कमेटी अपने में एक सब-कमेटी बना सकती है और परामर्श ले सकती है। इसके अतिरिक्त हिन्दी संस्थान के जो उपाध्यक्ष हैं वे भी इस समिति में स्पेशल इन्वाइटी हैं। इसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है और इसके विकास के लिये विशेषज्ञों को और स्पेशलिस्टों को इसके अन्दर लिया जा सकता है।

श्री भोखालाल--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 10 करोड़ रुपये की जो निधि स्थापित की गई है वह एक पवित्र उद्देश्य के लिये की गई है और उसके लिये समिति बनायी गई है लेकिन वह रुपया ऋण के रूप में बिजली बोर्ड को दिया गया है। तो जिन उद्देश्यों के लिये इसका निर्माण किया गया था उन उद्देश्यों की पूर्ति भाषा विभाग न करके उसे बिजली बोर्ड कर रहा है। दूसरी बात यह है कि बिजली बोर्ड वैसे ही दिवालिया है, यह रुपया उससे वापस मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारेन्टी भी है?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो उन्होंने पहले प्रश्न किया कि क्यों पैसा दिया गया। तो मान्यवर, उसके लिये सारे रूल्स और रेगुलेशन्स बनाये जा रहे हैं। इतने अरसे तक पैसे का वहां पर रखना उचित नहीं था। उसे बिजली बोर्ड को देने से उसकी बढ़ोत्तरी ही होगी और प्रदेश के विकास में उसका इस्तेमाल हो सकेगा। इस 10 करोड़ रुपये का साढ़े सात प्रतिशत के हिसाब से ब्याज भी मिल जायगा और निधि को भी इसका फायदा मिल सकेगा। मान्यवर, दूसरा प्रश्न जो माननीय भोखालाल जी ने किया है उनकी तो आदत है हमेशा शुबहा करने की, बिजली बोर्ड से वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अवश्य वापस मिलेगा और यह पैसा हिन्दी के विकास के लिये, उसे ज्यादा पापुलर बनाने के लिए खर्च किया जायेगा।

(श्री रियासत हुसैन का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष--

यह आखिरी प्रश्न होगा ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुए कि बिजली बोर्ड में बराबर घाटा हो रहा है सरकार मय सूद के इस पैसे को वापस कराने की गारंटी देगी ?

श्री अम्मर रिजवी--

मान्यवर, जिस समय इसकी नियमावली बन जायेगी यह रुपया जो ऋण की तरह दिया गया है, वापस लिया जायेगा ।

जिला आजमगढ़ में पुलिस उपाधीक्षकों के स्वीकृत पद

*12--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 79 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ के थानों के अनुसार सात पुलिस उप अधीक्षकों की आवश्यकता होने के बावजूद 5 पद स्वीकृत किये जाने का क्या औचित्य है ? शेष दो पद कब तक स्वीकृत कर दिये जायेंगे और उन पर नियुक्तियां कब तक सम्भव होंगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जिला आजमगढ़ में पुलिस उपाधीक्षकों के पांच पद पहले से ही स्वीकृत हैं। दो और पदों की आवश्यकता समझी जाती है, जिनको सृजित करने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को दिया गया कथित ज्ञापन

*13--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि रामकोला, देवरिया स्थित जागरण प्रतिनिधि श्री लाल बहादुर गोविन्दराव को थानाध्यक्ष रामकोला, देवरिया द्वारा प्रताड़ित करने तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में 4 जून, 1982 को पत्रकारों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो ज्ञापन में क्या तथ्य व मांगें थीं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं। प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में संदर्भित ज्ञापन जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक, देवरिया के कार्यालय में उपलब्ध नहीं हुआ है। प्रश्न नहीं उठता।

नोट :--तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

सचिवालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतन कर्मचारियों की सेवायें

*14--श्री परमात्मा प्रसाद सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सचिवालय में वर्तमान समय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतन कर्मचारियों की जो पिछले अनेकों वर्षों से इस सचिवालय में कार्यरत हैं सेवायें समाप्त करने का सरकार ने अभी हाल में निर्णय लिया है? क्या यह सही है कि उनके स्थान पर नई नियुक्तियां करने हेतु हाल ही में ली गई परीक्षा और साक्षात्कार में उपरोक्त कार्यरत कर्मचारियों को अवसर नहीं प्रदान किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र--

शिफ्टिंग आदि कार्य तथा अन्य प्रकीर्ण एवं सामयिक कार्यों को सम्पन्न कराने हेतु समय-समय पर दैनिक वेतन पर मजदूर रखे जाते हैं और सम्बन्धित कार्य पूर्ण होने पर उनको हटा दिया जाता है। चतुर्थ श्रेणी अर्थात् समूह "घ" के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु जून, 1982 में जो चयन कराया गया था, उसका व्यापक प्रचार करा दिया गया था। सचिवालय में कार्यरत ऐसे दैनिक वेतन मजदूर जो उक्त चयन में सम्मिलित होने के लिए अर्ह थे और जिनहोंने इस हेतु आवेदन-पत्र दिया था, को चयन में सम्मिलित किया गया था।

समूह "ग" के पदों में वर्ष 1982 में दैनिक वेतन टंककों की सेवायें समाप्त किये जाने हेतु कोई निर्णय नहीं लिया गया तथा उनके स्थान पर नयी नियुक्तियां करने हेतु कोई परीक्षा नहीं ली गई।

श्री सत्य प्रकाश, जिला मेरठ की निर्मम हत्या तथा अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही

*15--श्री नरेन्द्र सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि अ0 शा0 125-ए, अन्तर्गत धारा 147/148/302 भा0 दं0 वि0 थाना छपरौली, जिला मेरठ के सम्बन्ध प्रश्नकर्ता ने एक तार एवं प्रार्थना-पत्र उन्हें भेजकर छपरौली थाना की पुलिस द्वारा दिनांक 28-29 अगस्त, 1982 की रात्रि में सत्य प्रकाश पुत्र ईश्वर सिंह, निवासी ग्राम शेरपुर लुहरा, जिला मेरठ की निर्मम हत्या किए जाने की सूचना दी थी? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और अपराधियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 28-29 अगस्त, 1982 को रात्रि में थाना छपरौली की पुलिस तथा ग्राम लुहारा के एक जंगल में स्थित ट्यूबवेल पर ठहरे कुछ बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में सत्य प्रकाश को पकड़ा गया तथा बंदूक की बट से मारपीट कर काबू में किया गया। बाद में सत्य प्रकाश की मृत्यु हो गई।

इस सम्बन्ध में मुकदमें पंजीकृत हैं जिनकी आवश्यक जांच प्रचलित है। फलस्वरूप जांच आख्या की प्राप्ति के बाद ही अपराधियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही संभव हो सकेगी।

फिलहाल, मामले से संबंधित पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन स्थानान्तरित कर दिया गया है।

अरविन्द साकेत कुमार मिश्र, छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय की गुमशुदगी की जांच

*16--श्री राम सागर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अरविन्द साकेत कुमार मिश्र, छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय को मारने और उसकी लाश को गायब कर दिये जाने के मामले में जांच करा कर आवश्यक कार्यवाही करने से सम्बन्धित कोई प्रार्थना-पत्र श्री राम कृपाल मिश्र की ओर से दिनांक 5-9-82 ई0 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या जांच आवश्यक कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां। प्रश्नगत मामले में जांच कराई गई। जांच से ज्ञात हुआ कि दिनांक 12-6-82 को श्री राम कृपाल मिश्र, ग्राम नरेन्द्रपुर, थाना लोनीकटरा, जिला बाराबंकी द्वारा दिए गए प्रार्थना-पत्र के आधार पर उनके पुत्र श्री अरविन्द साकेत कुमार मिश्र की गुमशुदगी के सम्बन्ध में थाना कैसरबाग पर धारा 364 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गई। पुलिस द्वारा श्री अरविन्द साकेत कुमार मिश्र का पता लगाने हेतु काफी प्रयास किए गए और गश्ती व पुलिस गजट में भी विज्ञापन हेतु रिपोर्ट दी गई तथा समस्त संदेहित व्यक्तियों के बयानात भी लिए गए परन्तु अब तक की विवेचना से कोई ऐसा साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सका है, जिससे यह साबित हो कि श्री अरविन्द साकेत कुमार मिश्र का अपहरण किया गया हो या उसकी हत्या की गई हो। विवेचना से संदेहित व्यक्ति बेगुनाह पाये गये हैं और उनका इस गुमशुदगी में कोई हाथ होना नहीं पाया गया है। उपरोक्त अभियोग की विवेचना तत्परता के साथ प्रचलित है।

श्रीमती प्रेमा देवी, ग्राम उदियापुर, जिला प्रतापगढ़ की हत्या की जांच

*17--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सरकार को यह जानकारी है कि श्रीमती प्रेमा देवी पत्नी श्री शिव प्रताप तिवारी, निवासी ग्राम उदियापुर, थाना लालगंज, जिला प्रतापगढ़ की दिनांक 15-7-82 को उनकी ससुराल वालों द्वारा दहेज न मिलने के कारण हत्या कर दी गई तथा मृतक के भाई की प्रार्थना के बावजूद थानाध्यक्ष, लालगंज द्वारा रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार मामले की सी0 आई0 डी0 जांच करायेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार कथित घटना के सम्बन्ध में मृतक के भाई श्री जगदीश नारायण शुक्ल ने थाना लालगंज में एक प्रार्थना-पत्र अपनी बहन प्रेमा देवी की हत्या उसके पति श्री शिवप्रताप, ससुर श्री रामाकान्त तिवारी तथा सास श्रीमती राजपति द्वारा किए जाने का सन्देह व्यक्त करते हुए दिया था जिस पर स्थानीय पुलिस द्वारा दरियाफ्त हाल जारी किया गया। दौरान जांच मामला हत्या का पाया गया अतः थाना लालगंज में मुकदमा अपराध

संख्या 142/82 धारा 302/201 भारतीय दण्ड विधान उक्त तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध कायम किया गया, जिसमें विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है। चूंकि प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही की गई है और किसी पुलिस कर्मी का दोष नहीं पाया गया अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने और अपराध अनुसंधान विभाग से जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है।

बागपत में हुई माया त्यागी कान्ड के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*18--श्री मोहन सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह तथा श्री रेवतीरमण सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1980 में मेरठ जिले के बागपत में हुई माया त्यागी कान्ड के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन ने माननीय न्यायाधीश श्री पी0 एन0 राय की अध्यक्षता में जो कमीशन नियुक्त किया था उस कमीशन ने इस घटना के लिए किन-किन पुलिस कर्मियों को दोषी पाया और तत्कालीन एस0 एस0 पी0, मेरठ के विरुद्ध क्या मन्तव्य प्रकट किया ? सरकार कृपया बतायेगी कि इस कमीशन की रोशनी में किन-किन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शासन ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

आयोग ने स्वर्गीय श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, उप निरीक्षक को घटना के लिये पूर्णतया जिम्मेदार पाया था। स्वर्गीय श्री सिंह के साथ घटना के समय उपस्थित अन्य दस पुलिस कर्मियों को आयोग ने प्रतिनिधि रूप में उत्तरदायी पाया। तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी आयोग द्वारा नहीं की गई है। शासन ने तत्कालीन थानाध्यक्ष के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने एवं पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्राधिकारी पुलिस से स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्णय लिया है।

श्री हाशिम अली सिद्दीकी, एडवोकेट, लखनऊ द्वारा थाना महानगर की पुलिस के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*19--श्री रियासत हुसैन--

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री हाशिम अली सिद्दीकी एडवोकेट, लखनऊ ने दिसम्बर, 1981 के पहले सप्ताह में थाना महानगर की पुलिस के विरुद्ध कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया था, जो उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो आरोप क्या है, और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

श्री हाशिम अली सिद्दीकी एडवोकेट, अध्यक्ष जनता पार्टी निशातगंज वार्ड, निशातगंज लखनऊ का प्रार्थना-पत्र दिसम्बर, 1981 में प्राप्त हुआ था जिसमें क्षेत्रीय जनता की समस्याओं से सम्बन्धित प्रार्थी की कुछ मांगों को लेकर थाना महानगर, लखनऊ की पुलिस द्वारा प्रार्थी तथा उनके लड़के श्री फाकिर अली सिद्दीकी को परेशान करने तथा श्री फाकिर अली सिद्दीकी को झूठे मुकदमें एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में फंसाने की साजिश की शिकायतें की गई थी।

उक्त प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच कराई गई। जांच से श्री हाशिम अली सिद्दीकी का लड़का फाकिर अली सिद्दीकी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति पाया गया। उसे वर्ष 1982 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जेल भेजा गया था। इस समय वह जमानत पर है। जांच से प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये।

विजय कुमार उर्फ रीकू, जनपद इलाहाबाद की पुलिस द्वारा निर्मम हत्या की जांच

*20--श्री मित्रसेन--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र विजय कुमार उर्फ रीकू, थाना सोरांव, जनपद इलाहाबाद की पुलिस द्वारा निर्मम हत्या किए जाने के सम्बन्ध में श्रीमती जानकी देवी, ग्राम बनकेश्वरी, इलाहाबाद के संलग्नक सहित दिनांक 5 फरवरी, 1982 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक की जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां।

जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कृषकों को कृषि कार्य के उपयोग में आने वाली विद्युत् दरों में वृद्धि

**1--श्री मित्रसेन--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के कृषकों को कृषि कार्य के उपयोग में आने वाली विद्युत् दरों में की गई वृद्धि के बढ़े हुए अधिभार (64 करोड़ रुपए) से मुक्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

बिजली के बनाने तथा उपभोक्ता तक पहुंचाने में काम आने वाले कोयला, ईंधन, तेल और स्टील आदि के दामों में वृद्धि आयातित विद्युत् के दाम में बढ़ोत्तरी व वेतन पुनरीक्षण के कारण विद्युत् के मूल्यों को दिनांक 1 नवम्बर, 1982 से बढ़ाना आवश्यक हो गया। इस पुनरीक्षण से रु0 66.00 करोड़ वार्षिक के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति का अनुमान है जो कि सभी उपभोक्ता श्रेणियों से प्राप्त होगी न कि केवल व्यक्तिगत नलकूप/पम्पिंग सेट के उपभोक्ताओं से।

व्यक्तिगत नलकूप/पम्पिंग सेट के लिये दिनांक 1 नवम्बर, 1974 से सर्वप्रथम लागू रु0 15.00 अश्व शक्ति/माह की दर को दिनांक 1 नवम्बर, 1982 से बढ़ाकर रु0 22.50 प्रति अश्व शक्ति/माह कर दिया गया है जब कि अन्य उपभोक्ताओं के विद्युत् दरों में बीच में कई बार वृद्धि की गई है। चूंकि जितनी बिजली इन उपभोक्ताओं को दी जा रही है उतने में ये उपभोक्ता औसतन केवल 60 घंटे प्रतिमाह विद्युत् का प्रयोग करके रु0 22.50/अश्व शक्ति/माह का नियत चार्ज पूरा कर सकते हैं। अतः इन उपभोक्ताओं के लिये वर्तमान समय में लागू दर को घटाने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री मित्रसेन--

मैं, माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो यह किसानों के लिए 15 रु0 प्रति हार्स पावर से बढ़ा कर साढ़े 22 रु0 प्रति हार्स पावर कर दिया गया और उद्योगपतियों को किस रेट से दिया जाता है ।

दूसरा यह कि हमारे प्रदेश के अतिरिक्त कौन-कौन से दूसरे ऐसे प्रदेश हैं जहां कम रेट पर बिजली दी जा रही है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

माननीय सदस्य को शायद आभास हो रहा था कि यह जो 66 करोड़ बढ़ा है यह सब नलकूपों पर बढ़ा है लेकिन वह साढ़े 21 करोड़ बढ़ा है । बाकी जो उपभोक्ता हैं जो अलग-अलग श्रणी के हैं उन पर भी इस बीच 1974 से समय-समय पर बढ़ा है ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि आपने 15 रु0 हार्स पावर से हम पर साढ़े 22 रु0 प्रति हार्स पावर कर दिया । मैं जानना चाहता हूं कि उद्योगपति किस रेट पर दे रहे हैं । दूसरा यह कि अन्य प्रदेश में बिजली के रेट जो किसानों को दी जाती है हमसे ज्यादा हैं या कम हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त--

फ्लेट रेट से केवल नलकूपों को बिजली दी जाती है बाकी को जो सप्लाई होती है वह मीटर से सप्लाई होती है । जहां तक दूसरे प्रदेशों की बात है कुछ प्रदेशों में हमसे ज्यादा है 2, 3 प्रदेशों में हमसे कम रेट हैं ।

श्री ऊदल--

माननीय मन्त्री जी ने फरमाया कि नलकूपों की दर कभी बढ़ाई नहीं गयी और दूसरे उपभोक्ताओं की कई बार बीच में बढ़ाई गयी । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने, जब कि वह खुद वित्त मन्त्री हैं, 1980 में 12 रु0 हार्स पावर से बढ़ा कर 15 रु0 प्रति हार्स पावर किया था या नहीं ?

दूसरी बात यह जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं जैसे अल्यूमूनियम फैक्टरी, रेणूकूट, मिर्जापुर आदि पर अब भी 10 पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है और दूसरे उद्योगपतियों को भी, तो दुबारा 15 रुपये की जगह 22·50 रुपये प्रति हार्स पावर करने का क्या औचित्य है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, 15 रुपये का तो 1974 में किया गया था, बाद में किन किया गया था और फिर बढ़ा दिया गया यह बात सही है । दूसरे अल्मू नियम फैक्टरी में सारा एग्रीमेन्ट रिवाइज्ड हो गया है और 10 पैसे नहींबल्कि 42 पैसे से ज्यादा है ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, किसानों पर दुहरी चोट हो गयी है--एक तो बिजली की दर बढ़ा दी गयी और दूसरे प्रतिबन्ध लगा दिया गया कि 3 हार्स पावर का कनेक्शन नहीं दिया जायेगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि गरीब छोटे किसान जो छोटी जोत वाले हैं वही 3 हार्स पावर का कनेक्शन लेते हैं, इसलिये क्या मंत्री जी पुनः विचार करेंगे कि 3 हार्स पावर का कनेक्शन किसान लगा सकते हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, इस बात का विचार किया जाता है जब कोई प्रार्थना की जाती है।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी ने विद्युत् दरों को बढ़ाने का कारण बताया कि डीजल, तेल और कोयले के दामों में वृद्धि हो गयी। तो मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिजली का जो उत्पादन है वह सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रति यूनिट की कास्ट क्या है तापीय और हाईडिल बिजली का ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, इसकी निश्चित सूचना नहीं है लेकिन जानकारी के अनुसार 29-30 पैसे थरमल पावर की कास्ट आती है।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह सरकार किसानों की हमदर्द नहीं है बल्कि पूंजीपतियों की हमदर्द है। लेकिन यह कीमतें पैसे की वजह से बढ़ाई गयी हैं। तो क्या सरकार आश्वासन देगी कि बड़े उद्योगपतियों पर जो पैसा बकाया है जैसे रामपुर की टेक्स्टाइल मिल पर ढाई करोड़ रुपया बाकी है पिछले 10 सालों से इसके अलावा और मिलों पर भी बाकी होगा तो बड़े-बड़े उद्योगपतियों से सरकार की सांठ-गांठ है और सरकार उनसे वसूल नहीं करेगी और छोटे किसानों से दर बढ़ाकर पैसा लेगी। तो मेरा प्रश्न है कि बड़े लोगों पर बकाये की धनराशि को वसूल करने के बाद छोटे किसानों की बिजली की दरों में कमी करने पर सरकार क्या विचार करेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, बकाया वसूल करने का तो हम प्रयत्न कर रहे हैं और उससे दरों के पुनरीक्षित करने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर यह दरें इसलिये बढ़ाई गयीं कि कोयला, तेल और वेतन में बढ़ोत्तरी हुई, तो मैं जानना चाहता हूं कि इन चीजों पर आपको कितना बढ़ोत्तरी से देय हुआ। दूसरे 130 करोड़ रुपया लोगों पर बकाया है, यदि वह वसूल लेते तो नया टैक्स नहीं लगाना पड़ता।

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, इसका ब्रेकअप उपलब्ध नहीं है लेकिन 125 करोड़ रुपया बकाया जरूर है जिसकी वसूली के प्रयास कर रहे हैं किन्तु इससे कास्ट आफ प्रोडक्शन पर असर नहीं आता है। कामर्शियल संस्था को चलाने के लिये इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, टैक्स अपने परिस्थितियों-वश बढ़ाया लेकिन जो बिजली की दरें बढ़ाई गयी हैं वह नलकूप पर केवल बढ़ी हैं, और नलकूप इस प्रदेश का किसान लगाये हुये हैं और उनकी हालत सबसे दयनीय है। विशेष रूप से नलकूप वालों पर जो रेट बढ़ाया गया है, तो क्या उनके बिजली रेट पर कुछ रियायत करने के लिए वह तैयार हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मैंने यह कहा है कि इससे जो कुल 66 करोड़ रुपया मिल रहा है, उसमें से साढ़े 21 करोड़ ही नलकूप से है। यदि नलकूप का दो घंटे रोज भी बिजली दी जाये तो भी यह रेट पूरा हो जाता है। हम तो 8-10 घंटे नियमित बिजली दे रहे हैं। इस तरह से हम तो बहुत सब्सिडाईज्ड रेट पर उन्हें दे रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन--

कृषि प्रोडयूज की कीमतें आल इंडिया लेवेल पर कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होती हैं और महाराष्ट्र, आन्ध्र और कर्नाटक में इस समय बिजली का रेट कम है तो इसको देखते हुए जो आपने इस पर बढ़ाया है, उसको घटाने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जो इंडस्ट्रली ऐडवांस्ड प्रदेश होते हैं, वह लोग एग्रीकल्चर पर सब्सिडाईज्ड कर रहे हैं और हम स्वयं अपनी हैसियत से अधिक सब्सिडाईज्ड कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

जो बिजली रेट में आपने 50 प्रतिशत की वृद्धि की है, तो क्या डीजल, तेल आदि में भी 50 प्रतिशत की वृद्धि हो गई थी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, 1974 से 1982 तक उससे ज्यादा वृद्धि हुई है।

श्री धर्मवीर सिंह--

जो इंडस्ट्रीज को आप बिजली देते हैं वह मीटर के हिसाब से उसके लिए आप चार्ज करते हैं और नलकूप पर आपने इस समय ड्योढ़ा बढ़ा दिया है, तो क्या आप उद्योगों पर भी ड्योढ़े रेट से बिजली का रेट लायेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

1974 से 1982 तक दूसरे प्रकार के जो लोड्स हैं निरन्तर बढ़ते रहे हैं, 1974 की तुलना करें तो वह उससे कई गुना ज्यादा हो गये हैं ।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

प्रदेश में जो 2 करोड़ 72 लाख खातेदार हैं, उनमें से साढ़े 6 एकड़ के केवल 45 लाख हैं, तो इसको देखते हुए 2–3 हार्स पावर को जो प्रतिबन्धित किया गया है, उससे छोटे किसानों को अधिक नुकसान पहुंचेगा । इसलिए 3 हार्स पावर का कनेक्शन देने का जो प्रतिबन्ध लगाया गया है, उसको आप हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जब छोटे किसानों से ऐसा आवेदन आयेगा, तो शासन उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा ।

श्री मित्रसेन—

मन्त्री जी इनके बिजली का रेट घटाने को तैयार नहीं हैं, तो जिस रेट पर किसानों की बिजली का रेट बढ़ाया गया है, उस रेट से पूंजीपतियों से वह बिजली का मूल्य वसूलने को तैयार हैं या नहीं ? और दूसरी बात यह है कि जो हमको बिजली दी गई और अनुबन्ध–पत्र भरवाया गया, उसमें एकतरफा एक गारेन्टी कराई गई है । तो क्या अब हमें साढ़े 22 रुपया के हिसाब से देने के बदले 8–10 घंटा बिजली देने की गारेन्टी देंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जो उद्योग हैं, उनके ऊपर इससे ज्यादा बिजली की दरें 8–10 साल में बढ़ी हैं । साढ़े 22 रुपये की जो बिजली है वह 2 घंटे सप्लाई में पूरा हो जाता है । हम तो 8–10 घंटा बिजली दे रहे हैं यानी हम करीब दो–तिहाई मूल्य पर उन्हें दे रहे हैं ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम हेतु जिला स्तरीय समितियों का गठन

**2—श्री राम आसरे वर्मा, श्री खैरुल बशर, श्री गोपीनाथ वर्मा, श्री परमाई लाल, श्री मसरूर जाफरी, श्री विद्या सागर नौटियाल तथा श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शासन द्वारा जनपद स्तर पर 20 सूत्री समितियों का गठन किया गया है और विधायकों में सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायकों को ही उनका सदस्य बनाया गया है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा—

शासन द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम के जिला स्तर पर प्रभावकारी तथा समयबद्ध ढंग से कार्यान्वयन हेतु जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है । इन समितियों में उन्हीं विधायकों को सम्मिलित किया गया है जो बीस सूत्रीय कार्यक्रम में आस्था रखते हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

यह बीस सूत्रीय कार्यक्रम जो सरकार की नीति बन गयी है और राष्ट्रीय कार्यक्रम बन गया है, उसमें जो जिलों में 20 सूत्रीय कार्यक्रम सम्बन्धी समितियां बनायी गयी हैं उसमें उन्हीं सदस्यों को रखा गया है जो इस कार्यक्रम में आस्था रखते हैं, तो इसकी पहचान कैसे की जाती है कि उस सदस्य की आस्था उसमें है ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, आस्था रखने का एक आधार यह है कि जब कांग्रेस ने 24 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया था और उसके बाद सन् 77 में जब जनता पार्टी की सरकार आयी तो उसने जितनी समितियां पहले की थीं उनको भंग कर दिया, उस जनता पार्टी की उसमें आस्था नहीं थी, वे गरीब का काम नहीं करना चाहते थे ।

(व्यवधान)

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

अगर कोई माननीय विधायक लिखित रूप से यह देता है कि उसकी आस्था 20 सूत्रीय कार्यक्रम में है तो क्या मंत्री जी उसको उस समिति में रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

इस पर विचार कर लेंगे ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मैं आपका ध्यान माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर सदन में पढ़ा है और जो मुझे लिखित दिया है उसमें अन्तर की ओर दिलाना चाहता हूं । जो उत्तर लिखित मुझे मिला है उसमें लिखा है "...इन समितियों में उन्हीं विधायकों को सम्मिलित किया गया है जो बीस सूत्रीय कार्यक्रम में आस्था रखते हैं ।" पर जो उत्तर पढ़ा उसमें कहा है कि "इन समितियों में उन्हीं विधायकों तथा अन्य व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है.." यह शब्द" अन्य 'व्यक्तियों' उत्तर में नहीं है । तो यह संशोधन इन्होंने कैसे कर दिया बिना आपकी आज्ञा के ?

श्री अध्यक्ष--

जो शब्द माननीय मंत्री जी ने बढ़ा दिये हैं उसको मैं निकलवा दूंगा । आप कृपया प्रश्न करें ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत इन समितियों को केवल इसलिये बनाया गया है कि गरीब जनता के खून-पसीने के पैसे को इनके अधिकारी मनमाने ढंग से प्रयोग करें । क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी इसमें बिना पार्टी का ध्यान रखे हुये ऐसे लोगों को भी रखा जाय जो वास्तव में जनता की आंख हैं अर्थात् विरोध पक्ष के सदस्यों को भी उसमें रखा जायेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र--

माननीय अध्यक्ष जी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, जो पार्टी सत्ता पक्ष में है उसका है....।

(व्यवधान)

यह पार्टी उस कार्यक्रम को पूरा करने के लिये कटिबद्ध है। कोई भी विधायक जो उसमें आस्था रखता है और लिखित रूप से यह देता है कि उसकी आस्था 20 सूत्रीय कार्यक्रम में है और वह उसमें सहयोग देगा तो हम उसको उस समिति में मेम्बर बनायेंगे।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, यह देखते हुए कि जिला स्तर नहीं बल्कि ब्लाक स्तर तक आप जा रहे हैं, उस स्तर से लेकर आपका स्टेट लेबिल और सेन्ट्रल लेबिल तक बीस सूत्री कार्यक्रम की आपने घोषणा की और उसकी समिति का गठन करके उसका कार्यालय भी खोल दिया। श्रीमन्, उसमें पब्लिक इक्सचेकर का पैसा खर्च होता है और उससे डेवलपमेंट वर्क में सारे लोग इम्तियाज के कि वह कौन से पक्ष से तल्लुक रखते हैं, हर व्यक्ति दिलचस्पी रखता है और पब्लिक इक्सचेकर का पैसा उसमें खर्च होता है। क्या आप हर जिले के एम0 एल0 एज0, एम0 एल0 सीज0 और एम0 पी0 को उस मीटिंग में बुलाये जाने का आदेश देने की कृपा करेंगे?

श्री श्रीपति मिश्र---

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बहुत स्पष्ट सर्वप्रथम यह निवेदन किया।

(व्यवधान)

श्री ऊदल--

मान्यवर, बीस सूत्रीय कार्यक्रम में कांग्रेस कमेटी के घर का पैसा लग रहा है या सरकारी कोष का, शासन का पैसा लग रहा है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपको मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप कृपा करके बैठें।

श्री श्रीपति मिश्र--

मैंने, तो बात स्पष्ट की है, एक तो यह कि जो दल, जो पार्टी सत्ता में है वह अपने घोषणापत्र, अपनी नीति, अपने सिद्धान्त के अनुसार, जब शासन में आता है तो वह अपने कार्यक्रम नियत करती है, निश्चित करती है....

(व्यवधान)

श्री विद्यासागर नौटियाल--

माननीय मुख्य मंत्री जी के इस बीस सूत्रीय कार्यक्रम के....

(घोर व्यवधान)

(श्री विद्या सागर नौटियाल सदन त्याग कर चले गये।)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर कुछ कहने लगे, जो सुनाई नहीं पड़ा)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ । प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

आप बैठिये । बैठिये आप ।

(कई सदस्यों ने एक साथ कहा नहीं बैठते हैं, नहीं बैठते हैं ।)

(घोर व्यवधान)

माननीय भीखा लाल जी, बैठ जाइये आप । गुप्ता जी, बैठिये आप । आप सभी लोग बैठिये, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं । यह कोई परिपाटी नहीं है जब मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं, तो उनको सुनना चाहिए । उनके बोल लेने के बाद आपको बोलने का कोई अधिकार है । बैठिये आप ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

कोई व्यवस्था नहीं । बैठिये आप ।

(व्यवधान)

बैठिये आप । माननीय गुप्ता जी आप भी बैठिये मैंने माननीय मुख्य मंत्री को बोलने के लिए आज्ञा दिया है । बैठिये आप ।

श्री श्रीपति मिश्र--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों के समक्ष अत्यन्त नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि मेरी बात सुन लें, तत्पश्चात् जो भी प्रश्न करना चाहेंगे, उनको सुविधा है । मैंने दो बातें कही, एक तो यह कि जो दल सत्ता में आता है, जो उसकी नीति होती है . . . ।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

वह सरकार की नीति बन जाती है । सरकार आपकी है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं । कृपा करके बैठिये आप । आपका कोई अधिकार नहीं है । मुख्तार अनीस जी, आप बैठिये ।

श्री श्रीपति मिश्र--

मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं कि जो दल सत्ता में आता है उसके जो सिद्धांत होते हैं, उसकी जो नीति होती है उस नीति को कार्यान्वित करने के लिये जब सरकार बनती है तो उसके लिये वह प्राविधान करती है और तत्पश्चात् वह नीति सरकार की नीति बन जाती है ।

(शोर)

मैं जब कोई बात कहना चाहता हूं तो उसको सुनना चाहिये । मैं हमेशा सुनने के लिये तैयार बैठा रहता हूं । तो वह सरकार की नीति बन जाती है । सरकार की नीति को कार्यान्वित करने के लिये सरकारी तन्त्र जो है उससे कार्यान्वित कराते हैं और उसके अलावा जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे नागरिक हैं और समाज के लोग हैं, उनसे कराते हैं । लेकिन हमें सर्वदा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि सरकार की नीति को कार्यान्वित करने में सबसे अधिक लाभदायक कौन साबित होगा और इसको दृष्टि में रखकर कराते हैं । इसलिये जो भी उन नीतियों, उन विकास की नीतियों, 20 सूत्रीय कार्यक्रम में अपना हाथ बंटाना चाहे, उसकी पूर्ति करने में उसमें जो आस्था व्यक्त करेगा तो हम उसको मेम्बर बनायेंगे ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारे जाने पर ।)

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठें । मैंने माननीय गुप्त जी को बुलाया है । यह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये अग्रवाल साहब ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

श्री अध्यक्ष--

बाजपेयी जी आप बिल्कुल न बोलियेगा ।

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

अतारांकित प्रश्न

तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री लाल जी यादव, थाना कुमारगंज के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच तथा गृह-स्वामियों से लिए गए बयान

1--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या सरकार बतायेगी कि तत्कालीन थानाध्यक्ष (श्री लाल जी यादव), थाना कुमारगंज, जिला फैजाबाद के विरुद्ध श्री राजपाल सिंह, विधायक का कोई शिकायती-पत्र माह जुलाई/अगस्त, 1982 में गृह सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके मुख्य-मुख्य तथ्य क्या हैं और उसमें शिकायतवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां ।

पत्र में श्री लाल जी यादव के विरुद्ध अपराधियों को संरक्षण देने तथा उनसे सांठ-गांठ रखने, गरीब जनता से पैसा वसूलने, अपराध को कम करके दर्ज करने एवं रिश्वत लेने आदि के आरोप लगाये गये हैं । आरोपों की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा कराई गई । अपराध कम करके मुकदमा दर्ज करने का आरोप प्रमाणित हुआ, अतः उचित धारा में मुकदमा परिवर्तित करके विवेचना जिला पुलिस के सुपुर्द कर दी गई है । विवेचना पूर्ण हो जाने के पश्चात् दोषी पाये गये पुलिस कर्मियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही प्रस्तावित है ।

2--श्री प्रभूनारायण सिंह--

उक्त संदर्भ में जांच किस अधिकारी द्वारा करवाई गई ? क्या जांच अधिकारी ने गृह स्वामियों के भी बयान लिए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिपोर्ट एवं बयानों को सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जांच पुलिस उपाधीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने की है । जांच अधिकारी ने गृह स्वामियों के भी बयान लिए हैं । रिपोर्ट एवं बयानों को सदन के पटल पर रखना जनहित में न होगा ।

जनपद गाजीपुर में सड़कों को बाढ़ से हुई क्षति

3--श्री राम नारायण एडवोकेट--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में वर्ष 1982 की बाढ़ में सार्वजनिक निर्माण विभाग की किन-किन सड़कों को क्षति हुई तथा क्षति का क्या विवरण है तथा उसको सही कराने में कितनी धनराशि खर्च होगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद गाजीपुर में वर्ष 1982 की बाढ़ में हुई क्षति का विवरण संलग्न सूची के अनुसार है । क्षति को सही करने में 123 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 608 पर) ।

ईस्ट मिर्जापुर फारेस्ट डिवीजन के पन्नूगंज गेम रिजर्व में शिकार परमिट प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदन-पत्र

4---श्री जयदीप सिंह बरार---

क्या वन मन्त्री क्रमशः उन व्यक्तियों के नाम पते बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने माह मई, 1982 के लिए ईस्ट मिर्जापुर फारेस्ट डिवीजन के पन्नूगंज गेम रिजर्व में शिकार परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन--पत्र दिये थे तथा यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त माह के लिए इन ब्लाकों का शिकार परमिट क्रमशः किसे-किसे दिया गया ?

वन राज्य मन्त्री (श्री संजय सिंह)---

माह मई, 1982 के लिए ईस्ट मिर्जापुर फारेस्ट डिवीजन के पन्नूगंज गेम रिजर्व में शिकार परमिट प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति ने आवेदन पत्र नहीं दिया तथा यह गेम रिजर्व खाली रहा ।

5---श्री जयदीप सिंह बरार---

क्या वन मन्त्री उन व्यक्तियों के नाम पते सहित बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने माह जनवरी, 1982 से अप्रैल, 1982 के बीच ईस्ट मिर्जापुर फारेस्ट डिवीजन मिर्जापुर के पन्नूगंज गेम रिजर्व का शिकार का परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिये थे ? उपरोक्त माह के लिए लाटरी के आधार पर अथवा अन्यथा इस ब्लाक का परमिट किस-किस को दिया गया ?

श्री संजय सिंह---

माह जनवरी, 1982 से अप्रैल 1982 के बीच ईस्ट मिर्जापुर फारेस्ट डिवीजन मिर्जापुर के पन्नूगंज गेम रिजर्व का शिकार परमिट प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों ने आवेदन पत्र दिए थे :--

जनवरी, 1982

किसी भी व्यक्ति ने आवेदन पत्र नहीं दिया अतएव गेम रिजर्व खाली रहा ।

फरवरी, 1982

1--श्री भास्कर दास गुप्त, 4/ए क्रास्थवेट रोड, इलाहाबाद ।

मार्च, 1982

1---राजा सी० बी० एस० शाह, विजयगढ़ हाउस, अस्सी, वाराणसी ।

अप्रैल, 1982

किसी भी व्यक्ति ने आवेदन पत्र नहीं दिया और गेम रिजर्व खाली रहा । माह जनवरी, 1982 से अप्रैल, 1982 तक पन्नूगंज गेम रिजर्व का परमिट लाटरी के आधार पर निम्नलिखित व्यक्तियों को दिया गया :---

जनवरी, 1982

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ । गेम रिजर्व खाली रहा ।

फरवरी, 1982

केवल एक व्यक्ति श्री भास्कर दास गुप्ता, 4/ए, क्रास्थवेट रोड, इलाहाबाद ने ही आवेदन-पत्र दिया था अतः गेम रिजर्व का परमिट उन्हें ही दिया गया।

मार्च, 1982

केवल श्री राजा सी0 बी0 एस0 शाह, विजयगढ़ हाउस, अस्सी, वाराणसी ने ही आवेदन-पत्र दिया था अतः गेम रिजर्व का परमिट उन्हें ही दिया गया।

अप्रैल, 1982

किसी ने आवेदन-पत्र नहीं दिया। अतएव गेम रिजर्व खाली रहा।

6--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या वन मन्त्री क्रमशः उन व्यक्तियों के नाम पते सहित बताने की कृपा करेंगे, जिन्होंने माह अक्तूबर, 1981 से दिसम्बर, 1981 के बीच ईस्ट मिर्जापुर फारेस्ट डिवीजन के पन्नूगंज गेम रिजर्व का शिकार परमिट प्राप्त करने के आवेदन-पत्र दिए थे तथा उपरोक्त माह के लिए इन ब्लाकों का शिकार परमिट क्रमशः किसे-किसे दिया गया ?

श्री संजय सिंह--

माह अक्तूबर, 1981 से दिसम्बर, 1981 के बीच ईस्ट मिर्जापुर फारेस्ट डिवीजन के पन्नूगंज गेम रिजर्व का शिकार परमिट प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति ने आवेदन-पत्र नहीं दिया और उपरोक्त अवधि के लिए इस ब्लाक का शिकार परमिट किसी को नहीं दिया गया।

नार्थ गोरखपुर फारेस्ट डिवीजन के डोमा गेम रिजर्व के शिकार के परमिट हेतु दिये गये आवेदन-पत्र

7--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या वन मन्त्री क्रमशः उन व्यक्तियों के नाम पते सहित बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने माह जनवरी से मई, 1982 के बीच नार्थ गोरखपुर फारेस्ट डिवीजन के डोमा गेम रिजर्व का शिकार का परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दिए थे तथा उपरोक्त माह के लिए इन ब्लाकों का शिकार परमिट क्रमशः किसे-किसे दिया गया ?

श्री संजय सिंह--

नार्थ गोरखपुर फारेस्ट डिवीजन में डोमा गेम रिजर्व है जिसका शिकार परमिट प्राप्त करने के लिए माह जनवरी से मई, 1982 के बीच निम्नलिखित व्यक्तियों ने आवेदन पत्र दिए थे--

जनवरी, 1982

1--श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, आचार्य टेम्पिल, उर्दू बाजार, गोरखपुर।

2--श्री एस0 ए0 अली कादिर, 3, सिविल लाइन्स, गोरखपुर।

3--श्री राहुल अरविन आन, 51 कैण्ट, वाराणसी।

4--श्री सुरजीत सिंह, द्वारा ओवरसीज मोटर कम्पनी, गोलघर, गोरखपुर।

5--श्री फरहत हुसैन, शेखपुर, पोस्ट गीता प्रेस, गोरखपुर।

6--श्री प्रेम चन्द्र शुक्ला, 26, सिविल कोर्ट, गोरखपुर।

7--श्री अनवर हुसैन, अख्तर हुसैन, अनवर हुसैन इंजीनियरिंग वर्क्स, धर्मशाला बाजार, गोरखपुर।

8--श्री अमर पाल सिंह, 7, पार्क रोड, गोरखपुर।

फरवरी, 1982]

1--श्री लाल विश्वनाथ कुमार पाल, ग्राम व पो० अहरा, जिला बस्ती।

2--श्री लाल भरतन्द कुमार पाल, ग्राम व पो० अहरा, जिला बस्ती।

3--श्री जावेद अली सब्जपोश, सब्जपोश हाउस, जाफरा बाजार, गोरखपुर।

4--श्री प्रेमचन्द्र शुक्ल ए० डी० जी० सी० (सिविल), सिविल कोर्ट, गोरखपुर।

5--श्री एम० जफर उलहक, शाह मारूफ, गोरखपुर।

6--.श्री अनवर हुसैन, अनवर हुसैन इंजीनियरिंग वर्क्स, धर्मशाला बाजार, गोरखपुर।

7--श्री दीपक मित्रा, 281 मुट्ठीगंज, इलाहाबाद।

8--श्री सुरेश सिंह, हुसैनपुर, नवा नगर, बलिया।

9--श्री जाहिद अली खान, द्वारा एशिया सेल्स कारपोरेशन, पार्क रोड, गोरखपुर।

मार्च, 1982

1--श्री डी० आर० लाल, बी० आर० डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर।

2--श्री जफरुल हक, शाह मारूफ, गोरखपुर।

3--श्री सुरजीत सिंह, द्वारा ओवरसीज मोटर कम्पनी गोलघर, गोरखपुर।

4--श्री प्रवीर कुमार बनर्जी, 15 एलगिन रोड, इलाहाबाद।

5--श्री प्रेम चन्द्र शुक्ला, ए० डी० जी० सी० (सिविल), सिविल कोर्ट, गोरखपुर।

6--श्री जावेद अली, सब्जपोश, सब्जपोश हाउस, जाफरा बाजार, गोरखपुर।

7--सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, आचार्य टेम्पिल, उर्दू बाजार, गोरखपुर।

8--श्री सइयद मुस्तफा कमाल, अबू बाजार (उन्चाबा), गोरखपुर।

9--श्री दीपक मित्रा, 281 मुट्ठीगंज, इलाहाबाद।

10--श्री काजी साहीरूल हुसैन, काजी हाउस, इसमाइलपुर, गोरखपुर।

अप्रैल, 1982

1--श्री दीपक मित्रा, 281 मुट्ठीगंज, इलाहाबाद ।

2--श्री सी0 बी0 राय, द्वारा ईश्वरचन्द्र प्रसाद, मेन रोड, मोतिहारी, जिला ईस्ट चम्पारन ।

3--श्री ईश्वर चन्द्र प्रसाद, मेन रोड, मोतिहारी, जिला ईस्ट चम्पारन ।

4--श्री इन्द्रजीत सिंह, द्वारा लाल प्रसाद एन्ड सन्स, मेन रोड, मोतिहारी।

5--श्री जाहिद अली खान, सिविल लाइन्स, गोरखपुर ।

6--श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, आचार्य टेम्पिल, उर्दू बाजार, गोरखपुर।

7--श्री प्रेम चन्द्र शुक्ला, 26 सिविल कोर्ट, गोरखपुर ।

8--श्री जावेद अली, सब्जपोश, सब्जपोश हाउस, जाफरा बाजार, गोरखपुर।

मई, 1982

1--श्री जाहिद अली खान, जाफरा बाजार, गोरखपुर ।

2--श्री सन्तोष सरन, सरन रोड, मोहल्ला दीवान बाजार, गोरखपुर ।

3--श्री हसन मसद, 6 कसिया रोड, गोरखपुर।

4--श्री एच0 जी0 शर्मा, 19 कुंजबिहारी पैलेस, कौशलपुरी, कानपुर।

5--श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, आचार्य टेम्पिल, उर्दू बाजार, गोरखपुर।

6--श्री जावेद अली, सब्जपोश, सब्जपोश हाउस, जाफरा बाजार, गोरखपुर।

7--श्री शब्बीर आलम, एम0 आर0 एन्ड सन्स इस्माइलपुर, गोरखपुर।

8--श्री मुस्तफा कमाल, अबू बाजार, (उंचाल), गोरखपुर ।

माह जनवरी, 1982 से माह मई, 1982 के डोमा गेम रिजर्व का शिकार परमिट लाटरी के आधार पर क्रमशः निम्नलिखित व्यक्तियों को दिया गया--

जनवरी 1982

1--श्री एस0 एम0 अली कादिर, 3 सिविल लाइन्स, गोरखपुर ।

फरवरी, 1982

1--श्री लाल विश्वनाथ कुमार पाल, ग्राम व पो0 अहरा, जिला बस्ती ।

माह मार्च 1982

1--श्री प्रवीर कुमार बनर्जी, 15 इलगिन रोड, इलाहाबाद ।

अप्रैल, 1982

श्री दीपक मित्रा, 181 मुट्ठीगंज, इलाहाबाद के नाम अनरक्षित हुआ लेकिन शिकार फीस जमा न करने के कारण शिकार परमिट नहीं दिया गया तथा गेम रिजर्व खाली रहा ।

मई, 1982

श्री सैय्यद मुस्तफा कमाल, अब्बू बाजार, (उचावा) गोरखपुर ।

8--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या वन मंत्री उन व्यक्तियों के नाम पते सहित बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने माह अक्तूबर, 1981 के लिए नार्थ गोरखपुर फारेस्ट डिवीजन के डोमा गेम रिजर्व का शिकार का परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दिए थे तथा उपरोक्त माह के लिए इन ब्लाकों का शिकार परमिट क्रमशः किसे-किसे दिया गया ?

श्री संजय सिंह--

माह अक्तूबर, 1981 से दिसम्बर, 1981 के लिए नार्थ गोरखपुर फारेस्ट डिवीजन के डोमा गेम रिजर्व का शिकार का परमिट प्राप्त करने के लिए निम्न-लिखित व्यक्तियों ने आवेदन पत्र दिए थे:--

अक्तूबर, 1981

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

नवम्बर, 1981

1--श्री अबीब उल्ला, पार्क रोड, गोरखपुर ।

2--श्री प्रेमचन्द्र शुक्ला, 26 सिविल कोर्ट, गोरखपुर ।

3--श्री मारटिन लेवी द्वारा भारत गन हाउस, 3 एच0 ओ0 बिल्डिंग, गोरखपुर ।

दिसम्बर, 1981

1--श्री सुरजीत सिंह, पावर हाउस रोड, मोहद्दीपुर, गोरखपुर ।

2--श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, आचार्य टेम्पिल, उर्दू बाजार, गोरखपुर ।

3--डा0 वी0 ए0 शाह, मोहल्ला काजीपुरा, बहराइच ।

4--श्री अली कादिर, 3 सिविल लाइन्स, गोरखपुर ।

5--श्री फरहत हुसैन द्वारा हाजी अलताफ हुसैन, गोरखपुर ।

6--श्री राजा हरेन्द्र सिंह, टैफको हाउस 10/486 खल्लासी लाइन्स, नवाबगंज रोड, कानपुर ।

उपरोक्त माह के लिए लाटरी के आधार पर डोमा गेम रिजर्व का परमिट निम्न लिखित व्यक्तियों को दिया गया :—

अक्टूबर, 1981

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त न होने के कारण गेम रिजर्व खाली रहा ।

नवम्बर, 1981

श्री मारटिन लेबो द्वारा भारत गन हाउस, 3 एच0 ओ0, बिल्डिंग, गोरखपुर ।

दिसम्बर, 1981

राजा हरेन्द्र सिंह, टैफको हाउस, 10/486 ।

खलासी लाइन्स, नवाबगंज रोड, कानपुर ।

ईस्ट बहराइच फारेस्ट डिवीजन के सोहेलवा गेम रिजर्व का शिकार का परमिट हेतु आवेदन पत्र

9—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या वन मंत्री कृपया उन व्यक्तियों के नाम पते सहित बतने की कृपा करेंगे जिन्होंने माह जनवरी, 1982 से मई, 1982 के लिए ईस्ट बहराइच फारेस्ट डिवीजन के सोहेलवा गेम रिजर्व का शिकार का परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दिया था तथा उपरोक्त माह के लिए इन ब्लाकों का शिकार परमिट क्रमशः किसे किसे दिया गया ?

श्री संजय सिंह—

माह जनवरी, 1982 से मई, 1982 के लिए ईस्ट बहराइच फारेस्ट डिवीजन के सोहेलवा (पूर्वी) गेम रिजर्व का शिकार का परमिट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र दिया था :—

जनवरी, 1982

1—श्री चौधरी इन्द प्रताप, ग्राम-धरुवारकोठी, पो0 ओ0 राम दत्त गंज, बढ़नी, जिला-बस्ती ।

2—चौधरी चन्द प्रताप, ग्राम-धरुवारकोठी, पो0 ओ0 रामदत्त गंज, बढ़नी, जिला-बस्ती ।

3—श्री एम0 एम0 अली कादिर, 3 सिविल लाइन्स, गोरखपुर ।

4—श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मंगलभवन, पो0 ओ0, मनकापुर, गोन्डा ।

5—डा0 विनय कुमार सिंह, मंगलभवन, मनकापुर, गोन्डा ।

6—श्री धर्मपाल सिंह, मालती कुंज, स्टेशन रोड, बलरामपुर, गोन्डा ।

7--डा0 बी0 ए0 शाह, काजीपुरा, बहराइच ।

8--श्री फरीद महफूज किदवई, ग्राम व पो0 मसौली जिला-बाराबंकी ।

9--श्री अनवर हुसैन, अख्तर हुसैन, अनवर हुसैन इंजीनियरिंग वर्क्स, धर्मशाला बाजार, गोरखपुर ।

10--श्री अमरपाल सिंह, 7 पार्करोड, गोरखपुर ।

11--श्री देवेन्द्रमणि दीक्षित, पंचवटी सिविल लाइन्स, बलरामपुर, गोन्डा ।

फरवरी, 1982

1--चौधरी इन्द्र प्रताप, धरवारकोठी, रामदतगंज, बढ़नी, जिला बस्ती ।

2--श्री लाल विश्वनाथ कुमार पाल, ग्राम व पोस्ट अहरा, जिला बस्ती ।

3--श्री लाल मरतन्द कुमार पाल, ग्राम व पोस्ट अहरा, जिला बस्ती ।

4--श्री अनवर हुसैन, अनवर हुसैन इंजीनियरिंग वर्क्स, धर्मशाला बाजार, गोरखपुर ।

5--श्री आनन्द सिंह, एम0 पी0, मनकापुर कोट, मनकापुर, जिला गोंडा ।

6--श्री शेर सिंह, 3 रिवर व्यू काटेज, टी0 जी0 सिविल लाइन, लखनऊ ।

7--श्री फरीद महफूज किदवई, ग्राम व पोस्ट मसौली, जिला बाराबंकी ।

8--श्री विजलेश्वरी प्रसाद सिंह, अवधनरेश लाज मोतीसागर, बलरामपुर, गोंडा ।

9--श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, मोतीसागर, बलरामपुर, गोंडा ।

मार्च, 1982

1--चौधरी इन्द्र प्रताप, ग्राम धरवारकोठी, बढ़नी, जिला बस्ती ।

2--डा0 बी0 ए0 शाह, मोहल्ला काजीपुरा, बहराइच ।

3--श्री मोहम्मद हामिद हुसैन, 30, इलगनरोड, इलाहाबाद ।

4--श्री अजय कुमार बलराम, 4, डाक्टरलेन, नई दिल्ली ।

5--श्री जावेद अली सब्जपोश, सब्जपोश हाउस, जाफरा बाजार, गोरखपुर ।

6--श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, आचार्य टेम्पिल, उर्दू बाजार, गोरखपुर ।

7--श्री अशोक कुमार सिंह, ग्राम, मोपालबाजार, पोस्ट चौरा-चौरी, गोरखपुर ।

8--श्री सुहेल अरविन जौन, कर्टिग मेमोरियल इंटर कालेज कम्पान्ड, वाराणसी ।

9--श्री मोहम्मद हामिद हुसैन, 30/48, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, इलाहाबाद ।

10—श्री रमेश विक्रम सिंह, द्वारा डी0 ए0 दीक्षित, पंचवटी सिविल लाइन, बलरामपुर ।

11—श्री डी0 ए0 दीक्षित, पंचवटी सिविल लाइन, बलरामपुर ।

अप्रैल, 1982

1—श्री हरदेव सिंह, मोहल्ला पहलवाड़ा, पोस्ट बलरामपुर, जिला गोंडा ।

2—श्री जावेद अली सब्जपोश, सब्जपोश हाउस, जाफरा बाजार, गोरखपुर ।

मई 1982

1—श्री खुर्शीद अहमद खान, पो0 ओ0 कुकरा, जिला खीरी ।

उपरोक्त माहों के लिए सोहेलवा गेम रिजर्व का परमिट लाटरी के आधार पर निम्नलिखित व्यक्तियों को दिया गया :—

जनवरी, 1982

श्री धर्मपाल सिंह, मालतीकुंज, स्टेशनरोड, बलरामपुर, गोंडा ।

फरवरी, 1982

फरवरी 1982 के लिए सोहेलवा (पूर्वी) गेम रिजर्व श्री आनन्द सिंह, एम0 पी0, मनकापुर कोट, मनकापुर, जिला गोंडा को आरक्षित हुआ था परन्तु इन्होंने इसे छोड़ दिया । तदोपरान्त खाली गेम रिजर्व प्रथम आगमन प्रथम प्राप्ति के आधार पर श्री असरिफ अशरफ, 88/22, नाला रोड, कानपुर को आरक्षित कर शिकार परमिट दिया गया ।

मार्च, 1982

श्री मोहम्मद हामिद हुसैन, 30 एलगिनरोड, इलाहाबाद ।

अप्रैल, 1982

श्री हरदेव सिंह, मोहल्ला पहलवाड़ा, पो0 बलरामपुर, गोंडा ।

मई, 1982

इस गेम रिजर्व के एक मात्र प्रार्थी

श्री खुर्शीद अहमद खान, पो0 ओ0 कुकरा, जिला खीरी के इस गेम रिजर्व में शिकार खेलने की अनिच्छा व्यक्त करने पर प्रथम आगमन प्रथम प्राप्ति के आधार पर परमिट रानी सविता कुमारी देवी पारिजात सीतापुर रोड, लखनऊ को दिया गया ।

10—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या वन मंत्री उन व्यक्तियों के नाम पते सहित बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने माह अक्तूबर, 1981 से दिसम्बर, 1981 के लिए ईस्ट बहराइच फारेस्ट डिवीजन के सोहेलवा गेम रिजर्व का शिकार का परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दिए थे तथा उपरोक्त माह के लिए इन ब्लाकों का शिकार परमिट क्रमशः किसे-किसे दिया गया ?

श्री संजय सिंह—

माह अक्तूबर, 1981 से दिसम्बर, 1981 के लिए ईस्ट बहराइच फारेस्ट डिवीजन के सोहेलवा (पूर्वी) गेम रिजर्व का शिकार का परमिट प्राप्त करने के लिए क्रमशः निम्नलिखित व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र दिए थे :—

अक्तूबर, 1981

किसी का आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

नवम्बर, 1981

1—श्री अजीज खान, ग्राम रहम खां, पो0 जामुनीकला, जिला गोंडा ।

2—श्री रशीद खान, ग्राम रहम खां, पो0 जामुनीकला, जिला गोंडा ।

दिसम्बर, 1981

1—श्री अम्मार रिजवी, मंत्री उ0 प्र0 शासन सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

2—श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, आचार्य, टेम्पल, उर्दू बाजार, गोरखपुर ।

3—श्री संत प्रसाद गोविन्दराव, ग्राम व पो0 रामकोल, जिला देवरिया ।

4—डा0 डी0 ए0 शाह, मोहल्ला काजीपुरा, बहराइच ।

5—डा0 विनय कुमार सिंह, मंगलभवन, पो0 मनकापुर, जिला गोंडा ।

6—श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मंगलभवन, मनकापुर, जिला गोंडा ।

7—श्री आर0 गोयल, असिस्टेन्ट डाइरेक्टर, भारत सरकार स्पेशल ब्यूरो, 3 इनफैक्ट्री डिवीजन द्वारा 56 ए0 पी0 ओ0 ।

8—श्री अली कादिर, 3, सिविल लाइन, गोरखपुर ।

9—श्री हरदेव सिंह, पहलवाड़ा, बलरामपुर, गोन्डा ।

10—श्री फरीद मोहफूज किदवई, ग्राम व पोस्ट मसौली, जिला बाराबंकी ।

11—श्री सुरेश पालीवाल, 8/6, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ ।

12—श्री मोहम्मद खालिद मियां, 125, ख्यालीगंज, लखनऊ ।

13—श्री एस0 कबाल, नयन सिंह द्वारा बच्चन सिंह एडवोकेट, बहराइच ।

वर्ष 1981-82 शिकार सत्र में पूर्वी बहराइच वन प्रभाग का सोहेलवा (पूर्वी) गेम रिजर्व शिकार हेतु खुला था और माह अक्तूबर, 1981 से दिसम्बर, 1981 तक इस ब्लाक का शिकार परमिट लाटरी के आधार पर निम्नलिखित व्यक्तियों को दिया गया—

अक्तूबर, 1981

किसी भी व्यक्ति के आवेदन न करने से ब्लाक खाली रहा ।

नवम्बर, 1981

श्री अजीज खान, ग्राम रहमखा, पो0 जामुनीकला, जिला गोंडा ।

दिसम्बर, 1981

श्री अम्मार रिजवी, मंत्री उ0 प्र0 शासन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

नार्थ गोन्डा फारेस्ट डिवीजन के जनकपुर एवं सोनगढ़ गेम रिजर्व का शिकार का परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र

11--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या वन मन्त्री उन व्यक्तियों के नाम पते सहित बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने माह जनवरी, 1982 से मई, 1982 के लिए नार्थ गोन्डा फारेस्ट डिवीजन के जनकपुर एवं सोनगढ़ गेम रिजर्व का शिकार का परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दिए थे तथा उपरोक्त माह के लिए इन ब्लाकों का शिकार परमिट किसे-किसे दिया गया ?

श्री संजय सिंह--

शिकार सत्र 1981-82 (अक्तूबर, 1981 से मई, 1982 तक) ने नार्थ गोण्डा फारेस्ट डिवीजन का जनकपुर गेम रिजर्व शिकार हेतु बन्द था । माह जनवरी, 1982 से माह मई, 1982 के लिए नार्थ गोण्डा फारेस्ट डिवीजन के सोनगढ़ गम रिजर्व का शिकार का परमिट प्राप्त करने के लिए क्रमशः निम्नलिखित व्यक्तियों ने आवेदन पत्र दिये थे ।

जनवरी, 1982

1--चौधरी इन्द्र प्रताप, ग्राम-घरूवारकोठी, पो0 रामदत्त गंज, बढ़नी, जिला-बस्ती ।

2--चौधरी चन्द्र प्रताप, ग्राम घरूवारकोठी, पो0 रामदत्त गंज बढ़नी, जिला बस्ती ।

3--श्री सुरेन्द्रनाथ त्रिपाठी,, आचार्य टेम्पिल, उर्दू बाजार गोरखपुर ।

4--श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मंगलभवन, पो0 मनकापुर, गोण्डा ।

5--डाक्टर विनय कुमार सिंह, मंगल भवन मनकापुर, गोण्डा ।

6--श्री अनवार हुसैन, अख्तर हुसैन अनवर हुसैन इंजनियरिंग वर्क्स धर्मशाला बाजार, गोरखपुर ।

7--श्री अमरपाल सिंह, 7 पार्क रोड, गोरखपुर ।

8--श्री डी0 एम0 दीक्षित, पंचवटी-सिविल लाइन्स, बलरामपुर गोण्डा ।

9--श्री शेर सिंह, 3, रिवर व्यू काटेज, टी0 जी0 सिविल लाइन्स, लखनऊ ।

फरवरी, 1982

1--चौधरी इन्द्र प्रताप, धरूवार कोठी पो0 रामदत्तगंज, बढ़नी, जिला-बस्ती ।

2--श्री शेर सिंह, 3 रिवर व्यू काटेज, टी0 जी0 सिविल लाइन्स, लखनऊ ।

3--श्री बिजलेश्वरी प्रसाद सिंह, द्वारा अवध नरेश लाज, मोतीसागर, बलरामपुर, गोण्डा ।

4--श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, मोतीसागर, बलरामपुर, गोण्डा ।

मार्च, 1982

1--चौधरी इन्द्र प्रताप, ग्राम, धरूवार कोठी, बढ़नी बस्ती ।

2--श्रीमती कुंवरानी देवी राजा, बी-972, सेक्टर ए-महानगर, लखनऊ ।

3--कुंवर धीरेन्द्र प्रताप सिंह, बी-972 सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ ।

4--श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, मोतीसागर, बलरामपुर गोण्डा ।

5--श्री बिजलेश्वरी प्रताप सिंह, द्वारा अवध नारायण सिंह, मोतीसागर, बलरामपुर, गोण्डा ।

6--श्री रमेश विक्रम सिंह द्वारा डी0 ए0 दीक्षित, पंचवटी सिविल लाइन बलरामपुर, गोण्डा ।

अप्रैल, 1982

1--श्री प्रेम चन्द्र शुक्ला, 26 सिविल लाइन्स, गोरखपुर ।

मई, 1982

1--श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, बी-972, सेक्टर-ए महानगर, लखनऊ ।

2--श्री तेजेन्द्र प्रताप सिंह, बी-972 सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ ।

माह जनवरी, 1982 से माह मई, 1982 के लिए सोनगढ़ा गेम रिजर्व के परमिट लाटरी के आधार पर निम्नलिखित व्यक्तियों को दिए गए --

जनवरी, 1982

चौधरी चन्द्र प्रताप, ग्राम धरूवार कोठी, पो0 रामदत्त गंज बढ़नी, जिला, बस्ती ।

फरवरी, 1982

श्री शेर सिंह, 3 रिवर व्यू काटेज, टी0 जी0 सिविल लाइन्स, लखनऊ ।

मार्च, 1982

श्री बिजलेश्वरी प्रताप सिंह, द्वारा अवध नारायण सिंह, मोतीसागर, बलरामपुर, जिला गोण्डा ।

अप्रैल, 1982

श्री प्रेम चन्द्र शुक्ला, 26 सिविल लाइन्स, गोरखपुर ।

मई, 1982

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, बी–972 सेक्टर–ए, महानगर, लखनऊ ।

12––श्री जयदीप सिंह बरार––

क्या वन मन्त्री क्रमशः उन व्यक्तियों के नाम पते सहित बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने माह अक्तूबर, 1981 से दिसम्बर, 1981 के लिए नार्थ गोण्डा फारेस्ट डिवीजन के जनकपुर व सोनगढ़ गेम रिजर्व का शिकार का परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन–पत्र दिए थे तथा उपरोक्त माह के लिए इन ब्लाकों का शिकार परमिट किसे–किसे दिया गया ?

श्री संजय सिंह––

शिकार सत्र 1981–82 (अक्तूबर 1981 से मई, 1982 तक) के लिए नार्थ गोण्डा फारेस्ट डिवीजन का जनकपुर गेम रिजर्व शिकार हेतु बन्द था अतएव जनकपुर गेम रिजर्व के लिए किसी को शिकार परमिट नहीं दिया गया । माह अक्तूबर, 1981 से दिसम्बर, 1981 के लिए नार्थ गोण्डा फारेस्ट डिवीजन के सोनगढ़ा गेम रिजर्व का शिकार परमिट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों ने आवेदन–पत्र दिए थे––

अक्तूबर, 1981

किसी भी व्यक्ति ने आवेदन–पत्र नहीं दिया ।

नवम्बर, 1981

1––श्री अजीज खान, ग्राम रहमरवा, पो0 जामुनी टोला, जिला, गोण्डा ।

2––श्री रशीद खान, ग्राम, रहमरवा, पो0 जामुनी टोला, जिला, गोण्डा ।

दिसम्बर, 1981

1––डा0 बी0 ए0 शाह, मोहल्ला काजीपुरा, बहराइच ।

2––डा0 विनय कुमार सिंह, मंगल भवन, मनकापुर, गोण्डा ।

3––श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मंगल भवन, मनकापुर, गोण्डा ।

4––श्री कौशलेन्द्र सिंह, एम–21, गोल मार्केट महानगर, लखनऊ ।

5––श्री सुरेश पालीवाल, एम0 एल0 ए0 8/6 विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ ।

6––श्री वीरेन्द्र व्यास, 32 नवल किशोर रोड, लखनऊ ।

7––श्री एस0 कनवाल नयन सिंह, द्वारा बच्चनसिंह एडवोकेट, बहराइच ।

नार्थ गोंडा फारेस्ट डिवीजन के सोनगढ़ा गेम रिजर्व का माह अक्तूबर 1981 से दिसम्बर, 1981 तक का शिकार परमिट निम्नलिखित व्यक्तियों को दिया गया :

माह अक्टूबर, 1981

सोनगढ़ा गेम रिजर्व में शिकार परमिट प्राप्त करने के लिए किसी ने आवेदन-पत्र नहीं दिया और गेम रिजर्व खाली रहा ।

नवम्बर, 1981

उक्त गेम रिजर्व का आरक्षण लाटरी के आधार पर श्री अजीज खान, ग्राम रहमरूवा, पो० जामुनी कला, जिला गोंडा के नाम हुआ लेकिन इन्होंने इस गेम रिजर्व को छोड़ दिया क्योंकि लाटरी के आधार पर इनको पूर्वी बहराइच वन प्रभाग का सोहेलवा (पूर्वी) गेम रिजर्व भी आरक्षित हुआ था । इस तरह सोनगढ़ा गेम रिजर्व खाली होने के कारण इसके लिए श्री हबीब उल्ला, पार्क रोड, गोरखपुर ने आवेदन-पत्र दिया जिसका परमिट प्रथम आगमन प्रथम प्राप्ति के आधार पर उन्हें दिया गया ।

माह दिसम्बर, 1981

माह दिसम्बर, 1981 के लिए सोनगढ़ा गेम रिजर्व में शिकार करने का परमिट लाटरी के आधार पर श्री कौशलेन्द्र सिंह एम-21, गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ को दिया गया ।

साउथ पीलीभीत फारेस्ट डिवीजन के वाराही गेम रिजर्व का शिकार परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र, परमिट प्राप्त व्यक्तियों के नाम व पते

13—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या वन मंत्री क्रमशः उन व्यक्तियों के नाम पते सहित बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने माह जनवरी, 1982 से मई, 1982 तक के लिए साउथ पीलीभीत फारेस्ट डिवीजन के वाराही गेम रिजर्व का शिकार परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दिये थे तथा उपरोक्त माह के लिए उन ब्लाकों का शिकार परमिट क्रमशः किसे-किसे दिया गया ?

श्री संजय सिंह—

माह जनवरी, 1982 से माह मई, 1982 के लिए साउथ पीलीभीत फारेस्ट डिवीजन के वाराही गेम रिजर्व का शिकार परमिट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र दिये थे ;—

जनवरी, 1982

1—श्री वफा-उल-रहमान, ग्राम टांडा, हुरमतनगर, तहसील बिलासपुर, रामपुर ।

2—श्री अब्दुल बदूद खान, मोहल्ला रजागंज, पोस्ट पूरनपुर, जिला पीलीभीत ।

3—श्री सय्यद जकी उद्दीन, ग्राम व पो० फलौदा, जिला मेरठ ।

4—श्री अमरपाल सिंह, 7 पार्क रोड, गोरखपुर ।

5—श्री मोहम्मद ताहिर, 272 भूरेखान, पीलीभीत ।

फरवरी, 1982

शूटिंग ड्रा हेतु कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

मार्च, 1982

1—श्री पशुपतिनाथ सरन सिंह, राममोहन राय मार्ग, लखनऊ ।

2—श्री मोहम्मद रफी खान, राजा खलील खान रोड, शाहजहांपुर ।

3—श्री अल्ला रहीम, सिविल जज, सिविलकोर्ट, मेरठ ।

4—श्री सज्जाद अली खान, मोहल्ला दिलावरपुर, पो० शाहाबाद, हरदोई ।

अप्रैल, 1982

1—श्री रवीन्द्र सिंह, कोठीवाला फार्म, पोस्ट जटपुरा, जिला पीलीभीत ।

2—श्री मोइन उद्दीन खान, ग्राम व पोस्ट सिसोरा नासिर, जिला खीरी ।

3—श्री मेंहदी हसन खान, ग्राम व पोस्ट शेरपुर कलां, पीलीभीत ।

मई, 1982

1—श्री खुरशीद अहमद खान, पो० कुकरा, जिला खीरी ।

2—श्रीमती रानी सविता कुमारी देवी, "पारिजात" सीतापुर रोड, लखनऊ ।

3—श्री रफी अहमद खान, 1088 कोठी, गुलाम मोहम्मद, लालकुआं, दिल्ली—6 ।

उपरोक्त माहों के लिए बाराही गेम रिजर्व का परमिट लाटरी के आधार पर निम्नलिखित व्यक्तियों को दिया गया—

जनवरी, 1982

श्री अब्दुल बदूद खान, मोहल्ला रजागंज, पो० पूरनपुर, जिला पीलीभीत ।

फरवरी, 1982

शूटिंग ड्रा हेतु कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ था अतएव गेम रिजर्व खाली रहा । गेम रिजर्व के खाली रहने पर इसमें शिकार का परमिट प्राप्त करने के लिए हा अब्दुल जलील द्वारा न्यू एवरेस्ट बंदूक कम्पनी, शाही मस्जिद, मुरादाबाद ने आवेदन-पत्र दिया और प्रथम आगमन प्रथम प्राप्ति के आधार पर बाराही गेम रिजर्व में शिकार का परमिट श्री अब्दुल जलील को दिया गया ।

मार्च, 1982

श्री पशुपति नाथ सरन सिंह, राममोहन राय मार्ग, लखनऊ ।

अप्रैल, 1982

श्री रवीन्द्र सिंह, कोठीवाला फार्म, पोस्ट जटपुरा, पीलीभीत ।

मई, 1982

खुरशीद अहमद खान, पो0 कुकरा, जिला खीरी ।

14--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या वन मंत्री क्रमशः उन व्यक्तियों के नाम पते सहित बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने माह अक्तूबर, 1981 से दिसम्बर, 1981 के लिए साउथ पीलीभीत फारेस्ट डिवीजन के वाराही गेम रिजर्व का शिकार परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दिए थे तथा उपरोक्त माह के लिए इन ब्लाकों का शिकार परमिट क्रमशः किसे-किसे दिया गया ?

श्री संजय सिंह--

माह अक्तूबर, 1981 से दिसम्बर, 1981 के लिए साउथ पीलीभीत फारेस्ट डिवीजन के वराही गेम रिजर्व का शिकार परमिट प्राप्त करने के लिए निम्न-लिखित व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र दिये थे ।

वाराही गेम रिजर्व, अक्तूबर, 1981

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

नवम्बर, 1981

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

दिसम्बर, 1981

1--श्री एम0 ए0 किदवई, 5-ए जापलिंग रोड, लखनऊ ।

2--ए0 डब्लू0 खान, मोहल्ला रजागंज, पूरनपुर, पीलीभीत ।

3--श्री जयदीप सिंह बरार, ग्राम स्वालेपुर, पो0 बिलासपुर, रामपुर ।

4--श्री पी0 आर0 बरार, ग्राम स्वालेपुर, पो0 बिलासपुर, रामपुर ।

5--रानी सविता कुमारी देवी, "पारिजात" सीतापुर रोड, लखनऊ ।

6--श्री एस0 कनवाल नैनसिंह, द्वारा बच्चन सिंह एडवोकेट, बहराइच ।

7--श्री मुनीदेव त्यागी द्वारा उमर सिद्दीकी, फातिमा मंजिल, न्यू हैदराबाद, लखनऊ ।

उपरोक्त माह के लिए वराही गेम रिजर्व का शिकार परमिट निम्नलिखित व्यक्तियों को दिया गया :

अक्तूबर, 1981

माह अक्तूबर, 1981 के लिये कोई आवेदन-पत्र प्राप्त न होने के कारण गेम रिजर्व खाली रहा ।

नवम्बर, 1981

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त न होने के कारण गेम रिजर्व खाली रहा । गेम रिजर्व के खाली होने पर इसमें शिकार का परमिट प्राप्त करने के लिये श्री के0 ए0 खान, शेरपुर पीलीभीत ने आवेदन-पत्र दिया तथा प्रथम आगमन प्रथम प्राप्ति के आधार पर शिकार परमिट उन्हें दिया गया ।

दिसम्बर, 1981

श्री एस0 कनवाल नयन सिंह, द्वारा बच्चन सिंह एडवोकेट, बहराइच ।

15--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या वन मन्त्री उन व्यक्तियों के नाम पते सहित बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने माह अक्तूबर, 1981 के लिए साउथ पीलीभीत फारेस्ट डिवीजन के बारहो गेम रिजर्व का शिकार परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दिए थे, उपरोक्त माह के लिए इन ब्लाकों का शिकार परमिट क्रमशः किसे-किसे दिया गया ?

श्री संजय सिंह--

माह अक्तूबर, 1981 के लिये साउथ पीलीभीत फारेस्ट डिवीजन के बारहो गेम रिजर्व का शिकार परमिट प्राप्त करने के लिये कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ और गेम रिजर्व खाली रहा ।

नार्थ पीलीभीत फारेस्ट डिवीजन की खटीमा एवं भाला गेम रिजर्व का शिकार का परमिट हेतु दिये गये आवेदन-पत्र

16--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या वन मन्त्री उन व्यक्तियों के नाम पते सहित बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने माह जनवरी, 1982 से मई, 1982 के लिए नार्थ पीलीभीत फारेस्ट डिवीजन की खटीमा एवं भाला गेम रिजर्व का शिकार परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दिए थे, उपरोक्त माह के लिए इन ब्लाकों का शिकार परमिट क्रमशः किसे-किसे दिया गया ?

श्री संजय सिंह--

माह जनवरी, 1982 से मई, 1982 के लिए नार्थ पीलीभीत फारेस्ट डिवीजन के खटीमा एवं भाला गेम रिजर्व का शिकार का परमिट प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र दिये थे--

खटीमा गेम रिजर्व, जनवरी, 1982

1--श्री मेहन्दी हसन खान, ग्राम व पोस्ट, सिसोरा नासिर, खीरी ।

2--श्री सैयद जैकीउद्दीन, ग्राम व पोस्ट फलौदा, जिला मेरठ ।

3--श्री अब्दुल वाहिद खान, हड्डी मंजिल, मोहल्ला कुण्डाल खैल, शाहजहांपुर ।

4--श्री अमरपाल सिंह, 7 पार्क रोड, गोरखपुर ।

फरवरी, 1982

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

मार्च, 1982

1--श्री मोहम्मद रफी खान, राजा खलील खान रोड, शाहजहांपुर ।

2--चौधरी मोहम्मद उमर, ग्राम व पोस्ट वैट, जिला गाजियाबाद ।

अप्रैल, 1982

श्री मोइन उद्दीन खान, ग्राम व पोस्ट शेरपुर कलां, पीलीभीत ।

मई, 1982

1--श्रीमती रानी सविता कुमारी देवी, "पारिजात" सीतापुर रोड, लखनऊ ।

2--श्री रफी अहमद खान, 1883 कोठी, गुलाम माउद लालकुंआ, दिल्ली-6 ।

भाला गेम रिजर्व जनवरी, 1982

1--श्री दफाउल रहमान, ग्राम टांडा, हुरमतनगर, बिलासपुर, रामपुर ।

2--श्री देवेन्द्र सिंह, 130 सिविल लाइन्स, बरेली ।

3--श्री मेहन्दी हसन खान, ग्राम व पोस्ट सिसोरा नासिर, लखीमपुर-खीरी ।

4--श्री अब्दुल वादूद खान, मोहल्ला रजागंज, पूरनपुर, पीलीभीत ।

5--श्री सैय्यद जंकीउद्दीन, ग्राम व पोस्ट फलौदा, जिला मेरठ ।

6--श्री अब्दुल वाहिद खान, हड्डी मंजिल, मोहल्ला कुन्डाल खैल, शाहजहांपुर ।

7--श्री मोहम्मद ताहिर, 272 भूरेखान, पीलीभीत ।

फरवरी, 1982

मोहम्मद जियाउल्ला खान, पोस्ट जमनाबाद, जिला खीरी ।

मार्च, 1982

1--श्री मोहम्मद अली तारीक, भट्टी स्ट्रीट, मुरादाबाद ।

2--श्री जब्बार अहमद खान, चयनसराय, पोस्ट सम्भल, जिला मुरादाबाद ।

3--श्री इरफान अहमद द्वारा एस0 अली, पत्थर वाला कुआं, हापुड़ ।

4--श्री मोहम्मद रफी खान, रजा खलिल खान रोड, शाहजहांपुर ।

5--श्री राजेन्द्र विक्रम सिंह, बी0-10 वेस्ट एन्ड, नई दिल्ली ।

6--श्री सज्जाद अली खान, मोहल्ला दिलवारपुर, पोस्ट शाहाबाद, हरदोई ।

7--श्री इकबाल सिंह अटवाल, द्वारा मेसर्स सुरजीत एन्ड सुरेन्द्र (प्रा0) लिमिटेड, टाटा डीजिल सर्विस, यमुनानगर, हरियाणा ।

अप्रैल, 1982

1--श्री साजिद इस्लाम खान, 315, इसमाइलनगर, मेरठ ।

2--श्री अजय वंश नारायण, ग्राम व पोस्ट असौड़ा, हापुड़ ।

3--श्री मोइनउद्दीन खान, ग्राम व पोस्ट शेरपुर कलां, पीलीभीत ।

4--श्री मेंहदी हसन खान, ग्राम व पोस्ट सिसोरानासिर, जिला खीरी ।

मई, 1982

1--श्रीमती रानी सहित, कुमारी देवी, "पारिजात" सीतापुर रोड, लखनऊ ।

2--श्री रफी अहमद खां, 1088 कोठी गुलाम मोहम्मद, लालकुआं, दिल्ली ।

उपरोक्त माह के लिये इन ब्लाकों का शिकार परमिट क्रमशः निम्नलिखित व्यक्तियों को दिया गया--

खटीमा गेम रिजर्व जनवरी, 1982

लाटरी के आधार पर खटीमा गेम रिजर्व श्री सैय्यद जैकी उद्दीन, ग्राम व पोस्ट, फलौदा, जिला मेरठ के नाम से आरक्षित हुआ परन्तु उन्होंने इसे छोड़ दिया । इस प्रकार गेम रिजर्व खाली होने पर उक्त गेम रिजर्व में शिकार का परमिट प्राप्त करने के लिए श्री सैय्यद नासिर हुसैन खान, सुल्तान पैलेस वजीर-गंज, लखनऊ ने आवेदन-पत्र दिया और प्रथम आगमन प्रथम प्राप्ति के आधार पर खटीमा गेम रिजर्व में शिकार परमिट उन्हें दिया गया ।

फरवरी, 1982

शूटिंग ड्रा हेतु कोई आवेदन-पत्र प्राप्त न होने के कारण गेम रिजर्व खाली रहा और इस गेम रिजर्व में शिकार का परमिट प्राप्त करने के लिये श्री मोहम्मद अहमद, 164 सबुनगिरान, नियर गंजी बाजार, मेरठ ने आवेदन-पत्र दिया तथा नियमानुसार प्रथम आगमन प्रथम प्राप्ति के आधार पर खटीमा गेम रिजर्व का परमिट उन्हें दिया गया ।

मार्च, 1982

श्री मोहम्मद रफी खान, राजा खलिलखान रोड, शाहजहांपुर ।

अप्रैल, 1982

खटीमा गेम रिजर्व का आरक्षण श्री मोइन उद्दीन खान, ग्राम व पोस्ट शेरपुर कलां, पीलीभीत को हुआ परन्तु इन्होंने शिकार परमिट प्राप्त नहीं करना चाहा । इस प्रकार गेम रिजर्व खाली हो गया, गेम रिजर्व के खाली होने पर श्री जकी उद्दीन खान, 165 मोहल्ला दुर्गा प्रसाद पीलीभीत ने शिकार परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र दिया । नियमानुसार प्रथम आगमन प्रथम प्राप्ति के आधार पर खटीमा गेम रिजर्व म शिकार परमिट उन्हें दिया गया ।

मई, 1982

लाटरी के आधार पर गेम रिजर्व का आरक्षण रानी सविता कुमारी देवी, 'पारिजात", सीतापुर रोड, लखनऊ के नाम से हुआ परन्तु इन्होंने इस गेम रिजर्व में शिकार नहीं करना चाहा और गेम रिजर्व खाली रहा तथा किसी को शिकार परमिट नहीं दिया गया ।

भाला गेम रिजर्व, जनवरी, 1982

श्री जैकीउद्दीन, ग्राम व पोस्ट फलौदा, जिला मेरठ ।

फरवरी, 1982

गेम रिजर्व श्री जियाउल्ला खान, पोस्ट जमनाबाद, जिला खीरी को आरक्षित हुआ परन्तु इन्होंने शूटिंग फीस नहीं भेजी तथा गेम रिजर्व खाली रहा ।

मार्च, 1982

श्री इरफान अहमद, द्वारा ए0 अली पत्थर वाला कुआं, हापुड़ ।

अप्रैल, 1982

श्री अजय वंश नरायण, ग्राम व पोस्ट असौड़ा, हापुड़ ।

मई, 1982

श्री रफी अहमद खान, 1088, कोठी गुलाम मोहम्मद, लाल कुआं, दिल्ली ।

17.—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या वन मंत्री उन व्यक्तियों के नाम पते बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने माह अक्तूबर, 1981 से दिसम्बर, 1981 के लिए नार्थ पीलीभीत फारेस्ट डिवीजन के खटीमा एवं भाला गेम रिजर्व का शिकार परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दिये थे, उपरोक्त माह के लिए इन ब्लाकों का शिकार परमिट क्रमशः किसे-किसे दिया गया ?

श्री संजय सिंह--

माह अक्तूबर, 1981 से दिसम्बर, 1981 के लिये नार्थ पीलीभीत फारेस्ट डिवीजन के खटीमा एवं भाला गेम रिजर्व का शिकार परमिट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र दिये थे--

खटीमा गेम रिजर्व, अक्तूबर, 1981

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

नवम्बर, 1981

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

दिसम्बर, 1981

1--श्री एस० जमशेद अब्बास, जे-206 साकेत, मालवीय नगर, एक्सटेन्शन, नई दिल्ली ।

2--श्री सन्त प्रसाद गोविन्द राव, ग्राम व पोस्ट रामकोला, जिला देवरिया ।

3--श्री जसवन्त सिंह, बी-10 वेस्ट इन्ड, नई दिल्ली ।

4--श्री जयदीप सिंह बरार, ग्राम स्वालेपुर, पोस्ट विलासपुर, जिला रामपुर ।

5--श्री प्रफुल्ल रंजन सिंह बरार, ग्राम स्वालेपुर, पोस्ट विलासपुर, जिला रामपुर ।

6--श्री महमूद अहमद, म० नं० 164, संबुनग्रान, मेरठ ।

भाला गेम रिजर्व, अक्तूबर, 1981

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

नवम्बर, 1981

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

दिसम्बर, 1981

1--श्री जसवन्त सिंह, बी-10 वेस्ट इन्ड, नई दिल्ली ।

2--श्री रूपेन्द्र सिंह, पोस्ट ऐरा स्टेट, जिला खीरी-लखीमपुर ।

3--श्री जयदीप सिंह बरार, ग्राम स्वालेपुर, पोस्ट विलासपुर, जिला रामपुर ।

5--श्री प्रफुल्ल रंजन सिंह बरार, ग्राम स्वालेपुर, पोस्ट विलासपुर, जिला रामपुर ।

5—श्री सय्यद जब्बार, 7/3 वर्धवान रोड, न्यू अलीपोर, कलकत्ता ।

6—श्री महमूद अहमद, म0 नं0 164 सबुनग्राम, मेरठ ।

उपरोक्त माह के लिए खटीमा एवं माला गेम रिजर्व का शिकार परमिट निम्नलिखित व्यक्तियों को दिया गया—

खटीमा गेम रिजर्व

अक्तूबर, 1981

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ अतएव गेम रिजर्व खाली रहा ।

नवम्बर, 1981

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ अतएव गेम रिजर्व खाली रहा ।

दिसम्बर, 1981

श्री संत प्रसाद गोविन्द राव, ग्राम एवं पोस्ट राजकोला, जिला देवरिया ।

अक्तूबर, 1981

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ अतएव गेम रिजर्व खाली रहा ।

नवम्बर, 1981

शूटिंग ड्रा हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त न होने के कारण गेम रिजर्व खाली रहा इसमें शिकार का परमिट प्राप्त करने हेतु ले0 कर्नल रघुवीर सिंह, 72 क्रास रोड, बरेली कैंट ने आवेदन-पत्र दिया और शिकार नियमानुसार प्रथम आगमन प्रथम प्राप्ति के आधार पर गेम रिजर्व में शिकार परमिट उन्हें दिया गया ।

दिसम्बर, 1981

श्री सय्यद जब्बार 7/3 वर्धवान रोड, न्यू अलीपोर, कलकत्ता ।

हल्द्वानी फारेस्ट डिवीजन के सेनापानी, वेलपानी, जौलासाल एवं चकाता गेम रिजर्व का शिकार का परमिट हेतु आवेदन-पत्र

18—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या वन मन्त्री उन व्यक्तियों के नाम पते बताने की कृपया करेंगे जिन्होंने माह जनवरी, 1982 से मई, 1982 के लिए हल्द्वानी फारेस्ट डिवीजन के सेनापानी वेलपानी, जौलासाल एवं चकाता गेम रिजर्व का शिकार का परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दिए थे ? उपरोक्त माह के लिए इन ब्लकों का शिकार परमिट क्रमशः किसे-किसे दिया गया ?

श्री संजय सिंह—

जनवरी, 1982 से मई, 1982 के लिए हल्द्वानी फारेस्ट डिवीजन के सेनापानी, वेलपानी, जौलासाल एवं चकाता गेम रिजर्व का शिकार परमिट प्राप्त

करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों के आवेदन-पत्र नियमानुसार सही पाये गये और स्वीकार किये गये--

सेनापानी गम रिजर्व जनवरी, 1982

1--श्री बकाउल रहमान, ग्राम टांडा, हुरमतनगर, बिलासपुर, रामपुर।

2--श्री याकूब अली खान, मार्डन मोटर एण्ड ट्रैक्टर, नियर रोडवेज, रामपुर।

3--श्री देवेन्द्र सिंह, 130 सिविल लाइन्स, बरेली।

4--श्री कमरुल हसन जाफरी, 22 चाहशोन, अमरोहा।

5--श्री मजाकत अली खान, ग्राम विशारतनगर, बिलासपुर, रामपुर।

6--श्री बदरुल इस्लाम, मंजूर मंजिल, सियाना, बुलन्दशहर।

7--श्री मशूद रजा खान, कटकुयां, रामपुर।

8--श्री बी0 सी0 बेली, टेवरसन लाज, 83 सिविल लाइन्स, बरेली।

9--श्री अमरपाल सिंह, 7 पार्क रोड, गोरखपुर।

फरवरी, 1982

1--श्री मोहम्मद यूसुफ, 7405, कसबपुरा, सदर बाजार, दिल्ली।

2--श्री बकाउल रहमान, ग्राम टांडा, हुरमतनगर, बिलासपुर, रामपुर।

3--श्री ख्वाजा हसन अबूतालिब उर्फ हसन सानी निजामी, दरगाह, हजरत, निजामुद्दीन, दिल्ली।

4--श्री अल्ला रहीम, सिविल जज, सिविल कोर्ट, मेरठ।

5--श्री ख्वाजा मेहन्दी निजामी, दरगाह हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली।

6--श्री बी0 सी0 बेली, टेवरसन लाज, 83 सिविल लाइन्स, बरेली।

मार्च, 1982

1--श्री बी0 के0 श्रीवास्तव, ज्वालानगर, रामपुर।

2--श्री खानजादा मशूद शाह खान, बाबर हाउस, पुरानागंज, रामपुर।

3--श्री दर्शन सिंह, 20, यशवन्त कालोनी, इन्दौर, मध्य प्रदेश।

4--कैप्टन जी0 एस0 ढिल्लन, 126 जोरबाग, नई दिल्ली।

5--श्री इन्द्र प्रताप चौधरी, विवेक 45 दि माल, दिल्ली।

6--श्री हर भजन सिंह मांडला द्वारा एस0 गोपाल सिंह, 2/101, छता भवानी शंकर, फतेहपुरी, नई दिल्ली।

7--श्री सैय्यद मोईउद्दीन अहमद, मोहल्ला बरयाना, रामपुर।

8--श्री राजेन्द्र विक्रम सिंह, बी-10, वेस्ट एण्ड नई दिल्ली।

9—श्री सज्जाद अली खान, मोहना दिलबारपुर, पो0 शाहाबाद, जिला हरदोई ।

10—श्री इकबाल सिंह अतवाल मेसर्स सुरजीत ऐण्ड सुरेन्द्र (प्रा0 लि0), टाटा डीजल सर्विस, रदौर रोड यमुना नगर, हरियाणा ।

अप्रैल, 1982

1—श्री मशूद रजा खान शेर शरफुद्दीन खान, रामपुर ।

2—श्री कैप्टेन जी0 एस0 ढिल्लन, 126 जौरबाग, नई दिल्ली ।

3—श्री इकबाल हैदर जैदी, पो0 बिलासपुर, रामपुर ।

4—श्री ए0 ए0 खान द्वारा एम0 एस0 खान, तालाब निहालउद्दीन, रामपुर ।

5—श्री नजाकत खान, घेर घिलंजियन, जेल रोड, रामपुर ।

6—श्री नूरुल हक खान, 433 वसीरतगंज, लखनऊ ।

7—श्री मंजूर उल इस्लाम, शाही चबूतरा, अमरोहा ।

8—श्री खानजादा मशूदशाह खान, बावर हाउस, पुरानागंज, रामपुर ।

9—श्री बी0 सी0 बेली, 83 सिविल लाइन्स, टेवरसन लाज, बरेली ।

10—श्री विजय सिंह, सरोज टाकीज, मुरादाबाद ।

मई, 1982

1—श्री जहीर अहमद, नेशनल पौढ़ी शालमाहकन, खुर्जा ।

2—ब्रिगेडियर महेन्द्र सिंह, 12 करिअप्पा रोड, लखनऊ कैन्ट ।

3—श्री सय्यद मोइनउद्दीन अहमद, मोहल्ला बेरियान, रामपुर ।

4—श्री आर0 बी0 पैन्थम, नियर हेड पोस्ट आफिस, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद ।

5—श्री डा0 जे0 बागची, धामपुर, जिला बिजनौर ।

6—श्री अल्ला रहीम, सिविल जज, सिविल कोर्ट, मेरठ ।

7—श्री मजहर शहीद, नादिर अली एण्ड कम्पनी, मेरठ ।

8—ख्वाजा मेहन्दी निजामी, 71 दरगाह हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली ।

9—श्री प्रसन्ता बनर्जी, 15 एलगिन रोड, इलाहाबाद ।

10—श्री डी0 एफ0 ढोडी, 18 महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद ।

11—श्री मशूद रजा खान, मोहल्ला घेर शर्फउद्दीन खान, रामपुर ।

बेलपानी गेम रिजर्व जनवरी, 1982

1—श्री बफउल रहमान, ग्राम टांडा, हुरमतनगर, बिलासपुर, रामपुर ।

2—श्री एस0 यू0 खान, झंडा शहीद, अमरोहा ।

3—श्री एम० जे० आर० खान, 16 टैगोर रोड, कैन्ट, कानपुर ।

4—श्री बी० सी० बेली, टेवरसन लाज, 83 सिविल लाइन्स, बरेली ।

5—श्री अमरपाल सिंह, 7 पार्क रोड, गोरखपुर ।

6—श्री मोहम्मद ताहिर, 272 भूरेखान, पीलभीत ।

फरवरी, 1982

1—श्री ख्वाजा हसन अबतालिब उर्फ हसन सानी निजामी, दरगाह हजरत, निजामुद्दीन, नई दिल्ली ।

2—श्री ख्वाजा मेहन्दी निजामी, दरगाह हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली ।

3—श्री कमरुल हसन जाफरी, चाहसीन, अमरोहा ।

4—श्री बी० सी० बेली, टेवरसन लाज, 83 सिविल लाइन्स, बरेली ।

मार्च, 1982

1—श्री खानजादा मशूदशाह खान, पावर हाउस, पुरानागंज, रामपुर ।

2—श्री दर्शन सिंह, 20 यशवन्त कालोनी, इन्दोर, एम० पी० ।

3—श्री अजय कुमार बलराम, 4 डाक्टर लेन, नई दिल्ली ।

4—श्री सैय्यद मोइनउद्दीन अहमद, मोहल्ला वरयान, रामपुर ।

5—श्री राजेन्द्र विक्रम सिंह, बी-10 वेस्ट इण्ड, नई दिल्ली ।

6—श्री इकबाल सिंह अतवाल, मेसर्स सुरजीत एण्ड सुरेन्द्र (प्र०) टाटा टीजल सर्विस, रदौर रोड जमुना नगर, हरियाणा ।

अप्रैल, 1982

1—श्री यूसुफ रजा खान, कटकुय्या, रामपुर ।

2—श्री अली रहीम द्वारा मुजामिल उल्ला खान, झंडा शहीद, अमरोहा ।

3—श्री मोहम्मद याकूब अली खांन, मार्डन मोटर एण्ड ट्रैक्टर नियर रोडवेज स्टेशन, रामपुर ।

4—श्री बी० सी० बेली, 83 सिविल लाइन्स, टेवरसन लाज, बरेली ।

5—श्री मंजूर उल-इस्लाम, शाही चबूतरा, अमरोहा ।

6—श्री विजय सिंह, सरोज टाकीज, मुरादाबाद ।

7—श्री मेहन्दी हसन शाह खान, ग्राम व पोस्ट सिसोरा नासिर, जिला खीरी ।

मई, 1982

1—श्री आर० बी० फैन्थम, नियर हेड पोस्ट आफिस, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद ।

2—श्री मुजामिल उल्ला खान, झंडा शहीद, अमरोहा ।

3—श्री अहसान रजा खां, पो० बिलारी, जिला मुरादाबाद ।

जौलसाल गेम रिजर्व, जनवरी, 1982

1--श्री प्रेम मोहन कालरा, होटल राजदूत, नई दिल्ली ।

2--श्री वफा उलरहमान, ग्राम टांडा, हुरमतनगर, बिला सपुर,रामपुर ।

3--श्री प्रीतम सिंह, म० नं० 8081, खैरिया मोहल्ला, रोशआरा रोड दिल्ली ।

4--श्री नजाकत अली खान, ग्राम विशालनगर, बिलासपुर, रामपुर ।

5--श्री यूसुफ रजा खान, रामपुर ।

6--श्री अमर पाल सिंह, 7 पार्क रोड, गोरखपुर ।

7--श्री मोहम्मद ताहिर, 272, भूरेखान, पीलीभीत ।

8--श्री अब्दुल जलीज, नियर एवरेस्ट वाच कम्पनी, शाही मस्जिद, मुरादाबाद ।

फरवरी, 1982

1--श्री एस० एम० नासिर, राह-ए-रजा, सिविल लाइन्स, रामपुर ।

2--श्री हरभजन सिंह मांडला, 704 चर्च मिशन रोड, फतेहपुरी, दिल्ली ।

3--श्री एफ-उल-रहमान, ग्राम टांडा, हुरमतनगर, बिलासपुर, रामपुर ।

4--श्री ख्वाजा हसन अबू तालिब, उर्फ हसन सानी निजामी, दरगाह हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली ।

5--श्री ख्वाजा मेहन्दी निजामी, दरगाह हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली ।

6--श्री आनन्द सिंह, एम० पी०, मनकापुर कोट, गोण्डा ।

7--श्री मोहम्मद याकूब अली खान, मार्डन मोटर एन्ड ट्रैक्टर नियर रोडरेज स्टेशन, रामपुर ।

8--श्री एम० शमशुल हसन खान, शेरपुर, जिला पीलीभीत ।

मार्च, 1982

1--श्री एम० शमशुल हसन खान, पो० शेरपुर, जिला पीलीभीत ।

2--श्री खानजादा मशूद शाह खान, बाबर हाउस, पुरानागंज, रामपुर ।

3--श्री दर्शन सिंह, 20, यशवन्त कालोनी, इन्दौर, एम० पी० ।

4--श्री अजय कुमार बलराम, 4, डाक्टर लेन, नई दिल्ली ।

5--श्री इन्द्र पी० चौधरी 'विवेक', 45, दि० माल, दिल्ली ।

6--श्री हरभजन सिंह मांडला द्वारा एस० गोपाल सिंह, 2/201 छत्ता, नानी सरवर, फतेहपुरी, नई दिल्ली ।

7--श्री सैय्यद मोइन उद्दीन अहमद, मोहल्ला बरयान, रामपुर ।

8--श्री कैप्टेन जी0 एस0 ढिल्लन, 124, जौरबाग, नई दिल्ली ।

9--श्री राजेन्द्र विक्रम सिंह, बी0-10, वेस्ट एन्ड, नई दिल्ली ।

10--श्री इकबाल सिंह अतवाल, मेसर्स सुरजीत एन्ड सुरेन्द्र (प्रा0) लिमिटेड, टाटा डीजल सर्विस, रदौर रोड, यमुनानगर, हरियाणा ।

अप्रैल, 1982

1--कैप्टेन जी0 एस0 ढिल्लन, 124, जौरबाग, नई दिल्ली ।

2--डाक्टर इकबाल हैदर जैदी, पो0 बिलासपुर, रामपुर ।

3--श्री अल्ला रहीम द्वारा मुजामिल उल्लाह खान, झंडा शहीद, अमरोहा ।

4--श्री ए0 ए0 खान द्वारा एम0 एस0 खान, तालाब निहाल उद्दीन खान, रामपुर ।

5--श्री मंजूर उल इस्लाम, शाही चबूतरा, अमरोहा ।

6--श्री मशूद रजा खान, घेर सरफुद्दीन खान, रामपुर ।

7--श्री खानजादा मशूदशाह खान, बाबर हाउस, पुरानागंज, रामपुर ।

8--श्री विजय सिंह, सरोज टाकीज, मुरादाबाद ।

9--श्री मेंहदी हसन खान, ग्राम व पो0 सिमोरा नासिर, जिला खीरी ।

10--श्री यूसुफ रजा खान, कटकुयां, रामपुर ।

मई, 1982

1--श्री खुर्शीद अहमद खान, पो0 कुकरा, जिला खीरी ।

2--श्री जहीर अहमद, नेशनल पार्टी, सालमाहकान, खुर्जा ।

3--श्री सर्वजीत सिंह मांडला, 704, चर्च मिशन रोड, फतेहपुरी, दिल्ली-6 ।

4--श्री अल्लाह रहमान, जज स्माल काज केस, सिविल कोर्ट, मेरठ ।

5--श्री आर0 बी0 फैन्थम, नियर हेड पोस्ट आफिस, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद ।

6--श्री यूसुफ रजा खान, कटकुयां, रामपुर ।

7--श्री अल्लाह रहीम, सिविल जज, मेरठ ।

8--श्री मुजामिल उल्लाह खान, झंडा शहीद, अमरोहा ।

9--श्री ख्वाजा मेंहदी निजामी, 71, दरगाह हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली ।

चकाता गेम रिजर्व, जनवरी, 1982

1—श्री अनवार अहमद एम0 पी0, 178, साउथ एवन्यू, नई दिल्ली ।

2—श्री अर्जुन सिंह, 4-ए0, प्रयाग नरायन रोड, लखनऊ ।

3—श्री बी0 डी0 माथुर, 2, ह्वाइट हाउस गार्डेन, 17, अलीपीर रोड, कलकत्ता ।

4—श्री देवेन्द्र सिंह, 13, सिविल लाइन्स, बरेली ।

5—श्री एम0 एम0 सिद्दीकी, 22, सिवली रोड, अलीगढ़ ।

6—श्री महकपाल सिंह, 3346, बैंक स्ट्रीट करोलबाग, नई दिल्ली ।

7—श्री एफ-उल-रहमान, ग्राम टांडा हुरमतनगर, बिलासपुर, रामपुर ।

8—श्री नवाबजादा एन0 ए0 खान, नवाब विकर अहमद खान रोड, जिला बरेली ।

9—श्री यूसुफ रजा खान, कटकुयां, रामपुर ।

10—डाक्टर एम0 ए0 फारुकी,

11—श्री राजेन्द्र विक्रम सिंह, बी-10, वेस्ट एन्ड, नई दिल्ली ।

फरवरी, 1982

1—श्री अर्जुन सिंह, 4-ए, प्रयाग नरायण रोड, लखनऊ ।

2—श्री वफ उल रहमान, ग्राम टांडा हुरमतनगर, बिलासपुर, रामपुर ।

3—श्री ख्वाजा हसन अबूतालिब उर्फ हसन सानी निजामी, दरगाह हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली ।

4—श्री बी0 पी0 श्रीवास्तव, डी-93, डिफन्स कालोनी, नई दिल्ली ।

5—श्री ख्वाजा मेंहदी निजामी, दरगाह हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली ।

6—श्री मुजामिल उल्ला खान, झंडा शहीद, अमरोहा ।

7—अब्दुल जलील द्वारा न्यू एवरेस्ट वाच कं0, साही मस्जिद, मुरादाबाद ।

मार्च, 1982

1—श्री महेन्द्र पाल बतरा, 14/48, जी0 बी0 पंत मार्ग, हल्द्वानी ।

2—श्री खानजादा मशूद शाह खान, बाबर हाउस, पुरानागंज, रामपुर ।

3—श्री दर्शन सिंह, 20, यशवन्त कालोनी, इन्दौर, एम0 पी0 ।

4—श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, 22, कटघर रोड, इलाहाबाद ।

5—श्री एस0 एम0 पुरी, 13-ए-कल्याणी न्यू रुद्रपुर, जिला नैनीताल ।

6—श्री अजीत ग्रेवाल, 3/11, शान्ती निकेतन, नई दिल्ली ।

7--श्री अजय कुमार बलराम, 4 डाक्टर लेन, दिल्ली ।

8--श्री प्रवीर कुमार बघई, बघई इंजीनियरिंग सर्विस-हल्द्वानी ।

9--श्री सर्वजीत सिंह मांडला, 704 चर्च मिशन रोड, फतेहपुरी, दिल्ली ।

10--श्री सैयद मोहइन-उद्दीन अहमद, मोहल्ला वरयान, रामपुर ।

11--श्री कमरूल हसन जाफरी, चाहसोन अमरोहा

12--श्री मोहम्मद उमर, ग्राम--व पोस्ट बैंठ, जिला गाजियाबाद ।

13--श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, मो0 तीसागर बलरामपुर, गोंडा ।

14--श्री इकबाल सिंह अतवाल, मेसर्स सुरजीत एण्ड सुरेन्द्र (प्रा0) लिमिटेड, टाटा डीजल सर्विस, रदौर रोड, यमुनानगर हरियाणा ।

अप्रैल, 1982

1--श्री ए0 एम0 शाह, 20 रायल होटल, मेरठ ।

2--श्री प्रवीर कुमार बघई, बघई इंजीनियरिंग सर्विस, हल्द्वानी ।

3--श्री इकबाल हैदर जैदी, पो0 विलासपुर, रामपुर ।

4--श्री ए0 ए0 खान द्वारा एम0 एस0 खान तालाब निहालउद्दीन, रामपुर ।

5--श्री अहसान रजा खान, खावरी अवल, पो0 बिलोर, जिला मुरादाबाद ।

6--श्री मंजूरउल इस्लाम, साही चबूतरा, अमरोहा ।

7--श्री युसुफ रजा खान, कटकुयां, रामपुर ।

8--श्री खानजादा मसूद शाह खान, बावर हाउस, पुरानागंज, रामपुर ।

9--श्री विजय सिंह, सरोज टाकीज, मुरादाबाद ।

10--श्री एस0 एम0 पुरी, 13-ए कल्याणी न्यू रुद्रपुर, जिला नैनीताल ।

मई, 1982

1--श्री सर्वजीत सिंह मांडला, 704, चर्च मिशन रोड, फतेहपुरी, दिल्ली ।

2--श्री सैयद मोइन उद्दीन अहमद, मोहल्ला वरयान, रामपुर ।

3--श्री ए0 एम0 शाह, द्वारा नवाब दुलारे मियां, किला, बरेली ।

4--श्री आर0 बी0 फैन्थम, नियर हेड पोस्ट आफिस, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद ।

5--श्री युसुफ रजा खान, कटकुयां, रामपुर ।

6--श्री अजीत ग्रेवाल, 3/11, शान्ती निकेतन, नई दिल्ली ।

7--श्री अल्ला रहीम, सिविल जज, मेरठ ।

8--श्री मुजामिल उल्ला खान, झंडा शहीद, अमरोहा ।

9—श्री ख्वाजा मेंहदी निजामी, 71, दरगाह हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली ।

10—उपरोक्त माह के लिए लाटरी के आधार पर इन ब्लाकों का शिकार परमिट क्रमशः निम्नलिखित व्यक्तियों को दिया गया ।

सेनापानी गेम रिजर्व—

जनवरी, 1982

1—श्री बदरुल इस्लाम, मंजूद मंजिल सियानी, बुलन्दशहर ।

फरवरी, 1982

श्री बका उल रहमान, ग्राम टांडा, हुरमतनगर, बिलासपुर, रामपुर ।

मार्च, 1982

श्री बी० के० श्रीवास्तव, जवालानगर, रामपुर ।

अप्रैल, 1982

श्री इकबाल हैदर जैदी, पो० विलासपुर, रामपुर ।

मई, 1982

ब्रिगेडियर श्री महेन्द्र सिंह, 12, करिअप्पा रोड, लखनऊ ।

बेलपानी गेम रिजर्व—

जनवरी, 1982

श्री अमरपाल सिंह, 7 पार्क रोड, गोरखपुर ।

फरवरी, 1982

श्री ख्वाजा हसन अबूतालिब उर्फ हसन सानी, निजामी दरगाह हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली ।

मार्च, 1982

श्री अजय कुमार बलराम, 4, डाक्टर लेन, नई दिल्ली ।

अप्रैल, 1982

श्री मोहम्मद याकूब अली खान मार्डन मोटर एण्ड ट्रैक्टर, नियर रोडवेज स्टेशन, रामपुर ।

मई, 1982

श्री मुजामिल, उल्ला खान, झंडा शहीद, अमरोहा ।

जौलाखाल गेम रिजर्व—

जनवरी, 1982

श्री प्रेम मोहन कालरा, होटल राजदूत, नई दिल्ली ।

फरवरी, 1982

श्री आनन्द सिंह, एम० पी०, मनकापुर, कोट, जिला—गोंडा ।

मार्च, 1982

श्री मोहम्मद शमशुल हसन खांन, पो0 शेरपुर, जिला पीलीभीत ।

अप्रैल, 1982

श्री विजय सिंह, सरोज टाकीज, मुरादाबाद ।

मई, 1982

श्री जहीर अहमद, नेशनल पार्टी, सालमाहकान खुर्जा ।

चकाता गेम रिजर्व--

जनवरी, 1982

श्री अनवार अहमद, एम0 पी0, 178, साउथ एवन्यू, नई दिल्ली ।

फरवरी, 1982

लाटरी के आधार पर चकाता गेम रिजर्व का आरक्षण, श्री बी0 पी0 श्रीवास्तव, डी-93 डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली के नाम से हुआ परन्तु उन्होंने शुल्क फीस नहीं भेजी और परमिट जारी नहीं किया गया ।

मार्च, 1982

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, 22 कटघर रोड, इलाहाबाद ।

अप्रैल, 1982

श्री ए0 एम0 शाह आई0 पी0 एस0, 20 रायल होटल, मेरठ ।

मई, 1982

श्री अजीत ग्रेवाल, 3/11, शान्ती निकेतन, नई दिल्ली ।

19--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या वन मन्त्री उन व्यक्तियों के नाम पते सहित बताने श्री कृपा करेंगे जिन्होंने माह अक्तूबर, 1981 से दिसम्बर, 1981 के लिए हल्द्वानी फारेस्ट डिवीजन के सेनापानी, बेलपानी, जोलासाल एवं चकाता गेम रिजर्व का शिकार का परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दिए थे तथा उपरोक्त माह के लिए इन ब्लाकों का शिकार परमिट क्रमशः किसे-किसे दिया गया ?

श्री संजय सिंह--

माह अक्तूबर, 1981 से दिसम्बर, 1981 के लिए हल्द्वानी फारेस्ट डिवीजन के सेनापानी, बेलपानी, जौल साल एवं चकाता गेम रिजर्व का शिकार का परमिट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र दिये थे :--

सेनापानी गेम रिजर्व--

अक्तूबर, 1981

कुंवर राधो प्रताप सिंह, पो0 सिवहारा, बिजनौर ।

नवम्बर, 1981

1—श्री जयदीप सिंह बरार, ग्राम स्वालेपुर, पो0 बिलासपुर, रामपुर ।

2—श्री मुशीर असगर, 5-ए, जौपालिंग रोड, लखनऊ ।

दिसम्बर, 1981

1—श्री शमशेर सिंह, 16 औरंगजेब रोड, नई दिल्ली ।

2—श्री के0 पी0 सिंह, 14 औरंगजेब रोड, नई दिल्ली ।

3—श्री एस0 जमशेद अब्बास, जे0 296, साकेत, साकेत मालवीय नगर, इक्सटेन्सन, नई दिल्ली ।

4—श्री विवेक भरत राम, 3/15 शान्ती निकेतन, नई दिल्ली ।

5—श्री हसीब अहमद खान, करीमबाग, राहे राजा, रामपुर ।

6—श्री वी0 के0 श्रीवास्तव, पो0 ज्वालानगर, रामपुर ।

7—श्री जसवन्त सिंह, बी-10 वेस्टइण्ड, नई दिल्ली ।

8—श्री जयदीप सिंह बरार, ग्राम स्वालेपुर, पो0 बिलासपुर, जिला रामपुर ।

9—श्री पी0 आर0 सिंह बरार, ग्राम स्वालेपुर, पो0 बिलासपुर जिला रामपुर ।

10—श्री सैयद जब्बार, 7/3 वर्धमान रोड, न्यू अलीपुर, कलकत्ता ।

11—श्री के0 एस0 बेदी, बी-547 फ्रेन्ड्स कलोनी, नई दिल्ली ।

12—श्री मुनीदेव त्यागी द्वारा उमर सिद्दीकी, फातिमा मंजिल, न्यू हैदराबाद, लखनऊ ।

13—श्री कमरुल हसन जाफरी, मोहल्ला शाहसोन, अमरोहा ।

बेलरानी गेम रिजर्व—

अक्तूबर, 1981

श्री अहमद उल्लाह खान, बिलासपुर, तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर ।

नवम्बर, 1981

1—श्री जयदीप सिंह बरार, ग्राम स्वालेपुर, पो0 बिलासपुर, जिला रामपुर ।

2—श्री कबीर अहम्मद, एस0 डी0 ओ0 फारेस्ट, टनकपुर, जिला नैनीताल ।

दिसम्बर, 1981

1—श्री शमशेर सिंह, 16 औरंगजेब रोड, नई दिल्ली ।

2—श्री के0 पी0 सिंह, 14 औरंगजेब रोड, नई दिल्ली ।

3--राकेश मोहन, रौकी बिला, मोहन मेकिन, जिला लखनऊ ।

4--श्री जयदीप सिंह बरार, ग्राम व पो0 स्वालेपुर, बिलासपुर, जिला रामपुर ।

5--श्री प्रफुल्ल रंजन सिंह बरार, ग्राम स्वालेपुर, पो0 बिलासपुर, जिला रामपुर ।

6--श्री अब्दुल जलील, नियर रफतपुरा मोहल्ला, मुरादाबाद ।

7--श्री मुनीदेव त्यागी, द्वारा श्री उमर सिद्दीकी, फातिमा मंजिल, न्यू हैदराबाद, लखनऊ ।

8--श्री मोहम्मद अली तारीक, भट्टी स्ट्रीट, मुरादाबाद ।

9--श्री खालिद मियां, 125, ख्यालीगंज, लखनऊ ।

जौलासाल गेम रिजर्व--

अक्तूबर, 1981

श्री मंशूर अली खान, मोहल्ला बजौरिया तला, पो0 एस0 गंज, रामपुर ।

नवम्बर, 1981

1--श्री जयदीप सिंह बरार, ग्राम स्वालेपुर, पो0 बिलासपुर, जिला रामपुर ।

2--श्री ए0 एच0 अफरोश, सेन्थेटिक एन्ड कैमिकल लिमिटेड, बरेली ।

दिसम्बर, 1981

1--श्री शमशेर सिंह, 16, औरंगजेब रोड, नई दिल्ली ।

2--श्री के0 पी0 सिंह, 16, औरंगजेब रोड, नई दिल्ली ।

3--श्री अविनाश चन्द्र कोहली, एफ-4, आनन्द निकेतन, नई दिल्ली ।

4--ब्रिगेडियर विजय कुमार, 82, क्रास रोड, बरेली कैन्ट ।

5--श्री बफाउल रहमान, ग्राम टांडा, हुरमतनगर, बिलासपुर जिला रामपुर ।

6- श्री जसवन्त सिंह, बी-10, वेस्ट इन्ड, नई दिल्ली ।

7--श्री जयदीप सिंह बरार, ग्राम स्वालेपुर, पो0 बिलासपुर, जिला रामपुर ।

8--श्री प्रफुल्ल रंजन सिंह बरार, ग्राम स्वालेपुर, पो0 बिलासपुर, जिला रामपुर ।

9--श्री दीप चन्द्र आनन्द, ए-35, बसन्त मार्ग, बसन्त बिहार, नई दिल्ली ।

10--श्री अब्दुल जलील, नियर रफतपुरा मोहल्ला, मुरादाबाद ।

11--श्री एस0 एम0 नसिर, राहे राजा, रामपुर ।

12--श्री युसुफ रजा खान, स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेड, रामपुर ।

13--श्री हरभजन सिंह मांडला, 704, चर्चमिशन रोड, फतेहपुरी, दिल्ली ।

चकाता गेम रिजर्व

अक्तूबर, 1981

मेजर मोहम्मद खान द्वारा नवाब गौहर मियां, बाजार संदालखान जिला बरेली ।

नवम्बर, 1981

1—मि0 इनक गाह राजदूत सेन, स्पेनिश इम्बेंसी, 12 पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली ।

2—श्री जयदीप सिंह बरार, ग्राम स्वालेपुर, पो0 बिलासपुर, जिला रामपुर ।

3—श्री कबीर अहमद, एस0 डी0 ओ0 (फरेस्ट) टनकपुर, जिला नैनीताल ।

4—श्री एल0 एम0 थापड़, 40, रतेन्द्र रोड, नई दिल्ली ।

दिसम्बर, 1981

1—श्री शमशेर सिंह, 16, औरंगजेब रोड, नई दिल्ली ।

2—श्री के0 पी0 सिंह, 14, औरंगजेब रोड. नई दिल्ली ।

3—श्रीमती निनी श्रीवास्तव, पो0 ज्वालानगर, रामपुर ।

4—श्री एस0 एन0 यू0 खायू, बी-24, तुलसी बिहार फतेहगंज, बरेली ।

5—श्री जसवन्त सिंह, बी. 10, वेस्ट इन्ड, नई दिल्ली ।

6—श्री जयदीप सिंह बरार, ग्राम स्वालेपुर, पो0 बिलासपुर, जिला रामपुर ।

7—प्रफुल्ल रंजन सिंह बरार, ग्राम स्वालेपुर, पो0 बिलासपुर, जिला रामपुर ।

8—श्री सैय्यद जब्बार, 7/3, वर्धमान रोड, न्यू अलीपुर, कलकत्ता ।

9—श्री रशीद शमशाद, खुर्शीद मंजिल, ग्राम बागपत, पो0 बागपत, जिला बुलन्दशहर ।

10—श्री जौन अनुप रौलस्टन, सेन्टपाल स्कूल, काठ गोदाम, जिला नैनीताल ।

11—श्री चमनलाल कंट्रेक्टर, कालाढुंगी रोड, हाल्द्वानी ।

12—श्री मुजामिल उल्लाह खान, झंडा शहीद, अमरोहा ।

13—श्री अनवार अहमद, एम0 पी0, 170, साउथ एवन्यू, नई दिल्ली ।

14—श्री एस0 एम0 नासिर, राहे राजा, रामपुर ।

15—श्री यूसुफ रजा खान, स्पेशल ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट, रामपुर ।

उपरोक्त माह के लिए इन ब्लाकों का शिकार परमिट निम्नलिखित व्यक्तियों को दिया गया :—

सेनापानी गेम रिजर्व

अक्तूबर, 1981

श्री राधो प्रताप सिंह, पो0 शिबहारा, जिला बिजनौर ।

नवम्बर, 1981

लाटरी के आधार पर सेनापानी गेम रिजर्व श्री मुशीर असगर, 5-ए, जौपलिंग रोड, लखनऊ के नाम से आरक्षित हुआ था परन्तु इन्होंने शिकार नहीं खेलना चाहा और फीस जमा नहीं की। इससे प्रकार गेम रिजर्व खाली हो गया और इस खाली गेम रिजर्व में शिकार का परमिट प्राप्त करने के लिए श्री नवील अहमद खान, 119 गन्ना स्ट्रीट, अमीनाबाद, लखनऊ ने आवेदन पत्र दिया और शिकार नियमों के अनुसार प्रथम आगमन प्रथम प्राप्ति के आधार पर उन्हें शिकार परमिट दिया गया।

दिसम्बर, 1981

श्री विवेक भरत राम, 3/15, शान्ति निकेतन, नई दिल्ली।

वेलपानी गेम रिजर्व--

अक्तूबर, 1981

श्री अहमद उल्ला खान, बिलासपुर, रामपुर।

नवम्बर, 1981

श्री कबीर अहमद, एस0 डी0 ओ0 (फारेस्ट), टनकपुर।

दिसम्बर, 1981

श्री खालिद मियां, 125, ख्यालीगंज, लखनऊ।

जौलासाल गेम रिजर्व--

अक्तूबर, 1981

श्री मंशूर अली खान, मोहल्ला-बजौरिया तला, पी0 एस0 गंज, रामपुर।

नवम्बर, 1981

श्री ए0 एच0 अफरोश, सेन्थटिक एन्ड केमिकल लि0, बरेली।

दिसम्बर, 1981

श्री अविनाश चन्द्र कोहली, एफ-4, आनन्द निकेतन, नई दिल्ली।

चकाता गेम रिजर्व--

अक्तूबर, 1981

मेजर मोहम्मद खान द्वारा-नवाब गौहर मियां, बाजार संदाल खान, जिला बरेली।

नवम्बर, 1981

श्री एल0 एम0 थापड़, 40, रतेन्द्र रोड, नई दिल्ली।

दिसम्बर, 1981

श्रीमती बिनी श्रीवास्तव, पी0 ओ0 ज्वालानगर, रामपुर।

तराई सेन्ट्रल फारेस्ट डिवीजन के भाकरा गेम रिजर्व का शिकार का परमिट हेतु आवेदन-पत्र तथा स्वीकृति किये गये परमिट

20--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या वन मंत्री उन व्यक्तियों के नाम, पते सहित बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने माह अक्तूबर, 1981 से मई, 1982 के लिए तराई सेन्ट्रल फारस्ट डिवीजन के भाकरा गेम रिजर्व का शिकार परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दिए थ तथा उपरोक्त माह के लिए इन ब्लाकों का शिकार परमिट क्रमशः किसे-किसे दिया गया ?

श्री संजय सिंह--

माह अक्तूबर, 1981 से मई, 1982 के लिए तराई केन्द्रीय फारेस्ट डिवीजन के भाकड़ा गेम रिजर्व का शिकार परमिट प्राप्त करने के निम्नलिखित व्यक्तियों के आवेदन-पत्र नियमानुसार सही पाये गए और स्वीकार किए गए--

अक्तूबर, 1981

1--श्री ओम प्रकाश सिंह, सरोज भवन, स्टेशन रोड, मुरादाबाद ।

2--श्री मेजर मोहम्मद फारुख खान द्वारा-नवाब गौहर मियां, बाजार सन्दाल खान, जिला बरेली ।

नवम्बर, 1981

1--श्री जान अनूप रौलस्टन, सेन्टपाल स्कूल, काठगोदाम, जिला नैनीताल ।

2--श्री जयदीप सिंह बरार, ग्राम-स्वालेपुर, पो0-बिलासपुर, जिला-रामपुर ।

3--श्री राकेश मोहन, रौकी बिला, मोहन मीकिन रोड, लखनऊ ।

4--श्री परवीन शमीम, बी-4, जे0 रोड, महानगर, लखनऊ ।

दिसम्बर, 1981

1--श्री राकेश मोहन, रौकी बिला, मोहन मीकिन रोड, लखनऊ ।

2--श्री ए0 एम0 शाह द्वारा-नवाबजादा एन0 ए0 खान, नवाब विकर अहमद खान रोड, जिला-बरेली ।

3--श्री नवाबजादा नवाब अहमद खान, नवाब विकर अहमद खान रोड, जिला-बरेली ।

4--श्री जयदीप सिंह बरार, ग्राम-स्वालेपुर, पो0-बिलासपुर जिला रामपुर ।

5--श्री प्रफुल्ल रंजन सिंह बरार, ग्राम-स्वालेपुर, पो0-बिलासपुर, जिला-रामपुर ।

6--श्री जान अनूप रौलस्टन, सेन्ट पाल स्कूल, काठगोदाम, जिला नैनीताल ।

7--श्री अब्दुल जलील, नियर रफतपुरा मोहल्ला-मुरादाबाद ।

8—श्री चमनलाल, कन्ट्रैक्टर, कालाढुंगी रोड, हल्द्वानी ।

9—श्री प्रवीर कुमार बधई, बधई इंजीनियरिंग सर्विस, हल्द्वानी, जिला—नैनीताल ।

10—श्री मोहम्मद खालिद मियां, 125, ख्यालीगंज, लखनऊ ।

11—श्री हरभजन सिंह मांडला, 704, चर्च मिशन रोड, फतेहपुर, दिल्ली ।

12—श्री मशूद रजा खान, कट्कुयां, रामपुर ।

जनवरी, 1982

1—श्री बी0 डी0 माथुर, 2-ह्वाइट हाउस गार्डन्स, 17, अलीपुर रोड, कलकत्ता ।

2—श्री बी0 के0 सिन्हा, एफ0 एफ0-2/बी0 रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ ।

3—श्री सैयद मोहम्मद अशरफ जैदी, मोहल्ला बजरिया, जरीफ, रामपुर ।

4—श्री महकपाल सिंह, 3346, बैंक स्ट्रीट, करोलबाग, नई दिल्ली ।

5—श्री नवाबजादा एन0 ए0 खान, नवाब विकर अहमद खान रोड, जिला बरेली ।

6—श्री एम0 ए0 फारूकी, बाजार दिनी कबर, दिल्ली ।

7—श्री अब्दुल जलील, न्यू एवरेस्ट वाच हाउस, शाही मस्जिद, मुरादाबाद ।

फरवरी, 1982

1—श्री मोहम्मद उस्मान, नायब बीड़ी फैक्टरी, लालवाला, मुरादाबाद ।

2—श्री मोहम्मद यूसुफ, 7405, कसबपुरा, एस0 बी0 दिल्ली ।

3—श्री अर्जुन सिंह, 4/ए, पराग नारायण रोड, लखनऊ ।

4—श्री सर्वजीत सिंह मांडला, 704, चर्च मिशन रोड, फतेहपुरी, दिल्ली ।

5—श्री मोहम्मद मुस्लिम सिद्दीकी, 10, शिबली रोड, अलीगढ़ ।

6—श्री एम0 शमशुल हसन खान, शेरपुर, पीलीभीत ।

7—श्री अब्दुल जलील द्वारा न्यू एवरेस्ट वाच कम्पनी, शाही मस्जिद, मुरादाबाद ।

मार्च, 1982

1—श्री मोहम्मद शमशुल हसन खान, पो0-शेरपुर, पीलीभीत ।

2—श्री महेन्द्र पाल बतरा, 14/48, जी0 बी0 पन्त मार्ग, हल्द्वानी ।

3—श्री जब्बार अहमद खान, चमन सराय, पो0-सम्भल, जिला-मुरादाबाद ।

4—श्री सर्वजीत सिंह मांडला, 704, चर्च मिशन रोड, फतेहपुरी, दिल्ली ।

5—श्री मोहम्मद रफी खान, राजा खालिद खान रोड, शाहजहांपुर ।

6—श्री सैयद मोइन उद्दीन अहमद, मो0 सरयान, रामपुर ।

7—श्री मोहम्मद उमर चौधरी, ग्राम व पो0-बंठ, जिला-गाजियाबाद ।

अप्रैल, 1982

1—श्री संजय सिंह, सरोज भवन, स्टेशन रोड, मुरादाबाद ।

2—श्री अहसान रजा खान, खावड़ी अनवाल, पो0-बिलौर, मुरादाबाद ।

3—श्री प्रवीर कुमार बघई, बघई इंजीनियरिंग सर्विस, हल्द्वानी ।

4—श्री जब्बार अहमद खान, चमन सराय, सम्भल, जिला-मुरादाबाद ।

5—श्री मोहम्मद अशरफ जैद, बजरिया मुल्ला जरीफ, रामपुर ।

6—श्री विजय सिंह, सरोज टाकीज, मुरादाबाद ।

7—श्री मोहम्मद उस्मान, नायब बीड़ी फैक्ट्री, लालबाग, मुरादाबाद ।

मई, 1982

1—श्री सैय्यद अशरफ जैदी, बजरिया मुल्ला जरीफ, रामपुर ।

2—श्री सर्वजीत सिंह मांडला, 704, चर्च मिशन रोड, फतेहपुरी, दिल्ली ।

3—डा0 जे0 बागची, पो0-धामपुर, धामपुर ।

4—श्री आर0 डी0 फैन्थम, नियर हेड पोस्ट आफिस, सर्विस लाइन्स, मुराद बाद ।

5—श्री ख्वाजा मेहदी निजामी, 71, दरगाह हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली ।

6—श्री अहसान रजा, पो0—बिलौरी, मुरादाबाद ।

7—श्री महेन्द्र पाल बतरा, बतरा आटो स्टोर, हल्द्वानी ।

8—श्री अफसर अली खान, साहूकारा बिलासपुर, रामपुर ।

माह अक्टूबर, 1981 से मई, 1982 तक भाखड़ा गेम रिजर्व का परमिट निम्नलिखित व्यक्तियों को दिया गया :—

अक्टूबर, 1981

1—श्री ओम प्रकाश सिंह, सरोज भवन, स्टेशन रोड, मुरादाबाद ।

नवम्बर, 1981

लाटरी के अनुसार गेम रिजर्व का आरक्षण श्री राकेश मोहन, रौकी बिला, मोहन मीकिन रोड, लखनऊ के नाम किया गया परन्तु इन्होंने शिकार नहीं करना चाहा तथा शूटिंग फीस जमा नहीं की इस प्रकार गेम रिजर्व खाली माना गया । गेम रिजर्व खाली होने पर इसमें शिकार का परमिट प्राप्त करने के लिए श्री परवेज शमीम, बी-4 जे रोड, महानगर, इक्सटेंसन, लखनऊ ने आवेदन पत्र दिया और शिकार नियमों के अनुसार प्रथम आगमन प्रथम प्राप्ति के आधार पर गेम रिजर्व में शिकार करने का परमिट श्री परवेज शमीम के नाम दिया गया ।

दिसम्बर, 1981

श्री जौन अनूप रौलस्टन, सेन्टपाल स्कूल, काठगोदाम, जिला नैनीताल ।

जनवरी, 1982

श्री बी0 के0 सिन्हा, एफ-2/बी रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ ।

फरवरी, 1982

श्री अर्जुन सिंह, 4-ए, पराग नरायण रोड, लखनऊ।

मार्च, 1982

लाटरी के आधार पर गेम रिजर्व का आरक्षण श्री महेन्द्र पाल बतरा, 14/48, जी0 बी0 पन्त मार्ग, हल्द्वानी के नाम हुआ । लेकिन इनके द्वारा शूटिंग फीस नहीं भेजी गई और शिकार परमिट जारी नहीं किया गया इस प्रकार गेम रिजर्व खाली रहा ।

अप्रैल, 1982

श्री मोहम्मद उस्मान, नायब बीड़ी फैक्टरी, लालबाग, मुरादाबाद ।

मई, 1982

श्री सैयद अशरफ जैदी, बजरिया मुल्ला जरीफ, रामपुर ।

तराई ईस्ट फारेस्ट डिवीजन के बाराकोली गेम रिजर्व का शिकार का परमिट हेतु आवेदन-पत्र

21--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या वन मन्त्री क्रमशः उन व्यक्तियों के नाम पते सहित बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने माह अक्तूबर, 1981 से मई, 1982 के लिए तराई ईस्ट फारेस्ट डिवीजन के बाराकोली गेम रिजर्व का शिकार का परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दिए थे तथा उपरोक्त माह के लिए इन ब्लाकों का शिकार परमिट क्रमशः किसे-किसे दिया गया ?

श्री संजय सिंह--

माह अक्टूबर, 1981 से मई, 1982 के लिए तराई ईस्ट फारेस्ट डिवीजन के बाराकोली गेम रिजर्व का शिकार परमिट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों के आवेदन-पत्र नियमानुसार सही पाए गए और स्वीकार किए गए ।

अक्टूबर, 1981

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

नवम्बर, 1981

श्री नेत्र राणा, 2-ए रोड, महाराणा बाग, नई दिल्ली ।

दिसम्बर, 1981

1--श्री हसीब अहमद खान, करीमबाग, रहे राजा, रामपुर ।

2--श्री जयदीप सिंह बरार, ग्राम स्वालेपुर, पो0 बिलासपुर, जिला रामपुर ।

3--श्री प्रफुल्ल रंजन सिंह बरार, ग्राम स्वालेपुर, पो0 बिलासपुर, जिला रामपुर ।

4--श्री असगर अहमद, पो0 किच्छा, जिला नैनीताल ।

5--श्री दीप चन्द्र आनन्द, ए-35, बसन्त मार्ग, बसन्त विहार, नई दिल्ली ।

6--श्री मूखोन्द्र सिंह, जी-1, महारानी बाग, नई दिल्ली ।

7--श्री मोहम्मद खालिद मियां, 185, ख्य लोंज, लखनऊ ।

8--श्री एम0 एम0 नासिर रहे रजा, रामपुर ।

9--श्री मशूद रजा खान, कटकुवां, रामपुर ।

जनवरी, 1982

1--श्री अर्जुन सिंह, 4/ए, प्रयाग नारायण रोड, लखनऊ ।

2--श्री बी0 डी0 माथुर, 2 ह्वाइट हाउस मार्डन, 17, अलीपुर रोड, कलकत्ता ।

3--श्री बी0 के0 सिन्हा, एफ0 2/बी रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ ।

4--श्री देवेन्द्र सिंह, 3346, बैंक स्ट्रीट, करोलबाग, नई दिल्ली ।

5--श्री महक पाल सिंह, 3346 बैंक स्ट्रीट, करोलबाग, नई दिल्ली ।

6--श्री बफा-उल रहमान, ग्राम टांडा, हुरमतनगर, बिलासपुर, रामपुर ।

7--श्री अब्दुल, बदूद खान, मोहल्ला रजागंज नियर गुरुद्वारा, पूरनपुर, जिला पीलीभीत ।

8--श्री नबाबजादा एन0 ए0 खान, नवाब बिकर अहमद खान रोड, जिला बरेली ।

9--श्री मसूद रजा खान, कटकुवां, रामपुर ।

10--श्री मोहम्मद ताहिर, 272, भूरेखान, पीलीभीत ।

फरवरी, 1982

1--श्री एम0 एम0 नासिर रहे रजा, सिविल लाइन्स, रामपुर ।

2--श्री मोहम्मद युसुफ, 7405, टसमपुरा, एस0 बी0 दिल्ली ।

3--श्री अर्जुन सिंह, 4-ए, प्रयाग नरायण रोड, लखनऊ ।

4--श्री कमल कुमार सिंह, बी-19, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली ।

5--श्री सर्वजीत मांडला, 704, चर्च मिशन रोड, फतेहपुरी, नई दिल्ली ।

6--श्री एम0 शमशुल हसन खान, हरपुर, पीलीभीत ।

मार्च, 1982

1--श्री मोहम्मद शयाल हसन खान, पो0 शेरपुर, पीलीभीत ।

2--श्री खानजादा मशूद शाह खान, बाबर हाउस, रामपुर ।

3--श्री प्रवीर कुमार बनर्जी, 15, एलगिन रोड, इलाहाबाद ।

4--श्री अशगर अहमद, अवामे अहमद, तिलक मार्ग, लखनऊ ।

5--श्री सर्वजीत सिंह मांडला, 704, चर्च मिशन रोड, फतेहपुरी, दिल्ली ।

अप्रैल, 1982

1--श्री जियाउल्ला खान, 165, मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, पीलीभीत ।

2--श्री प्रवीर कुमार बधई, बधई इंजीनियरिंग सर्विस, हल्द्वानी ।

3--श्री अल्ला रहीन, द्वारा मुजामिल उल्ला खान, झंडा शहीद, अमरोहा ।

4--श्री जब्बार अहमद खान, चमन सराय, सम्भल, जिला मुरादाबाद ।

5--श्री मोहम्मद याकूब अली खान, मार्डन मोटर एन्ड ट्रेक्टर नियर रोडवेज स्टेशन, रामपुर ।

6--श्री विजय सिंह, सरोज टाकीज, मुरादाबाद ।

मई, 1982

1--श्री अफसर अली खान, साहूकारा, बिलासपुर, रामपुर ।

माह अक्तूबर, 1981 से मई, 1982 तक बाराकोली गेम रिजर्व का शिकार परमिट निम्नलिखित व्यक्तियों को दिया गया ।

अक्तूबर, 1981

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त न होने के कारण गेम रिजर्व खाली रहा।

नवम्बर, 1981

श्री नेत्र राणा, 2-ए रोड, महारानीबाग, नई दिल्ली ।

दिसम्बर, 1981

श्री दीप चन्द आनन्द, ए-35, बसन्त मार्ग, वसन्त बिहार, नई दिल्ली।

जनवरी, 1982

श्री नवाबजादा एन0 ए0 खान, नाबाब विकर अहमद, खानरोड, किला बरेली।

फरवरी, 1982

श्री कमल कुमार सिंह, बी-91, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली।

मार्च, 1982

श्री अशगर अहमद, आवामें अहमद, तिलक मार्ग, लखनऊ।

अप्रैल, 1982

श्री प्रवीर कुमार बधई, बधई इंजीनियरिंग सर्विस, हल्द्वानी, नैनीताल।

मई, 1982

लाटरी के आधार पर गेम रिजर्व का आरक्षण श्री अफसर अली खान, साहूकारा, बिलासपुर के नाम से हुआ था परन्तु इन्होंने शिकार परमिट नहीं लिया तथा गेम रिजर्व खाली हो गया। गेम रिजर्व के खाली होने पर इस का शिकार का परमिट प्राप्त करने के लिए श्री यूसुफ रजा खान घेर सरफुद्दीन कटकुयां रामपुर ने आवेदन-पत्र दिया और शिकार नियमों के अनुसार प्रथम आगमन प्रथम प्राप्ति के आधार पर गेम रिजर्व में शिकार का परमिट श्री यूसुफ रजा खान को दिया गया।

जिला गढ़वाल के कोटद्वार एवं कोठरी (दक्षिण) गेम रिजर्व का शिकार का परमिट हेतु आवेदन-पत्र तथा स्वीकृत किये गये परमिट

22--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या वन मन्त्री उन व्यक्तियों के नाम पते सहित बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने माह अक्तूबर, 1981 से मई, 1982 के लिए लैन्स डाउन फारेस्ट डिवीजन लैन्स डाउन, जिला गढ़वाल के कोटद्वार एवं कोठरी (दक्षिण) गेम रिजर्व का शिकार परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दिए थे तथा उरोक्त माह के लिए इन ब्लाकों का शिकार परमिट क्रमशः किसे-किसे दिया गया ?

श्री संजय सिंह--

माह अक्तूबर, 1981 से मई, 1982 के लिए लैन्सडाउन फारेस्ट डिवीजन लैन्सडाउन जिला गढ़वाल से कोटद्वार एवं कोठरी (दक्षिणी) गेम रिजर्व का शिकार परमिट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र दिए थे :

कोटद्वार गेम रिजर्व अक्तूबर, 1981

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

नवम्बर, 1981

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

दिसम्बर, 1981

श्री जयदीप सिंह बरार, ग्राम स्वालेपुर, पो० बिलासपुर, जिला रामपुर।

जनवरी, 1982

1--श्री प्रीतम सिंह, म० नं० 8081, खैरिया मोहल्ला, रोशनारा रोड, दिल्ली।

2--डा० आर० एस० मान, सदर बाजार, फिरोजपुर, कैन्ट, पंजाब।

फरवरी, 1982

श्री के० एस० जैसवाल, 148, सुन्दर नगर, नई दिल्ली।

मार्च, 1982

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

अप्रैल, 1982

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

कोठरी (दक्षिणी) गेम रिजर्व अक्तूबर, 1981

ब्रिगेडियर आगा नेक मोहम्मद खान, पाकिस्तान दूतावास, नई दिल्ली।

नवम्बर, 1981

1--श्री मोहम्मद अहमद, 164, सबुनग्रान, मेरठ।

2--श्री जमील उद्दीन सिद्दीकी, मोहल्ला कुरेशी अमरोहा, जिला मुरादाबाद।

दिसम्बर, 1981

1--श्री हाकिम मोहम्मद फारूकी, किदई सेफाखाना, मेन मार्केट, मुरादनगर, गाजियाबाद।

2--श्री मजहर सईद, नादिर अली एण्ड कम्पनी, मेरठ।

3--श्री के० सी० आनन्द, 138-बी गोल्फ लिंक, नई दिल्ली।

4--श्री एम० एम० थापड़, थापड़ हाउस, 124, जनपथ, नई दिल्ली।

5--श्री महमूद अहमद, म० नं० 164, सबुनग्रान, मेरठ।

जनवरी, 1982

1--डा० बी० बी० माथुर, 61, सुखदेव बिहार, नई दिल्ली।

2--डा० आर० एस० मान, सदर बाजार, फिरोजपुर कैन्ट, पंजाब।

3--श्री प्रीतम सिंह, म० नं० 8081, खैरिया मोहल्ला, रोशनारा रोड, दिल्ली-7।

4--श्री महमूद अहमद, म० नं० 164, सबुनग्रान, मेरठ।

5--ले० कर्नल लेअन टी० हन्ट, ए-47, बसन्त मार्ग, बसन्त बिहार, नई दिल्ली।

6--मेजर शिलेश जंग, सेक्रेटरी शिकार एण्ड फिशिंग क्लब, बंगाल, इंजीनियर ग्रुप एण्ड सेंटर, रुड़की।

फरवरी, 1982

1--श्री के० एस० जैसवाल, 148, सुन्दरनगर, नई दिल्ली।

2--श्री डा० विश्वजीत चौधरी, बी-59, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली।

3--श्री मोहम्मद यूनुस अली सिद्दीकी, प्रिन्सिपल, एम0 एस0 इन्टर कालेज, नगीना, बिजनौर।

4--श्री राजेन्द्र पाल सिंह, ग्राम व पो0 हरगनपुर, बिजनौर।

5--कर्नल लापारा परे, फ्रान्स दूतावास, 2, औरंगजेब रोड, नई दिल्ली।

6--श्री शफीक अहमद, मोहल्ला अकबरन, नगीना।

मार्च, 1982

1--डा0 बी0 बी0 माथुर, 61, सुखदेव बिहार, नई दिल्ली।

2--श्री फरीद ए0 सिद्दीकी, डी-5/2, बसन्त बिहार, नई दिल्ली।

3--श्री जी0 एस0 पुरी, 152/4, राजपुर रोड, देहरादून।

4--मेजर गौतम दत्त, सेक्रेटरी शिकार एण्ड फिशिंग क्लब, बंगला, इंजीनियर ग्रुप एण्ड सेन्टर, रुड़की।

अप्रैल, 1982

1--डा0 विश्वजीत चौधरी, बी-59, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली।

2--श्री मोहम्मद अहमद खान, पिलूहल टोला, सहारनपुर।

3--श्री साजिद इस्लाम खान, म0 नं0 315, इस्माइल नगर, मेरठ।

4--श्री तेजपाल सिंह, ग्राम व पो0 हरगनपुर, जिला बिजनौर।

5--श्री अजय वंश नारायण, ग्राम व पो0, असवाला, हापुड़।

6--श्री आर0 सी0 गुप्ता, पो0 विक्रमजीत, वाया शंकरपुर, हरैय्या, बस्ती।

7--श्री मकबूल अहमद, सबुनग्रान, मेरठ सिटी।

मई, 1982

1--श्री एम0 इकबाल अहमद, आर्म्स एण्ड एमयुनिशन डीलर, बाजारगंज, मुरादाबाद।

2--श्री एम0 ए0 सिद्दीकी, काजी सराय, नगीना, जिला बिजनौर।

3--श्री मो0 युनुस अली सिद्दीकी, अकबरन स्ट्रीट, नगीना।

4--श्री मंजुरुल हसन, लेक्चरर गवर्नमेन्ट इन्टर कालेज, बिजनौर।

5--श्री मजहर शहीद, नादिर अली एण्ड कम्पनी, मेरठ।

6--श्री ख्वाजा मेहदी निजमी, 71 दरगाह हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली।

7--डा0 बी0 चौधरी बी-59 डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली।

उपरोक्त माह के लिए इन ब्लाकों का शिकार परमिट निम्नलिखित व्यक्तियों को दिया गया :—

कोटद्वार गेम रिजर्व—अक्तूबर, 1981

शूटिंग ड्रा हेतु कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ अतएव गेम रिजर्व खाली रहा। गेम रिजर्व के खाली रहने पर इसमें शिकार परमिट प्राप्त करने हेतु श्री राजेन्द्र पाल सिंह, ग्राम व पो0 हरगनपुर, जिला बिजनौर ने आवेदन-पत्र दिया तथा शिकार नियमों के अनुसार प्रथम आगमन प्रथम प्राप्ति के आधार पर शिकार पर परमिट श्री राजेन्द्र पाल सिंह को दिया गया।

नवम्बर, 1981

शूटिंग ड्रा हेतु कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ अतएव गेम रिजर्व खाली रहा। गेम रिजर्व के खाली रहने पर इसमें शिकार का परमिट प्राप्त करने हेतु श्री खालिद इस्लाम खान, ग्राम व पो0 शाहजहांपुर, जिला मेरठ ने आवेदन-पत्र दिया तथा शिकार नियमों के अनुसार प्रथम आगमन प्रथम प्राप्ति के आधार पर शिकार परमिट श्री खालिद इस्लाम खान को दिया गया।

दिसम्बर, 1981

श्री जयवीर सिंह बरार, ग्राम स्वालेपुर, पो0-बिलासपुर, जिला रामपुर।

जनवरी, 1982

डा0 आर0 एस0 मान, सदर बाजार, फिरोजपुर कैंट, पंजाब।

फरवरी, 1982

श्री के0 एस0 जैसवाल, 147 सुन्दर नगर, नई दिल्ली को आरक्षित किया गया था परन्तु इन्होंने शूटिंग फीस जमा नहीं की और गेम रिजर्व खाली रहा।

मार्च, 1982

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। गेम रिजर्व खाली रहा।

अप्रैल, 1982

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। गेम रिजर्व खाली रहा।

मई, 1982

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अतएव गेम रिजर्व खाली रहा।

कोठरी (दक्षिणी) गेम रिजर्व अक्तूबर, 1981

ब्रिगेडियर आगा नेक मोहम्मद खान पाकिस्तान इम्बैसी, नई दिल्ली को आरक्षित हुआ लेकिन इन्होंने शूटिंग फीस जमा नहीं की और गेम रिजर्व खाली रहा।

नवम्बर, 1981

श्री जमील उद्दीन सिद्दीकी, मोहल्ला-कुरेशी, अमरोहा, जिला-मुरादाबाद।

दिसम्बर, 1981

श्री एम0 एम0 थापड़, थापड़ हाउस, 124 जनपद, नई दिल्ली ।

जनवरी, 1982

लाटरी के आधार पर गेम रिजर्व का आरक्षण डा0 बी0 बी0 माथुर, 61, सुखदेव बिहार, नई दिल्ली के नाम पर हुआ परन्तु इन्होंने शूटिंग फीस जमा नहीं की और गेम रिजर्व खाली रहा ।

फरवरी, 1982

श्री राजेन्द्र पाल सिंह, ग्राम व पो0 हरगनपुर, जिला बिजनौर को शिकार परमिट दिया गया । परन्तु अभिलेखों के देखने पर ज्ञात हुआ कि श्री राजेन्द्र पाल सिंह को पहले ही माह अक्तूबर, 1981 के लिए लैन्स डाउन वन प्रभाग के कोटद्वार गेम रिजर्व में शिकार का परमिट मिल चुका है । अतएव इनका परमिट निरस्त कर दिया गया ।

मार्च, 1982

श्री जी0 एस0 पुरी, 152/4, राजपुर रोड, देहरादून ।

अप्रैल, 1982

श्री साजिद इस्लाम खान, मकान नं0 315 इस्माइलनगर, मेरठ ।

मई, 1982

लाटरी के आधार पर गेम रिजर्व का आरक्षण श्री एम0 इकबाल अहमद आर्मस एन्ड एम्यूनिशन डीलर बाजारगंज मुरादाबाद के नाम से हुआ था परन्तु इनके द्वारा शिकार परमिट फीस जमा नहीं की गयी और गेम रिजर्व खाली रहा ।

बिजनौर फारेस्ट डिवीजन, कोटद्वार के कोडिया एवं मोहनवाली गेम रिजर्व का शिकार का परमिट हेतु आवेदन-पत्र

23--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या वन मन्त्री क्रमशः उन व्यक्तियों के नाम पते सहित बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने माह अक्तूबर, 1981 से मई, 1982 के लिए बिजनौर फारेस्ट डिवीजन, कोटद्वार के कोड़िया एवं मोहनवाली गेम रिजर्व का शिकार परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दिए थे, उपरोक्त माह के लिए उन ब्लाकों का शिकार परमिट क्रमशः किसे-किसे दिया गया ?

श्री संजय सिंह--

माह अक्तूबर, 1981 से मई, 1982 के लिए बिजनौर फारेस्ट डिवीजन कोटद्वार के कौड़िया एवं मोहनवाली गेम रिजर्व का शिकार परमिट प्राप्त करने के लिए क्रमशः निम्नलिखित व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र दिये थे :--

(1) कौड़िया गेम रिजर्व-माह अक्तूबर. 1981,

1--ब्रिगेडियर आगा नेक मोहम्मद खान पाकिस्तान दूतावास नई दिल्ली ।

माह नवम्बर, 1981

शूटिंग ड्रा के लिए किसी का आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ अस्तु गेम रिजर्व ड्रा के समय खाली रहा ।

माह दिसम्बर, 1981

1--श्री प्रफुल्ल, रंजन सिंह बरार, ग्राम स्वालेपुर, पो0 विलासपुर, रामपुर ।

2--श्री सुरेन्द्र लाल, 124-जनपद, थापड़ हाउस, नई दिल्ली ।

माह जनवरी, 1982

1--डा0 बी0 बी0 माथुर, 61-सुखदेव बिहार, नई दिल्ली ।

2--कमरुज जमान, मोहल्ला पठानपुरा, नजीबाबाद ।

3--ले0 कर्नल लियोन टी0 हन्ट, ए-4, बसन्त मार्ग, बसन्त बिहार, नई दिल्ली ।

4--श्री अब्दुल रऊफ, 2239, नया मोहल्ला, कासिम जान स्ट्रीट, दिल्ली-6 ।

माह फरवरी, 1982

1--श्री कमरुज जमान, मोहल्ला पठान पुरा, नजीबाबाद ।

माह मार्च, 1982

1--श्री फरीद ए सिद्दीकी, डी 5/2 बसन्त बिहार, नई दिल्ली ।

माह अप्रैल, 1982

1--श्री इकराम-उल-हक, मोहल्ला-विसातयन, नजीबाबाद ।

2--श्री मोहम्मद अख्तर खान, अजमल खान रोड, नजीबाबाद ।

3--श्री साजिद अहमद खान, बी-2, बी-101, जनकपुरी, नई दिल्ली ।

4--श्री मरधब जान, दारूदग्रीन, नजीबाबाद ।

माह मई, 1982

1--श्री साबिद अहमद खान, 2097 अहाल कालिया साहब, वाली मरन दिल्ली ।

2--डा0 बी0 चौधरी, बी-59 डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली ।

(2) मोहनवाली गेम रिजर्व, माह अक्तूबर, 1981

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

माह नवम्बर, 1981

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

माह दिसम्बर, 1981

हाकिम मोहम्मद फारूकी किदवई शफाखाना, मेन मार्केट, मुरादनगर, जिला गाजियाबाद ।

माह जनवरी, 1982

श्री अब्दुल रऊफ, 2239 नया मोहाल, कासिम जानस्ट्रीट, दिल्ली-6

माह फरवरी, 1982

श्री मंजरुल हसन, लेक्चरर राजकीय इन्टर कालेज, बिजनौर ।

माह मार्च, 1982 एवं अप्रैल, 1982

कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

माह मई, 1982

कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

माह अक्टूबर, 1981 से मई, 1982 तक कौड़िया गेम रिजर्व में शिकार का परमिट क्रमशः निम्नलिखित व्यक्तियों को दिये गये :--

कौड़िया गेम रिजर्व माह अक्टूबर, 1981

ब्रिगेडियर आगा नेक मोहम्मद खान, पाकिस्तान दूतावास, नई दिल्ली ।

माह नवम्बर, 1981

शूटिंग ड्रा में समय कोई आवेदन पत्र प्राप्त न होने के कारण ब्लाक खाली रहा तथा खाली ब्लाक के लिए डा0 वीरेन्द्र पी0 कासिवा, 44 लालकुर्ती बाजार, मेरठ ने आवेदन पत्र दिया और नियमानुसार प्रथम आगमन प्रथम प्राप्ति के आधार पर डा0 कासिवा को शिकार परमिट दिया गया ।

माह दिसम्बर, 1981

श्री सुरेन्द्र लाल, 124 जनपथ पापड़ हाउस, नई दिल्ली ।

माह जनवरी, 1982

लाटरी के आधार पर कौडिया गेम रिजर्व डा0 बी0 बी0 माथुर, 61 सुखदेव बिहार, नई दिल्ली के नाम आरक्षित हुआ था परन्तु उन्होंने इसे छोड़ दिया और इस प्रकार खाली गेम रिजर्व में शिकार करने का परमिट नियमानुसार प्रथम आगमन प्रथम प्राप्ति के अनुसार श्री राबर्ट ए0 बुश, एपले 9/6 बसन्त बिहार, नई दिल्ली को दिया गया ।

माह फरवरी, 1982

श्री कमरुज जमान, मोहल्ला-पाठानपुरा, नजीबाबाद ।

माह मार्च, 1982

श्री फरीद ए सिद्दीकी, डी 5/2, बसन्त बिहार, नई दिल्ली ।

माह अप्रैल, 1982

श्री मोहम्मद अख्तर खान, अजमल खान रोड, नजीबाबाद ।

माह मई, 1182

डा0 बी0 चौधरी, बी 59, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली ।

माह अक्टूबर, 1981 से मई, 1982 तक मोहनवाली गेम रिजर्व में शिकार का परमिट क्रमशः निम्नलिखित व्यक्तियों को दिया गया ।

मोहनवाली गेम रिजर्व—माह अक्टूबर, 1981

कोई आवेदन पत्र प्राप्त न होने के कारण किसी को परमिट नहीं दिया गया । गेम रिजर्व खाली रहा ।

नवम्बर, 1981

कोई आवेदन पत्र प्राप्त न होने के कारण किसी को परमिट नहीं दिया गया । गेम रिजर्व खाली रहा ।

दिसम्बर, 1981

हाकिम मोहम्मद फारूकी, फिदवई शफाखाना, मेन मार्केट, मुरादनगर जिला गाजियाबाद ।

जनवरी, 1982

श्री अब्दुल रऊफ, 2239 नया मोहल्ला, कासिम खान स्ट्रीट, दिल्ली, 6 ।

फरवरी, 1982

श्री मंजरुल हसन, लेक्चरर, राजकीय इन्टर कालेज, बिजनौर, परन्तु इन्होंने परमिट फीस नहीं भेजी अस्तु गेम रिजर्व खाली रहा ।

मार्च, 1982

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त न होने के कारण गेम रिजर्व खाली रहा ।

अप्रैल, 1982

शूटिंग हेतु कोई आवेदन-पत्र प्राप्त न होने के कारण गेम रिजर्व खाली रहा । गेम रिजर्व के खाली होने के बाद श्री साजिद अहमद खान, बी-2-101 जनकपुरी, नई दिल्ली ने शिकार का परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिया और नियमानुसार प्रथम आगमन प्रथम प्राप्ति के आधार पर शिकार का परमिट श्री साजिद अहमद खान को दिया गया ।

माह मई, 1982

शूटिंग ड्रा हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त न होने के कारण गेम रिजर्व खाली रहा गेम रिजर्व के खाली होने के बाद श्री मंजूरुल हसन, लेक्चरर, राजकीय इन्टर कालेज, बिजनौर से शिकार का परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिया था और नियमानुसार प्रथम आगमन प्रथम प्राप्ति के आधार पर शिकार का परमिट श्री मजूरुल हसन को दिया गया ।

ईस्ट देहरादून फारेस्ट डिवीजन, देहरादून के झाबरा वाला एवं गोलातापड़ गेम रिजर्व का शिकार पर मिट प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

24—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या वन मंत्री क्रमशः उन व्यक्तियों के नाम पते सहित बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने माह अक्तूबर, 1981 से मई, 1982 तक में ईस्ट देहरादून फारेस्ट डिवीजन, देहरादून के झाबरा वाला एवं गोलतापुर गेम रिजर्व का शिकार परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दिए थे तथा उपरोक्त माह के लिए लाटरी के आधार पर इन ब्लाकों का शिकार परमिट क्रमशः किसे-किसे दिया गया ?

श्री संजय सिंह--

ईस्ट देहरादून फारेस्ट डिवीजन देहरादून में गोलतापुर नाम का कोई गेम रिजर्व नहीं है वरन् गोला ताप्पड़ है। माह अक्टूबर, 1981 से मई, 1982 में ईस्ट देहरादून फारेस्ट डिवीजन के झाबरावाला एवं गोला ताप्पड़ गेम रिजर्व का शिकार परमिट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र दिये थे झाबर वाला गेम रिजर्व :--

अक्टूबर, 1981

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

नवम्बर, 1981

कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

दिसम्बर, 1981

1--श्री राकेश मोहन, रैंको विला मोहन मीकिन लिमिटेड, लखनऊ।

2--श्री इ0 पी0 जकारिया, 51/6, राजपुर रोड, देहरादून।

3--श्री ले0 क0 जसवन्त सिंह, न0--10 वेस्ट इन्ड, नई दिल्ली।

जनवरी, 1982

1--श्री इन्द्र पी0 चौधरी, विवेश 45 दि माल, दिल्ली--7।

2--श्री प्रीतम सिंह म0 नं0 8081 खैरिया मोहला, रोशनारा रोड, दिल्ली।

--श्री इ0 पी0 जकरिया, 51/2, राजपुर रोड, देहरादून।

3

4--श्री मेजर शिलेश जंग, सेक्रेटरी, शिकार एन्ड फिशिंग क्लब, बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एन्ड सेन्टर, रुड़की।

फरवरी, 1982

1--श्री कमल प्रसाद, 8-बी लक्ष्मी रोड, देहरादून।

2--श्री हरकृष्ण सिंह, द्वारा मानो इन्टर प्राइजेज फारेस्ट लोज, कालेज रोड, पठानकोट।

3--श्री मेजर जनरल रनवीर बक्शी, 8-कालीदाब रोड, देहरादून।

4--श्री बलीन्द्र सिंह बेदी, एस-285 पंचशील पार्क, नई दिल्ली।

5--श्री टी0 डी0 भटनागर, 30 धोसीगली, देहरादून।

6--श्री मुशीर हुसैन, सीनियर डिप्टी डाइरेक्टर, ओ0 एस0 जी0 सी0 8ए/11 स्टेट बैंक कालोनी, मोहनी रोड, देहरादून।

मार्च, 1982

1--डा0 बी0 बी0 माथुर, 61 सुखदेव बिहार, नई दिल्ली।

2--डा0 जे0 बागची, पो0 धामपुर, धामपुर।

3—श्री टी० डी० भटनागर, 30 धोशीगली, देहरादून ।

4—श्री मुजामिल उल्ला खान, झंडी शहीद, अमरोहा ।

5—मेजर गौगल दत्त, सेक्रेटरी, शिकार एन्ड फिशिंग क्लब, बंगाल इंजीनियरिंग ग्रूप एन्ड सेन्टर, रुड़की ।

अप्रैल, 1982

1—श्री मुनीदेव त्यागी, द्वारा बसन्त वाटिका, पो० शिवहारा, जिला बिजनौर ।

2—श्री रमेश कुमार सिंह, 172 विन्दोल रोड, देहरादून ।

3—कर्नल जी० एस० सोथी, 10 सरकुलर रोड, देहरादून ।

4—श्री विजय सिंह, सरोज टाकीज, मुरादाबाद ।

मई, 1982

1—डा० के० बागची, पो० धामपुर, धामपुर ।

गोलातप्पड़ गेम रिजर्व—

अक्तूबर व नवम्बर 1981

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ ।

दिसम्बर, 1981

1—श्री शमशूल अहमद, ग्राम व पो० बुलन्दशहर, जिला सहारनपुर ।

2—श्री ई० पी० जकरिया, 51-बी राजपुर रोड, देहरादून ।

3—श्री मजहर शईद, नादिर अली एन्ड कम्पनी, मेरठ ।

4—श्री बलजीत सिंह सेठी, सेठी आटो मोबाइल, रेलवे रोड, ज्वालापुर ।

5—मेजर जोगेन्द्र सिंह, 108 विजय कालोनी, देहरादून ।

6—ले० कर्नल वी० वीरमानी, सी० डब्लू० ई०, देहरादून ।

7—ले० जनरल जसवीर सिंह, सी० डब्लू० ई०, देहरादून ।

जनवरी, 1982

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

फरवरी, 1982

श्री मुशीर हुसैन, सीनियर डिप्टी डाइरेक्टर, ओ० एन० जी० सी०, 8-ए/11 स्टेट बैंक कालोनी, मोहनी रोड, देहरादून ।

मार्च, 1982

1—श्री इन्द्र, पी० चौधरी, 'विवेक' 45 दि माल, नई दिल्ली ।

2—कर्नल एस० सी० सब्बरवाल, ई-1/5 बसन्त बिहार, नई दिल्ली

अप्रैल, 1982

1--श्री एस0 पी0 सिंह, डी--19 पंचशील इनक्लेव, नई दिल्ली ।

2--श्री साजिद इस्लाम खान, 315 इस्लामनगर, मेरठ ।

3--श्री मंजूर उल इस्लाम, साही चबूतरा, अमरोहा ।

4--श्री विजय सिंह, सरोज टाकीज, मुरादाबाद ।

5--श्री अजयवंश नारायण सिंह, ग्राम व पो0 असौड़ा, हापुड़ ।

मई, 1982

1--डा0 जे0 बागची, पो0 आ0 धामपुर, जिला बिजनौर ।

2--श्री मजहर सईद, नादिर अली एन्ड कम्पनी, मेरठ ।

उपरोक्त माह के लिए लाटरी के आधार पर इन ब्लाकों का शिकार परमिट निम्नलिखित व्यक्तियों को दिया गया--

झाबरवाला गेम रिजर्व--

अक्तूबर, 1981

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ और कोई शिकार परमिट नहीं दिया गया ।

नवम्बर, 1981

शूटिंग ड्रा हेतु कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ, गेम रिजर्व के खाली रहने पर इसमें शिकार परमिट प्राप्त करने के लिए श्री जे0 सी0 सूद, चेतावनी भवन, देहरादून ने आवेदन-पत्र दिया और शिकार नियमों के अनुसार प्रथम आगमन प्रथम प्राप्ति के आधार पर शिकार परमिट उन्हें दिया गया ।

दिसम्बर, 1981

लाटरी के आधार पर गेम रिजर्व का आरक्षण श्री राकेश मोहन, रौकीविला मोहन मीकिंग लि0, लखनऊ के नाम से हुआ परन्तु इन्होंने शिकार नहीं खेलना चाहा और इस प्रकार गेम रिजर्व खाली हो गया । गेम रिजर्व के खाली होने पर इसमें शिकार परमिट प्राप्त करने के लिए श्री राशिद जमशेद, खुर्शीद मंजिल मेरठ ने आवेदन--पत्र दिया । शिकार नियमों के अनुसार प्रथम आगमन प्रथम प्राप्ति के आधार पर उन्हें शिकार परमिट दिया गया ।

जनवरी, 1982

श्री प्रीतम सिंह, म0 नं0 808, खरिया मोहल्ला, रोशनारा रोड, दिल्ली ।

फरवरी, 1982

श्री हरिकृष्ण सिंह, द्वारा मानी इन्टर प्राइजेज, फारेस्ट लीज कालेज, पठानकोट ।

मार्च, 1982

श्री टी0 डी0 भटनागर, 30 धोशीगली, देहरादून ।

अप्रैल, 1982

श्री मुनीदेव त्यागी, द्वारा बसन्त, पो0 सिवहारा, जिला बिजनौर ।

मई, 1982

डा0 जे0 बागची, पो0 धामपुर, जिला बिजनौर ।

गोलातप्पड़, गेम रिजर्व --

अक्तूबर, 1981

शूटिंग ड्रा हेतु कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ । अतएव गेम रिजर्व खाली रहा । इसमें शिकार का परमिट प्राप्त करने के लिए श्री विमल देव शर्मा, अमृतधारा फार्मेसी (प्र0) लिमिटेड राजपुर रोड, देहरादून ने आवेदन-पत्र दिया और शिकार नियमों के अनुसार प्रथम आगमन प्रथम प्राप्ति के आधार पर उन्हें शिकार परमिट दिया गया ।

नवम्बर, 1981

शूटिंग ड्रा हेतु कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ अतएव गेम रिजर्व खाली रहा । इसमें शिकार का परमिट प्राप्त करने के लिए श्री जी0 के0 एस0 मान, 17 चन्द्र रोड, देहरादून से आवेदन-पत्र दिया और शिकार नियमों के अनुसार प्रथम आगमन प्रथम प्राप्ति के आधार पर उन्हें शिकार परमिट दिया गया ।

दिसम्बर, 1981

मेजर जोगेन्द्र सिंह, 108 विजय कालोनी, देहरादून ।

जनवरी, 1982

शूटिंग ड्रा हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ अतएव गेम रिजर्व खाली रहा । इसमें शिकार का परमिट प्राप्त करने के लिये श्री रविकान्त डांग, 1, गोडफाई मैनशन, एस0 ई0 रेलवे, माडर्न रोड, कलकत्ता ने आवेदन-पत्र दिया और शिकार परमिट श्री रविकांत डांग को दिया गया ।

फरवरी, 1982

श्री मुशीर हुसैन, 8-ए/5, स्टेट बैंक कालोनी, मोहनी रोड, देहरादून ।

मार्च, 1982

कर्नल एस0 सी0 सब्बरवाल, ई-1/5 बसन्त बिहार, नई दिल्ली ।

अप्रैल, 1982

लाटरी के आधार पर गेम रिजर्व का आरक्षण श्री मंजूर उल-इस्लाम साही चबूतरा, अमरोहा के नाम पर हुआ परन्तु इन्होंने शिकार परमिट नहीं लिया । इस प्रकार गेम रिजर्व खाली हो गया । इसमें शिकार का परमिट प्राप्त करने के लिए श्री अल्ला रहीम सिविल जज मेरठ ने आवेदन पत्र दिया और शिकार

नियमों के अनुसार प्रथम आगमन प्रथम प्राप्ति के आधार पर शिकार परमिट उन्हें दिया गया ।

मई, 1982

श्री मजहर सईद, नादिर अली एन्ड कम्पनी, मेरठ।

बेल्ट देहरादून के तिमली पूर्व तथा मल्हान गेम रिजर्व का शिकार परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र

25- श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या वन मन्त्री उन व्यक्तियों के नाम पते सहित बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने अक्तूबर, 1981 से मई, 1982 में वेस्ट देहरादून फारेस्ट डिवीजन, देहरादून के झावरा, तिमली पूर्व तथा मलहान गेम रिजर्व का शिकार का परमिट प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र दिए थे तथा उपरोक्त माह के लिए इन ब्लाकों का शिकार परमिट क्रमशः किसे-किसे दिया गया ?

श्री संजय सिंह--

वेस्ट देहरादून फारेस्ट डिवीजन देहरादून में झावरा नाम से कोई गेम रिजर्व नहीं है। माह अक्तूबर, 1981 से मई 1982 में वेस्ट देहरादून फारेस्ट डिवीजन देहरादून के तिमली पूर्व तथा मल्हान गेम रिजर्व का शिकार परमिट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों ने आवेदन पत्र दिए थे :

तिमली पूर्व गेम रिजर्व--

अक्तूबर, 1981

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

नवम्बर, 1981

कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

दिसम्बर, 1981

1--हाजी शमशाद अहमद, ग्राम व पो० बुलन्दशहर, जिला सहारनपुर।

2--श्री राकेश मोहन, राकी बिल्डिंग, मोहन मोकिन, लखनऊ ।

3--श्री जसवन्त सिंह, बी-19, वेस्ट एन्ड, नई दिल्ली ।

जनवरी, 1982

1--श्री ए० एस० तालिबुद्दीन, पाइन उड--स्कूल मिशन कम्पाउन्ड, देहरादून ।

2--श्री राव अब्दुल वहाब खान, हिरनमरन स्ट्रीट, सहारनपुर।

3--श्री डा० आर० एस० मान, सदर बाजार, फिरोजपुर कैंट, पंजाब ।

4--श्री सिलेश जंग, सेक्रेटरी शिकार एन्ड फिशिंग क्लब बंगाल इंजीनियर ग्रुप एन्ड सेन्टर रुड़की ।

फरवरी, 1982

1--कैप्टन के0 जे0 एस0 औवराय, आई0 एम0 ए0, देहरादून ।

2--श्री हरकृष्ण सिंह, द्वारा मनी इन्टर प्राइज, फारेस्ट लीज कालेज रोड, पठानकोट ।

3--श्री इकबाल मोहम्मद खान, 210 वेस्ट एन्ड रोड, मेरठ ।

मार्च, 1982

1--चौधरी मसूद अहमद, ग्राम व पो0 बुधाखेडा, सहारनपुर।

2--श्री राव अब्दुल वहाब, हिरन-मरन स्ट्रीट, सहारनपुर।

3--श्री सर्वजीत सिंह मांडला, 704 चर्च मिशन रोड फतेहपुरी, नई दिल्ली ।

4--डाक्टर एन0 शिराल्ड, 12-ए, अमृतशेर गिल मार्ग, नई दिल्ली।

5--मेजर गौतम दत्त, सेक्रेटरी शिकार एन्ड फिशिंग क्लब बंगाल, इंजीनियर ग्रुप एन्ड सेन्टर रुडकी।

अप्रैल, 1982

1--श्री साजिद इस्लाम खान, म0 नं0--315 इस्माइल नगर, मेरठ।

2--श्री जी0 सी0 जे0 गोवर्धन, आई0 एम0 ए0, देहरादून।

3--श्री जी0सी0 गोविन्द साहिल, आई0 एम0 ए0, देहरादून।

4--श्री जी0सी0 कुल प्रीत सिंह, आई0 एम0 ए0, देहरादून।

5--श्री कर्नल जी0 एस0 सोधी, 10 सरकुलर रोड, देहरादून।

6--श्री अजय वंश नारायण सिंह, ग्राम व पोस्ट, असौड़ा, हापुड़, जिला गाजियाबाद ।

मई, 1982

1--जी0सी0 जे0 गोवर्धन, आई0 एम0 ए0, देहरादून ।

2--जी0सी0 कुलप्रीतम सिंह, आई0 एम0 ए0, देहरादून ।

3--श्री सर्वजीत सिंह मांडला, 704 चर्च मिशन रोड, फतेहपुरी, नई, दिल्ली ।

मल्हान गेम रिजर्व--

अक्तूबर, 1981

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

नवम्बर, 1981

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

दिसम्बर, 1981

3—श्री जसवन्त सिंह, बी-10, वेस्ट एन्ड, नई दिल्ली ।

जनवरी, 1982

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

फरवरी, 1982

1—जी0 सी0 विनीत वाटिया, आई0 एम0 ए0, देहरादून ।

2—श्री पलीन्द्र सिंह वेदी, एस-285 पंचशील पार्क, नई दिल्ली ।

मार्च, 1982

1—श्री नरेन्द्र सिंह सूद, ए—21, ललित पार्क मोदीपुरम, मेरठ ।

2—श्री बी0 एम0 लाल, 77 सुन्दरनगर, नई दिल्ली ।

3—श्री सर्वजीत सिंह माडला, 704 चर्च मिशनरोड, फतेहपुरी, नई दिल्ली ।

अप्रैल, 1982

1—कैप्टेन जी0 एस0 ढिल्लन, 124, जोरबाग, नई दिल्ली ।

2—जी0सी0 पी0 एस0 रहलन, आई0 एम0 ए0, देहरादून ।

3—श्री रमेश कुमार सिंह, 192 विन्दला रोड, देहरादून ।

मई, 1982

कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

उपरोक्त माह के लिए इन ब्लाकों को शिकार परमिट निम्नलिखित व्यक्तियों को दिया गया :

गेम रिजर्व तिमली पूर्व—

अक्तूबर, 1981

कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ अतएव गेम रिजर्व खाली रहा तथा किसी को परमिट नहीं दिया गया ।

नवम्बर, 1981

शूटिंग ड्रा हेतु कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ । अतएव गेम रिजर्व खाली रहा । गेम रिजर्व शिकार का परमिट प्राप्त करने के लिए श्री विक्रम कपूर 86-87, मौडल टाउन, सोनीपत हरियाणा ने आवेदन-पत्र दिया तथा शिकार नियमों के अनुसार प्रथम आगमन प्रथम प्राप्ति के आधार पर शिकार परमिट श्री विक्रम कपूर को दिया गया ।

दिसम्बर, 1981

श्री हाजी शमशाद अहमद, ग्राम व पोस्ट, बुलन्दशहर, जिला सहारनपुर ।

जनवरी, 1982

लाटरी के आधार पर गेम रिजर्व का आरक्षण श्री ए0 एस0 तालिबुद्दीन, पाइन उड स्कूल मिशन कम्पाउन्ड देहरादून के नाम से हुआ परन्तु इन्होंने शूटिंग परमिट प्राप्त नहीं किया और गेम रिजर्व खाली रहा ।

फरवरी, 1982

श्री इकबाल मोहम्मद खान, 210 वेस्ट एन्ड रोड, मेरठ।

मार्च, 1982

डा0 एन0 शिवाल्ड, 12-ए अमृत शेरगिल मार्ग, नई दिल्ली ।

अप्रैल, 1982

कर्नल जी0 एस0 सोंधी, 10 सरकुलर रोड, देहरादून ।

मई, 1982

श्री सर्वजीत सिंह मांडला, 704 चर्च मिशन रोड, फतेहपुरी, नई दिल्ली।

गेम रिजर्व मल्हान--

अक्तूबर, 1981

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ अतः गेम रिजर्व खाली रहा ।

नवम्बर, 1981

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ अतः गेम रिजर्व खाली रहा ।

दिसम्बर, 1981

श्री जसवन्त सिंह, बी-10 वेस्ट इन्ड, नई दिल्ली ।

जनवरी, 1982

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ अतः गेम रिजर्व खाली रहा ।

फरवरी, 1982

लाटरी के आधार पर गेम रिजर्व का आरक्षण श्री पलान्द्र सिंह बेदी के नाम से हुआ परन्तु इन्होंने शिकार परमिट फीस नहीं भेजी, अतः गेम रिजर्व खाली रहा ।

मार्च, 1982

श्री बी0 एम0 लाल, 77 सुन्दर नगर, नई दिल्ली ।

अप्रैल, 1982

कैप्टेन जी0 एस0 ढिल्लन, 124 जोरबाग, नई दिल्ली ।

मई, 1982

कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ अतः गेम रिजर्व खाली रहा ।

शिवालिक फारेस्ट डिवीजन, देहरादून के सकरोदा गेम रिजर्व का शिकार का परमिट हेतु आवेदन-पत्र

26--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या वन मन्त्री उन व्यक्तियों के नाम पते सहित बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने माह अक्तूबर, 1981 से मई, 1982 के लिए शिवालिक फारेस्ट डिवीजन, देहरादून के सकरोदा गेम रिजर्व का शिकार का परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दिए थे तथा उपरोक्त माह के लिए इन ब्लाकों का परमिट किसे-किसे दिया गया था ?

श्री संजय सिंह --

माह अक्तूबर, 1981 से मई, 1982 के लिए शिवालिक फारेस्ट डिवीजन देहरादून के सकरोदा गेम रिजर्व का शिकार का परमिट प्राप्त करने हेतु निम्न-लिखित व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र दिए थे--

अक्तूबर, 1981

शूटिंग ड्रा हेतु कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

नवम्बर, 1981

शूटिंग ड्रा हेतु कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

दिसम्बर, 1981

श्री बलजीत सिंह सेठी, सेठी आटोमोबाइल्स, रेलवे रोड, जबलपुर ।

जनवरी, 1982

1--राव अब्दुल वहाब खान, हिरन मस स्ट्रीट, सहारनपुर ।

2--चौधरी नरधूब अहमद, ग्राम व पोस्ट बुद्धाखेड़ा, जिला सहारनपुर ।

2--श्री एम0 एम0 सहगल, भारत पेट्रोलियम, कारपोरेशन, हरिद्वार ।

4--जर सलेस जंगमे, सेक्रेटरी, शिकार एण्ड फिशिंग क्लब, बंगाल इंजीनियर ग्रुप एण्ड सेन्टर, रुड़की ।

फरवरी, 1982

1--श्री हरकृष्ण सिंह, मैनी इन्टर प्राइजेज, फारेस्ट लोज कटेज रोड, पठानकोट ।

2--श्री पलेन्द्र सिंह बेदी, एस-285 पंचशील पार्क, नई दिल्ली ।

3--श्री पी0 आर0 एस0 ओबराय, ओबराय इन्टर नेशनल होटल, डा0 जाकिर हुसैन रोड, नई दिल्ली ।

मार्च, 1982

1--श्री आशिस दास गुप्ता, 1714 चितरंजन पार्क, नई दिल्ली ।

2--डा0 बी0 बी0 माथुर, 61 सुखदेव बिहार, नई दिल्ली ।

3--श्री नरेन्द्र सिंह सूद, ए-21 ललित पार्क, मोदीपुरम, मेरठ।

4--मेजर गौतम दत्त, सेक्रेटरी शिकार एन्ड फिशिंग क्लब, बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप एन्ड सेन्टर, रुड़की।

अप्रैल, 1982

1--श्री एस0 पी0 सिंह, डी-19 पंचशील इनक्लेव, नई दिल्ली।

2--श्री मो0 अहमद खान, पिलउहन टोला, जे0 बी0 एस0 कालेज के पीछे सहारनपुर।

मई, 1982

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

माह अक्तूबर, 1981 से माह मई, 1982 तक सकरोदा गेम रिजर्व में शिकार खेलने के परमिट क्रमशः निम्नलिखित व्यक्तियों को दिये गये--

अक्तूबर, 1981

शूटिंग ड्रा हेतु कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अतएव ब्लाक खाली रहा। ब्लाक के खाली होने पर शिकार का परमिट प्राप्त करने के लिए श्री सी0 ए0 डी0 सूजा, डी0-7 ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली ने आवेदन-पत्र दिया। शिकार नियमों के अनुसार प्रथम आगमन प्रथम प्राप्ति के आधार पर शिकार का परमिट श्री सी0 एस0 डी0 सूजा को दिया गया।

शूटिंग ड्रा हेतु कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ था तथा गेम रिजर्व खाली रहा। ब्लाक के खाली होने पर शिकार का परमिट प्राप्त करने के लिये श्री हरदेव सिंह, ई-1 महरानीबाग नई दिल्ली ने आवेदन-पत्र दिया। शिकार नियमों के अनुसार प्रथम आगमन प्रथम प्राप्ति के आधार पर शिकार परमिट श्री हरदेव सिंह को दिया गया।

दिसम्बर, 1981

श्री बलजीत सिंह सेठी, सेठी आटोमोबाइल्स, रेलवे रोड, ज्वालापुर।

जनवरी, 1982

श्री एम0 एम0 सहगल, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन, हरिद्वार।

फरवरी, 1982

श्री पी0 आर0 एस0 ओबराय, ओबराय इन्टर नेशनल होटल, डा0 जाकिर हुसैन रोड, नई दिल्ली।

मार्च, 1982

श्री नरेन्द्र सिंह सूद, ए-21 ललित पार्क, मोदीपुरम, मेरठ।

अप्रैल, 1982

श्री एस0 पी0 सिंह, डी-19 पंचशील इनक्लेव, नई दिल्ली।

मई, 1982

कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ तथा ब्लाक खाली रहा ।

विद्युत् परिषद् द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण पर व्यय

27--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा वर्ष 1977-78, 78-79, 79-80, 80-81 और 1981-82 में ग्रामीण विद्युतीकरण पर क्रमशः कितना धन व्यय किया गया और उपरोक्त वर्षों के राज्य विद्युत् परिषद् के बजट का वह क्रमशः कितना प्रतिशत है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

विद्युत् परिषद् द्वारा वर्ष 1977-78 से 1981-82 तक ग्रामीण विद्युतीकरण पर वार्षिक व्यय-पूंजीगत व्यय का कितना प्रतिशत है, उसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :

वर्ष	बजट पूंजीगत कार्यों के लिये	ग्रामीण विद्युतीकरण पर व्यय	बजट का प्रतिशत
	रु0	रु0	रु0
1977-78	25,888	2,439	9.42
1978-79	27,595	2,485	9.01
1979-80	26,055	3,301	12.67
1980-81	31,102	3,212	10.33
1981-82	31,020	3,844	12.39

जनपद बरेली तथा रामपुर ग्रामीण क्षेत्रों में 11,000 वोल्ट की स्वतंत्र फीडर लाइनें

28--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली एवं रामपुर में क्रमशः ग्रामीण क्षेत्र को बिजली सप्लाई देने के लिए 11,000 वोल्ट के कितनी-कितनी स्वतन्त्र फीडर लाइन है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जनपद बरेली तथा रामपुर में ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ने वाली चीनी मिलों, शीतगृहों, वायु सेना एवं रेलवे अधिष्ठानों आदि को बिजली सप्लाई के 11,000

बोल्ट के स्वतंत्र पोषक और ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली सप्लाई करने के 11,000 वोल्ट के क्रमशः निम्नलिखित फीडर हैं—

जनपद—बरेली

1—ग्रामीण फीडर	42
2—स्वतंत्र फीडर	5

जनपद—रामपुर

1—ग्रामीण फीडर	22
2—स्वतंत्र फीडर	5

वन विभाग के स्वामित्व में निहित क्षेत्रफल

29—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1981-82 में वन विभाग के स्वामित्व में उत्तर प्रदेश में कितना क्षेत्रफल निहित है ?

श्री संजय सिंह—

वर्ष 1981-82 में वन विभाग के स्वामित्व में 40,69,294 हेक्टर भूमि थी ।

मोटर वाहनों के चालकों को चेतावनी देने हेतु चेतावनी बोर्ड की व्यवस्था

30—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर-बिलास-रुद्रपुर मार्ग को चौड़ा करने के पश्चात् अब उस मार्ग पर बनी हुई पुलियों को चौड़ा करते समय इस मार्ग का प्रयोग करने वाले मोटर वाहनों के चालकों को चेतावनी देने हेतु क्या इन निर्माण स्थलों से समुचित दूरी पर समुचित आकार के चेतावनी बोर्ड लगाये गये हैं ? यदि नहीं, तो जनजीवन की सुरक्षा के लिए क्या मंत्री जी ऐसे बोर्ड तुरन्त लगवाने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

31—श्री जयदीप सिंह बरार—

[6ठे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 78 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

32—श्री जयदीप सिंह बरार—

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित]

33--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री जंग बहादुर तथा श्री प्रियदर्शी जेतली--

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न सख्या 74 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम गौरा, जिला फैजाबाद की भूमि पर निजी नलकूप का कनेक्शन विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

34--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र तथा श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 4-6-32 को ग्राम गौरा, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के किसी निवासी की दरखास्त तथा प्रश्नकर्ता का पत्र इस आशय के साथ विद्युत् अभियन्ता अकबरपुर, जिला फैजाबाद को प्राप्त हुआ था कि उक्त ग्राम समाज की भूमि पर किसी व्यक्ति ने नलकूप लगा लिया है जिस पर तहसील अकबरपुर में विभाग द्वारा 122-बी का वाद कायम किया है कि बिजली कनेक्शन उस नलकूप में न दिया जावे ? यदि हां, तो वह पत्र व प्रार्थना-पत्र क्या है उस पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ही दिनांक 4 जून, 1982 का पत्र अधिशासी अभियन्ता विद्युत् वितरण खण्ड, अकबरपुर को प्राप्त हुआ था जिसकी प्रति संलग्न है। उक्त पत्र पर राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा कार्यवाही की जानी सम्भव नहीं है। चूंकि प्रश्नगत निजी नलकूप का कनेक्शन माननीय सदस्य के पत्र दिनांक 4 जून, 1982 की प्राप्ति के पूर्व ही दिनांक 1 जून, 1982 को दिया जा चुका था।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 613 पर।)

35--श्री प्रियदर्शी जेतली--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

ग्राम नोखा, थाना समनपुर में पड़ी डकैती में अकबरपुर कताई मिल के अभियुक्तों के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

36- श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या मुख्य मंत्री शासन के अ0 शा0 प0 सं0 एम0 469/82-मो0-7 गोपन अनु-7, दिनांक 19-3-82 जो कि प्रश्नकर्ता को सम्बोधित थे, के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मामले की जांच की गई है ? यदि हां, तो सम्बन्धित जांच रिपोर्ट क्या है और अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां।

प्रश्नकर्ता के प्रार्थना-पत्र पर जांच कराई गई जांच से ज्ञात हुआ है कि ग्राम नोखा में थाना समनपुर में दिनांक 24-12-81 को पड़ी डकैती में अकबरपुर कताई मिल के जो अभियुक्त शरीक बताये गये हैं उनसे सम्बन्धित हाजिरी

रजिस्टर थाना रामपुर की पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। इस अभियोग में 7 अभियुक्त विवेचना के दौरान प्रकाश में आये थे जिसमें से 4 कार्यवाही शिनाख्त न होने के कारण रिहा किए गये, शेष 3 के विरुद्ध आरोप-पत्र भेजा जा चुका है जो न्यायालय के विचाराधीन है। जहां तक दिनांक 18-5-81 को अकबरपुर राज्य कताई मिल के हेतु हेड टाइम कीपर को गोली मार कर हत्या करने से सम्बन्धित अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न है, उक्त मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचनोपरान्त तीन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है।

नार्थ पीलीभीत फारेस्ट डिवीजन, जिला पीलीभीत खटीमा में गेम रिजर्व का शिकार परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र

37--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या वन मन्त्री उन व्यक्तियों के नाम पते सहित बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने माह मार्च, 1982 के लिए नार्थ पीलीभीत फारेस्ट डिवीजन, जिला पीलीभीत खटीमा गेम रिजर्व का शिकार का परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दिए थे ? उपरोक्त माह के लिए लाटरी के आधार पर इस ब्लाक का परमिट किसे दिया गया ?

श्री संजय सिंह--

माह मार्च, 1982 के लिये नार्थ पीलीभीत फारेस्ट डिवीजन, जिला पीलीभीत खटीमा गेम रिजर्व का शिकार परमिट प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र दिये थे--

1--श्री मोहम्मद रफी खान, राजा खलिल खान रोड, शाहजहांपुर।

2--चौधरी मोहम्मद उमर, ग्राम व पोस्ट वेट, जिला गाजियाबाद।

उपरोक्त माह के लिये लाटरी के आधार पर इस ब्लाक का परमिट श्री मोहम्मद रफी खान, राजा खलिल खान रोड, शाहजहांपुर को दिया गया।

श्री उदयराज सिंह, पशु चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हेरिंग्टन-गंज, फैजाबाद के विरुद्ध अनियमितताओं सम्बन्धी शिकायती-पत्र

38--श्री मित्रसेन--

क्या पशुधन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री उदयराज सिंह, पशु चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हेरिंग्टनगंज, फैजाबाद के विरुद्ध गम्भीर आर्थिक अनियमितताओं सम्बन्धी कोई शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता का उप पशु निदेशक, फैजाबाद को वर्ष 1981-82 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अनियमितताओं सम्बन्धी जांच रिपोर्ट क्या है तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह--

जी हां।

प्रारम्भिक जांच में सम्बन्धित पशुधन विकास अधिकारी द्वारा की गई निम्नलिखित अनियमिततायें प्रकाश में आई हैं--

(1) पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण का कार्य नहीं किया गया, कुछ पशुओं को यदि टीका लगाये भी गये तो वह स्वयं न लगाकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लगवाये ।

(2) टीकों के फर्जी अंकन करके तथा कम डोज लगाये ।

(3) बधियाकरण की निर्धारित फीस से अधिक फीस चार्ज करके धनोपार्जन करने तथा इससे विभाग की छवि धूमिल करने ।

(4) पशु चिकित्सालय के स्टाक में दवा उपलब्ध होते हुए भी पशुओं की चिकित्सा हेतु पशुपालकों को पर्चा लिखकर बाजार से दवा क्रय कराने तथा चिकित्सालय की दवाओं को बाजार में बेंचकर धनोपार्जन करने तथा मनमानी ढंग से कार्य करने ।

(5) पशु चिकित्सालय भवन को निजी प्रयोग में लाने तथा उसमें रहते हुए राजकीय कोष से किराया लेने ।

जिनके लिए विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही आदेशित कर दी गई है ।

श्री टी0 पी0 पाठक, अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के विरुद्ध आरोप

39--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज तथा अन्य क्षेत्रों में आई 1982 की बाढ़ में लापरवाही करने, राहत कार्य न करने के सन्दर्भ में श्री टी0 पी0 पाठक, ए0 डी0 एम0 (वित्त) के विरुद्ध शिकायत की सूचना तार द्वारा माह सितम्बर, 1982 में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां ।

जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा की गई जांचोपरान्त श्री टी0 पी0 पाठक, अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार पाये गये ।

विकास क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत आराजी भूपत पट्टी के नलकूप का ऊर्जीकरण

40--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत आराजी भूपतपट्टी का नलकूप विद्युत् आपूर्ति के अभाव में किसानों को सिंचाई हेतु पानी नहीं दे पा रहा है ? क्या सरकार विद्युत् आपूर्ति शीघ्र कराकर इस नलकूप को चालू कराएगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं ।

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र, जलालपुर के अन्तर्गत आराजी भूपतपट्टी का राजकीय नलकूप (95 कैरावत ग्रुप) का ऊर्जीकरण दिनांक 14 दिसम्बर, 1982 को किया जा चुका है ।

सामान्य प्रशासन अनुभाग के श्री विजय को पुरस्कृत किये जाने की मांग

41--डा0 शिवानन्द नौटियाल--

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, अल्मोड़ा ने अपने पत्र संख्या 264/पन्द्रह-46-80-81, दिनांक 13 अगस्त, 1981 द्वारा सामान्य प्रशासन अनुभाग से श्री विजय को, आदमखोर बाघ से बच्चों को बचाने के साहसिक कार्य के लिए जो पुरस्कार की सिफारिश की है, वह कब स्वीकार की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सिफारिश पर विचार किया गया किन्तु उसे स्वीकार किया जाना उपयुक्त नहीं पाया गया ।

जनपद पौड़ी में निर्माणाधीन सिद्धखाल-बीरोंखाल मोटर मार्ग हेतु स्वीकृत किये गये टेन्डर व निर्माण कार्य

42--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला पौड़ी-गढ़वाल में निर्माणाधीन मोटर मार्ग सिद्धखाल-बीरोंखाल के जाब नं0 35, 36, 38, 41, 43 तथा 44 से 60 तक पहले कम रेट पर टेन्डर स्वीकार किये गये और बाद में अधिशासी अभियन्ता ने इन ठेकेदारों को पुरानी जमानतें जब्त करके पुनः ऊंचे रेट पर किन कारणों से इन जाब के ठेके पुराने ठेकेदारों को न देकर दूसरों को दे दिये ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद पौड़ी में निर्माणाधीन सिद्धखाल-बीरोंखाल मोटर मार्ग के जाब नं0 36, 41, 44, 46, 48 तथा 60 में न्यूनतम दर वाले ठेकेदार अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने हेतु उपस्थित नहीं हुए अतः नियमानुसार इनकी जमानत जब्त करके निविदाएं निरस्त कर दी गई । जाब संख्या 43, 47, 49 तथा 50 पर ठेकेदारों ने अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किये परन्तु बाद में कार्य अधूरा छोड़ दिया । अतः नियमानुसार अनुबन्ध का 10 प्रतिशत जुर्माना करके अनुबन्ध निरस्त कर दिये गये । उपरोक्त जाबों के लिए निविदाएं पुनः आमंत्रित करके कार्य निम्नतम दरों पर स्वीकृत किये गये । केवल जाब नं0 46 में प्रथम न्यूनतम निविदा दर के ठेकेदार के द्वारा अनुबन्ध पर हस्ताक्षर न किये जाने के कारण द्वितीय निविदा दरों वाले ठेकेदार को कार्य स्वीकृत किया गया ।

जाब नं0 35, 38, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 एवं 59 में कार्य मूल ठेकेदारों से उनकी न्यूनतम निविदा दरों पर कराया गया ।

श्री डी0 बी0 मिश्रा, तत्कालीन थानाध्यक्ष, जनपद बुलन्दशहर के विरूद्ध आरोप

43--श्री किरनपाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री बी0 बी0 मिश्रा थानाध्यक्ष, अनूपशहर के विरूद्ध श्री रतन लाल जैन निवासी अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर के शिकायती-पत्र पर 16-3-82 को तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक ने एन्टी-करेप्सेन सेल द्वारा इन्क्वायरी के आदेश निर्गत किए थे ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर उक्त थानाध्यक्ष के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत जांच के आदेश श्री रतन चन्द्र जैन के परिवाद पत्र पर श्री डी0 बी0 मिश्रा, तत्कालीन थानाध्यक्ष अनूपशहर के विरूद्ध हुए थे । जांच से उनके विरूद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुए अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

चिकित्सा अनुभाग-12 के अनुभाग अधिकारी का स्थानान्तरण

44--श्री किरनपाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि सचिवालय प्रशासन के अधीन कार्यरत स्वास्थ्य अनुभाग-12 के अनुभाग अधिकारी 4, 5 वर्ष में स्थानान्तरण की शासन की नीति के बावजूद 8, 9 वर्ष से एक ही पद एवं स्थान पर तैनात हैं तथा इनके विरुद्ध माह सितम्बर, 1981 में की गयी विधायकों की शिकायतों पर शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं ।

चिकित्सा अनुभाग-12 के वर्तमान अनुभाग अधिकारी 15 दिसम्बर, 1982 से कार्यरत हैं ।

श्री उत्तम चन्द गुप्ता, सहायक सुपरवाइजर विद्युत वितरण खंड बलिया के बकाये वेतन का भुगतान

45--श्री पंचानन राय--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्, वाराणसी के आदेश सं0 3074 सी जेड0 ई0 ब0 (कार्मिक) डी0 पी0 (3)/यू0 सी0 गुप्ता, दिनांक 30-11-81 के अनुसार श्री उत्तम चन्द गुप्ता, सहायक सुपरवाइजर, विद्युत् वितरण खंड, बलिया का बकाये वेतन का भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों और यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । प्रश्नगत बकाये वेतन का भुगतान कर दिया गया है ।

सूचना एवं मंत्रणा केन्द्रों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतनमान में कथित विसंगतियों हेतु ज्ञापन

46--श्री राम आसरे वर्मा, श्री राम आसरे पासवान तथा श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्रम विभाग तथा प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अधीनस्थ विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्रों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नियुक्त पुस्तकालयाध्यक्षों का संयुक्त ज्ञापन पुनरीक्षित वेतनमान के विसंगतियों के निवारण हेतु शासन को क्रमश; 12-7-82 एवं 5-8-82 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)--

जी हां । पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतनमान में हुई तथाकथित विसंगतियों के निवारणार्थ, यह प्रकरण शासन के वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग को संदर्भित किया गया है ।

47--श्री विजय सिंह--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

टांडा तापीय परियोजना के अधिकारियों के विरुद्ध गड़बड़ी व गोलमाल किए जाने की शिकायत

48--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम प्यारे सुमन महासंघ मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी (आई), फैजाबाद ने भूतपूर्व मुख्य मंत्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह को टांडा थर्मल प्रोजेक्ट में भारी गड़बड़ी व गोलमाल किए जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में माह जून, 1982 के पूर्व कोई पत्र लिखा था जिस पर माननीय मुख्य मंत्री द्वारा सतर्कता कोष्ठ द्वारा जांच के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो वह शिकायती पत्र क्या है और जांच की रिपोर्ट क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां, प्रश्नगत शिकायती-पत्र में टांडा तापीय परियोजना के अधिकारियों के विरुद्ध विभिन्न उपभोक्ताओं से साठ-गांठ करके अनियमित एवं निःशुल्क विद्युत सप्लाई, निजी ठेकेदार से बिना किसी कोटेशन आदि के विभिन्न फर्जी फर्मों के नाम मनमाना रेट देकर सप्लाई एवं वर्क आर्डर किए जाने और लाखों रुपये के गोलमाल की शिकायत की गई थी । सतर्कता कोष्ठ ने मामले की जांच करने पर कथित अनियमितताओं हेतु श्री राधा मोहन श्रीवास्तव, स्थानापन्न अधिशासी अभियन्ता के अतिरिक्त अन्य दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही करने हेतु अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् से संस्तुति की है ।

49-51--श्री प्रियदर्शी जेतली--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

ग्राम गौरा में गांव समाज की भूमि पर नलकूप कनेक्शन न दिये जाने हेतु पत्र

52--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जून, 1982 में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खंड, अकबरपुर को तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के ग्राम गौरा में गांव समाज की भूमि पर बोरिंग कराकर नलकूप कनेक्शन जो उक्त गांव के एक निवासी द्वारा मांगा जा रहा था न देने के लिए लिखा था तथा उपरोक्त के सम्बन्ध में क्या उपरोक्त अधिकारी को तहसीलदार, अकबरपुर का कोई पत्र जो 13-6-82 को लिखा गया था, भी प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो दोनों पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । प्रश्नगत निजी नलकूप का कनेक्शन संदर्भित विवाद पत्रों की प्राप्ति के पूर्व ही दिनांक 1 जून, 1982 को दिया जा चुका था । यह कनेक्शन खंड विकास अधिकारी द्वारा दिये गये बोरिंग सर्टीफिकेट तथा लेखपाल द्वारा प्रमाणित किए जाने कि बोरिंग सम्बन्धित व्यक्ति की निजी भूमि में है दिया गया । अतः विवाद पत्रों पर राज्य विद्युत परिषद् द्वारा कोई कार्यवाही की जानी सम्भव नहीं है ।

53--श्री प्रियदर्शी जेतली--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

विद्युत वितरण मंडल, बुलन्दशहर में लाइनमैन, अवर अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती-पत्र

54--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुलन्दशहर जिले के विद्युत वितरण मंडल में कितने लाइनमैन तथा अवर अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमित नियुक्ति तथा नियम के विरुद्ध प्रोन्नति की शिकायतें अधीक्षण अभियन्ता, बुलन्दशहर को 1 जनवरी से 31 जुलाई, 1982 के बीच मिला ? शिकायतों का संक्षिप्त ब्योरा क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फतेहगढ़ नगर में पुलिस द्वारा मार-पीट किए जाने के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

55--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 4-4-82 को फतेहगढ़ नगर में पुलिस द्वारा मारपीट किए जाने तथा अध्यक्ष, बाजार कमेटी एवं युवक की

मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र 29-5-82 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । प्राप्त सूचना के अनुसार जांचोपरान्त दोषी पाये गये पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

गाजियाबाद जिले में हत्याएं

56--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह अप्रैल, मई तथा जून, जुलाई, 1982 में गाजियाबाद जिले में कितनी हत्यायें माहवार हुईं ? तथा इन्हीं महीनों में वर्ष 1981 में क्या संख्या थी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

वर्ष 1982 के अप्रैल, मई, जून एवं जुलाई महीनों में जनपद गाजियाबाद में हत्या के क्रमशः 10, 9, 12 और 19 मामले दर्ज हुए वर्ष 1981 में यह संख्या क्रमशः 13, 11, 13 एवं 13 थी ।

वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों को रोजगार दिलाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

57--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री (सैनिक कल्याण) बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र 12-5-82 मैनपुरी के वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों को रोजगार दिलाये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां, प्राप्त हुआ है ।

मैनेजर, शुगर फैक्ट्री, सखौती टांडा, जिला मेरठ एवं जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, मैनपुरी ने यह सूचित किया है कि श्री राजा सिंह के पुत्र श्री रमेन्द्र सिंह को मैनेजर, शुगर फैक्ट्री, सखौती टांडा, जिला मेरठ ने सिक्योरिटी गार्ड के पद पर पुनर्नियुक्ति नहीं किया है ।

सीतापुर जिले में रामकोट--वजीरनगर मार्ग के निर्माण हेतु अध्याप्त की गयी भूमि तथा प्रतिकर का भुगतान

58--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले में रामकोट--वजीरनगर मार्ग बनाने में किन-किन काश्तकारों की जमीन अधिग्रहीत की गयी तथा उनमें से किस-किस को मुआवजा दे दिया गया है ? जिन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है उन्हें न देने का क्या कारण है तथा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद सीतापुर में रामकोट--वजीरनगर मार्ग के निर्माण हेतु पांच ग्रामों के 82 काश्तकारों की 7·60 एकड़ भूमि अध्याप्ति की गई थी, जिसमें से 2 ग्रामों (जवाहरपुर तथा रामकोट) की अधिग्रहीत की गई 6·12 एकड़ भूमि का मुआवजा सभी काश्तकारों को भुगतान कर दिया गया है। शेष 3 ग्रामों (पिपरी, अर्थाना तथा गाजीपुर) की अध्याप्ति की गई 1.48 एकड़ भूमि के प्रतिकर प्रपत्र तैयार होते ही समस्त काश्तकारों को प्रतिकर का भुगतान कर दिया जायेगा।

ग्राम अमोनों में विद्युतीकरण हेतु कार्यवाही

59--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित श्री बंशीलाल तथा ग्रामवासियों के हस्ताक्षरित पत्र संख्या 2378/1982, दिनांक 28-5-82 जिसमें ग्राम अमोनों में विद्युतीकरण करने के सम्बन्ध में लिखा है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शासन द्वारा अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां।

ग्राम अमोनों में विद्युत् कनेक्शन प्राप्त करने के लिये किसी भी व्यक्ति ने 25 रु0 अर्नेस्ट मनी के साथ प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है। अतः उक्त ग्राम का विद्युतीकरण किया जाना अभी सम्भव नहीं है।

जनपद फैजाबाद, विकास खंड मिल्कीपुर में 132 के0 वी0 विद्युत् उप केन्द्र का निर्माण करने का प्रस्ताव

60--श्री मित्रसेन--

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत विकास खंड, मिल्कीपुर में 132 के0 वी0 विद्युत् सब-स्टेशन का प्रस्ताव विगत दो वर्षों से विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में अभी तक प्रगति रिपोर्ट क्या है ? प्रस्तावित सब-स्टेशन कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत विकास खंड, मिल्कीपुर में 132/33 के0 वी0 विद्युत् उपकेन्द्र का निर्माण करने की स्वीकृति केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा जून, 1980 में प्रदान कर दी गई थी। उक्त उपकेन्द्र के लिये स्थल भूमि का चयन कर लिया गया है तथा तदनुसार भूमि अर्जन हेतु प्रस्ताव विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, फैजाबाद को भेज दिया गया है। उक्त विद्युत् उपकेन्द्र को मार्च, 1985 तक चालू कर दिये जाने की सम्भावना है।

जिला फैजाबाद के निवासी श्री उमा शंकर मस्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु

61—श्री मित्रसेन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री उमाशंकर मस्त, निवासी जनपद फैजाबाद की मृत्यु कब हुई और उनका दाह संस्कार राष्ट्रीय सम्मान के साथ किया गया ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से अधिकारी शामिल हुए और उसमें कितना व्यय हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जिला फैजाबाद के निवासी श्री उमा शंकर मस्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु दिनांक 8-5-1982 को हुई थी। जिला अधिकारी, फैजाबाद तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद ने स्वर्गीय श्री उमा शंकर के शव पर राज्य की ओर से माल्यार्पण किया था। इस सम्बन्ध में शासन की ओर से कोई खर्चा नहीं हुआ। वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में प्राविधान न होने के कारण स्व0 श्री उमा शंकर के आश्रितों को उनके दाह-संस्कार हेतु आर्थिक सहायता अभी प्रदान नहीं की जा सकी है।

लखनऊ में डायमन्ड डेरी स्कीम कालोनी, एम0 आई0 जी0 कालोनी, एम0 जी0 कालोनी, अलीगंज तथा लालबाग में आवासित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा देय गृह-कर

62—श्री मित्रसेन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ में डायमन्ड डेरी स्कीम कालोनी, एम0 आई0 जी0 कालोनी, एम0 जी0 कालोनी, अलीगंज तथा मल्टी स्टोरी कालोनी, लालबाग में निवास करने वाले कितने ऐसे अधिकारी/कर्मचारी हैं जो गृह-कर नहीं जमा कर रहे हैं ? क्या सरकार उनकी सूची सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

(क) लखनऊ में डायमन्ड डेरी स्कीम कालोनी एम0 आई0 जी0 कालोनी, एम0 जी0 कालोनी, अलीगंज तथा मल्टी स्टोरी कालोनी, लालबाग स्थित सरकारी आवास हैं। अतएव वहां निवास करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गृह-कर जमा करने का कोई प्रश्न नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

63—मित्रसेन—

[दिनांक 2-3-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 119 द्वारा उत्तरित।]

श्री बी0 के0 बंसल, अतिरिक्त परियोजना प्रबन्धक तथा आर0 के0 बंसल परियोजना प्रबन्धक, कुमारगंज, मुनिद, फैजाबाद के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

64--श्री मित्रसेन--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र श्री बी0 के0 बंसल, अतिरिक्त परियोजना प्रबन्धक तथा आर0 के0 बंसल, परियोजना प्रबन्धक, राजकीय निर्माण निगम, कुमार गंज, मुनिद, फैजाबाद के सम्बन्ध में दिनांक 8/9 दिसम्बर वर्ष 1981 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच किन मुद्दों पर करायी गई और कौन-कौन सी आर्थिक अनियमितताएं प्रकाश में आई हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रश्नकर्त्ता का 8/9 दिसम्बर, 1981 का कोई शिकायती-पत्र श्री बी0 के0 बंसल, अतिरिक्त परियोजना प्रबन्धक तथा आर0 के0 बंसल, परियोजना प्रबन्धक, कुमारगंज मुनिद, फैजाबाद के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुआ है । अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र, थाना कुमारगंज, जनपद फैजाबाद की हत्या की जांच

65--श्री मित्रसेन--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र भूतपूर्व सैनिक श्री नानक राज मिश्र के पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र, थाना कुमारगंज, जनपद फैजाबाद की हत्या के सम्बन्ध में दिनांक 2 दिसम्बर, 1981 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है । जांच जारी है ।

जी0 पी0 ओ0 पार्क में अवैध राज्य पुलिस कर्मचारी परिषद् के सदस्यों की गिरफ्तारी

66--श्री हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य पुलिस कर्मचारी परिषद्, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामन्त्री एवं दो कार्यकारिणी के सदस्यों को दिनांक 30 जनवरी, 1981 को जी0 पी0 ओ0 पार्क, लखनऊ में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? उन पर जुर्म क्या था तथा उनकी मांग क्या थी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

दिनांक 30 जनवरी, 1981 को जी0 पी0 ओ0 पार्क में अवैध राज्य पुलिस कर्मचारी परिषद् के सर्वश्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह, राम अशीष राय, राम वचन पांडेय, सुरेन्द्र सिंह व गुलाब चन्द्र शुक्ल को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। 30 जनवरी, 1981 को उक्त सभा धारा 144 सी0 आर0 पी0 सी0 के उल्लंघन में करने तथा उसमें पुलिस बल के जवानों को भड़काने सम्बन्धी भाषण देने के कारण उक्त लोगों को धारा 151/107/116 सी0 आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उनके विरुद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड विधान/17 क्रिमिनल ला एमेन्डमेन्ट एक्ट तथा 3 पुलिस इन्सटिटयूट टू डिस एफेक्शन ऐक्ट, 1922 के अन्तर्गत जुर्म थे। प्रश्नगत परिषद् एक अवैध संस्था है, अतः मांगों का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री तहज्जुद हुसैन, मेसर्स गंगेश्वर लिमिटेड, रामकोला की सेवा समाप्ति विषयक शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

67—श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री श्याम नारायन तिवारी—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें संस्थापक एवं महासचेतक, आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा के पत्र दिनांक 18 फरवरी, 1982 के क्रम में प्रश्नकर्त्ता (कुबेर भंडारी) का पत्र दिनांक 18/19-2-82 प्राप्त हुआ है, जिसमें सम्बन्धित श्रमिक (श्री तहज्जुद हुसैन) तथा रामकोला, जिला देवरिया तौल लिपिक मेसर्स गंगेश्वर चीनी मिल, रामकोला, जिला देवरिया को पत्रांक 4912, दि0 11 मार्च, 1977 को निलम्बित करके उसी दिनांक 11 मार्च, 1977 को पत्रांक 4923 द्वारा गंगेश्वर चीनी मिल लि0, रामकोला के तौल लिपिक पद से अलग कर दिये जाने की शिकायत है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी कृत कार्यवाही से सदन को अवगत कराकर निर्दोष कर्मचारी को न्याय दिलाने की घोषणा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां।

सम्बन्धित श्रमिक श्री तहज्जुद हुसैन मेसर्स गंगेश्वर लिमिटेड, रामकोला में सीजनल केन क्लार्क के पद पर नियोजित थे। श्री हुसैन को सीजन 1976-77 में नियोजकों ने गन्ना तौल की जाली पर्चियां बनाने के आरोप में दिनांक 11 मार्च, 1977 से नौकरी से निकाल दिया था। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित श्रमिक द्वारा उठाये गये सी0 पी0 विवाद को अभिनिर्णय हेतु श्रम न्यायालय को भेज दिया गया है।

वन विभाग को प्राप्त आय

68—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वन विभाग को वर्ष 1981-82 में कुल कितनी आय प्राप्त हुई और इस आय को बढ़ाने के लिए क्या कोई प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है और कब तक सरकार उन्हें कार्यान्वित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह--

वन विभाग को वर्ष 1981-82 में कुल 57,30,53,265 रु0 की आय प्राप्त हुई। इस आय को बढ़ाने के कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं हैं क्योंकि वन विभाग के राजस्व में तभी वृद्धि की जा सकती है जब पेड़ों का अधिकाधिक कटान किया जाय जो पर्यावरण, भू-संरक्षण तथा भू-स्खलन की दृष्टि से जनहित में नहीं है।

श्री माता प्रसाद श्रीवास्तव, कार्मिक अनुभाग, रेल प्रबन्धक कार्यालय, हजरतगंज, लखनऊ के जान-माल की सुरक्षा की मांग विषयक-पत्र

69--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि श्री माता प्रसाद श्रीवास्तव, कार्मिक अनुभाग मण्डल, रेल प्रबन्धक कार्यालय, उत्तर रेलवे, हजरतगंज, लखनऊ के जान माल की सुरक्षा के सम्बन्ध में संलग्न सहित प्रश्नकर्ता का कोई पत्र, दिनांक 26 अगस्त, 1982 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र का पूर्ण विवरण क्या है ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां।

उक्त प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी श्री माता प्रसाद श्रीवास्तव ने अपने पड़ोसी श्री देवीचरन श्रीवास्तव के विरुद्ध जानमाल के खतरे की आशंका व्यक्त की है तथा सुरक्षा की मांग की है। प्रार्थी को यह भी शिकायत है कि श्री देवी चरन श्रीवास्तव ने रंजिशन अपने लड़के की हत्या के मुकदमें में प्रार्थी व उसके पुत्र को झूठा फंसाया है।

मामले में कराई गई जांच से पाया गया कि प्रार्थी व विपक्षी देवी चरन श्रीवास्तव एक ही मकान में यहियांगंज, लखनऊ में रहते थे तथा उनके आपसी सम्बन्ध अच्छे नहीं थे। दिनांक 6 जून, 1982 को देवी चरन श्रीवास्तव के पुत्र श्री नवीन श्रीवास्तव को थाना बाजार खाला पुलिस द्वारा अ0 स0 242 धारा 25 आर्म्स ऐक्ट में गिरफ्तार किया गया था जिसकी 28 जून, 1982 को बलरामपुर अस्पताल में मृत्यु हो गई। श्री देवी चरन श्रीवास्तव ने पुलिस बाजार खाला के साथ साथ प्रार्थी के लड़के अरविन्द कुमार व उसके साथियों के विरुद्ध मु0 आ0 सं0 246 धारा 304 भा0 दं0 वि0 का दर्ज करवाया है जिसकी विवेचना विशेष अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है। चूंकि श्री देवी चरन श्रीवास्तव के पुत्र श्री नवीन कुमार श्रीवास्तव की मृत्यु पुलिस हिरासत में हुई है इसलिये इसमें कई पुलिस कर्मी निलम्बित किये गये हैं। घटना की मजिस्टीरियल जांच भी हो रही है।

प्रार्थी की सुरक्षा हेतु स्थानीय पुलिस द्वारा सम्भव कारवाई की गई है। प्रार्थी ने अक्तूबर, 1982 के पूर्व ही मकान छोड़ दिया है तथा वर्तमान समय में रेलवे कालोनी, चारबाग में सपरिवार निवास कर रहा है।

थाना जहांगीरगंज, जिला फैजाबाद की पुलिस के विरुद्ध आरोपों की जांच

70—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना जहांगीरगंज, जिला फैजाबाद की पुलिस के विरुद्ध हरिजनों को पीड़ित करने के सम्बन्ध में संलग्नक सहित प्रश्न-कर्ता का दिनांक 27 अगस्त, 82 का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त मामले की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराई गयी ? जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। मामले की जांच करायी गयी। जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप सत्यापित नहीं हुये। राम प्रसाद दुबे की हत्या के सम्बन्ध में थाना जहांगीरगंज में दिनांक 18-7-82 को एक अपराध सं0 141/82 धारा 141/148/149/302 भारतीय दण्ड विधान पंजीकृत हुआ पाया गया विवेचना से अपराध सिद्ध होने पर सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जा चुका है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अतः अब मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग से कराये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया जाता।

मेरठ नगर के विभिन्न मोहल्लों के दंगा-ग्रस्त क्षेत्रों में पी0 ए0 सी0 व बलवाइयों की गोली लगने से मृत्यु, मंत्रियों द्वारा दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा और गलत सूचना देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही

71—श्री मंजूर अहमद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1, 2, 3-10-82 को मेरठ नगर के थाना लिसाड़ी गेट, कोतवाली देहली गेट, रेलवे रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, थाना सदर, थाना लालकुर्ती व सिविल लाइन थानों के अन्तर्गत विभिन्न मोहल्लों के दंगा ग्रस्त क्षेत्रों में पी0 ए0 सी0 व बलवाइयों की गोली लगने से कितने व्यक्ति मारे गये और कितने व्यक्ति घायल हुए ? क्या यह भी सही है कि पी0 ए0 सी0 व बलवाइयों द्वारा विभिन्न मोहल्लों में चन्द घरों में घुसकर उनका सभी सामान, रुपया पैसा व जेवरात आदि लूट लिया गया और उनके घरों में आग भी लगा दी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति पकड़े गए ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार पी0 ए0 सी0 तथा बलवाइयों की गोली, चाकू आदि लगने से 17 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 22 पुलिस कर्मियों सहित कुल 33 व्यक्ति घायल हुए। पुलिस, पी0 ए0 सी0 व बलवाइयों द्वारा किसी के घर में घुसकर सामान आदि की लूट नहीं की गयी। बलवाइयों द्वारा आगजनी की छः घटनाएं की गयी। इस सम्बन्ध में 47 बलवाइयों को गिरफ्तार किया गया है।

72—श्री मंजूर अहमद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की दिनांक 7-9-82 से लेकर 4-10-82 तक मेरठ नगर के साम्प्रदायिक दंगों की जानकारी करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के कितने मन्त्रिगण गए ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्रश्नगत अवधि में आठ मंत्रिगण मेरठ गए ।

73--श्री मंजूर अहमद--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेरठ में दिनांक 10-9-82 को सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारी श्री मन्सूर अहमद के सरकारी आवास 49, ट्यूबवेल कालोनी, साकेत, मेरठ पर थाना सिविल लाइन की पुलिस द्वारा दबिश दी गयी थी ? क्या उक्त प्राप्त सूचना झूठी साबित हुई ? यदि हां, तो सूचना देने वाले के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

टेलीफोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति से प्रश्नगत आवास पर कुछ अराजक-तत्वों द्वारा दंगे को और भड़काये जाने के सम्बन्ध में की जा रही मीटिंग की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस कर्मी उक्त आवास पर गए, किन्तु आवास का ताला बन्द मिला ।

सूचना देने वाले के अज्ञात होने के कारण उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही सम्भव न हो सकी ।

पुलिस चौकी इन्चार्ज, सम्पूर्णा नगर, जनपद लखीमपुर खीरी के विरुद्ध पत्र पर कृत कार्यवाही

74--श्री गोपीनाथ बर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस चौकी इन्चार्ज, सम्पूर्णनगर, जनपद लखीमपुर खीरी के विरुद्ध भारत नेपाल सीमा पर भारत से शीरा, डीजल, गुड़, चावल, लोहा आदि तथा नेपाल से दूध, चरस, लकड़ी, विदेशी सामान आदि की तस्करी करने, गरीब खेतिहर मजदूरों के अनावश्यक उत्पीड़ित किये जाने, सभ्य व सुसंस्कृत व्यक्तियों को झूठे व मनगढ़त मामलों में फंसाकर अपमानित करने, अपराधी तत्वों को खुला संरक्षण देने सम्बन्धी शिकायतों की ओर क्षेत्र की जनता ने शासन का ध्यान सितम्बर, 1982 में आकर्षित करते हुए उक्त पुलिस चौकी इंचार्ज के तत्काल स्थानान्तरण व जांचोपरान्त कार्यवाही की मांग की है ? यदि हां, तो अब तक उक्त पुलिस चौकी इंचार्ज के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । प्रश्नगत आरोपों के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे जिनके सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, खीरी द्वारा जांच करायी गयी । जांच से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई, अतः उक्त पुलिस चौकी इन्चार्ज के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम टिकमपार, थाना भाटवाररानी, जिला देवरिया में श्री शम्भूशरण के घर डकैती

75--श्री हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि ग्राम टिकमपार, थाना भाटपार रानी, जिला देवरिया में सितम्बर, 1982 के अन्तिम सप्ताह में श्री ठग कोइरी के घर भीषण

डकैती पड़ी ? यदि हां, तो कितने रुपये के सामान डकैती में गया तथा कौन-कौन मुलजिम पकड़े गये ? उस पर कौन सी कार्यवाही हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 20/21-9-82 की रात में देवरिया जनपद स्थित थाना भाटपार रानी के ग्राम टिकमपार टोला भदवार के निवासी श्री शम्भुशरण पुत्र ठग कुशवाहा के घर डकैती की घटना घटित हुई। घटना से सम्बन्धित मुकदमें में वादी द्वारा दी गयी सूची के अनुसार कुल 6043 00 रुपये मूल्य के कपड़े, जेवर व बर्तन डकैती में लूटे गये। विवेचना दौरान 505 रुपये मूल्य का कपड़ा अभियुक्त गण के पास से बरामद हो चुका है। मुकदमे में पांच अभियुक्त गिरफ्तार किये गये तथा सात अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया [सूची (क) में विवरण संलग्न] कार्यवाही शिनाख्त के दौरान अभियुक्तगण रामनाथ तेली, सतन, सुमेश्वर तथा स्वामी की सही पहचान होने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किये गये। माल की सही शिनाख्त होने पर अभियुक्तगण देवनन्दन व शम्भूनाथ के विरुद्ध भी आरोप-पत्र न्यायालय भेजे गये। अभियुक्त फलेश्वर पुत्र बउक के विरुद्ध कार्यवाही धारा 82/83 जा0 फौ0 सम्पन्न की जा चुकी है। यह अभियुक्त फरार है।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 614 पर।)

जनपद हरदोई के थाना मल्लावां एवं बिलग्राम में दर्ज शान्ति भंग होने के मामले

76--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के थाना मल्लावां एवं बिलग्राम में वर्ष 1981 एवं 1982 के प्रारम्भ से सितम्बर, 1982 के अन्त तक क्रमशः कितने मामले शान्ति भंग होने से सम्बन्धित (धारा 107/116, 151 सी0 आर0 पी0 सी0) के दर्ज किए गये ? कितने जनता के बीच एक की शिकायत पर दर्ज किए गये और कितने स्वयं पुलिस द्वारा ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित दर्ज किये गये मामलों का विवरण निम्न प्रकार है :

थाना मल्लावां--

वर्ष 1981 में 257 तथा वर्ष 1982 के प्रारम्भ से सितम्बर के अन्त तक 165 मामले शान्ति भंग होने से सम्बन्धित दर्ज किये गये जिनमें से जनता के बीच एक की शिकायत पर वर्ष 1981 में 35 मामले 151 सी0 आर0 पी0 सी0 एवं 57 मामले 107/116 सी0 आर0 पी0 सी0 तथा वर्ष 1982 के प्रारम्भ से सितम्बर के अन्त तक 36 मामले 151 सी0 आर0 पी0 सी0 एवं 35 मामले 107/116 सी0 आर0 पी0 सी0 के दर्ज हुये और स्वयं पुलिस द्वारा वर्ष 1981 में 45 मामले 151 सी0 आर0 पी0 सी0 एवं 120 मामले 107/116 सी0 आर0 पी0 सी0 के तथा वर्ष 1982 के प्रारम्भ से माह सितम्बर, 1982 के अन्त तक 39 मामले 151 सी0 आर0 पी0 सी0 एवं 55 मामले 107/116 सी0 आर0 पी0 सी0 के दर्ज हुये।

थाना बिलग्राम--

वर्ष 1981 में कुल 96 तथा वर्ष 1982 के प्रारम्भ से सितम्बर के अन्त तक कुल 24 मामले शान्ति भंग होने से सम्बन्धित दर्ज हुये जिनमें से जनता के बीच एक की शिकायत पर वर्ष 1981 में 5 मामले 151 सी0 आर0 पी0 सी0 एवं 75 मामले 107/116 सी0 आर0 पी0 सी0 के तथा वष 1982 के प्रारम्भ से सितम्बर के अन्त तक 2 मामले 151 सी0 आर0 पी0 सी0 एवं 12 मामले 107/116 सी0 आर0 पी0 सी0 के दर्ज हुये और स्वयं पुलिस द्वारा वर्ष 1981 में 7 मामले 151 सी0 आर0 पी0 सी0 के एवं 9 मामले 107/116 सी0 आर0 पी0 सी0 के तथा वर्ष 1982 के प्रारम्भ से माह सितम्बर के अन्त तक 3 मामले 151 सी0 आर0 पी0 सी0 एवं 7 मामले 107/116 सी0 आर0 पी0 सी0 के दर्ज हुये ।

जनपद हरदोई में जिलाधीश को दिया गया जनसमस्याओं से सम्बन्धित ज्ञापन तथा कृत कार्यवाही

77--श्री खैरुल बशर--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में समस्त विरोधी दलों द्वारा श्री राम आसरे वर्मा, विधायक की अध्यक्षता में गठित सर्वदलीय समिति के आवाह्न पर 1 अक्तूबर, 1982 को जिला केन्द्र पर एक विशाल प्रदर्शन एवं सभा का आयोजन किया गया और जन समस्याओं से सम्बन्धित एक ज्ञापन जिलाधीश, हरदोई को दिया गया ? यदि हां, तो ज्ञापन में लिखित मांगों के सिलसिले में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री हरीश कुमार एस0 पी0 मुख्यालय, इलाहाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र

78--श्री राज कुमार राय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र अगस्त, 1982 श्री हरीश कुमार, एस0 पी0 मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा की गयी घोर अनियमितताओं और घोटालों के सम्बन्ध में उन्हें मिला था ? यदि हां, तो शासन उसमें कौन सी कार्यवाही कर रहा है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । शिकायती-पत्र में उल्लिखित जंगल बूट तथा अंगोरा शर्टिंग क्लाथ की खरीद में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में सतर्कता विभाग द्वारा जांच की गई और उनकी रिपोर्ट गृह विभाग को प्राप्त हो गयी है । इसका परीक्षण किया जा रहा है ।

अन्य शिकायतों की जांच कराई जा रही है ।

अधिकारी का स्थानान्तरण पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से हो चुका है ।

उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने की कथित घोषणा

79--श्री राजकुमार राय---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देकर पूरे प्रदेश के इच्छुक शिक्षार्थियों को पढ़ने की सुविधा देने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा कर दी गयी ? यदि हां, तो उनकी पढ़ाई के लिए कौन सी व्यवस्था जूनियर बेसिक विद्यालयों, सीनियर बेसिक विद्यालयों, हायर सेकेन्डरी इन्टरमीडिएट विद्यालयों में की गयी ? कितने अध्यापक इन विद्यालयों में नियुक्त किए गये ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं ।

धरधनिया मछली फार्म के निर्माण में अनियमितताओं की जांच

80--श्री दलगंजन सिंह--

क्या पशुधन मन्त्री को ज्ञात है कि लखीमपुर खीरी की जनपद धरधनिया मछली फार्म के निर्माण कार्य में घोर अनियमितता की जांच शासन द्वारा हाल ही में कराई गयी है और उक्त जांच में वर्तमान निदेशक, मत्स्य (श्री आर० के० सक्सेना) दोषी पाए गये ? यदि हां, तो शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह--

जी हां, धरधनिया मछली फार्म के निर्माण में पाई गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री आर० के० सक्सेना, भूतपूर्व निदेशक, मत्स्य के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है तथा जांच अधिकारी द्वारा उन्हें आरोप-पत्र दे दिया गया है ।

डुमरियागंज में राप्ती नदी के ऊपर बने पुल की लागत की वसूली

81--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के अन्तर्गत डुमरियागंज में राप्ती नदी के ऊपर बने हुए पुल का लागत खर्च वसूल हो गया है ? यदि हां, तो उसे जनहित में टोल टैक्स से फ्री करने की कार्यवाही करने पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो उनको कब तक विचार कर लिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उत्पन्न होता ।

82--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

83--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

[माननीय सदस्य ने वापस लिया]

टांडा तापीय परियोजना द्वारा डैमरेज के मद में रेलवे लाइन बनने के पूर्व तथा बाद में व्यय की गई धनराशि

84--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टांडा परियोजना, जनपद फैजाबाद के कार्यालय द्वारा डैमरेज के मद में 1-1-1979 से 15-8-1982 तक की अवधि में रेलवे लाइन के बनने के पूर्व तथा बाद में कितनी-कितनी धनराशि व्यय करनी पड़ी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

टांडा तापीय परियोजना द्वारा 1-1-1979 से 15-8-1982 की अवधि में डैमरेज के मद में रेलवे लाइन बनने के पूर्व रु0 52,347.70 तथा रेलवे लाइन बनने के बाद 31,850.50 रु0 की धनराशि व्यय करनी पड़ी ।

85--श्री राज कुमार राय--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

थाना बसखारी, टांडा, फैजाबाद के आरक्षी श्री तेज बहादुर सिंह के विरुद्ध आरोपों की जांच

86--श्री गोपी नाथ वर्मा--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम मंगलवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 49 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र दिनांक 25-3-82 में उल्लिखित आरोपों की जांच किस माध्यम से कराई जा रही है और उसके कब तक पूर्ण हो जाने की आशा है ? यदि जांच पूरी हो गयी है तो जांच रिपोर्ट क्या है ? उसके आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र दिनांक 25-3-82 के साथ प्राप्त श्री रमाशंकर जायसवाल, ग्राम बेला पत्सा के प्रार्थना-पत्र पर जांच क्षेत्राधिकारी से कर दी गयी । जांच से ज्ञात हुआ है कि प्रार्थी श्री रमाशंकर जायसवाल को थाना बसखारी पर पंजीकृत एक अपराध संख्या 146/81 धारा 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था जिसमें विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र भेज जा चुका है जो न्यायालय में विचारधीन है । जांच से थाना बसखारी, जनपद फैजाबाद के आरक्षी श्री तेज बहादुर सिंह द्वारा रिश्वत लेने का आरोप निर्विवाद रूप से प्रमाणित नहीं हुआ । जांच से आरक्षी की थाना बसखारी में नियुक्ति के दौरान सामान्य ख्याति अच्छी नहीं पाई गयी, अतः उसका थाना बसखारी से अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

जनपद फैजाबाद में टांडा तापीय परियोजना पर सुरक्षा दल में कार्यरत कर्मचारी व उनके अधिष्ठान पर व्यय

87--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में टांडा तापीय परियोजना पर सुरक्षा दल किस तिथि से लगाया गया तथा उसमें कितने कर्मचारी कार्यरत हैं एवं उनके अधिष्ठान पर वार्षिक व्यय क्या होता है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जनपद फैजाबाद में टान्डा तापीय परियोजना पर सुरक्षा दल दिनांक 10 अप्रैल, 1981 से लगाया गया है। इसमें 85 कर्मचारी कार्यरत हैं एवं उनके अधिष्ठान पर वार्षिक व्यय लगभग तीन लाख रुपए होता है।

जनपद फैजाबाद की टांडा परियोजना स्थल से रेलवे स्टेशन तक सड़क निर्माण की कथित योजना

88--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद की टान्डा परियोजना स्थल से रेलवे स्टेशन सड़क तक निर्माण की कोई योजना स्वीकृत हुयी है? यदि हां, तो सड़क की कुल लम्बाई तथा लागत क्या है? सड़क निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ हुआ तथा किन-किन फर्मों के टेन्डर स्वीकार किए गए तथा विभिन्न टेन्डरों को वर्क आर्डर, सप्लाई आर्डर के अन्तर्गत 15-8-82 तक कुल कितना व्यय हुआ?

श्री अम्मार रिजवी--

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोई योजना स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम मूर्ति वर्मा, थाना बेवाना, फैजाबाद को स्थानीय पुलिस द्वारा मारने-पीटने तथा फर्जी केस बनाकर परेशान किए जाने विषयक पत्र की जांच

89--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम भरत वर्मा, ग्राम इटरौरा, थाना बेवाना, जनपद फैजाबाद की स्थानीय पुलिस द्वारा मारने पीटने तथा फर्जी केस बनाकर परेशान किए जाने के सम्बन्ध मे प्रश्नकर्ता का दिनांक 28 जुलाई, 1982 का कोई पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त मामले की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराकर दोषी पाए जाने वाले अधिकारों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ श्री राम भरत वर्मा का नहीं, अपितु श्रीराम मूर्ति वर्मा का पत्र प्राप्त हुआ था। मामले की जांच कराई गई। जांच से प्रार्थना-पत्र मे लगाए गए आरोप सत्यापित नहीं हुए और यह पाया गया कि प्रार्थी राममूर्ति वर्मा अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और थाना बेवाना में पंजीकृत एक अपराध में वांछित है। उपर्युक्त प्रार्थना-पत्र पेशबन्दी में बढ़ाचढ़ा कर दिया जाना पाया गया सी0 आई0 डी0 से जांच कराने का कोई औचित्य नहीं पाया जाता।

ग्राम हकीमपुर, जनपद फैजाबाद में हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण की मांग

90--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम हकीमपुर, ब्लाक टांडा, जनपद फैजाबाद हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 7-8-82 का कोई पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम में हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो कब तक कर दिया जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां ।

परिषद् द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत एक हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण के लिए निर्धारित अधिकतम व्यय के विपरीत ग्राम हकीमपुर की हरिजन बस्ती पर आने वाला व्यय अधिक होने की स्थिति में उक्त हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण सम्भव नहीं है ।

91--श्री गोपीनाथ वर्मा--

[दिनांक 8-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 37 द्वारा उत्तरित ।]

श्री पांचू यादव, निवासी ग्राम छपरा, जिला आजमगढ़ का भूमि विवाद के बारे में पत्र तथा जांच

92--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पांचू यादव पुत्र श्री खेलावन, निवासी छपरा, पोस्ट चांदपट्टी, थाना रोनापार, जनपद आजमगढ़ के जान माल रक्षा हेतु प्रश्नकर्ता का कोई पत्र गृह मंत्री जी को 24 जून, 1982 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त मामले की जांच कराकर उचित कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री पांचू यादव, निवासी ग्राम छपरा, पोस्ट चांद पट्टी, थाना रोनापार, जिला आजमगढ़ का पत्र दिनांक 24 जून, 1982 जो भूमि विवाद के बारे में था, प्राप्त हुआ था । जांचोपरान्त प्रकाश में आया कि प्रार्थी पांचू तथा उसके पट्टीदारों के मकान के पास कुछ भूमि ग्राम समाज की थी । इसके कब्जे के लिये दोनों पक्षों के बीच कई बार मामूली वाद-विवाद हुआ था । बिरादरी की पंचायत में समझाने के उपरान्त विवाद समाप्त हो गया है ।

डी0 आई0 जी0 फैजाबाद परिक्षेत्र द्वारा निर्गत कथित आदेश

93--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डी0 आई0 जी0 फैजाबाद रेन्ज द्वारा मण्डल के समस्त पुलिस अधीक्षकों को दिनांक 24-9-80 को पत्र संख्या 1481 द्वारा आदेश दिया है कि फैजाबाद रेन्ज में इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण पुलिस कर्मचारियों को जो नागरिक पुलिस से आर्म्स पुलिस में लिये गये हैं तुरन्त नागरिक पुलिस में

स्थानान्तरण कर दिया जाय ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का पालन हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं, डी0 आई0 जी0, फैजाबाद परिक्षेत्र द्वारा आदेश संख्या 1481, दिनांक 24-9-80 निर्गत नहीं किया गया है । इसलिए आदेश के पालन का सवाल ही नहीं उठता ।

पी0 सी0 एस0 (प्रशासनिक शाखा) के अधिकारियों की नियुक्ति पर विचार

94--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में पी0 सी0 एस0 (प्रशासनिक शाखा) के अधिकारियों को 2300-2700 रुपया वेतनमान में 12 पद तथा 2700-3000 रु0 वेतनमान में 3 पद द्वितीय वेतन आयोग की रिपोर्ट पर शासन ने स्वीकृति प्रदान की है ? यदि हां, तो अब तक इस पर पी0 सी0 एस0 अधिकारियों की नियुक्ति हुई ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक नियुक्ति की जायेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

पी0 सी0 एस0 (प्रशासनिक शाखा) में रु0 2300-2700 के 12 पद तथा रु0 2700-3000 के 3 पद शासन द्वारा स्वीकृत किये गये हैं । इन पदों पर नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही विचाराधीन है ।

ग्राम जमसापुर, रामपुरा में थाना कायम करने का विचार

95--श्री दलगंजन सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह जनपद जालौन में ग्राम जमसापुर, रामपुरा में थाना कायम करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचनानुसार जनपद जालौन के थाना रामपुरा के अन्तर्गत जमसापुर नाम का कोई ग्राम नहीं है । अतः वहां थाना कायम करने का प्रश्न नहीं उठता ।

टाण्डा तापीय परियोजना, फैजाबाद के मुख्य परियोजना प्रबन्धक के कार्यालय का किराया

96--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टाण्डा तापीय परियोजना, फैजाबाद के मुख्य परियोजना प्रबन्धक का आफिस सन् 1979-80 में प्राइवेट मकान में रखा गया था । उक्त कार्यालय की स्वीकृति किस अधिकारी द्वारा दी गई थी ? क्या मई, 1982 से बिना किसी अनुमति के प्राइवेट मकान का किराया दिया जा रहा था ? यदि हां, तो कुल धनराशि क्या है और बिना स्वीकृति के किराया दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विधायकों को संसद सदस्यों के समान दैनिक भत्ता व यात्रा-भत्ता दिये जाने की मांग

97--श्री चेतराम गंगवार--

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विधायकों को संसद सदस्यों के समान दैनिक भत्ता तथा यात्रा-भत्ता दिये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका कार्यान्वयन कब से हो जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

98--श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री गोपीनाथ वर्मा--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

कैम्प जेल, चुनार में अप्राप्त रिकार्ड होने से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन मिलने में विलम्ब

99--श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या कारागार मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सन् 1940-41 में स्थापित कैम्प जेल, चुनार (मिर्जापुर) में सजा भोगने वाले बन्दियों का रिकार्ड अप्राप्त है जिसके कारण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन मिलने में कठिनाई हो रही है और इसी कारण श्री अम्बादीन पुत्र श्री माधो प्रसाद, निवासी ग्राम नवाब, पोस्ट चिमयानी, जिला उन्नाव को केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली पेंशन को प्रदान करने हेतु अपनी संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार को नहीं भेज रही है ? यदि हां, तो यह संस्तुति कब तक भेज दी जायेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा मई, 1981 में यह सूचित किया गया है कि कैम्प जेल चुनार के अभिलेख कारागार में उपलब्ध नहीं हैं जिसके कारण सेनानियों द्वारा उक्त जेल में भोगी गई कारावास का प्रमाण-पत्र दिया जाना सम्भव नहीं है। ऐसे मामलों में सेनानियों से निर्धारित प्रपत्र में सहबन्दी प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर भारत सरकार को संस्तुति भेजी जाती है।

श्री अम्बादीन पुत्र श्री माधो प्रसाद, निवासी ग्राम नबाब, पोस्ट चमियानी, जिला उन्नाव द्वारा सहबन्दी प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर उनको निरस्त केन्द्रीय स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 23 अक्तूबर, 1981 को राज्य सरकार की अनुकूल संस्तुति केन्द्र सरकार को भेज दी गई है।

समाचार पत्रों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी को दिये गये निर्देश

100--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सूचना मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नवम्बर अथवा दिसम्बर, 81 में सूचना निदेशक द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को आदेश दिये गये थे कि

ऐसे समाचार-पत्रों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही जिसमें मान्यता रद्द करना भी शामिल है, की जाये जो कि सरकार को बदनाम करने वाले समाचार छापते हैं ? क्या आदेश पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे तथा बतायेंगे कि उसके तहत अब तक किन-किन पत्रों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्याम लाल निवासी रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ के विरुद्ध थाना वजीरगंज में पंजीकृत अभियोग

101--श्री जमुना प्रसाद--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रिवर बैंक कालोनी (दयाल महल का अड्डा) थाना वजीरगंज, लखनऊ के श्री श्याम लाल पुत्र श्री शम्भू के विरुद्ध वजीरगंज थाने में 1975 से अब तक कितने अपराध पंजीकृत किये गये और उनके खिलाफ थाना इंचार्ज और पुलिस अधीक्षक को कितने आवेदन-पत्र दिये गये ? क्या अभी तक उक्त श्याम लाल पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री श्याम लाल निवासी, रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ के विरुद्ध वर्ष 1975 से 1982 तक थाना वजीरगंज (लखनऊ) पर कुल 9 अभियोग पंजीकृत हुये तथा वर्ष 1981 और 1982 में उक्त व्यक्ति के विरुद्ध तीन प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। विवेचना उपरान्त 6 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किए गए और एक अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई । शेष 2 अभियोग अहस्तक्षेपीय पंजीकृत हुए थे, अतः इनमें पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई । इसके अतिरिक्त श्री श्याम लाल के विरुद्ध पुलिस द्वारा धारा 107/116 दं० प्र० सं० के अधीन कार्यवाही की गई ।

जनपद सीतापुर में नये थानों की स्थापना तथा पुलिस के पदों का आवंटन

102--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले में अगस्त में जो 4 नवीन थाने खुले हैं उसके विरुद्ध जिले को अभी तक पुलिस आवंटन हुआ है ? यदि हां, तो कब तक कितना पुलिस आवंटन हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां ।

वित्तीय वर्ष 1980-81 एवं 1981-32 में जनपद सीतापुर में शासन द्वारा निम्न चार नये थानों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई--

1--अटरिया ।

2--मानपुर ।

3--रेडसा ।

4--इमालिया सुलतानपुर ।

इन थानों के लिये अब तक 4 सब इन्सपेक्टर, 4 हेड कान्सटेबुल तथा 23 कान्सटेबुल, नागरिक पुलिस के पदों का आवंटन किया जा चुका है ।

प्रदेश में बन्धुआ मजदूरों की अनुमानित संख्या तथा मुक्ति के प्रयास

103--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश में बन्धुआ मजदूरों की अनुमानित संख्या क्या है तथा इनकी मुक्ति के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ?

श्री सुनील शास्त्री--

31 दिसम्बर, 1982 तक उत्तर प्रदेश में 8664 बन्धुआ मजदूरों का सत्यापन किया गया था। उन्हें मुक्त कराया जा चुका है । अधिनियम में इसके लिये जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है और यथासमय आवश्यक कार्यवाही उन्हीं के स्तर पर की जाती है ।

श्री लक्षमन निवासी ग्राम बरमौली द्वारा अभियुक्त राज नारायन आदि के विरुद्ध लिखायी गयी रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

104--श्री मित्रसेन--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या 44 के अन्तर्गत धारा 376 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 25-3-82 को लक्षमन पुत्र भगोती, साकिन बरमौली तथा अपराध संख्या 107 अन्तर्गत धारा 323/504/506 दिनांक 1-7-82 और अपराध संख्या 139 अन्तर्गत धारा 147, 148 व 149/323 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत दिनांक 3-7-82 को प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कूड़ेभार, जिला सुलतानपुर में दर्ज कराई गई है ? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले व्यक्ति कौन हैं तथा सम्बन्धित मुकदमों के अपराधियों के नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अपराध संख्या 44, दिनांक 25-3-82 को अपराध संख्या 187 दिनांक 1-7-82 को तथा अपराध संख्या 139-ए, दिनांक 3-7-82 के बजाय दिनांक 2-7-82 को कथित धाराओ में पंजीकृत हुये हैं अपराध संख्या 44, श्री लक्षमन निवासी ग्राम बरमौली, थाना कूड़ेसार द्वारा अभियुक्त राज नारायन के विरुद्ध, अपराध संख्या 160, श्री राम मिलन, निवासी ग्राम घमधरा मजरे बरमौली, थाना कूड़ेभार द्वारा अभियुक्त अशोक, देवसरन, राम चन्द्र, राज नारायन के विरुद्ध तथा अपराध संख्या 139-ए श्री अंगनू सा0 बरमौली, थाना कूरेभार अभियुक्त राज नारायन, सत्य नारायन, अशोक प्रभाकर, राम चन्द्र, देव सरन, चन्दू, राम चन्दर, राम चन्दर के दामाद राम कुमार, साकिन बरमौली, थाना कूड़ेभार के विरुद्ध पंजीकृत हुये हैं । अपराध संख्या 44, में साक्ष्य के अभाव में अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी, अपराध संख्या 107 में आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया तथा अपराध संख्या 139-ए, धारा 323/504/506 भा0 दं0 वि0 का पाया गया जिसमें भी अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी है ।

श्री लाल बहादुर प्रसाद, एस0 डी0 ओ0, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायतों की जांच

105—श्री रियासत हुसैन—

क्या वन मन्त्री को प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 12-7-82 जो श्री लाल बहादुर प्रसाद, एस0 डी0 ओ0, जनपद गोरखपुर की शिकायतों के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

जी हां ।

मुख्य मन्त्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 12-7-82 के साथ प्राप्त शिकायती-पत्र दिनांक 8-7-82 पर जांच चल रही है ।

श्री आर0 सी0 बाजपेयी, कलेक्टरी कोर्ट, झांसी के विरुद्ध आरोपों की जांच

106—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक 22-6-82 को रानी लक्ष्मी बाई समारोह से सम्बन्धित गम्भीर घटना के सम्बन्ध में भूतपूर्व विधायक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी श्री लखपत राम शर्मा, झांसी द्वारा अपने साथ हुए अभद्र व्यवहार तथा अपमानजनक व्यवहार के सम्बन्ध में श्री आर0 सी0 बाजपेयी, कलेक्टरी कोर्ट, झांसी के विरुद्ध गम्भीर आरोपों से युक्त आरोप-पत्र सार्वजनिक निर्माण मन्त्री तथा कमिश्नर झांसी को दिनांक 23-6-82 को दिया गया ? यदि हां, तो उपरोक्त आरोप पत्र क्या है ? इस सम्बन्ध में शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

उक्त आरोप-पत्र में दिनांक 22-6-82 को रानी लक्ष्मी बाई समारोह के अवसर पर निमन्त्रण पत्र की चेकिंग के प्रश्न पर कलक्ट्री कोर्ट झांसी के कर्मचारी श्री आर0 सी0 बाजपेयी द्वारा जानबूझकर बदले की भावना से प्रार्थी के साथ अभद्र एवं अपमानजनक व्यवहार किये जाने के आरोप लगाते हुए श्री बाजपेयी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया गया था । संबंधित शिकायती-पत्र की जांच की गई । जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

थाना नवाबाद, झांसी के भवन के पुर्ननिर्माण की मांग

107—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि थाना नवाबाद, झांसी सिविल लाइन स्थित थाने में बरसात का सारा पानी भर जाता है ? यदि हां, तो उपरोक्त महत्वपूर्ण थाने के भवन का पुर्ननिर्माण न कराए जाने का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जिला झांसी के थाना नवाबाद (न कि जवाबाद) का भवन सड़क के स्तर से कुछ नीचे है जिसके कारण घनघोर वर्षा में थाने के परिसर में दो-तीन घंटे के लिए पानी एकत्र हो जाता है और बाद में बह जाता है। थाने का भवन ऐसी खराब हालत में नहीं है कि उसके पुनर्निर्माण की आवश्यकता हो।

कार्यालय मुख्य वन्य जन्तु प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आशुलिपिकों की परीक्षा हेतु साक्षात्कार

108--श्री रियासत हुसेन--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे दिनांक 30 दिसम्बर, 1981 को कार्यालय, मुख्य वन जन्तु प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा एक प्रतियोगात्मक आशुलिपिक की परीक्षा ली गयी और जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए उनका साक्षात्कार दिनांक 27 फरवरी, 1982 को लिया गया परन्तु उसका परिणाम घोषित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त परीक्षा का परिणाम कब तक घोषित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह--

जी हां।

7 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 27 जनवरी, 1982 को लिया गया था, जिसका परिणाम शीघ्र ही घोषित किया जायेगा एवं विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

राज्य विद्युत परिषद के समस्त अवर अभियन्ताओं को समय बद्ध तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उच्च वेतनमान की सुविधा

109--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत समस्त अभियन्ता वर्ग को तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दस वर्षों की सेवा के उपरान्त अगले उच्च पद का वेतनमान स्वीकृत किया गया है ? क्या राज्य विद्युत परिषद के समस्त अवर अभियन्ताओं को उक्त सुविधा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अवर अभियंता वर्ग को समयबद्ध वेतनमान की सुविधा 1-7-79 से स्वीकृत की गई है, जिसके अन्तर्गत एक अवर अभियंता को 9 वर्ष की सेवा के उपरान्त उसके उच्च पद, अवर अभियंता (चयन श्रेणी) के वेतनमान के समकक्ष वेतनमान दिया जायेगा तथा इस वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त अगला उच्च वेतनमान दिया जायेगा। इसी प्रकार सहायक अभियंता वर्ग को भी समयबद्ध वेतनमान की सुविधा 1-7-79 से ही स्वीकृत की गई है जिसके अन्तर्गत एक सहायक अभियंता को तथा सहायक अधिशासी अभियंता को, जिन्होंने 9 वर्ष की मिली-जुली या अलग-अलग सेवा पूर्ण कर ली हो, उनको अगले उच्च पद (अधिशासी अभियंता) का वेतनमान दिया जायेगा

तथा उक्त पद पर 5 वर्ष की सेवा के उपरान्त अधिशासी अभियंता (स्पेशल ग्रेड) के वेतनमान की सुविधा दी जायेगी। यह सुविधायें उसके आगे उपलब्ध नहीं हैं। जहां तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उनको 1-4-77 से 10 वर्ष की सेवा के उपरान्त अगला उच्च वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

किसान संघर्ष समिति टांडा, तापीय शक्ति परियोजना, फैजाबाद द्वारा जिलाधिकारी, फैजाबाद को दिया गया ज्ञापन

110--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सरकार बतायेगी कि अध्यक्ष प्रमाणित किसान संघर्ष समिति टांडा, तापीय शक्ति परियोजना फैजाबाद द्वारा एक ज्ञापन जिलाधिकारी, फैजाबाद को दिनांक 20-9-82 को रजिस्ट्री डाक संख्या 4033/1619 के द्वारा प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो ज्ञापन में उक्त समस्त मांगों पर शासन द्वारा निर्णय लिया गया और अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां।

प्रश्नगत ज्ञापन के विषय में की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 615 पर।)

बाराबंकी कारागार से श्री अजय सिंह, विचाराधीन बन्दी द्वारा भेजे गये पत्र में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिये गये निर्देश

111--श्री श्यामलाल बाजपेयी--

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि प्रश्नकर्ता ने 30-8-82 को उनके कार्यालय में एक पत्र तथा बाराबंकी कारागार से श्री अजय सिंह, विचाराधीन बन्दी द्वारा भेजे गये पत्र की फोटो स्टेट कापी दी थी ? यदि हां, तो क्या उस पत्र को सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या यह सत्य है कि उक्त पत्र पर गृह सचिव से 2 सितम्बर तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो गृह सचिव ने क्या रिपोर्ट दी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां।

प्रश्नगत पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। प्रश्नगत मामले में निर्धारित तिथि तक मुख्य मन्त्री जी को यह अवगत करा दिया गया था कि उक्त मामले में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

(देखिए नत्थी "च" आगे पृष्ठ 616 पर।)

112--श्री प्रदीप कुमार यादव--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

थाना हजरतगंज लखनऊ में हुई चोरी के सम्बन्ध में निलम्बित पुलिस कर्मचारी

113—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना हजरतगंज, लखनऊ ने अपने ही थाना के कुछ सिपाही के विरुद्ध चोरी (धारा 380 ता0 हि0) का मुकदमा जून, 1982 के प्रथम सप्ताह में दर्ज कर उनको निलम्बित कर दिया ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और क्या दोषी पुलिस सिपाहियों को जेल भेजा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। थाना हजरतगंज में हुई 15,000 रु0 की चोरी के सम्बन्ध में थाना पर अ0 सं0 588 धारा 380 भा0 दं0 वि0 दिनांक 2-6-82 को पंजीकृत हुआ। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर कां0 राम अशीष यादव व कां0 केशवराम वर्मा तथा हेड कां0 नकछेद सिंह को निलम्बित किया गया। विवेचना से केवल कां0 केशव राम वर्मा के विरुद्ध आरोप सिद्ध हुआ। इन्हें गिरफ्तार किया गया और चोरी गई धनराशि बरामद हुई। विवेचना के उपरान्त उसके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया, जो विचाराधीन न्यायालय है। शेष दो पुलिस कर्मियों को बहाल कर दिया गया है।

श्री राम प्रसाद पुत्र श्री ननकऊ प्रसाद, निवासी रेलवे स्टेशन दरियाबाद द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन को दिये गये प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

114—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम बहादुर पुत्र श्री ननकऊ, प्रसाद, निवासी रेलवे स्टेशन दरियाबाद, थाना राम सनेही घाट, जिला बाराबंकी ने पुलिस उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अक्टूबर, 81 के दूसरे पाख में एक प्रार्थना-पत्र देकर शिकायत की थी कि जातिगत विद्वेष और अनुचित लाभ के लिए सितम्बर, 1981 में पुलिस चौकी दरियाबाद के इन्चार्ज ने उनको व एक अन्य को उनका अपनी मोटर साइकिल समेत घर से थाना रामसनेही घाट पकड़ ले गये जहां दोनों को पीटा गया व छोड़ने के लिए एक-एक हजार रुपया मांगा गया तथा रुपया न मिलने पर उन का अपनी ही मोटर साइकिल के सम्बन्ध में धारा 411 ता0 हि0 के अन्तर्गत झूठा चालान कर दिया ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां।

115—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या उस प्रार्थना-पत्र को पुलिस महानिरीक्षक ने 22 अक्तूबर, 1981 को पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया था ? यदि हां, तो 15 जनवरी, 1982 तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था। शिकायती-पत्र के जांचोपरान्त अधिकांश आरोप प्रमाणित नहीं हुए किन्तु इस मामले की विवेचना करने में सम्बन्धित उप निरीक्षक द्वारा पर्याप्त सावधानी न बरतने के कारण उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

दस्तमपुर, थाना डेरापुर, जनपद कानपुर में यादवों के नर-संहार की घटना तथा बन्दूक लाइसेन्स के लिए आवेदन-पत्र

116—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि दस्युराज मुस्तकीम (बाबा) के खून का बदला लेने की नियत से 27 जून, 1982 को दस्तमपुर, थाना डेरापुर, जनपद कानपुर में दस यादवों के नरसंहार की घटना की आशंका के सम्बन्ध में मृतकों के परिवार के लोगों ने पूर्व सूचना थाना डेरापुर पर दी थी और बन्दूक लाइसेन्स के लिये आवेदन किया था ? यदि हां, तो सूचना पर एहतियाती कार्यवाही न करने और बन्दूकों के लाइसेन्स की स्वीकृति न देने की जिम्मेदारी किसकी है ? इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो कब की गयी और क्या ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना की आशंका के सम्बन्ध में मृतकों के परिवार के लोगों ने न तो कोई पूर्व सूचना दिया था और न ही घटना के समय मृतकों के परिवार के किसी सदस्य का शस्त्र लाइसेन्स हेतु कोई प्रार्थना-पत्र ही विचाराधीन था।

जनपद बाराबंकी के थाना मोहम्मदपुर में दर्ज डकैती की घटनायें

117—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 18 जुलाई, 1982 को या उसके आसपास पुलिस कप्तान, बाराबंकी को यह शिकायत मिली कि इस जनपद के थाना मोहम्मदपुर में डकैती की घटनायें दर्ज नहीं की जाती और डकैती पड़ जाने पर पुलिस अकर्मण्य रहती है ? यदि हां, तो शिकायत के विवरण क्या हैं और उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 18 जुलाई, 1982 एवं आस-पास ऐसा कोई शिकायती-पत्र पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को नहीं प्राप्त हुआ, जिसमें उक्त जनपद के थाना मोहम्मदाबाद की पुलिस के द्वारा डकैती के अपराधों की सूचना अंकित न करने और पंजीकृत अभियोगों में कार्यवाही करने में अकर्मण्यता बरतने के आरोप हों। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत् परिषद् सतर्कता शाखा द्वारा बरेली, मुरादाबाद, कुमायूं और गोरखपुर मन्डलों में मारे गये छापे तथा उपभोक्ताओं द्वारा अनियमितताओं की शिकायत

128--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल-जून, 1982 की अवधि में विद्युत् परिषद की सतर्कता शाखा द्वारा लखनऊ बरेली मुरादाबाद, कुमायूं और गोरखपुर मन्डलो में मारे गये छापों में यह पकड़ में आया कि औद्योगिक इकाइयां विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं और चोरी करती हैं कटौती के घन्टों में उनकी बिजली नहीं कटती ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं ।

अप्रैल-जून 1982 की अवधि में विद्युत् परिषद् सतर्कता शाखा द्वारा लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, कुमायूं तथा गोरखपुर मन्डल में क्रमशः 441, 317, 575, 320 एवं 441 छापे मारे गये तथा मण्डलवार क्रमशः 179, 168, 198 117, एवं 217 दोषी उपभोक्ताओं की बिजली काटी गई थी ।

119--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या यह सही है कि इन अनियमितताओं और चोरियों में बिजली विभाग के स्थानीय कर्मचारी और अधिकारी उनका साथ देकर अनुचित लाभ कमाते हैं ? यदि हां, तो मण्डलवार छापा के सम्बन्ध में सतर्कता शाखा की संस्तुतियां क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

यद्यपि छापे के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा अनियमितताएं एवं चोरी करने के कई मामले प्रकाश में आये थे परन्तु बिजली विभाग के कर्मचारी व अधिकारी की उसमें साठ-गांठ होने का कोई प्रमाण नहीं पाया गया ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में नियुक्त प्रतिसार निरीक्षक को दिये गए भत्ते

120--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में नियुक्त प्रतिसार निरीक्षक, विधान भवन का किराया रहित आवास अथवा 17 1/2 प्रतिशत की दर से विशेष किराया भत्ता तथा 50 रु0 प्रतिमास स्थायी भत्ता एवं 50 रु0 स्कूटर एलाउन्स शासन द्वारा गत लगभग 6 वर्षों से नियमित रूप से दिया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त विभिन्न भत्तों के दिए जाने का आधार क्या है तथा समकक्ष वेतन मान एवं समान प्रकार की ड्यूटी करने वाले अन्य सचिवालय कर्मचारियों को भी इसी भांति उक्त सभी प्रकार के भत्ते शासन द्वारा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां ।

सभी प्रतिसार निरीक्षक (सुरक्षा), पुलिस विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आये थे, जिन्हें पुलिस लाइन्स, लखनऊ में निःशुल्क आवास मिला था ।

प्रतिसार निरीक्षक, सुरक्षा के पद पर नियुक्ति के पश्चात भी वे पुलिस लाइन्स में निःशुल्क आवास का उपयोग करते रहे। नियमानुसार उन्हें निःशुल्क आवास अथवा उसके बदले 17 1/2 प्रतिशत की दर से किराया भत्ता अनुमन्य है। प्रतिसार निरीक्षक को रु0 550/-की दर से विशेष वेतन भी अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त उन्हें पहले रु0-20/ प्रतिमाह की दर से स्कूटर भत्ता अनुमन्य था, किन्तु दिनांक 19-2-80 से स्कूटर भत्ते के स्थान पर रु0 50/प्रतिमाह स्थायी भत्ता देने के आदेश हो गये।

प्रतिसार निरीक्षक को अपने कार्यालय कार्य के अतिरिक्त सचिवालय के सभी-भवनों में तैनात समस्त सुरक्षा संगठन एवं अग्निशमन यूनिट के कर्मचारियों की ड्यूटीज चेक करनी होती है तथा इसके लिए उन्हें रात्रि में किसी भी समय अपने आवास से सचिवालय के भवनों का दौरा करना पड़ता है अतः उक्त उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों के सम्पादन हेतु उन्हें उक्त भत्ते स्वीकृत किये गये हैं।

सचिवालय के समकक्ष वेतन पाने वाले अन्य कर्मचारियों का कार्य एवं दायित्व प्रतिसार निरीक्षक सुरक्षा के कार्यों से भिन्न है अतः उन्हें उपरोक्त भत्ते दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नये वेतनमान में वेतन निर्धारण

121—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत श्रेणी 3 व 4 के कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनका वेतन, वेतन आयोग 1971-72 द्वारा संस्तुत वेतनमानों के अनुसार पुनरीक्षत करके उनको देय धनराशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, इस विलम्ब के क्या कारण हैं वे तब तक उन कर्मचारियों को देय धनराशि का भुगतान कर दिया जायगा ? क्या वेतन आयोग, 1979-80 द्वारा संस्तुत वेतनमानों के अनुसार उनका वेतन पुनरीक्षित कर दिया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र—

श्रेणी-3 के ऐसे दो कर्मचारी हैं। इनमें से एक कर्मचारी 12-2-71 से 11-1-83 तक निलम्बित रहे। दूसरे कर्मचारी ने दक्षतारोक पार नहीं किया था। शीघ्रातिशीघ्र नियमान्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं। इनका वेतन निर्धारिण वेतन आयोग 1979-80 द्वारा संस्तुत वेतनमानों के अनुसार कर दिया गया है। पहले कर्मचारी का वेतन निर्धारण करने की कार्यवाही भी चल रही है।

जनपद बदायूं के ग्राम बगरैन में स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण

122—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के ग्राम बगरैन में वर्ष 80-81 या 81-82 में विद्युत सब स्टेशन स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो यह सब-स्टेशन कब तक स्थापित कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जनपद बदायूं के ग्राम बगरैन में 37.5 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण वर्ष 1981–82 में स्वीकृत किया गया था। आशा की जाती है कि उक्त उपकेन्द्र का निर्माण कार्य वर्ष 1983–84 में पूरा कर दिया जायेगा।

बदायूं में राजकीय पालीटेक्निक खोलने का विचार

123—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बदायूं सबसे पिछड़ा जनपद है ? यदि हां, तो वहां के लिए एक राजकीय पालीटेक्निकल खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बदायूं को माह अगस्त, 1982 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

(1) जी हां, बदायूं पिछड़े जनपदों के अन्तर्गत आता है, परन्तु प्रदेश का सबसे पिछड़ा जनपद नहीं है।

(2) 1983–84 में बदायूं में एक राजकीय पालीटेक्निक खोलने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

(3) प्रश्न नहीं उठता है।

(4) जी हां, बदायूं में पालीटेक्निक स्थापित करने हेतु 1983–84 में जिला योजना में धनराशि की व्यवस्था की गई है और 1982–83 में भी अन्य सेक्टर की योजनाओं की बचत से धनराशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है जिस पर विचार किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष में कम समय रहने के कारण वर्ष 1982–83 में प्रस्तावित धनराशि को उपयोग में लाने में कठिनाई है फिर भी धनराशि की व्यवस्था कराने का प्रयास किया जा रहा है।

राजकीय सेवाओं में पदोन्नति में पिछड़ी जातियों के आरक्षण का शासन का निर्णय

124—श्री राम आसरे वर्मा—

द्वितीय सत्र 1982 के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 127 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पदोन्नतियों में पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण अनुबन्ध न होने के क्या कारण हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सरकार ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि पदोन्नति में केवल अनुसूचित जाति/जनजाति को ही आरक्षण मिलता रहे।

नव जवान सभा ब्रान्च कमेटी, पालपुर द्वारा जिलाधिकारी, फैजाबाद को दिये गये मांग पत्र पर कृत कार्यवाही

125--श्री मित्रसेन--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 28 व 29 जुलाई, 1982 को उत्तर प्रदेश नव जवान सभा को जिला कमेटी, फैजाबाद ने अपनी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय पर कोई धरना दिया था और जिलाधिकारी, फैजाबाद को कोई मांग-पत्र दिया था ? यदि हां, तो मांग-पत्र में किन-किन बिन्दुओं को उठाया गया था और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां। नव जवान सभा ब्रान्च कमेटी, पालपुर ने एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया है। मांग-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। जिलाधिकारी द्वारा मांग-पत्र की प्रतियां सम्बन्धित अधिकारियों को भेज दी गयी थी। मांग संख्या 1-4-5-6 के सम्बन्ध में कार्यवाही भी की गई है तथा मांग संख्या 2-3 के सम्बन्ध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

(देखिए नत्थी "छ" आगे पृष्ठ 617 पर।)

कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद तथा आगरा जनपदों में कार्यरत अवर अभियन्ता और उनका स्थानान्तरण

126--श्री हरिवंश सहाय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद तथा आगरा जनपदों में कितने अवर अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग में विगत 5 वर्षों या उससे अधिक से एक ही जनपद में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उनके स्थानान्तरण न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

स्थानान्तरण हेतु 5 वर्ष की अवधि की गणना प्रत्येक वर्ष के 30 जून को की जाती है। कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद तथा आगरा जनपदों में 30 जून, 1982 को विगत 5 वर्षों या उसके अधिक समय से तैनात 47 अवर अभियन्ता, सम्प्रति एक ही जनपद में कार्यरत हैं।

उपरोक्त 47 अवर अभियन्ताओं में से 9 अवर अभियन्ताओं के अकार्यकारी खंडों में अवर अभियन्ताओं की कमी एवं उनके अकार्यकारी खंडों में कार्यरत रहने की स्वेच्छा के आधार पर एवं 7 अवर अभियन्ताओं द्वारा उसी जनपद में बी0 ई0 में अध्ययनरत होने के कारण उनके स्थानान्तरण नहीं किये गये। शेष 31 अवर अभियन्ताओं की विषम पारिवारिक परिस्थितियों को विचाराधीन रख कर उन्हें इन जनपदों में पांच वर्ष से अधिक के लिये विशेष दशा में कार्यरत रहने दिया गया।

हापुड़-गाजियाबाद राष्ट्रीय राज-मार्ग पर क्षतिग्रस्त गंगा नहर के पुल का पुर्ननिर्माण

127--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हापुड़-गाजियाबाद राष्ट्रीय राज मार्ग पर गंगा नहर का पुल कब क्षतिग्रस्त हुआ और इस स्थान पर बना हुआ पुल कितनी भार क्षमता का है ? क्या इस स्थान पर कोई नया पुल बनाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक इस पर कार्य आरम्भ करके इसे पूरा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्नगत पुल 17 दिसम्बर, 1979 को क्षतिग्रस्त हुआ था। इस स्थान पर लगाये गये बेली पुल की भार क्षमता 24 टन है।

जी हां। कार्य के आगणन पर भारत सरकार की स्वीकृति अभी अपेक्षित है।

जनपद स्तर पर बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समितियों में विरोधी दलों के सदस्यों को सम्मिलित न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(12 बजकर 27 मिनट)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उससे एक कांस्टीट्यूशनल प्वाइंट पैदा हो गया है। कोई भी पार्टी जब पावर में आती है तो उसका एक घोषणा पत्र होता है। हम लोगों का भी एक घोषणापत्र है। शासन अपने घोषणा पत्र के आधार पर नीति बनाता है। आपकी जो नीति है उसके तहत कार्यक्रम बने। आपकी नीति के अनुसार शासन की समितियां बनती हैं। जैसे आपका जो घोषणा पत्र है उसमें शिक्षा के विस्तार पर बल दिया गया है। जिले जिले में शिक्षा सलाहकार समितियां बनी हैं उनके माध्यम से जिलों में शिक्षा के विस्तार की योजना को बनाने और उसके तहत आपकी सरकार ने यह घोषणा की है कि डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करेंगे।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था पर व्यवस्था नहीं होती।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, संरक्षण दें। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मैं राजेन्द्र कुमार जी की बात सुन रहा हूं। आप कृपया बैठें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, इस पर भाषण हो रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा। आज अगर यह नीति स्वीकार हो गयी तो जो भी सलाहकार समितियां हैं उसमें प्रतिपक्ष के विधायक भी काम करते हैं। यह भी देखना हमारा काम है कि शासन की नीति और कार्यक्रम को जिले के अधिकारी सही रास्ते से अनुपालन करते हैं, उसका अनुश्रवण करने का हमारा काम है। तो एक नया संकट पैदा हो गया है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर नियंत्रण करने की पालिसी के सम्बन्ध में, यह नीति अत्यंत चिंता जनक है। प्रदेश के विकास में अवरोध उत्पन्न करने वाली है। मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या इस तरह का उत्तर आप सदन में एलाऊ करेंगे ?

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। मैंने भोला लाल जी को बुला लिया है।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, मेरी बात सुन लें। मुझे बोलने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने भोला लाल जी को बुला लिया है। मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे संरक्षण दें।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

यह कोई तरीका नहीं है। एक व्यक्ति कैसे सब लोगों की बात एक साथ सुन सकता है ?

श्री गोपी नाथ वर्मा—

आप मेरी बात को सुन लें।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप सबकी व्यवस्था एक साथ कैसे सुनी जायगी ? मैंने भीखा लाल जी को बुलाया है।

श्री भीखा लाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो कहा, जो पार्टी शासन में होती है, जो नीतियां वह अपने घोषणा-पत्र में घोषित करती है उसको लागू करती है और वह शासन की नीति बन जाती है, हम इससे सहमत हैं। उन नीतियों पर सदन में विचार विमर्श होता है और स्वीकृति मिलती है। पूरे सदन के सदस्य चाहे उस तरफ बैठने वाले हों या इस तरफ बैठने वाले हों उनमें सहयोग देते हैं क्योंकि उन पर हमारी जनता के कोष का पैसा खर्च होता है। बीस सूत्रीय कार्यक्रम आपने बता दिया और कह दिया कि यह हमारे घोषणा-पत्र में था, हमारी पार्टी का कार्यक्रम है, उसको घोषित कर दिया। घोषित कर दिया, तो वह शासन का कार्यक्रम हो गया। जब शासन का कार्यक्रम हो गया, तो सत्तारूढ़ पार्टी, ने माननीय मुख्य मंत्री ने, या किसी अधिकारी ने यह कैसे महसूस कर लिया कि किस की आस्था इसमें है और यह कैसे एहसास किया कि कुछ और लोग ऐसे हैं, जिनकी आस्था इसमें नहीं है। आपने हमसे पूछा तक नहीं कि हमारी आस्था इसमें है या नहीं।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, यह मूल रूप से विरोधी है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय भीखा लाल जी व्यवस्था का प्रश्न इतना लम्बा नहीं होता, व्यवस्था के नाम पर आप इतनी लम्बी चौड़ी बात न करें। प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है। आपको यह अधिकार है कि यदि आप मुख्य मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो नियम 49 के अन्तर्गत आप इस पर चर्चा की मांग कर सकते हैं।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, जो साथी अभी खड़े हुए थे तो मैं उनकी यादास्त के लिए बता दूं कि 1975-76 में जब इमरजेंसी लागू हुई थी जिस प्रधान मंत्री ने बीस सूत्रीय कार्यक्रम घोषित किये थे, लागू किये थे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय भीखा लाल जी, अपनी बात को बहुत संक्षेप में कहें, मैं आपकी बात को समझ गया हूं, जो आप कहना चाह रहे हैं।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, यह बीस सूत्रीय कार्यक्रम में आस्था व्यक्त कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि यहां जितने मंत्री लोग बैठे हैं, उनमें से कोई मंत्री इन बीस सूत्रों को गिना दें।

(व्यवधान)

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, आपको व्यवस्था देनी है। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि कमेटी में उन लोगों को रखा है, जिनकी उसमें आस्था है। तो कल यह कह सकते हैं कि हम बीस सूत्रीय कार्यक्रम से उन लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, जिन पर उनकी आस्था है। इस तरह से यह अपनी कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, अभी माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने जो इस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया, माननीय भीखा लाल जी ने भी उस पर अभी 2-3 बातें कहीं। मैं भी श्रीमन् इस सम्बन्ध में 1-2 बातें कहना चाहता हूं। इससे कोई इंकार नहीं है कि जो घोषणा-पत्र होता है, वह किसी पार्टी का होता है, उसकी नीतियां होती हैं, तो उसके अनुसार वह चीजें और नीतियां शासन की बनती हैं। तो बीस सूत्रीय कार्यक्रम जो है, उसको आपने एक संज्ञा दी। उसके अन्दर कुछ चीजें हैं सिंचाई की क्षमता बढ़ाने की, सिंचाई कमेटियां भी जिलों के अन्दर हैं, निर्बल वर्ग का सामुदायिक विकास के माध्यम से सहायता देने की कमेटियां हैं, जिलों के अन्दर। इसकी आपने कोई संज्ञा दी? कोई डिरेक्टिव वर्ड दिया? कोई बात हरिजनों के उत्थान के लिए है, चाहे दूसरी योजना में है, चाहे सिंचाई क्षमता बढ़ानी है या ग्रामीण आवास बनने की बात है, वे सभी इसके कार्यक्रम हैं। इन सबके लिए आपने एक चीज, बीस सूत्रीय कार्यक्रम दे दिया। तो इसमें डुप्लीकेशन है। वही सब लेकर आपने डुप्लीकेशन किया है। इसके लिए बजट से पैसा जाता है। इस बजट में बहुत सी सिंचाई योजनायें आयी हैं, सिंचाई का बजट आया, सिंचाई के बजट पर हमने संशोधन रखा कि उसकी धनराशि घटा कर एक रुपए कर दी जाय क्योंकि आपका कार्य संतोषजनक नहीं है, सही नहीं है, नीतियों में गल्तियां हैं। मान्यवर, कार्यक्रम में अन्तर नहीं है, सिंचाई क्षमता बढ़नी चाहिए, लेकिन सिंचाई क्षमता बढ़ाने में यह त्रुटियां हैं, विभाग के अन्दर यह त्रुटियां हैं, इसलिए हम यह संशोधन रखेंगे। एक ओर प्रश्न रखकर हम उसका विरोध करते हैं।

एक सदस्य--

आप मूलभूत बातें नहीं कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

आप बैठें। मैं मूलभूत बात कह रहा हूं।

दिनांक 14 मार्च, 1983 को श्री राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित कतिपय अध्यादेशों के विषय में दिनांक 15 मार्च, 1983 को श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने औचित्य का प्रश्न उठाया था। माननीय सदस्य ने निम्नांकित तीन आपत्तियों का उल्लेख किया था :

(क) संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेशों का प्रख्यापन तभी किया जाना चाहिए जब श्री राज्यपाल को यह समाधान हो जाय कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं। आपने चूंकि यह प्रश्न उठा

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

दिया इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है, शासन के बजट से, चूंकि हम भी जन प्रतिनिधि हैं इसलिए हमने जो पैसा इस बजट के माध्यम से दिया जिन योजनाओं के माध्यम से जायेगा, पूरा सदन····

(अत्यधिक शोर)

श्री प्रियदर्शी जैतली--

क्या आपने चर्चा स्वीकार कर ली है मान्यवर, या यह कोई प्रश्न है···

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

जो पैसा बजट के माध्यम से जिन कार्यक्रमों के लिए जायेगा और जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित बजट है, जिन विभिन्न मदों के लिए पैसा जायेगा, उसका कार्यान्वयन करने के लिए प्रशासन है। मुख्य मंत्री जी तो जायेंगे नहीं पैसा बंटवाने, तो हम भी उसके अन्दर हैं, हम सभी का उत्तर-दायित्व है कि पैसा सही तरीके से बंटे। अगर कोई कांग्रेस पार्टी का फण्ड हो और 20 सूत्री कार्यक्रम चला रहे हैं तो जो कुछ भी हमारा सहयोग हो सकता है हम देने के लिए तैयार हैं लेकिन जो बजट के माध्यम से पैसा जायेगा···

(व्यवधान)

(श्री जनार्दन प्रसाद अंशा, श्री प्रियदर्शी जैतली, श्री मुख्तार अनीस तथा अन्य कई सदस्य खड़े हो कर एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष--

मैं कहता हूं आप सभी लोग बैठें। बैठते क्यों नहीं ?

(व्यवधान)

बिष्ट जी आप बैठें। मैं निर्णय देने जा रहा हूं। कृपया आप लोग बैठें।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। पार्टी और सरकार...

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

अध्यक्ष जी, आप खड़े हैं और मुख्तार अनीस जी बोल रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

चुनाव के मौके पर पार्टियां अपनी घोषणा के अनुसार चुनाव लड़ती हैं और सत्ता में आकर वहां उसकी नीतियां घोषित हो जाती हैं।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

माननीय अध्यक्ष जी, ये बिना आपकी अनुमति के बोल रहे हैं इनकी बात नहीं लिखी जानी चाहिये...

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

दूसरी बात यह है कि जो 20 सूत्री कार्यक्रम हैं, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, हरिजन कल्याण और दूसरे विभागों के लिए जो कार्यक्रम हैं, वे विभिन्न मदों में शामिल हैं। जैसे स्वास्थ्य का आज बजट है, उसमें भी यह शामिल है...

(व्यवधान)

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

राजेन्द्र कुमार गुप्त का व्यवस्था का प्रश्न सुना। तब आप मुझे अवसर क्यों नहीं दे रहे हैं ? उन्हें सुना तो मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

कृपया बैठिये। आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं। यह कोई तरीका नहीं है। ओझा जी, बैठ जायं। मैंने विमल प्रसाद तिवारी का नाम लिया है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

अगर सभी माननीय सदस्य बोलने की बात करेंगे तो यह कोई तरीका न होगा।

(व्यवधान)

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

जब मैं खड़ा हुआ हूं, आपको कोई अधिकार नहीं है खड़े होने का।

(व्यवधान)

कृपाकर आप लोग बैठ जायं। मैं आपको आज्ञा नहीं दूंगा। अकबर साहब बैठिये।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने और बोलने पर)

[श्री अध्यक्ष--]

मैं इस तरीके से बोलने नहीं दूंगा । मैंने सभी माननीय सदस्यों को सुना है । मैं अपना निर्णय देने जा रहा हूं । मैंने नेता विरोधी दल का व्यवस्था का प्रश्न सुना लिया है ।

(व्यवधान)

जब नेता विरोधी दल ने अपनी बात कह दी आप सभी की बातें हो गईं ।

(व्यवधान)

तिवारी जी, आप बैठें । आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

(शोर)

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, आप मुझे आज्ञा दे चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष--

हां, दे चुका हूं । फिर भी बैठिये ।

(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ वर्मा--

आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें । मैं पहले भी खड़ा हुआ था ।

(कई सदस्य खड़े हो गये और बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष--

मैंने सुन लिया है सभी को ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री जसवन्त सिंह विष्ट, श्री राम गोविन्द तथा श्री गोपीनाथ वर्मा सदन के फ्लोर पर आकर खड़े हो गये और यह सरकार की नीति है, कांग्रेस पार्टी की नीति नहीं । यह पैसा इस प्रदेश की जनता का है, ऐसे नहीं चलने पायेगा आदि कहने लगे)

(व्यवधान)

(श्री रियाजत हुसैन के प्रयास से 'फ्लोर' पर खड़े सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

यह इनके घर का पैसा नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

यह सरकार का पैसा है, कांग्रेस पार्टी का पैसा नहीं है । विधान सभा नहीं चलेगी ।

श्री अध्यक्ष---

कृपया आप लोग बैठें ।

(शोर)

अत्यधिक शोर के कारण मैं सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 47 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित हुई । 1 बजकर 2 मिनट पर मार्शल ने सदन की कार्यवाही आधे घंटे और स्थगित रहने की सूचना सदन को दी । 1 बजकर 32 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट पुनः स्थगित रहने की सूचना मार्शल द्वारा दी गई । 1 बजकर 47 मिनट पर मार्शल ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट और स्थगित रहने की सूचना दी । 2 बजकर 2 मिनट पर मार्शल ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट और स्थगित रहने की सूचना दी ।

तदुपरान्त 2 बजकर 12 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

*मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)---

माननीय अध्यक्ष जी, अभी एक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में जब वह सदन में आया तो यहां पर उसके सम्बन्ध में कुछ भावनायें व्यक्त की गईं और कुछ विशेष रूप से उनमें आवेश भी व्यक्त हुआ । उसका एकमात्र कारण दिखाया गया कि 20 सूत्री कार्यक्रम की जो कमेटियां बनी हैं उनमें विरोधी दल के विधायक नहीं रखे गये । उसका उत्तर यह दिया गया था 20 सूत्री कार्यक्रम जो है, शासन ने उसके कार्यान्वयन के लिये कमेटियां बनाई हैं और उसको चलाने के लिये उनमें विधायकों और अन्य लोगों का भी नामांकन किया गया है । उस पर दुर्भाग्य से इस सदन को अध्यक्ष जी, आपको कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा ।

अभी माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं के बीच हम लोगों की बात हुई । उसके सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शासन का कतई कोई इरादा किसी जनप्रतिनिधि के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करने का नहीं है, न रहा है, न आज है और न आगे कभी होगा । शासन अपने कार्यक्रम को सुचारु रूप से कराने में अत्यन्त ही समर्पित है और सुचारुरूप से कार्यक्रम चले इस कारण से शासन ने यह नीति अपनाई है । आज जो यहां पर भावना व्यक्त की गई है उसको देखते हुए हमारे कार्यक्रम जैसे भी और जिस तरह से भी सुचारुरूप से कार्यान्वित हो, लोग हमें सहयोग दें, हम विचार करेंगे और विरोधी दल के सभी नेता निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को सुचारु-रूप से चलाने के लिए जो भी सुझाव हम देंगे, उसके हिसाब से कार्यवाही की जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

अब हम लोग इस पर काफी बात कर चुके हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आप सुन लें । यदि मैं कोई इरैलिवेन्ट बात कहूं तो आप मुझे रोक दीजियेगा ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं एक बात ही कहना चाहता हूं । जो बात माननीय नेता सदन ने कही है उसमें हो सकता है एक बात स्लिप कर दी हो और वहां पर तय हुआ था कि आप कमेटियों का रीकांस्टीट्यूशन करेंगे । मैं समझता हूं कि शायद आप भूल गये हों । कमेटियों के पुनर्गठन की बात हुई थी । तो इस बारे में आप स्पष्ट कर दें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह बात सही है कि हमारी संसदीय नियमावली है और आपके कक्ष में जो हम लोगों की बातें होती हैं उनका उल्लेख यहां पर नहीं किया जाना चाहिये लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी बातें पैदा हो जाती हैं जिससे कि लक्ष्मण रेखा को पार कर देना पड़ता है । मान्यवर, आपकी उपस्थिति में माननीय नेताओं की मुख्य मंत्री जी की और अन्य लोगों की वार्ता हुई और उसमें यह तय हुआ कि कमेटियों का पुनर्गठन किया जायेगा और किसी विधायक में कोई भेद-भाव नहीं किया जायेगा क्योंकि सदन के अन्दर तो पक्ष और प्रतिपक्ष होता है लेकिन सदन के बाहर विधायकों में कोई भेद नहीं है । इस सम्बन्ध में आपसे घोषणा चाहूंगा ।

श्री श्रीपति मिश्र--

मैंने पहले ही कहा कि जनप्रतिनिधियों में भेदभाव करने का न कभी विचार था और न है और न भविष्य में होगा । दूसरा आपने जो भावना व्यक्त की कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम में सहयोग देंगे या डेवलपमेन्टल कार्यक्रमों में सहयोग देंगे उसको देखते हुए हम नेताओं की बैठक बुला कर उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो कमेटियां गठित हुई उनका पुनर्गठन करें, उनको और अच्छा बना कर गठित करेंगे ।

(समय 2 बजकर 18 मिनट)

भूतपूर्व सदस्य, श्री बलबीर सिंह के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष शोकोद्गार व्यक्त करना चाहता हूं । सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री बलबीर सिंह जी का निधन 14 फरवरी, 1983 को सुबह मेरठ मेडिकल कालेज में हो गया । मृत्यु के समय उनकी आयु 64 वर्ष की थी । स्व0 बलबीर सिंह 1967 में पहली बार एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

निर्दलीय सदस्य के रूप में इस सदन में आये थे और उसके पश्चात् 1969 में वे पुनः भारतीय क्रान्तिदल के टिकट पर चुन कर इस सदन में आये तदुपरान्त 1977 में भी जनता पार्टी के टिकट पर चुन कर इस सदन में आये। इस प्रकार एक मंत्री के रूप में, एक विधायक के रूप में उन्होंने यहां कार्य किया। मुझे विशेष रूप से उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला। जिस तरह से वे अपने कार्य को लगन और बुद्धिमानी तथा मेहनत से जनहित में करते थे वह बहुत प्रशंसनीय बात थी। ऐसे नेता का दिवंगत होना हम सब के लिए दुख की बात है जिसकी क्षतिपूर्ति होना भी सम्भव नहीं है। हम अपने हृदय से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और चाहते हैं कि उनके शोक सन्तप्त परिवार तक हमारी भावनाएं पहुंच जायें और इस दुःख को सहन करने की शक्ति उनको ईश्वर दे।

श्री राजेन्द्र सिंह--

अध्यक्ष महोदय, ठा० बलबीर सिंह के निधन पर जो सम्वेदना माननीय नेता सदन ने व्यक्त की है मैं अपने आप को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन्, बलबीर सिंह जी से मेरा वास्ता आपातकाल की उन घड़ियों में पड़ा जब बनारस जेल में हम लम्बे अर्से तक रहे। वैसे तो मैं यह मानता हूं कि ईश्वर ने जितने साल उम्र दे रखी है आदमी उतने ही साल तक जिन्दा रहता है लेकिन मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि बलबीर सिंह जी की जल्दी मृत्यु का कारण आपातकाल में जो हुआ, जो यातनाएं दी गयी उसमें उनको हार्ट-एटैक बनारस में हो गया था। मैं तो और भी भावभीनी श्रद्धांजलि उनके प्रति अर्पित करना चाहता हूं क्योंकि उसके बावजूद उन्होंने बाहर निकलना स्वीकार नहीं किया और बहुत लम्बे अर्से तक बनारस जेल में रहे। वह अजीब समय था। हम चाहते थे कि उनकी सेवा करें, लेकिन क्रूर शासन ने उनको सोलैटरी-कनफाइनमेन्ट दे रखा था इसलिए हम उनकी सेवा अधिक नहीं कर पाये। श्रीमन् उनका क्षेत्र पहले सर्वोदयी था, वह सर्वोदयी विचार के थे और सर्वोदयी कार्यों में हिस्सा लेते थे। श्रीमन् ऐसे महान् व्यक्ति के लिए जिसने आपातकाल की यातनाएं सही हों और जो जल्दी ही काल के मुंह में चला गया है, उनके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी भावनाओं को पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री फखरे आलम--

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री बलबीर सिंह के निधन पर माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री बलबीर सिंह ने वहैसियत सदस्य और मंत्री के इस प्रदेश की बहुत सेवा की और उनका बड़ा योगदान रहा। हमें दुख है कि वह ऐसे मौके में हमसे अलग हो गये जब उनकी ज्यादा जरूरत थी, आगे चलकर वह बहुत योगदान दे सकते थे और प्रदेश की सेवा कर सकते थे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमारी तरफ से और हमारे दल की तरफ से उनके दुखी परिवार तक हमारी भावनाओं को पहुंचाने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अभी श्री बलबीर सिंह के निधन के सम्बन्ध में जो उद्गार नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य दलों के माननीय नेताओं ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, मुझे भी पिछली बार से विधान सभा के सदस्य होने के नाते उनके नजदीक जाने का मौका मिला और आपातकाल के समय जब वह वाराणसी जेल में बन्दी थे, मैं भी वहां रहा था तो नजदीक जाने का मौका मिला और नजदीक से उनका जीवन देखा है। यह सही है कि वह एक बहुत ही कर्मठ और त्याग में अपना जीवन बिताने वाले उदार व्यक्ति थे। उनका जीवन सामाजिक कार्यों में समर्पित था और वह आज हमारे बीच से चले गये। उनके न रहने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनैतिक जीवन में एक रिक्तता हुई है। वह काफी समय से बीमार थे लेकिन फिर भी सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को उससे सहयोग मिलता था। हमारे बीच से उनके चले जाने से एक अभाव हुआ है। मैं भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक सन्तप्त परिवार तक हमारी और हमारे दल की भावनाएं पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, स्व0 श्री बलबीर सिंह के सम्बन्ध में जो नेता सदन और नेता विरोधी दल एवं अन्य दलों के नेताओं ने विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन्, ठाकुर साहब के साथ मुझे रहने का मौका मिला है तो उनमें हमने एक खास क्वालिटी देखी थी कि वह जिस चीज पर कन्विन्स हो जाते थे कि यह सही है तो फिर वह उस काम को करने में जल्दी से जल्दी ऐक्शन लेते थे, यह चीज मैंने जितने लोग मेरे सम्पर्क में आये, उनमें यह क्वालिटी नहीं देखी, इससे हमको बहुत कुछ सीखना है। श्रीमन्, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप हमारी जो भावनाएं हैं उनको उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे।

श्री भीखा लाल--

अध्यक्ष महोदय, स्व0 श्री बलबीर सिंह के सम्बन्ध में जो विचार नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, उनसे मेरा परिचय 1967 में, जब वह पहली बार चुनकर आये थे तब हुआ था। वह बहुत ही मृदुभाषी और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, मित्रता की भावना उनमें कूट-कूट कर भरी थी। जिनके सम्पर्क में वह आते थे, उसके बहुत ही नजदीकी मित्र होते थे। इस प्रकार मेरा भी उनसे सम्बन्ध रहा। जब तक वह इस सदन में रहे अच्छा खासा परिचय रहा। उनके न रहने से मुझे भी काफी क्षोभ है। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे और मेरे दल के विचार उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने जो भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, मैं भी अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। जहां तक ठाकुर बलबीर सिंह जी का सम्बन्ध है, वह पहली बार सन् 1967 में विधायक के रूप में इस सदन में आए, मैं भी इस सदन का उस वक्त सदस्य था। 1969 में मैं और वह दुबारा आये, तिबारा 1977 में आये। वह बहुत अच्छे सरल भाव के व्यक्ति थे और उनको देखने से यह नहीं पहचाना जा सकता था कि मंत्री बनने के बाद भी उनमें किसी प्रकार का घमण्ड, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया या वातावरण उनके मस्तिष्क में रहता हो। उनमें बहुत ही सादगी थी और गरीब आदमियों से उनका ज्यादातर सम्बन्ध रहता था। वह बहुत परिश्रम करते थे, उनका जीवन बहुत सादा था, उनमें भाई-चारा था। इस प्रकार का वातावरण उनके दिमाग में रहता था कि किस प्रकार मैं अधिक अपना काम समाप्त करने के बाद गरीबों की सेवा कर सकूं। तो जो माननीय नेताओं ने विचार व्यक्त किये हैं, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं, और जो श्रद्धांजलि अर्पित की गयी है उसे उनके संतप्त परिवार को मैं भेज दूंगा।.....अब दो मिनट के लिए हम मौन खड़े हों।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए।)

भूतपूर्व सदस्य, श्री जगन्नाथ सिंह के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मन्त्री (श्री श्रीपति मिश्र)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दुःख के साथ सदन के समक्ष यह सूचना रखना चाहता हूं कि श्री जगन्नाथ, जिनकी आयु 95 वर्ष थी, 19 दिसम्बर, 1982 की रात्रि में उनका निधन बलिया में गांधीनगर स्थित तारा प्रिंटिंग प्रेस में हो गया है। स्व0 जगन्नाथ सिंह जी 1887 में पैदा हुए थे। वह आरम्भ से ही विद्यार्थी जीवन से ही स्वतंत्रता और आजादी के प्रति समर्पित थे। सन् 1952 में वह इस सदन के सदस्य हुए, इससे अलावा वह विधान परिषद् के भी सदस्य रहे थे। इनके पूर्वज फतेहपुर सीकरी के रहने वाले थे। इसका रेफरेन्स मैं इसलिये दे रहा हूं कि 1857 में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के कारण मजबूर होकर इनके परिवार वालों को भी वहां से निष्कासित होना पड़ा था और अपना जन्म-स्थान छोड़कर बलिया आना पड़ा था। वह भी अपनी वंश परम्परा के अनुसार सदैव स्वतंत्रता के लिये जूझते रहे और जब तक यह रहे यह सदैव स्वतंत्रता के संघर्ष में आगे रहे। 1920 के आन्दोलन में तथा अन्य आन्दोलनों में इन्होंने बराबर आगे बढ़कर हिस्सा लिया और जेल जाते रहे।

तत्पश्चात् बलिया में इन्होंने अपना कार्यकलाप आरम्भ किया। आजादी की भावना, देश सेवा और जन सेवा में ही वे सदैव रत रहते थे। उन्होंने सदा ही गरीबों के लिए और देश की भलाई के लिये ही कार्य किया। उन्हीं के लिये वे सदा सोचते रहते थे। उनके निधन से एक बहुत बड़ी क्षति हुई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्रीपति मिश्र--]

है । जो एक आदर्श वे छोड़ कर गये हैं उसके प्रति समर्पित होने की आज आवश्यकता है, उसको अपनाने की जरूरत है । मैं हृदय के अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी भावनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

अध्यक्ष जी, स्वर्गीय श्री जगन्नाथ सिंह जी के विषय में, उनके निधन पर जो सम्वेदना के भाव माननीय नेता सदन ने व्यक्त किये हैं उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । स्वर्गीय श्री जगन्नाथ सिंह जी को देशभक्ति, देश प्रेम और देश सेवा विरासत में अपने पूर्वजों से मिली हुई थी और यही कारण था कि उन्होंने बचपन से ही स्वतंत्रता संग्राम में अपने आपको झोंक दिया था । वे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की अग्रिम पंक्ति में रहते थे । आजादी की लड़ाई के समय वे अपनी एक टीम लेकर गए थे और सत्याग्रह किया था । वे अनेक बार जेल गये और यातनायें सही । ऐसे व्यक्ति से, जिसका जीवन सदा ही संघर्षमय बीता हो, देश सेवा में ही बीता हो, हमें सदा ही प्रेरणा मिलती रहेगी । उनके निधन से पूरे प्रदेश में एक ऐसी रिक्तता आयी है जिसकी पूर्ति सम्भव नहीं है । उस महान् व्यक्ति के प्रति मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन है कि आप हमारी भावनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री फखरे आलम--

अध्यक्ष महोदय, 1920-21 की लड़ाई में जिन सूरमाओं ने हिस्सा लिया था, वे एक-एक करके रुखसत होते जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो थोड़े से सूरमा रह गये थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिन्होंने हमको एक रास्ता दिखाया, हमारी मुश्किलों के वक्त जिन्होंने हमको एक रास्ता दिखलाया, जिनके सहयोग से हम अपनी बहुत सी कठिनाइयों को दूर कर सकते थे, वे हमसे रुखसत हो रहे हैं इसका हमें बहुत दुःख है । इनमें कोई शक नहीं है स्वर्गीय श्री जगन्नाथ सिंह जी 95 वर्ष के थे और वह एक ऐसी उम्र थी जिसके बाद जिन्दा रहने की ख्वाहिश किसी की नहीं रह जाती, मगर ऐसे लोग जब तक जिन्दा रहते हैं हमारे सामने एक नमूना बन रहते हैं; हमें वे एक रास्ता दिखाते रहते हैं । उनका उठ जाना एक बहुत ही दुःख की बात है । स्वर्गीय श्री जगन्नाथ सिंह जी के बारे में माननीय नेता, सदन और माननीय नेता, विरोधी दल ने जिन ख्यालात का इजहार किया है, मैं अपने को और अपने दल को उससे पूरी तरह सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी तरफ से और हमारे दल की तरफ से दुःखी परिवार को यह खबरें पहुंचायें कि हम उनके गम में पूरी तरह शरीक हैं और मैं दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अध्यक्ष जी, श्री जगन्नाथ सिंह के निधन के सम्बन्ध में जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा नेता लोकतंत्र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समाजवादी दल द्वारा व्यक्त किये गये, उनसे मैं अपने तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, वह आजादी की लड़ाई के सूरमा थे और प्रारम्भ से ही, अपने छोटेपन से ही वह व्यावहारिक लड़ाई में आगे बढ़े और उनका जीवन आजादी की लड़ाई में समर्पित हुआ। जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद वह विधायक भी रहे और सामाजिक कार्य में लगे रहे। इस समय वृद्धावस्था में रहे, लेकिन इसके बाद भी उनके जिले में रहने के कारण, उनका एक बहुत बड़ा सहारा था। आजादी की लड़ाई में उनका नाम सोने के अक्षरों में लिखा जायगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी और अपने दल की श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी भावनायें उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री रियासत हुसैन—

माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह बलिया की धरती के थे और बलिया की धरती को यह गौरव प्राप्त है कि उस बलिया जनपद ने मंगल पाण्डेय को, चित्तू पाण्डेय को और उसी जगह से स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह को पैदा किया। श्रीमन्, यह जितने क्रान्तिकारी थे और 90 साल की उम्र से ज्यादा हो जाने के बावजूद भी पिछले एक-डेढ़ साल पहले जब पूर्वांचल के इब्राहीमपट्टी गांव में एक अधिवेशन हुआ था, तो वह उनको प्रिजाइड कर रहे थे, चूंकि वह जनता पार्टी के सदस्य थे और मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि मैं उनके पास बैठा हुआ था। उनके विचार कितने क्रान्तिकारी और कितने समाज के उत्थान के लिए और अपने जिले और प्रदेश के विकास के लिये, उनकी जो भावनायें थी, उनसे मैंने बहुत प्रेरणा हासिल किया। जो माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने विचार प्रकट किये हैं। उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि उनके दुखी परिवार को मेरी और मेरे दल की जो भावनायें हैं, उन तक भेजने की कृपा करें।

श्री भीखा लाल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री जगन्नाथ सिंह के प्रति माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, उस महान क्रान्तिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से संवेदना का संदेश उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

स्वर्गीय श्री जगन्नाथ सिंह के प्रति नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, मैं भी उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। ये उन पीढ़ियों के व्यक्ति थे जब वह छोटे थे, आजादी प्राप्त कर लिया। जब दीवालों की टोलियां निकलती थी, बचपन से ही सुनहरे अक्षरों में उनका नाम लिखा जाने लगा था। महात्मा गांधी को जब-जब आवश्यकता पड़ी, तब-तब उन्होंने अपने को न्योछावर किया और देश की आजादी प्राप्त करने के बाद दिन-रात सेवा कार्य करते थे। इन विचारों के साथ जो माननीय नेताओं ने अपने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष---]

विचार व्यक्त किये हैं, मैं भी उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए उनके दुखी परिवार को संवेदना के विचार भिजवा दूंगा। अब हम दो मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर 2 मिनट के लिये मौन खड़े हुए।)

भूतपूर्व सदस्य, श्री शम्भू नाथ चौधरी के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री शम्भू नाथ चौधरी का देहावसान 30 दिसम्बर, 1982 को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सर सुन्दर लाल अस्पताल में हृदय गति रुक जाने से हुआ। स्वर्गीय चौधरी की आयु 52 वर्ष की थी, इस तरह से कम आयु में उनका निधन अधिक शोक पैदा करने वाला है। श्री चौधरी प्रथम बार 1979 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर इस सदन के सदस्य हुए थे। उसके पश्चात् 1977 में वह इस सदन के सदस्य रहे। मेरा उनसे व्यक्तिगत परिचय था। उनके कार्य-कलाप आम जनता के प्रति समर्पण के बारे में थे अपनी बातों को मजबूती से कहने, उसके प्रति संघर्ष करने के बारे में वह जानकारी रखते थे। उन्होंने सन् 1957 से लेकर सन् 1968 तक अपने विचारों के लिए, अपने विचार के प्रदर्शन और जनता के हित के लिए, अनेकों बार उन्होंने जेल यात्रायें कीं और अपने संघर्ष की लड़ाई को बराबर कायम रखा। वह एक बड़े सतर्क, बड़े कर्मठ, किसानों के प्रति लड़ने वाले राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता थे। इस कम आयु में उनके निधन से हम हार्दिक दुख प्रकट करते हैं। मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से उनके प्रति श्रद्धान्जिलि अर्पित करता हूं। मान्यवर, आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे शोकोद्गार के भाव उनके परिवार तक आप पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र सिंह---

अध्यक्ष महोदय, श्री शम्भूनाथ चौधरी के निधन पर संवेदना के जो भाव माननीय नेता सदन ने व्यक्त किये हैं मैं और मेरा दल उनसे अपने को संबद्ध करता है।

श्रीमन् शम्भू नाथ जी की भी बलिया के ही एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी एक छाप रही है। उन्होंने उस क्षेत्र में अपने विद्यार्थी जीवन से ही सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। काशी विश्वविद्यालय की यूनियन इत्यादि में उनका पार्टिसिपेशन और सहयोग रहा। यही नहीं श्रीमन् जब मंदिरों के अंदर हरिजनों की पहुंच नहीं थी, तब उन्होंने हरिजनों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए काफी संघर्ष किया, आन्दोलन किये और कई जत्थे हरिजनों के मंदिरों में ले जाकर, उन्हें मंदिरों में प्रवेश कराया। मान्यवर, वे एक समाजसेवी थे। उन्होंने पिछड़ी जाति के उत्थान के लिये बहुत संघर्ष किया। पिछड़ी जाति के लिए न्याय दिलाने के लिये, उनको आगे लाने के लिए, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए, वे सामाजिक स्तर पर सदैव संघर्षरत रहे, अनेकों बार इस मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन वे अपनी विचारों की दृढ़ता के के कारण उनमें अड़े रहे और सदैव उनके लिये प्रयत्नशील रहे। श्रीमन्, निश्चित

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तौर से शम्भू नाथ जी के निधन से हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक सामाजिक व राजनैतिक कार्यकर्ता को खोया है ।

श्रीमन्, मैं अपनी तरफ से व अपने दल की तरफ से उनके निधन पर संवेदना के भाव व्यक्त करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री फखरे आलम--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री शम्भूनाथ चौधरी के निधन पर, माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने जो संवेदना के भाव व्यक्त किए, उनसे मैं अपने को और अपने दल को संबद्ध करता हूं ।

बाबू शम्भू नाथ चौधरी एक कर्मठ, जन सेवा करने वाले राजनीतिज्ञ थे । उन्होंने जो सोशल रिफार्म करने की कोशिश की और जिस तरह से जनता की सेवा करते रहे, उससे वे प्रेरणा के स्रोत हैं । उनकी जिन्दगी से एक सबक लेना चाहिए, जिससे जनसेवा करने की भावनायें पैदा हो सकें । मुझे दुख इस बात का है कि उनका निधन बहुत कम अवस्था में हो गया, जबकि वे बहुत दिन तक जनता का काम कर सकते थे, उसकी सेवा कर सकते थे । तो यह तो कुदरत का निजाम है कि कोई जल्दी जाता है, कोई देर से जाता है, जाना सबको है ।

मान्यवर, मैं अपने और अपने दल की तरफ से श्री शम्भू नाथ चौधरी जी के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी संवेदनाएं उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय शम्भू नाथ चौधरी विचारों से कट्टर, परन्तु व्यवहार में विनम्र, संघर्षशील जुझारू स्वभाव के व्यक्ति थे । वे जब इस आदरणीय सदन के सदस्य थे, प्रतिपक्ष में अपने दल के उप नेता की हैसियत से बैठते थे, तो उनके सरकार पर बड़े तीखे प्रहार होते थे । वे एक योग्य राजनीतिज्ञ थे । आज उनका अभाव राजनीति के क्षेत्र में खलने वाला है ।

इन शब्दों के साथ उनके संबंध में जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, नेता लोकतांत्रिक समाजवादी दल ने व्यक्त किए हैं, मैं उनसे अपने को एवं अपने दल को संबद्ध करता हूं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी और मेरे दल की भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री रियासत हुसैन--

स्वर्गीय श्री शम्भू नाथ चौधरी प्रदेश के पूर्वांचल के एक समाजवादी आन्दोलन की प्रमुख कड़ी थे । वह इस सदन के अन्दर जब थे तो अपने क्षेत्र व प्रदेश के विकास से संबंधित पिछड़े वर्ग से संबंधित समस्याओं पर जिस तरीके से भाषण, प्रश्न, आदि द्वारा अपने विचार व्यक्त किया करते थे वह हमेशा के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसेन--]

लिए इस सदन की कार्यवाही में एक मिसाल की तौर पर है। जब वह यहां इस सदन में थे तो उनसे इस सरलता के साथ हंसी मजाक हुआ करती थी, बहुत अच्छी स्पीच दिया करते थे। नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने जो विचार व्यक्त किए हैं मैं अपने तथा अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं और आप से निवेदन करता हूं कि दुखी परिवार तक हमारी श्रद्धांजलि भेजने की कृपा करें।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय नेताओं ने जो भाव व्यक्त किए हैं मैं अपने तथा अपने दल को उससे संबद्ध करता हूं और श्री चौधरी के निधन पर हार्दिक शोक व्यक्त करता हूं तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप से आग्रह करता हूं कि मेरी और मेरे दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी भावनायें पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष--

स्वर्गीय शम्भू नाथ चौधरी के बारे में नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य माननीय नेताओं ने जो भाव प्रकट किए हैं, मैं भी उनसे अपने को संबद्ध करता हूं। जहां तक शम्भू नाथ चौधरी का संबंध था, वह दो बार इस सदन में रहे और मैं जब यह देखता था कि वह शेर के तरीके से विपक्ष में बैठ कर समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रश्नों के माध्यम से हर तरह से शासन की बात कहने के लिए खड़े होते थे। तो उनका भाषण इतना ओजस्वी हुआ करता था कि बयान नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्य है प्रदेश का कि उनकी मृत्यु 52 वर्ष की आयु में हो गई और वह हमारे बीच से चले गए। इन शब्दों के साथ जो माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय नेताओं ने भाव प्रकट किए हैं और श्रद्धांजलि अर्पित की है, उन्हें मैं दुखी परिवार तक भेज दूंगा। अब हम दो मिनट के लिए मौन खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर 2 मिनट के लिए मौन खड़े हुए।)

बेसिक शिक्षा परिषद् पौड़ीगढ़वाल के स्कूलों में शिक्षकों की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनायें प्राप्त हुई, जिसमें से 5 सूचनायें स्वीकृत हुई और शेष को मैंने अस्वीकार किया है। स्वीकृत सूचनायें इस प्रकार हैं--श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री राम आसरे वर्मा, श्री गोपी नाथ बर्मा, श्री पंचानन राय तथा सर्वश्री अकबर हुसैन, रियासत हुसैन, राम गोविन्द।

*श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

महोदय जनपद पौड़ी गढ़वाल में बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों में गत दो वर्षों से अध्यापकों की नियुक्तियां न किये जाने से स्कूल खाली पड़े हैं जिससे छात्रों का भविष्य घोर अंधकार में है। मेरे द्वारा अनेक बार शासन संयुक्त शिक्षा निदेशक (पर्वतीय) तथा मन्डल एवं जिला स्तरीय शिक्षा अधिकारियों को कई बार लिखने पर भी तथा जिला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिक्षा समिति की अनेक बैठकों में बेसिक शिक्षा अधिकारी पौढ़ी गढ़वाल द्वारा शीघ्र अध्यापकों की नियुक्ति के आश्वासनों के बावजूद भी जानबूझ कर नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। इस प्रकार जनपद में शिक्षा विभाग शासन, जनता एवं जन प्रतिनिधियों के आग्रहों को ताक में रखकर अपनी मनमानी से विद्यालयों को बिना अध्यापकों के ही चलाना चाहता है, जिससे अभिभावकों में भारी असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त हो गया है। इस भयंकर स्थिति ने लोगों को आन्दोलन करने के लिए मजबूर कर दिया है जिससे स्थिति गम्भीर रूप से विस्फोटक हो गई है।

अतएव मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीया शिक्षा मंत्री से निवेदन करता हूं कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल में बेसिक शिक्षा परिषद् के सभी प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में तत्काल अध्यापकों की पूर्ण व्यवस्था की जाय तथा जनपद पौढ़ी गढ़वाल में शिक्षा विभाग की धांधलियों की जांच करायी जाय तथा दोषी अधिकारियों को दन्डित किया जाय।

गौसगंज (हरदोई) के निकट सई नदी में तीन नावों के डूबने से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, हरदोई की गौसगंज स्थित सई नदी में 17 जनवरी, 1983 को तीन नावें डूब गयीं। दो छात्रों, एक शिक्षक की लाशें नदी से निकाली गयीं। 22 छात्रों को डूबने की स्थिति से बचा लिया गया। नाव एवं व्यक्तियों के डूबने की घटनायें इससे पूर्व भी होती रही हैं। किन्तु हाल की इस घटना से पूरा क्षेत्र दहल उठा है। इस घटना का पूर्ण दायित्व उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के ऊपर आता है, जो 1977 में स्वीकृत पुल को बनाने में आना-कानी करता चला आ रहा है। पुल न बनने से जहां एक ओर यह घटनायें घट रही हैं वहीं संडीला-गौसगंज-मेहदीघाट का 42 कि0 मी0 डामरयुक्त मार्ग जीर्ण स्थिति में पहुंचता जा रहा है। स्वीकृति के समय 15 लाख रु0 की लागत से बनने वाले इस पुल में अब लगभग 35 लाख रुपये का अनुमानित खर्च लग जायेगा। निगम शासन को पहुंचने वाली आर्थिक क्षति के इस दायित्व से भी मुक्त नहीं हो सकता है। इन स्थितियों से जनता में रोष व्याप्त है।

लोक महत्व की इस अविलम्बनीय सूचना से सदन को अवगत कराते हुए मांग करता हूं कि पुल का निर्माण एवं मार्ग का जीर्णोद्धार कराया जाय।

टांडा ब्लाक (फैजाबाद) में नीलगायों द्वारा फसल को नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, फैजाबाद के अन्तर्गत ब्लाक टांडा में सैकड़ों नीलगायों, जंगली जानवरों द्वारा हजारों एकड़ भूमि पर खड़ी फसल को नष्ट करके प्रति वर्ष लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान किये जाने के सम्बन्ध में सूचना देनी है कि महोदय, उक्त ब्लाक में जंगली जानवरों द्वारा आतंक पैदा कर दिया गया है। फसलों को

[श्री गोपी नाथ वर्मा--]

नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ ग्रामीणों पर जान लेवा हमला करके घायल करने का प्रयास भी किया गया । फसलों की सुरक्षा हेतु किसानों द्वारा प्रयास किया जा रहा है परन्तु प्रयास असफल रहा जिसके सम्बन्ध में परगना अधिकारी, जिलाधिकारी को आवेदन-पत्र दिया गया जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही संभव न हो सकी जिसके कारण गारा गुजर, बेल्हरी, बसावनपुर, ब्राहिमपुर, कुसुमा आदि दर्जनों ग्राम बेहद प्रभावित हैं ।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को सरकार तथा सदन के संज्ञान में लाते हुए मांग करता हूं कि सरकार उक्त जंगली जानवरों से हजारों एकड़ भूमि पर लगी फसलों तथा ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु जंगली जानवरों को पकड़वाने या मारने हेतु आदेश करें जिससे जन-धन सुरक्षित किया जा सके । अन्यथा किसान स्वयं कानून हाथ में लेकर सुरक्षा की व्यवस्था करने हेतु बाध्य होगा ।

महुला-गढ़वल बांध (आजमगढ़) के रख-रखाव हेतु स्वीकृत धन के फर्जी भुगतान हो जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पंचानन राय---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन तथा राज्य सरकार का ध्यान भ्रष्टाचार के एक सनसनीखेज मामले की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं ।

आजमगढ़ जनपद के सिंचाई विभाग में महुला-गढ़वल बांध तथा घाघरा नदी के कटाव से रख-रखाव के लिये शासन द्वारा अभी-अभी 21 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी । मैंने 20 फरवरी, 1983 को अधिशासी अभियन्ता का ध्यान मरम्मत कराये जाने की ओर जब आकृष्ट किया तो उन्होंने बताया कि सहायक अभियन्ता काम नहीं करना चाहते हैं । अग्रेतर छानबीन करने पर मुझे यह पता चला कि इस 21 लाख रुपये का बिना काम कराये फर्जी बकाये के नाम पर भुगतान कर दिया गया है । घाघरा नदी का कटाव बाढ़ के समय स्वयं मुख्य मन्त्री जी ने देखा था । बन्धे की स्थिति भी खराब है । उसमें टूट-फूट के कारण उस पर चलने वाली राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें बन्द कर दी गयी हैं इससे जनता को भी कठिनाई है ।

स्वीकृत पैसे का फर्जी भुगतान हो जाने से कटाव से पीड़ित जनता को राहत नहीं मिलेगी तथा भ्रष्टाचारी अपने निजी हित में इस धन का प्रयोग करेंगे । यह भ्रष्टाचार का मामला अत्यन्त गम्भीर है । हमारी राज्य सरकार से मांग है कि इस मामले पर तत्काल जांच करायें तथा तथ्यों से सदन को अवगत करायें एवं दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कठोर दंड दें, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कानपुर, इटावा एवं फर्रुखाबाद में बच्चों का अपहरण करने वाले गैंग के श्री रघुवीर सिंह के पुलिस नियंत्रण से भाग जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबर हुसैन---

महोदय, कानपुर देहात क्षेत्र की पुलिस ने एक इंटरस्टेट गैंग, जो कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय है, को पकड़ा है। इस गैंग ने अब तक लगभग 42 बच्चों का जो 11 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के सम्मिलित हैं, को बहला फुसलाकर ले जाकर मेढक, चिकमगलूर तथा जूनागढ़ गुजरात में बेच दिया जहां वह लोग बोन्डेड लेबर की तरह कार्य कर रहे हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने अख्तर खां, बदायूं को मेडक में ही गिरफ्तार किया जबकि वह बच्चों को बेच रहा था तथा दूसरे मुलजिम का जूनागढ़, गुजरात में गिरफ्तार किया जिसका नाम शकील अहमद है परन्तु रघुवीर सिंह पुलिस को धोखा देकर भाग गया जहां वह कानपुर देहात में पुलिस द्वारा चार बच्चों सहित गिरफ्तार किया गया है। गैंग बच्चों को अच्छी नौकरियां दिलाने के बहाने बहुत फुसलाकर इस तरह की घटना करता है।

इस घटना के सक्रिय होने के कारण कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद और आसपास के क्षेत्रों में एवं जनपद में व्यापक रूप से असंतोष, अविश्वास और बच्चों में भय उत्पन्न हो गया है और जनपदों में बच्चों का घरों से निकलना बन्द कर दिया गया है। जिसकी वजह से ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मां-बाप अपने बच्चों को व्यापक रूप से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

अतः मैं लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत माननीय मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

एक सदस्य---

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, कुछ काम बढ़ने दीजिये।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की 27वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण†

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की 27वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण (वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 1982) को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापा नहीं गया।

श्री हरि किशन श्रीवास्तव, श्री मुख्तार अनीस, श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री लटूरी सिंह एवं श्री रेवती रमण सिंह के दल-परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि श्री हरि किशन श्रीवास्तव (जिला कानपुर), श्री मुख्तार अनीस, (जिला सीतापुर), श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी), श्री लटूरी सिंह (जिला एटा) एवं श्री रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी (जिला इलाहाबाद) जो कि अभी तक विधान सभा में डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट पार्टी के सदस्य थे, उन्होंने उक्त दल से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है और उपरोक्त पांचों सदस्य अब निर्दलीय सदस्य के रूप में सदन की कार्यवाही में भाग लेंगे।

महोली, जनपद सीतापुर में गन्ना किसानों पर पुलिस द्वारा लाठी-चार्ज एवं गोली वर्षा किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)--

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 25 जनवरी, 1983 को श्री हरगोविन्द वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने श्री लक्ष्मी जी शुगर मिल, महोली के गेट पर एक सभा कर गन्ना कृषकों से कहा कि गन्ने के मूल्य का नकद भुगतान प्राप्त किये बिना वे मिल को गन्ना न दें। फलस्वरूप दिनांक 26 जनवरी, 1983 को कृषकों में से उनके कुछ समर्थकों ने गन्ने की तौलाई रुकवा दिया जिससे उसी दिन शाम 6.40 बजे मिल बन्द हो गई। परन्तु मिल के रिसीवर तथा गन्ने की आपूर्ति के लिए इच्छुक कृषकों से बातचीत के फलस्वरूप गन्ने की तौलाई पुनः आरम्भ हो गयी और दिनांक 26 जनवरी, 1983 की रात 2.00 बजे से मिल पुनः चलने लगी। दिनांक 27 जनवरी, 1983 को करीब 10.00 बजे प्रातः श्री हरगोविन्द वर्मा, सदस्य, विधान सभा, पुनः मिल पर पहुंचे और अपने समर्थकों को गन्ने की आपूर्ति रोकने और मिल को बन्द करा देने के लिए कह कर चले गये। उनके जाने के कुछ देर बाद मिल गेट के बाहर उपस्थित 4-5 सौ कृषकों को कुछ कृषकों ने 'किसान एकता जिन्दाबाद' का नारा लगा कर उकसाया और उत्पात मचाना प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने गन्ने की तौलाई रुकवा दी और मिल को बन्द करा दिया तथा उत्तेजित होकर मिल को क्षति पहुंचाने पर उतारू हो गये। इसकी रिसीवर से सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गयी और उसने किसानों के प्रतिनिधियों को लेकर रिसीवर से बातचीत करके किसानों को गन्ने का मूल्य प्रतिदिन दिए जाने का आश्वासन दिलवाया। इस पर अधिकांश कृषक अपना गन्ना तुलवाने पर सहमत हो गए, परन्तु कुछ उपद्रवी किसानों ने अपनी गाड़ियां आगे लगाकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया और उन्होंने मिल में घुसकर कांटा तोड़ने तथा मिल को आग लगाने का प्रयास किया, जिससे उपस्थित पुलिस ने उन्हें रोका। इस पर क्रुद्ध होकर उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया। उसी समय पी० ए० सी० व अन्य पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंच गये जिसको देखते ही उपद्रवी लोग पुलिस पार्टी पर और तेजी से पथराव करने लगे तथा उन्होंने बन्दूक एवं अवैध शस्त्रों से फायर भी किये। तब पुलिस ने वैधानिक चेतावनी देने के बाद जानमाल के रक्षार्थ 6 हवाई फायर किये और बलवाइयों में से 32 को आवश्यक बल प्रयोग करके गिरफ्तार किया तथा शान्ति एवं व्यवस्था स्थापित की। बलवाइयों द्वारा किये गए प्रहार से 17 पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों एवं मिल के 7 सुरक्षा कर्मचारियों को चोटें आईं।

इस सम्बन्ध में मुकदमा अपराध संख्या–4 अन्तर्गत धारा 147/148/149/307/336/332 भा0 दं0 वि0 थाना महोली, जिला सीतापुर पर पंजीकृत हुआ। बन्दी बनाये गए व्यक्तियों की जेल के अन्दर डाक्टरी रिपोर्ट से केवल 10 व्यक्तियों के शरीर पर साधारण चोट का आना पाया गया। किसी को गोली की चोट नहीं आई है।

यह कहना सही नहीं है कि कृषकों को बैलगाड़ियों से खींच कर गिरफ्तार किया गया, उन्हें इन्काउन्टर करके मारने के लिए जंगल ले जाया गया तथा रात भर इधर–उधर घुमाया गया। केवल 32 उपद्रवी व्यक्तियों को दिनांक 27 जनवरी, 1983 को लगभग 5 बजे सायं गिरफ्तार किया गया और उन्हें उसी दिन लगभग 7.30 बजे सायं थाना महोली में बन्द किया गया। दिनांक 28 जनवरी, 1983 को सुबह थाने से रवाना कर उन्हें अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें उसी दिन आदेश प्राप्त कर 1–42 बजे अपरान्ह में सीतापुर जेल दाखिल किया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में इसके अतिरिक्त और किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों की जामा तलाशी से प्राप्त 396 रु0 55 पैसे तथा दो घड़ियों को मालखाने में जमा करा दिया गया है।

इस घटना से जनपद सीतापुर के कृषकों में किसी प्रकार का असन्तोष एवं रोष व्याप्त होने की कोई सूचना नहीं है। लोकदल के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन एवं उत्तेजना फैलाने तथा जन संघर्ष छेड़ने हेतु प्रचार किये जाने के कारण शान्ति व्यवस्था के हित में जनपद सीतापुर में धारा 144 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत निशेधाज्ञा लागू की गयी। गन्ना कृषक मिल को अपना गन्ना दे रहे हैं तथा 27 जनवरी, 1983 को 9–45 बजे रात्रि से मिल यथावत् चल रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, एक सवाल पूछना चाहता हूं। स्पष्टीकरण के रूप में।

श्री अध्यक्ष––

जी हां, आप दो मिनट में जो भी स्पष्टीकरण पूछना चाहें पूछ लें।

कई सदस्य––

मान्यवर, हमें भी समय दीजिएगा, इससे हमारा भी सम्बन्ध है।

*श्री राजन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया है, वह मात्र एक मन–गढ़ंत कहानी के और कुछ नहीं है, उसे मैं अभी स्पष्ट किए देता हूं इस वक्तव्य की 5वीं पंक्ति में कहा कि "26 जनवरी, 1983 को तुलवाई रुकवा दी और उसी दिन शाम को मिल बंद हो गयी", तो मान्यवर, जब मिल बन्द हो गयी तब यह गोली और लाठी क्यों चलाई गयी और दूसरे इसी के आगे लिखा गया है कि "उन्होंने मिल में घुस कर कांटा तोड़ने तथा मिल को आग लगाने का प्रयास किया" तो मान्यवर, यह भी सरासर झूठ है कांटा तो मिल के बाहर लगा हुआ है और गोली भी बाहर ही चली है। अगर उपद्रवी मिल के अन्दर गये होते तो गोली भी मिल के अन्दर ही चली होती, तो मान्यवर, इस तरह यह एक मन–गढ़ंत कहानी बदले की भावना से बनायी गयी है। मान्यवर, वहां के जो मिल रिसीवर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

हैं श्री बी० पी० सिंह, जिनके खिलाफ अनेक भ्रष्टाचार के मामले हैं, जिनके लिए अक्सर हम लोग हाउस में उठाते रहे हैं और यह माननीय सदस्य भी इस बात को बराबर उठाते रहे हैं, कारण वश जानबूझकर यह ऐसी कहानी बनायी गयी है और गोली आदि चलवाई गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि यह सब झूठ का पुलिन्दा बताने के बाद क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि किसानों ने किस स्थान पर गोली चलायी थी ?

श्री गुलाब सेहरा--

कहीं भी तो यह सब नहीं लिखा है, आप झूठ कह रहे हैं और सदन को गुमराह कर रहे हैं, इसे आप फिर से पढ़ें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, सदन में मंत्री जी हमें झूठा कहें और हम उनके वक्तव्य को झूठा कहें तो इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। यह कोई तरीका नहीं है कि इस तरह से आरोप प्रत्यारोप किये जायं। मैं अपना सवाल फिर से दोहराये देता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप पहले ही बहुत समय ले चुके हैं। अब संक्षेप में कहिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इसमें लिखा हुआ है कि ये काश्तकार मिल के भीतर घुस कर यानी मिल में वे प्रवेश कर गये थे और उन्होंने वहां आग लगाने का प्रयास किया तो यह बतला दें कि उन्होंने गोली कहां से चलायी थी ?

श्री गुलाब सेहरा--

गोली गेट पर चली थी। कुछ उपद्रवी तत्वों ने पुलिस पर पथराव भी किया और यह सब गेट पर हुआ।

*श्री हर गोविन्द वर्मा--

मान्यवर, मेरी स्वयं की जानकारी है कि राजाराम चौधरी जो कि यूनियन का अध्यक्ष भी है, उसको मारा गया और बहुत से किसानों की हत्या की गयी। यह बतावें कि राजाराम को मारा गया या नहीं ? वह अस्पताल में भर्ती रहा। वह अस्पताल में 4 दिन तक भर्ती रहा। इनका यह वक्तव्य तथ्यों से परे है। वहां पर एक बैल का पैर टूट गया, एक बैल की आंख चली गयी, 32 आदमियों को चोटें आयीं। मैंने स्वयं जेल जाकर देखा है, उनको। मैं कहना चाहता हूं कि 24 और 25 तारीख को क्या मिल चली थी ? आप कहेंगे कि नहीं बन्द थी। तो मैं कहना चाहता हूं कि वह मिल किस लिये बन्द थी। वह मिल मान्यवर, इन्होंने बन्द करवाया था कि किसान मेरी बात को न सुन सकें। हमने किस किसान को भड़काया ? क्या काम किया ? इससे साबित होता है कि इनका यह वक्तव्य झूठा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई तरीका नहीं है, आप स्पष्टीकरण दीजिये, आप तो भाषण कर रहे हैं ।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

किसानों के पास पिछले साल से 1 करोड़ 42 लाख रु0 बाकी है । किसान अपने पैसे को इस साल भी नहीं पा रहा है । वहां के सचिव और रिसीवर कितने भ्रष्ट हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं, कृपा करके आप बैठें ।

(श्री हर गोविन्द वर्मा वक्तव्य की कापी फाड़ते हुए सदन से बाहर चले गये ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत 9 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना सर्वश्री कुंवर सिंह नेगी, नरेन्द्र सिंह भंडारी, रियासत हुसैन, अकबर हुसैन तथा राम गोविन्द चौधरी की है । दूसरी सूचना श्री सरदार सिंह की, तीसरी श्री सन्त बक्स रावत की, चौथी राजेन्द्र अग्निहोत्री की, पांचवीं सूचना श्री हरगोविन्द वर्मा की, इसके बाद हैं सर्वश्री राम आसरे वर्मा, गोपी नाथ वर्मा, परमाई लाल तथा मित्रसेन यादव की । इसके बाद वाली श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की है और उसके बाद वाली श्री विद्यासागर नौटियाल की है ।

इन सब सूचनाओं को मैंने अच्छी तरह से देखा है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि केवल कुंवर सिंह नेगी और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की बात को मैं सुनूंगा और उसके बाद में मैं अपना निर्णय दूंगा ।

*श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, कार्यस्थगन प्रस्ताव में मैंने बहुत गम्भीर मामला उठाया है कि प्रदेश में एनेस्थीसिया के गलत प्रयोग से कई लोगों की मौतें हो गयी हैं । इसके अतिरिक्त इसके प्रयोग से गैंगरीन नामक रोग स्त्रियों को हो गया है । छोटे-मोटे अस्पतालों में इसका प्रयोग आपरेशन से पहले किया जाता है और इसका प्रयोग गलत तरीके से किए जाने के कारण कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है और साथ ही गैंगरीन नामक रोग के हो जाने से लोगों में इसके प्रति भय की भावना व्याप्त हो गयी है । कई जगह से इसकी शिकायतें आ रही हैं और लोगों ने इसकी शिकायतें चिकित्सा विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को भी दी हैं परन्तु अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाया है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा के लिए आप सदन की कार्यवाही को रोक कर इस विषय पर चर्चा कराने का कष्ट करें ।

(श्री मुख्तार अनीस के खड़े हो कर बोलने का प्रयास करने पर) ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

इस पर एक ही को बोलने की आज्ञा होगी ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आजकल सीतापुर में शान्ति और व्यवस्था की स्थिति बिलकुल बदतर हो गयी है, वहां पर सड़क चलते लोग मारे जा रहे हैं । मान्यवर, कल ही की घटना है कि एक नवयुवक अपनी दूकान से छुट्टी लेकर जा रहा था कि ठीक साढ़े सात बजे भरी आबादी के बीच में तीन आदमी आये और उसे उसी जगह गोलियों से वहीं समाप्त कर दिया और उसका सामान ले कर भाग गये । यह घटना पहली ही नहीं है बल्कि ऐसी घटनायें आये दिन सीतापुर में हो रही हैं परन्तु वहां का पुलिस प्रशासन बिलकुल शिथिल हो गया है जिस पर कि किसी घटना का असर ही नहीं होता है । आज सीतापुर में बाजार इसी घटना के विरुद्ध बन्द है इसलिए मैं इस सूचना को कार्यस्थगन प्रस्ताव के रूप में दे रहा हूं कि आप आज सदन की कार्यवाही को रोक दें और इस विषय पर चर्चा करा दें जिससे कि प्रशासन का ध्यान इस ओर जा सके । मान्यवर, आज वहां पर दूकानें बन्द हुई हैं, कल वहां लोगों का सड़क पर चलना बन्द हो जायेगा इसलिए यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । अभी कल ही की यह घटना है इसलिए यह पुरानी बात नहीं है और कार्यस्थगन प्रस्ताव की पहली शर्त को यह सूचना पूरा करती है । सीतापुर में असुरक्षा की भावना जनता में व्याप्त है, इसलिए मेरा निवेदन है कि सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर आप चर्चा करा दें ।

(श्री मुख्तार अनीस के खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

आपको क्या कहना है ? यह कोई पद्धति नहीं है ।

श्री मुख्तार अनीस--

मैं दो मिनट के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मैंने आपसे प्रार्थना की है

श्री अध्यक्ष--

मैं यदि आपको समय दूंगा तो दूसरों को कैसे रोकूंगा ? आप कृपा करके बैठें ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, मैं केवल दो ही मिनट लूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

जो आपस में निर्णय हुआ है उस हिसाब से मैं कैसे दूसरों को रोकूंगा ?

श्री मुख्तार अनीस--

विशेष परिस्थिति में मुझको दो मिनट का आप समय दे दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके बैठें, इसके लिये निर्णय हो चुका है ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

यह सदन में जो कुछ हम लोग कर रहे हैं इसकी रिपोर्टिंग ठीक तरह से नहीं होती है । अब अगर इसको तोड़-मरोड़ कर आल इण्डिया रेडियो वाले कहेंगे या कहने लगेंगे तो यह हमारे लिये बड़े दुख की बात है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं देता ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

किस लिये सुन लूं ? अब मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है, मैं आपको बोलने की आज्ञा नहीं दे रहा हूं, आपकी कोई चीज लिखी नहीं जायेगी ।

श्री मुख्तार अनीस--

माननीय राम कुमार भार्गव जी बैठे हैं । इनको आप सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं । श्री मुख्तार अनीस साहेब आप बैठें । आप बैठिए मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है ।

श्री रियासत हुसैन--

आप राम कुमार भार्गव को सुन लें । उनको आप कहने का अवसर दे दीजिए ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय सदस्य के विचार सुनना बहुत ही आवश्यक है । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

मान्यवर, श्री राम कुमार भार्गव को सुना जाना चाहिए ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था का प्रश्न मैं बाद में सुन लूंगा ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

संसदीय कार्य मंत्री के पहले उनको सुन लिया जाना चाहिए । सदन में एक बात खड़ी हो गयी है । यह माननीय सदस्य के अधिकारों का हनन है ।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त और मुख्तार अनीस जी ने सीतापुर में कल जो घटना हुई, उसके बारे में कहा । माननीय मुख्तार अनीस साहेब ने माननीय विधायक श्री राम कुमार भार्गव के सम्बन्ध में कहा। जो कल की घटना है उसकी सूचना आज सबेरे मिली । इसकी सारी जानकारी मिल गयी है । जिन लोगों ने हमला किया है उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है । जैसा माननीय सदस्य ने कहा, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह बहुत ही गम्भीर है । इसकी जांच उच्च अधिकारी द्वारा करायी जायेगी । ऐसी कोई बात अगर होती है तो सारी बात की जानकारी आपके और सदन के सामने आनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप व्यवस्था का प्रश्न बतायें ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मैं कहना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य ने श्री राम कुमार वर्मा जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा की है और वह ऐसा मामला है जो मात्र इनकी सुरक्षा से सम्बन्ध रखता है । वह माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित हैं । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी बात है कि माननीय सदस्य को वह बात कहने के लिए अवसर नहीं दिया जाता है ।

श्री पंचानन राय--

भार्गव जी को अनुमति दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य ने सुन लिया है अगर वह चाहते तो वह खड़े होते । मैंने सुन लिया है ।

आज नियम 56 के अन्तर्गत जितनी सूचनायें प्राप्त हुई हैं सभी को अस्वीकार किया है । श्री सन्त बख्श रावत की सूचना को शासन के पास भेज दिया है और उनका ध्यान आकृष्ट किया गया है । श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की सूचना को शासन के पास भेज दिया गया है । उनकी यह सूचना नियम 301 में सदन में रखी जा चुकी है । माननीय हरगोविन्द वर्मा की सूचना को शासन के पास उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए भेज दिया गया है । माननीय नौटियाल जी की भी सूचना को शासन के पास भेज दिया गया है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, माननीय खाद्य मंत्री जी से वक्तव्य दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं निर्णय दे चुका हूं । कृपा करके बैठ ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

1983-84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा), अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) तथा अनुदान संख्या 21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

(3 बजकर 25 मिनट)

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 78,01,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 54,28,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,19,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, इससे पूर्व कि मैं कुछ कहूं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि साढ़े तीन बज गये हैं। मैं कितनी देर बोलूं, इसकी आप मुझे आज्ञा दे दें।

श्री अध्यक्ष--

जो अभी तक की सूचना है उसके आधार पर जो आज के एजेन्डा की मद संख्या 12 है उसके बारे में माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने यह लिखकर भेज दिया है कि इस पर चर्चा नहीं होगी। आप अपना भाषण जारी रखें, जैसी भी स्थिति होगी, देख लिया जायेगा।

श्री ऊधल--

मान्यवर, हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी को समय दे दिया जाय जिससे कि वे विभाग की पूरी व्याख्या कर सकें और यदि उन्हें अधिक समय की भी जरूरत होगी तो सदन का समय दो-तीन घन्टे और बढ़ाया जा सकता है।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से एक व्यवस्था का सवाल है और वह मंत्री जी से सम्बन्धित है ।

श्री अध्यक्ष--

इस समय क्या व्यवस्था का प्रश्न उठ गया ? मैंने बता दिया ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश की 11 करोड़ की जनसंख्या की चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का बजट प्रस्तुत हो रहा है । इस समय साढ़े तीन बज चुके हैं । हर माननीय सदस्य को बोलने के लिये मौका मिलना चाहिये, यह उनका अधिकार है । इसलिये मैं चाहूंगा कि आप आज मंत्री जी से भाषण करा दें और कल सुबह इस पर चर्चा करा ली जाय ।

श्री अध्यक्ष--

जिस मद के लिये समय निर्धारित है, वही रहेगा । वे अपना भाषण प्रारम्भ कर लें और यदि सदन चाहेगा तो पौने पांच बजे समय बढ़ाने पर विचार कर लिया जायेगा । प्रस्ताव द्वारा समय बढ़ाया जा सकेगा ।

श्री लोकपति--

श्रीमन्, 1983-84 का उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का अनुदान आपके माध्यम से सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं । मान्यवर, 1982-83 में चिकित्सा विभाग का पूरा परिव्यय 181 करोड़ रुपये का था । इस वर्ष यह परिव्यय 210 करोड़ रुपये का है । श्रीमन्, आज सदन में एक घटना घटी, 20 सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में, वहीं से मैं अपनी बात प्रारम्भ करना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या यह 20 सूत्री कार्यक्रम में आता है ।

श्री लोकपति--

आप जरा सुन लें तब पता चलेगा । सुबह आज छाती पीट रहे थे और करीब डेढ़ घंटे का समय बरबाद किया जिसमें इस गरीब प्रदेश का 80 हजार रुपया बरबाद हुआ ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

यह 20 सूत्र सब 420 है ।

श्री लोकपति--

अगर ऐसा था तो क्यों आपको परेशानी हुई ? श्रीमन्, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग में पांच कार्यक्रम आते हैं, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण, कुष्ट, अंधापन और क्षय

(इस समय 3 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।)

अगर देखा जाय तो हर बीमारी की जड़ एक से ही सम्बद्ध हैं और वह है बढ़ती हुई आबादी । बहुत तो मैं नहीं कहना चाहता हूं लेकिन इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि इस सम्मानित सदन में 1951 में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करने की स्वीकृत यहां से हुई तो उस पूरी योजना का परिव्यय सारे देश में 250 करोड़ रु0 था और उसमें उत्तर प्रदेश का 25 करोड़ था । 1951 में हमारे देश की जनसंख्या 31 करोड़ के लगभग थी और छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने से पूर्व तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सारे देश में इन योजनाओं के माध्यम से 82 हजार 5 सौ करोड़ रु0 व्यय हुआ था । अगर विश्व की जनसंख्या की बढ़ोतरी का अनुपात हमारे देश और प्रदेश में कायम रहा होता तो मान्यवर, आज जो हर व्यक्ति इस सदन का चिंतित है ।

हमारे देश की जनसंख्या का 70 प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे है । यह देश इसमें रहने वालों का है और इस सदन की जिम्मेदारी है जिसने कभी इस प्रदेश के नागरिकों को सही मार्ग इसमें नहीं दिया । अगर विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत हमारे देश में भी रहा होता तो आज जो भारतवर्ष की 1800 रु0 परकैपिटा आमदनी है वह विश्व की तरह साढ़े 8 हजार प्रति व्यक्ति आमदनी रहती । मान्यवर, इस कार्यक्रम को पुनर्जीवित करना है । 1977 के चुनाव में एक नारा लगाया गया कि एक नसबन्दी दो वोट । इस तरह यह परिवार कल्याण कार्यक्रम मृतप्राय हो गया । 1980 में यह कार्यक्रम पुनः पुनर्जीवित किया गया और मैं इस सदन का आभारी हूं कि इस सदन के हमारे विरोधी पक्ष के सम्मानित नेताओं ने एक स्वर से इस कार्यक्रम को बढ़ाने का जो मैंने अनुरोध किया था उसमें सहयोग किया और मुझे इस सदन को सूचित करते हुए हर्ष है और गर्व है कि जनवरी के महीने में उत्तर प्रदेश इस कार्यक्रम में सारे देश में प्रथम स्थान पर रहा

(व्यवधान)

जनसंख्या का जो अनुपात 1977 में था महाराष्ट्र में वह अनुपात आज भी है, मगर महाराष्ट्र में बराबर कांग्रेस सरकार थी और वहां यह कार्यक्रम चलता रहा लेकिन यहां आपकी हुकूमत आई आप यहां विराजमान हुए तो इसका सत्यानाश हुआ । श्रीमन्, सारे देश में एक नम्बर पर आज उत्तर प्रदेश है । हमारी जो परेशानियां हैं वह गरीबी के कारण है । मान्यवर, अभी दो दिन पूर्व काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में एक प्रदूषण के सम्बन्ध में सेमिनार था, उसमें मुझे बुलाया गया था, मैंने वहां कह दिया कि प्रदूषण की जिम्मेदारी बढ़ती हुई आबादी है । यदि उ0 प्र0 में प्रतिदिन 24 घंटे के अन्दर 20 हजार व्यक्ति बढ़ रहे हैं तो दूसरे दिन 20 हजार व्यक्तियों को अतिरिक्त अन्न, कपड़े, सड़कों, चिकित्सालयों, स्कूल, कालेजों, और नए–नए उद्योग स्थापित करने की व्यवस्था करनी होगी । नतीजा होगा प्रदूषण बढ़ेगा ।

गरीबी का जिससे सम्बन्ध है तो कहना है कि उसका हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या से सम्बन्ध है और यह जनसंख्या हमारे देश विशेषकर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, जैसा श्री मुख्तार अनीस ने कहा था, सारे देश के अनुपात में 1/6 है,

[श्री लोकपति--]

70 करोड़ जनसंख्या देश की और साढ़े 11 करोड़ उत्तर प्रदेश की है। मान्यवर, इस कार्यक्रम को 1980 में हमने पुनर्जीवित किया और 31 जनवरी, 1983 तक हम सम्मानित सदस्यों के सहयोग से, उ0 प्र0 के पत्रकारों और बुद्धिजीवियों के सहयोग से यह कार्यक्रम एक प्रकार से सामाजिक आन्दोलन के रूप में उभड़ा और इसमें हम अपने प्रदेश की मां-बहनों को बधाई देना चाहते हैं जो इसमें अग्रणीय हुई और आज उ0 प्र0 में 3 लाख 7 हजार केसेज 31-1-83 तक हो चुके थे, इसमें 95 प्रतिशत महिलायें हैं। कुछ पुरुष भी अब जागृत हुए हैं विगत वर्ष के अनुपात में। विगत वर्ष 1 लाख 1 हजार कर सके थे लेकिन इस वर्ष दुगुना हो चुका है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह का सहयोग, जो भावना इस प्रदेश में फैली हुई है उसके अन्तर्गत हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चिकित्सक और कर्मचारी भी बधाई के पात्र हैं।

मान्यवर, इसी के साथ बहुत आवश्यक बात है कि गर्भ से पैदा हुए बच्चों की मृत्यु या अबोध बच्चों की मृत्यु। इसमें म बताना चाहता हूं कि यह भावना कि मृत्यु दर को कम करें तो जन्म दर कम होगी, यह भावना गलत है। इसका उदाहरण देना चाहता हूं कि केरल में अबोध बच्चों की मृत्यु दर 66 है और वहां विगत 10 वर्षों में अपनी जनसंख्या की बढ़ोत्तरी रोक दिया है और ·1 प्रतिशत अपनी जनसंख्या को कम किया है।

मान्यवर, अब परिवार कल्याण कार्यक्रम ने एक स्वरूप ले लिया है और वह बढ़ेगा। अब हमारे विभाग का लक्ष्य है कि आज सारे देश में सबसे अधिक अबोध शिशुओं की मृत्यु हमारे उत्तर प्रदेश में है और जो 179 प्रति हजार है। राष्ट्रीय आंकड़ा इसका 95 प्रति हजार और केरल में 66 या 67 प्रति हजार है। इस वर्ष से हम यह प्रयास करने जा रहे हैं कि हम इस मृत्यु-दर को घटायें और हमारा लक्ष्य यह होगा कि 6 वर्षों में यानी 1990 आते-आते इसको केरल के समान स्तर पर ले आयें। इसके लिए कुछ कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं। अधिकांश गर्भावस्था में और उसके बाद प्रसवकाल में टिटनेस की बीमारी होती है, इसलिए इस बीमारी से अधिकांश मृत्यु होती है। इसलिए इसके खत्म करने के लिए तीन फेज में कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। 1976-77 में बी0 सी0 जी0 का जैसा कार्यक्रम प्रारम्भ किया था उसी प्रकार से इसको करना है।

(व्यवधान)

6 वर्ष के लड़के को, 10 वर्ष से पहला एन्टी-टिटनेस का कोर्स यानी स्कूल काल से देना प्रारम्भ करने जा रहे हैं। पुनः दूसरा जब कन्या 16 वर्ष की हो जायेगी शादी के पूर्व। तीसरा जब वह गर्भावस्था में रहेगी, तो उस समय हम एन्टी-टिटनेस का टीका लगायेंगे। इस समय हम इसको केवल गर्भवती महिलाओं में कर रहे हैं, लेकिन इसे समूल रूप से नष्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि हम इसको स्कूल लेवेल से प्रारम्भ करें। इस वर्ष से 3 जनपदों में हम इस कार्यक्रम को प्रारम्भ करेंगे और प्रयास यह करेंगे कि इसे तीन जनपदों से अधिक में कर सकें तो उसे बढ़ाकर अधिक जनपदों में प्रारम्भ करें और आने वाले वर्षों में सारे प्रदेश में इसको अपना लें।

दूसरा लक्षय है, इसकी उत्तर प्रदेश में बढ़ोत्तरी नहीं है, यह कन्ट्रोल में है और उसके लिए हमारे यहां दवाओं की सुविधा है। इस वर्ष 50 लाख की दवाओं की इस पर व्यवस्था की गई है। सारे प्रदेश में करीब पौने दो लाख इसके मरीज हैं। 1982-83 में सवा 19 लाख लोगों को बी० सी० जी० के टीके लग चुके हैं।

अब तीसरा मुद्दा दृष्टिहीनता का है। हमारे प्रदेश में सम्भवतः सबसे अधिक अन्धापा है। यह भी कार्यक्रम विगत वर्षों से प्रारम्भ किया गया था, प्रयास किया जा रहा है कि हर प्राइमरी हेल्थ सेन्टर पर एक आंख से सम्बन्धित ट्रेन्ड व्यक्ति रखा जाए और यह भी प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के हर जिला चिकित्सालय में आंख की बीमारी का एक विभाग खोल दिया जाए और प्रयास किया जा रहा है कि तहसील स्तर पर भी इस बीमारी का इलाज किया जाए। इस वर्ष में, विगत वर्ष के मुकाबले में हमारा काफी वृद्धि करने का विचार है। पिछले वर्ष 9 हजार मोतिया-बिन्द के आपरेशन उत्तर प्रदेश में हुए थे और 21 जनवरी, 1983 तक 74 हजार मोतिया-बिन्द के आपरेशन उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं जो अपने में एक कीर्तिमान है। यह व्यवस्था की जा रही है कि जितने शासन के चिकित्सालय हैं और जो स्वयं सेवी संस्थाओं के चिकित्सालय हैं, उन सबके सहयोग से इस कार्यक्रम को अच्छी प्रकार चलाया जाए।

अब चौथा है कुष्ठ इसमें सबसे बड़ी परेशानी यह है कि कुष्ठ रोगी का इलाज कर देने के बाद हम उसके पुर्नवास की व्यवस्था अभी नहीं कर पाए हैं। और कुष्ठ आश्रम में जिसका इलाज हो जाता है वह उस आश्रम से निकलना नहीं चाहता क्योंकि समाज उसको ग्राह्य नहीं करता। समाज कुष्ठ रोगी को एक छूत की बीमारी समझता है जब कि विशेषज्ञों की यह राय है कि यह बीमारी छुआछूत की नहीं है। हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि उसका पुर्नवास किया जा सके।

अब मैं दो शब्द प्रदेश में चिकित्सा कार्यक्रम के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सुविधा ग्रामीण अंचल तक उपलब्ध हो सके इसके लिये यह सरकार प्रयास कर रही है। 3-5 हजार की आबादी से लेकर प्रदेशीय स्तर तक एक कड़ी के हिसाब से चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है। 3-5 हजार की आबादी के बीच एक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। इनके ऊपर 15-20 हजार की आबादी के बीच एक सब्जीडियरी हेल्थ सेन्टर की स्थापना की जायगी। वैसे तो भारत सरकार की यह मान्यता है कि 50 हजार की आबादी पर एक विकास खण्ड में एक प्राइमरी हेल्थ सेन्टर हो, पर अपने प्रदेश के संसाधनों को देखते हुए, अपनी सीमाओं को देखते हुये, हमने यह निर्णय लिया है कि सवा लाख की आबादी पर जितने विकास खंड हैं वहां एक-एक भांति के प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र हो। सब्सीडियरी हेल्थ सेन्टर के ऊपर प्राइमरी हेल्थ सेन्टर, उसके ऊपर उच्चीकृत चिकित्सालय, उसके ऊपर जिला चिकित्सालय और मेडिकल कालेज तथा उसके ऊपर संजय गांधी मेडिकल इन्स्टीट्यूट होगा जो सारे भारत वर्ष में ही नहीं, एशिया में अपने ढंग का एक संस्थान होगा। पंचायत स्तर से लेकर ऊपर तक हम चिकित्सा की व्यवस्था करने जा रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जहां 81 प्रतिशत जनता रहती है उसको चिकित्सा का लाभ मिल सके।

श्री धर्मवीर सिंह--

इस लक्ष्य की पूर्ति कब तक हो जायेगी ?

श्री लोकपति--

3/4 तो छठी योजना में ही हो जायेगी ।

श्री मुख्तार अनीस--

प्राइवेट प्रैक्टिस के बारे में भी तो कुछ कहिये ?

श्री लोकपति--

उस पर चर्चा हो चुकी है यहां पर । जब देखा कि प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने से कोई लाभ नहीं हो सका है तो जो आपके पाप थे उसी को हमने सर्जरी कर दी...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य कृपया मंत्री जी को बोलने दें । माननीय मंत्री जी आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री लोकपति--

मान्यवर, मैं सोचता था कि माननीय अग्निहोत्री जी कुछ बौद्धिक विचार रखेंगे । लेकिन वहां पर शून्य नजर आया ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, आप महा शून्य की बात कर रहे हैं और आपके राज्य में तो सब शून्य ही है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री जी अनुमति लेकर आप कोई बात कहें । आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री लोकपति--

मान्यवर, स्वामी विवेकानन्द ने अमेरिका में डेढ़ घंटे तक शून्य के ऊपर भाषण दिया था । मैंने शून्य, सम्पूर्ण की तरफ इशारा किया था । लेकिन बोलचाल की भाषा में शून्य जो है, वही शून्य हैं आप श्रीमन्, प्रयास है कि उन चिकित्सालयों में से 30 चिकित्सालय जो आपने प्रश्न किया था, इस वर्ष कार्यरूप में हम परिणत कर देंगे । इस साल 7 नये उच्चीकृत चिकित्सालयों की स्थापना करेंगे । 1983-84 में जिला लेबिल पर जिन जनपदों में आंख की बीमारी की रोक-थाम की व्यवस्था नहीं है, उनमें से 17 जनपदों में हम आंख के इलाज के लिए अस्पताल कायम करेंगे । श्रीमन्, इस वर्ष तहसील लेबिल पर 17 चिकित्सालयों में दांत के मर्ज के रोक-थाम की व्यवस्था करेंगे । इस वर्ष 1983-84 में 100

आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोले जायेंगे। मुझे दुःख है कि सिर्फ 35 होम्योपैथिक चिकित्सालयों की बात आई थी। 35 होम्योपैथिक और 100 आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालय खोले जायेंगे।

उच्चीकृत चिकित्सालय स्थापित करने का, प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का, नये चिकित्सालय की स्थापना का यह अधिकार केन्द्रीयकरण योजना के अन्तर्गत हमारे जनपदों को दे दिया गया है और जनपद स्तर पर जिला नियोजन समिति है जो वह निर्णय करती है कि इस वर्ष कितने खुलें, अगर गलत है, तो मैं क्षमा मांग लूंगा और अगर सही है तो आप उसमें सुधार कर लेंगे। जिला नियोजन समिति के बैठकों में माननीय विधायकगण बहुत कम जाते हैं। जब हमने 100 होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले, वहां से 35 की सूची आई जो मुझे यहां सूची मिली, उसमें दो सौ चिकित्सालयों की मांग है। श्रीमन्, मैं कैसे कर दूं। अगर मैं ऐसा कर दूंगा, तो आप सदन में विशेषाधिकार की मांग कर लेंगे और मुझे कटघरे में खड़ा कर देंगे। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिला नियोजन समिति की बैठक में अवश्य वह शामिल हुआ करें।

(व्यवधान)

श्री केदार नाथ सिंह--

इसकी जानकारी आप रखते हैं कि जिला नियोजन समिति की मीटिंग बुलाई जाती है ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य आप बैठें। स्पष्टीकरण करने का यह तरीका नहीं है। मेरी इजाजत से स्पष्टीकरण किया करें।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी बता दें कि गोरखपुर के सम्बन्ध में कितनी मीटिंग हुई हैं ?

श्री लोकपति--

गोरखपुर की मंडलीय बैठक मैंने की लेकिन आप उसमें उपस्थित नहीं थे। अगर आपको अपने क्षेत्र में काम कराना है, अगर आप अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति जिम्मेदार हैं तो आपको जिला नियोजन समिति की बैठक में भाग लेना होगा अन्यथा आप अपने क्षेत्र के साथ सद्व्यवहार नहीं करते हैं। हम तो मंत्री होते हुये भी अपनी बैठक में भाग लेने चले आते हैं।

श्रीमन् मेडिकल शिक्षा की बात है। मेडिकल शिक्षा के अन्तर्गत एक तो के0 जी0 एम0 सी0 चल रहा है। इसके अलावा हमारे 6 मेडिकल कालेज हैं। इलाहाबाद, मेरठ, गोरखपुर में कैंसर खोजबीन के लिये केन्द्र की स्थापना की जा रही है, इस वर्ष की जायगी। झांसी में मूत्र विज्ञान यन्त्र उपलब्ध है लेकिन वह कार्य नहीं कर रहा था उसके आवश्यक उपकरण, डायरेक्टिव यूनिट तथा साज-सज्जा की व्यवस्था की जा रही है कि वह अपना कार्य प्रारम्भ कर दे। इसी प्रकार से

[श्री लोकपति--]

मेरठ में भी डायलिसिस यूनिट को कार्य रूप में परिणत कराने का इस साल प्रयास किया जायगा। श्रीमन्, हमारे दो और इंस्टीट्यूट हैं। एक कैंसर इंस्टीट्यूट कानपुर में है और कार्डियोलाजी इंस्टीट्यूट कानपुर में है। कार्डियोलाजी इंस्टीट्यूट का आधुनिकीकरण कर रहे हैं उसके लिये साढ़े 4 लाख रुपया उपलब्ध किया जा रहा है।

कैंसर इंस्टीट्यूट कानपुर में है, कैंसर के सम्बन्ध में कई जगह आगरा, के0 जी0 एम0 सी0, लखनऊ में और इलाहाबाद में भी व्यवस्था है लेकिन निदान और इलाज की व्यवस्था केवल एक जगह कानपुर में है। उसमें भी कुछ दुर्व्यवस्था थी। तो इस वर्ष जो उनकी एक योजना थी उसके अन्तर्गत इस इंस्टीट्यूट को 20 लाख रुपया दे रहे हैं ताकि इसका आधुनिकीकरण नयी व्यवस्था के अनुसार किया जा सके। कानपुर में विशेषतौर से कानपुर की महिलाओं में पेट और उसके निचले हिस्से में कैंसर बढ़ता जा रहा है। कानपुर से जो सर्वे-रिपोर्ट आयी थी उन्होंने कहा था कि 1500 महिलायें प्रतिवर्ष आ रही हैं और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आगरे में यूरोलाजी विभाग की स्थापना हुई और इस साल 15 लाख रुपये यूरोलाजी विभाग के सुदृढ़ीकरण और विकास के लिये दिये जा रहे हैं।

श्री मुख्तार अनीस--

कहीं कोई दोष नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा है।

श्री लोकपति--

दोष होगा तो आप बतायें। हमने तो दोष देखा नहीं है। दोष तो वह देखें जो दोषी होते हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

(समय 4 बजे अपराह्न)

एक सदस्य--

मलेरिया पर तो कहिये।

श्री लोकपति--

मलेरिया और फाइलेरिया पर तो मन कह दिया। शायद 3-40 बजे मैंने मलेरिया पर कह दिया है और अभी से ही आप भूल गये। श्रीमन, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की जहां तक बात है, शासन ने इनको ले लिया है, मध्य योजना के अन्तर्गत इनका अधिग्रहण हो गया। आठवें फाइनेन्स कमीशन की भारत सरकार ने घोषणा कर दी है। आयुर्वेदिक और होम्योपथिक चिकित्सा पद्धति के लिए हम अपना प्रस्ताव, उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से, आठवें फाइनेन्स कमीशन को भेज रहे हैं, कि हमारे इन शिक्षा केन्द्रों को, उनके अस्पताल, उनके उपकरण, उनके भवन, छात्रावास उनको उपलब्ध कराये जायं, उसका आकलन हमने सब दे रखा है। जहां तक मुझे याद है, उसमें लगभग 101 करोड़ रुपए की होम्योपैथिक का है और 250 करोड़ रुपए का आयुर्वेदिक का है। यह हम दे चुके हैं, उस कमीशन के निर्णय के उपरान्त उस पर कार्यवाही होगी।

इन शब्दों के साथ, मैं इस सदन से अनुरोध करूंगा कि वह इस आय-व्ययक को अपनी स्वीकृति प्रदान करें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे माननीय मंत्री जी से यह जानकारी करनी है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय जसवन्त सिंह जी, आपको बोलने का समय मिलेगा । इस समय आप स्पष्टीकरण नहीं कर सकते हैं ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें । अभी आप ध्यान आकर्षित नहीं कर सकते ।

श्री लोकपति--

मैंने एक तालिका दी, जिस में प्रदेश के हर जनपदों की जो स्वीकृतियां जारी हो गई हैं, उनका विवरण है, उनकी सूचना हमारे सम्मानित विधायकों को मिलती, लेकिन यह हमारी गलती है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं कि उसमें पर्वतीय विकास का पन्ना न लग सका । वह मैं आपको भेज दूंगा । यह गलती हो गयी है ।

*श्री विजय सिंह राना--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या--20 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने विभाग से सम्बन्धित अपने पक्ष में जितनी बातें हो सकती हैं, कहीं । मैं थोड़े से आय-व्ययक के आंकड़ों के ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । आप जरा इसको देखने का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री विजय सिंह राना--]

कष्ट करें। वर्ष 1981-82 में आपके यहां का जो आयोजनागत व्यय था, वह 12 करोड़, 29 लाख, 51 हजार रहा, लेकिन इस वर्ष वह घटकर कुल रह गया है 8 करोड़, 54 लाख, 18 हजार रुपया यह व्यय है, जिसके ऊपर किसी भी विभाग को सारा नींव निर्भर करती है। आयोजनागत व्यय वह होता है जो समाज का स्थाई समृद्धि पर खर्च किया जाता है उसकी राशि बजाय बढ़ने के घट कर नीचे आ गयी है। इसके विपरीत आयोजनेतर व्यय हर मद में बढ़ा है। आप देखें, 81-82 में 69 करोड़ 19 लाख 49 हजार रुपय से बढ़ कर 85 करोड़ 7 लाख 37 हजार हो गया। इसी प्रकार आयोजनागत व्यय 26 करोड़, 45 हजार से बढ़ कर 65 करोड़ 13 लाख 71 हजार हो गया। 12 करोड़ 38 लाख 16 हजार से बढ़कर 13 करोड़ 49 लाख 62 हजार हो गया और आयोजनेतर व्यय में 20 करोड़ 5 लाख 93 हजार से बढ़ कर 20 करोड़ 33 लाख 51 हजार हो गया और साथ ही साथ इसमें एक और देखने की बात है। योजनागत व्यय में इन्हें पिछले वर्ष कुल 17 करोड़, 95 लाख 36 हजार की स्वीकृति दी गई थी और उसमें से कुल मिला कर ये खर्च कर पाये हैं 7 करोड़ 73 लाख 40 हजार रुपया। तो जो राशि सदन में इन्हें आवंटित की गई थी उसको सम्पूर्ण राशि का ये उपयोग नहीं कर पाये और यह बच गया। तो जो स्वास्थ्य विभाग इतना निकम्मा हो कि दिये हुए पैसे का भी उपयोग हर ठीक से न कर सके उसे पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। इसी लिए मैंने प्रस्ताव किया था कि इन्हें केवल एक रुपया ही दिया जाय।

सबसे ज्यादा बीमार, सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त और रुग्ण अगर कोई चीज है तो मैं समझता हूं वह स्वास्थ्य विभाग का है। अधिष्ठाता महोदय अपनी रुग्णावस्था में यह बहुत दिनों से चल रहा है लेकिन जब से पंडित जी आये हैं तब से इसमें लकवा की बीमारी हो गई और जब लकवा मार गया तो इलाज के लिए डाक्टर भी नहीं हैं। प्राइवेट प्रेक्टिस के नाम पर जो डिस्पेंसरियां हैं चल रही हैं, उनके पास जाना पड़ेगा इलाज के लिए। अधिष्ठाता महोदय, इस देश के अन्दर 1952 के चुनाव के बाद जब पहली बार कांग्रेस गवर्नमेन्ट बनी तो प्रस्ताव पेश कर के यहां पर पुलिस, सशस्त्र पुलिस और जेल के अन्दर डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस पर रोक लगायी गयी और उसके बाद यह व्यवस्था चलती रही। 1973 में इन्हीं मन्त्री जी के पूज्य पिता जी श्री कमला पति त्रिपाठी इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री बने और उनके जमाने में उनके ही प्रयासों से प्राइवेट प्रेक्टिस पर रोक लगायी गयी। उसके बाद पी0 ए0 सी0 का आन्दोलन हुआ और वह वापस पैवेलियन चले गये।

पंडित जी के बाद महामान्य हेमवती नन्दन बहुगुणा जी इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री बने और उन्होंने इस रोक को वापस ले लिया। उसके बाद 77 में इनकी पार्टी का तख्ता पलट गया और यह सबके सब कबर में चले गये और उसके बाद यहां के मुख्य मन्त्री बने श्री राम नरेश जी यादव। उन्होंने 1978 में इस प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध लगाया। जैसा कि राम नरेश यादव जी का स्वभाव है उदारमना होने का, उन्होंने उदारता दिखायी और निश्चित किया कि जो डाक्टर हैं उनके वेतन का 50 प्रतिशत उनको नान-प्रेक्टिसिंग एलाउन्स दिया जाय। मैं मानता हूं यह कमी थी और यह नहीं होना चाहिये था लेकिन जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद प्रैक्टिस इस प्रदेश में बन्द हो गई। डाक्टर लोग जो सबसे ज्यादा कर्णधार हैं इस प्रदेश के, यह परिकल्पना कर रहे थे कि 80 में कांग्रेस सरकार

आयेगी और हमारा कल्याण हो जायेगा। प्राइवेट प्रेक्टिस खुल जायेगी। उसके बाद माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मुख्य मन्त्री हुये। वह ईमानदार थे। उनके जमाने में यह परिकल्पना साकार न हो सकी और प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द बनी रही। इस सम्बन्ध में याचिका दायर की गयी। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने एक्सेप्ट नहीं किया। वह हाई कोर्ट चले गये। हाई कोर्ट से निर्णय आया। 5 अप्रैल, 1982 को उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया कि इनकी प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करना न्यायोचित है। सरकार ने जो प्रतिबन्ध लगाया है वह सही है। जब न्यायालय में डाक्टर हार गये तब उत्तर प्रदेश की सरकार ने डाक्टरों से 40 लाख रुपया लेकर प्राइवेट प्रेक्टिस खोल दी। आपकी ही सरकार ने निर्णय लिया था आपके द्वारा ही खोली गयी। इससे ज्यादा निकम्मेपन की बात, भ्रष्टाचार की बात और क्या हो सकती है। वास्तव में स्वास्थ्य विभाग के अन्दर जिस प्रकार का निकम्मापन है उसका दूसरा उदाहरण नहीं है। तीन धुरियों पर यह स्वास्थ्य विभाग काम करता है। पहले डाक्टर, दूसरे दवा निर्माण करने वाली कम्पनियां, तीसरे दोनों के बीच में यह सरकार। कहीं दवा बनाने वाली कम्पनियां तथा विक्रेता सरकार को दवा देते हैं तो कहीं डाक्टर।

स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें सरकारी निर्णय नहीं होते। यह निर्णय लेते हैं या तो डाक्टरों के प्रभाव में या दवा कम्पनी और विक्रेताओं के प्रभाव में। स्वास्थ्य विभाग 66 अंश का कोण बना कर कमाता रहता है। डाक्टरों का यह धंधा कैसे चलता है यह मैं बाद में बताऊंगा दूसरी धुरी बता दूं। इंडियन मेडिकल एशोशियशन के अध्यक्ष एम0 जी0 गर्ग ने दवाओं पर लगाये गये प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि दवाओं पर लगाये गये शुल्क देश के बीमारों पर शुल्क हैं। यह नहीं लगाना चाहिए। यह बात करीब-करीब सभी ने कही। इसलिये यह कहा जाता है कि दवा विक्रेताओं के द्वारा जो फर्जी खोले हुये हैं, इस देश के स्वास्थ्य और जन जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। यह किसी से छिपा नहीं है। दवा विक्रेताओं ने जिस तरह से नकली दवा बना कर समाज को दूषित कर दिया है और देश के जन स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है, वह बहुत ही भयंकर है। मूल्य नियंत्रक विधेयक या जीवन रक्षक दवाइयों के सम्बन्ध में कोई निर्णय स्वास्थ्य विभाग में प्रभावी नहीं हो सका है। 11 अक्तूबर, 1982 को लोक सभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया और यह कहा गया कि जो घटिया दवाइयां बनाते हैं या नकली दवाइयां बेचते हैं, उनको अजन्म कारावास की सजा दी जायेगी। लोक सभा के द्वारा पारित हुआ उसके बाद भी इसे अमल में नहीं लाया गया।

श्री लोकपति--

श्रीमन्, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। माननीय सदस्य ने राय दी है। लोक सभा ने ऐसा प्रस्ताव किया। कानून बना या नहीं बना। यदि आप लोग सहमत हों तो मैं यह प्रस्ताव कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर अगर कोई भी नकली दवायें निर्मित करता है तो उसको आजीवन कारावास की सजा दी जायेगी।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं तैयार हूं।

श्री लोकपति--

मेरा अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को रख दें ।

श्री अधिष्ठाता--

यह औपचारिक प्रस्ताव संकल्प के रूप में आ सकता है ।

श्री विजय सिंह राना--

तो मैं यह कहने जा रहा था कि यह जो दवाइयों का मामला है...

श्री अधिष्ठाता--

समय का अभाव है और माननीय सदस्य भी बड़ी संख्या में बोलना चाहते हैं मैं चाहूंगा कि आप कटौती के प्रस्ताव में जितना कम समय लें उतना ही दूसरे माननीय सदस्यों को बोलने को मिल जायेगा । 15 मिनट आप का हो गया है । 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म कर दें ।

श्री विजय सिंह राना--

इसकी विडम्बना यह है कि इस प्रदेश में दवाई विक्रेताओं की दो संस्थायें हैं । इनमें से एक संस्था 27 करोड़ रुपये के घाटे में है । दवाइयों के निर्माण का कोई कार्य नहीं करना चाहिये केवल प्राइवेट के रूप में जो पैदा करने वाले लोग हैं, फैक्टरियां हैं, यह सरकार उनके हाथ में बिकती है । आज दवाइयों की स्थिति यह हो गयी है कि थोड़े दिन पहले 27 नवम्बर को बलरामपुर हास्पिटल से दवाइयों की चोरी हुई और उसके बाद आगरा हास्पिटल से, जो वहां का जिला चिकित्सालय है उसके जंगले काट कर वहां के डाक्टरों ने वहां के कर्मचारियों ने पूरा स्टोर साफ कर दिया आज ऐसा प्रदेश के हर अस्पताल में है । दवाइयों की रोज चोरी करने में अधिकतर विभागीय अधिकारी और कर्मचारी सब सम्मिलित हैं । यही नहीं अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहां हास्पिटल में आक्सीजन की कमी है । आक्सीजन की एक कम्पनी कानपुर में है वह इस क्षेत्र में अपना एक अधिकार बनाये हुए है लेकिन उस एकाधिकार को तोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है । इस लिए कि यह सरकार उनसे पैसे से खरीद ली है । आक्सीजन के अभाव में मरीज दम तोड़ देता है । अस्पताल में इलाज सम्भव नहीं है लेकिन फिर भी यह सरकार आक्सीजन बनाने की फैक्ट्री इस प्रदेश में नहीं खोल सकती ।

श्री लोकपति--

आपने क्या किया ?

श्री विजय सिंह राना--

हम करेंगे ।

श्री लोकपति--

मान्यवर, जब जनता पार्टी का शासन था तो क्या उनकी सरकार आक्सीजन कम्पनी से पैसा ले रही थी ?

श्री विजय सिंह राना––

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ बातें कहना चाहता हूं वह यह कि अभी माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने खड़े हो कर कहा कि इस प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की केवल एक समस्या है वह है जनसंख्या की । अध्यक्ष महोदय, यह उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि सन् 1977 में आपने जनसंख्या रोकने का कार्यक्रम कर रहे थे, उसे हमने रोकने का प्रयास किया था । इसलिये जनसंख्या बढ़ गई और सारी जनसंख्या बढ़ने की जिम्मेदारी हमारी है । जनसंख्या की फैक्ट्री यह खोले हुए हैं, 10–10 बड़ी बड़ी फैक्टरियां बनी हुई हैं और हमसे कहेंगे कि जनसंख्या रोक रहे हैं ।

श्री लोकपति––

किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया गया इस सदन का दायित्व था कि सन् 1951 से प्रदेश की जनता को बढ़ने से रोकते, हम यह दायित्व पूरा नहीं कर सके, यह मैंने कहा था ।

श्री विजय सिंह राना––

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी कार्यक्रम जनता के लिये बनाया जाता है वह जनता तक जाना है । वह कार्यक्रम जनता तक सद्भावना से जाना है । जनता के सहयोग से दी जाती है, उनकी आकांक्षाओं के बिना पर दी जाती है न कि गोलियों और लाठियों के बल पर । आपने जो सन् 1977 में आंदोलन चलाया था, वह गोलियों और लाठियों से लैस उपद्रव पर आधारित था । मुरादाबाद, सुल्तानपुर व अन्य काण्ड उसी की देन है, जिसमें हजारों की संख्या में बेगुनाह मौत के मुंह में पहुंच गये । बल्कि आप लोगों ने इनको मौत के मुंह में डाल दिया, इसके जिम्मेदार आप हैं ।

श्री अधिष्ठाता––

आप का समय बोलने का राना साहब समाप्त हो गया, कृपया आप बैठ जाएं । 20 मिनट का समय आपको कटौती के प्रस्ताव के लिए दिया गया है, जबकि माननीय मंत्री जी ने भी अपना वक्त पूरा नहीं लिया लेकिन आपको पूरा समय दे दिया गया है, इसलिए कृपया अब आप समाप्त करें ।

डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया । जैसा कि आज सारे प्रदेश और देश की जनता इस बात को जानती है कि आज का बजट जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने रखा है, वह प्रदेश के प्रत्येक जनजीवन से कितना सम्बन्ध रखता है, और कितना आवश्यक है और इसी खुशी में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को इस संबन्ध में बधाई भी देना चाहता हूं कि इन्होंने अपने इस अल्प समय में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी कार्य को किया है । आज दो वे मिलने के बाद सारे देश और प्रदेश में इस विभाग द्वारा जो क्रांति आयी है कि भिन्न प्रकार के रोगों

[डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय--]

को दूर करने, भयंकर संक्रामक और क्षय रोगों को दूर करने में जो कार्य किए हैं वे अपने में बहुत ही सराहनीय कार्य कहे जा सकते हैं और इस देश की जनता को बहुत सी आने वाली परेशानियों से बचाया है साथ ही एक बात और मैं रखना चाहूंगा वह यह कि जहां और क्षेत्र में इस विभाग ने प्रगति की है, वहीं पर अभी वह प्रगति आयुर्वेद, यूनानिक, योग तथा नेचुरोपैथी में नहीं हो सकी है। आज इस ओर भी ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक हो गया है। इसलिए आज हम चाहते हैं कि हमारे प्रांत में भी आयुर्वेदिक चिकित्सा यूनानी चिकित्सा, योग तथा नेचरोपैथी के लिए एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय खोला जायें जिस तरह मुझे याद है कि कुछ लोगों ने देश में हरितक्रांति का बीड़ा उठाया तो उन्होंने उसमें तब सफलता भी प्राप्त की, जब कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई यदि इसी प्रकार इस ओर भी इसी भावना और उत्साह से कदम उठायें जाय तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम अन्य देशों से पिछड़े रह सकें। जैसे इस ओर रूस वालों का, चीन वालों तथा अन्य देशों का उत्साह देखिये, कैसे-कैसे प्रचार उनके वहां आयुर्वेद के लिए चल रहे हैं और हमारे यहां ऐसा और कुछ न हो, यह उपहास की बात होगी।

(4 बजकर 25 मिनट)

रूस में आप जानते हैं कि आयुर्वेद के विभागाध्यक्ष श्री रघुवीर प्रसाद जी हैं, मुझे डर है कि हम देखते ही न रह जांय और ऐसा न हो कि हमारे बच्चों को विदेशों से आयुर्वेद की डिग्रियां लेने के लिए जाना पड़े। मेरा यह कहना है कि इसकी गति कम है, इसमें तेजी लाने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि हमारे मंत्री जी ने बहुत कुछ किया है उन्होंने डाक्टरों के वेतनमानों की असमानता को दूर किया है। मान्यवर, मैं फिर भी आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत कुछ बुलन्दी की है चिकित्सा परिषद् चिकित्सा विभाग में जैसे हैं इसी तरह से आयुर्वेदिक परिषद् को भी यहां चलाय जाय।

दांत, नेत्र, महिला, शिशु केन्द्र आयुर्वेदिक भी चलाये जा सकते हैं। हमारे ग्रन्थों में इसके लिए औषधियां भरी पड़ी हैं। मैं पुन; निवेदन करता हूं कि भारतीय चिकित्सा आयुर्वेदिक युनियन को युनिट को खोला जाय। हर जिले के मुख्यालय के अन्दर हमारी सरकार ने कितना सराहनीय काम किया है कि तमाम प्रदेश के जिलों में गार्डेन लगाये जा रहे हैं मैं इस संबन्ध में माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे जिले में आयुर्वेद गार्डेन की स्थापना की जाय, ताकि ताजी जड़ी बूटियों द्वारा औषधि का निर्माण हो सके। हर जिले स्तर पर आयुर्वेद औषधि के गार्डेन हों और 25 शैय्याओं वाले अस्पताल हों यूनानी चिकित्सा के। आज हमारे यहां जो औषधियां पैदा की जाती हैं। मैं जानता हूं कि उसमें काम आने वाली औषधियों की मात्रा कम है। आज हमारे यहां यूनानी चिकित्सा बहुत कम है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य आप एक मिनट में अपना भाषण समाप्त करें, बस आपका एक ही मिनट शेष है।

डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय--

भारत सरकार ने चिकित्सालयों का तमाम निर्माण कराया है परन्तु आयुर्वेद के चिकित्सालय और होने चाहिए जिसमें कि आयुर्वेद के ही जानकार व्यक्ति होने चाहिए : उसमें वैद्यों को और योग्य लड़कों को ही रखा जाना चाहिए । आज हमारे अच्छे और योग्य छात्र आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करके निकल रहे हैं । आज की चिकित्सा प्रणाली सराहनीय नहीं है । अन्त में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश के अन्दर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने अनेकानेक नये संस्थान जैसे संजय गांधी आयुर्वेदिक संस्थान का निर्माण किया है और उसे प्रदेश में खोला है । उन्होंने यह एक अच्छा काम किया है । मैं उनका और उनके बजट का दोनों का समर्थन करता हूं और इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहूंगा कि वे आयुर्वेद चिकित्सा पर अधिक ध्यान दें । आयुर्वे में एक औषधि होती है हरित हर्र, उसको यदि आप थोड़ा लगा दें तो दस्त आने लगते हैं । इतनी प्रभावशाली वह होती है । ऐसी और भी औषधियां आयुर्वेद में हैं जो अचूक लाभकारी हैं । इसलिए मेरा मंत्री जी से अन्त में निवेदन है कि वे आयुर्वेद चिकित्सा को और प्रोत्साहन प्रदान करें ।

श्री अधिष्ठाता--

सभी माननीय सदस्य 5 से 7 मिनट के समय के अन्दर ही बोलें क्योंकि समय कम है और सभी को अपनी बात कहनी है ।

श्री विजय सिंह राना--

इस तरह से क्या फायदा ? जो आप हमें नहीं सुनेंगे, तो आपका बजट तो वैसे ही पास हो जायेगा तो हमको सुनने से क्या फायदा ?

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय राना जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी तो युद्ध का मैदान छोड़ कर चले गये हैं लेकिन माननीय राज्य मंत्री महोदय उपस्थित हैं । माननीय सदस्यों को यह अनुभव होगा कि जितना उत्तम स्वास्थ्य आज नागरिकों का होना चाहिए, उन्हें स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जो सेवायें प्राप्त होनी चाहिए, वे आज उन्हें स्वास्थ्य विभाग से नहीं प्राप्त हो रही हैं और उनका स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से

(इस समय 4 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

असफल है । मान्यवर, जितने भी चिकित्सालय जिलों में हैं व आज व्यवसाय के केन्द्र बन गये हैं और यह माननीय सदस्यों को खुद अपने-अपने क्षेत्र में अनुभव हुआ होगा । मैं तो स्पष्ट कहना चाहूंगा, उस पक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य आज इस बात को बड़े स्पष्ट तरीके से कहने में संकोच करें, लेकिन वह मेरे अनुभव को माने कि यह शासन के द्वारा जो जिलों में चिकित्सालय और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाते हैं वह गरीब जनता के लिए होते हैं जिनके पास पूंजी का अभाव होता है और पूंजी के अभाव में जो प्राइवेट डाक्टर अपनी प्रेक्टिस करते हैं उनसे दवाखाने में जाकर अपना इलाज करा सकें और इस कमी के कारण वह आज के जिला चिकित्सालयों में और पी0 एच0 सी0 में इलाज के लिए जाता है।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि मैंने स्वयं कई जनपदों में देखा है कि पी0 एच0 सी0 के खुलने का समय निश्चित नहीं है। किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टर नहीं रहता है, उसके वहां पर रहने की व्यवस्था नहीं है। कुछ सेन्टर्स पर डाक्टरों के रहने की व्यवस्था है परन्तु वह 5-5 और 5-6 बार जिला केन्द्रों पर बैठकी के लिए जाते हैं और अस्पताल में जो कम्पाउन्डर हैं, कहीं-कहीं पर कम्पाउन्डर भी नहीं होता है तो झाड़ू लगाने वाला कर्मचारी रोगों का इलाज करता है। आज आपको यह व्यवस्था है, उस व्यवस्था की दुर्दशा मैंने आपके सामने उपस्थित किया है। आज जिला अस्पतालों की जो हालत है जो जिले का केन्द्र होता है, इलाज की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन अगर देखा जाय तो 90 प्रतिशत गरीब व्यक्ति वहां पर इलाज के लिए जाता है जो पैसा खर्च होता है वह अपनी जेब से करता है। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि मैं ऐसे क्षेत्र से चुन कर आया हूं जहां पर 70 और 75 प्रतिशत नागरिक गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत करता है। सभी इलाज कराने के लिए अपनी जेवर को बेंचकर पैसा बनाकर इलाज कराने के लिए आते हैं। बुन्देल खन्ड के पांचों जिलों के अस्पतालों का यही हाल है। वहां पर मामूली से मामूली दवायें बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। माननीय मन्त्री जी अगर वहां पर जायें तो इस बात की उनको जानकारी हो जायेगी। बुन्देलखन्ड में जितने भी मरीज भर्ती हुए हैं उनको केवल 2 प्रतिशत भोजन की व्यवस्था है। आप इस चीज का अनुमान लगायें। इस चीज के सारे आंकड़े मेरे पास हैं। जो कमजोर वर्ग है गरीब वर्ग है जिसकी आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी शासन द्वारा दवायें भेजी जाती हैं वह बाहर दुकानों में बिकती हैं, मरीजों को नहीं मिल पाती हैं। अभी कुछ समय पहले माननीय राज्य मन्त्री जी फर्रूखाबाद गये थे तो वहां के पत्रकारों ने इस बात की शिकायत उनसे की थी। मैं उस बात को आज फिर दुहराना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि सारी व्यवस्था के अन्दर जो कमी है। आज इस सरकार ने उन कामों को पूरा करने के लिये क्या उपाय किये हैं?

माननीय मन्त्री जी ने संसाधन की कमी के कारण यहां पर यह घोषणा की है कि 1 लाख 25 हजार की जनसंख्या पर एक पी0 एच0 सी0 होगा। मान्यवर, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बुन्देलखन्ड के 5 जनपदों में 1 लाख 25 हजार की आबादी 30-35 मील के एरिये पर रहती है। हमारे पास सड़कें नहीं हैं आने-जाने के साधन नहीं हैं। अगर कोई मरीज बीमार हो जाता है तो जब वह मर जाता है उस समय तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुंच पाता है। मैं कहना चाहता हूं कि बुन्देलखन्ड क्षेत्र के अन्दर क्षेत्रीयता का आधार मान कर दस मील और आठ मील के अन्दर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाय। मेरठ और पूर्वी क्षेत्र हो सकता है जहां 6 या 7 मील के अन्दर 1 लाख 30 हजार की आबादी होती हो।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आपने आयुर्वेदिक शिक्षा पद्धति को बहुत सम्मान दिया है। उस सम्मान के साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि जिस आयुर्वेदिक शिक्षा पद्धति की आपने व्यवस्था की है उसकी दुर्दशा इस प्रकार से हुई है कि जिसको कहा नहीं जा सकता है। उनके पास दवाइयां नहीं हैं, डाक्टर नहीं हैं, डाक्टरों के बैठने के लिये कुर्सी नहीं हैं, कच्चे भवनों में वे बैठे रहे हैं, बरसात में सारी साज-सज्जा पानी में मिलकर चौपट हो जाती है मान्यवर, झांसी के अन्दर आयुर्वेदिक शिक्षा का एक संस्थान है। बहुत पुराना है। चार वर्ष पहले शासन ने उसका अधिग्रहण किया था, तब से अभी तक वहां पर कुछ विभाग ऐसे हैं जहां एक भी अध्यापक नहीं हैं, छात्रों के बैठने के लिये कक्ष नहीं हैं, लेबोरेटरी नहीं हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह वहां पर किस तरह से डाक्टरों को तैयार कर रहे हैं जिनके विभाग में एक भी डाक्टर नहीं है। चार वर्ष हो गये हैं, आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि झांसी के अन्दर जो बुन्देलखन्ड आयुर्वेदिक कालेज है उसमें तदर्थ नियुक्ति की जाय और इस तरह से वहां के छात्रों के साथ खिलवाड़ न किया जाय।

'बी' क्लास चिकित्सालयों में आपने जिन डाक्टरों को नियुक्त किया है ऐसे लगभग 200 डाक्टर आपके पास हैं। उनका सारा जीवन अधर में लटका दिया है। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि ऐलोपैथिक चिकित्सालयों को जो सुविधायें आपने दी हैं वही अधिकार और सुविधायें आप इन चिकित्सालयों को भी दे दें। यह एक बड़ी विचित्र व्यवस्था है कि आप डाक्टरों को नान-प्रैक्टिसिंग एलाउन्स को वापस मांग रहे हैं। आपने दिया था और आपके आदेश द्वारा ही उनको यह एलाउन्स मिलता था फिर कौन सा औचित्य है कि आप उसे वापस मांग रहे हैं।

मान्यवर, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि आपने जो प्राइवेट प्रैक्टिस डाक्टरों को शुरू करवा दी है वह घोर अत्याचार है, अनाचार है और दुराचार है। क्योंकि जहां तक डाक्टरों का सवाल है वे 20 हजार से लेकर 40 हजार रुपये तक प्रतिमाह प्राइवेट प्रैक्टिस के द्वारा प्राप्त करते हैं और ऐसे डाक्टरों की संख्या सारे उत्तर प्रदेश के अन्दर मुश्किल से 2/3 प्रतिशत ही होगी। लेकिन जो लोग गांवों में रहते हैं उनको इसका लाभ नहीं पहुंच पायेगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश के सभी डाक्टरों को इसका लाभ पहुंचे तो इस प्रैक्टिस को आप बन्द करें। इससे अस्पतालों में डाक्टर मरीज का इलाज नहीं करते हैं, अपने घरों पर करते हैं। आपके कार्यालय में बैठे हुए जो डाक्टर हैं, वे प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। उससे जनता को कोई फायदा नहीं है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि जो आपने व्यवस्था की है, उसे आप वापस लें।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मुझे बड़ी आशायें थीं माननीय विधायक साथी से जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है और यह अपेक्षा करता था कि वह कोई रचनात्मक सुझाव देंगे और मार्ग दर्शन देंगे। लेकिन उन्होंने केवल आरोप और

[डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--]

प्रत्यारोप लगाये इसके अलावा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य को इस समय लकवा मार गया है। मैं माननीय विधायक से पूछना चाहूंगा अगर प्रदेश के स्वास्थ को लकवा मार गया होता तो उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं होता। उनके अच्छे स्वास्थ्य से आप अन्दाज लगा सकते हैं कि प्रदेश का स्वास्थ्य कितना अच्छा है।

उन्होंने आगरा और बलरामपुर अस्पतालों में दवाओं की चोरियों का जिक्र किया। बलरामपुर अस्पताल की बात तो मैं नहीं जानता लेकिन आगरा के अस्पताल में चोरियां हुई उसमें जहां पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा वहां मैं पूछना चाहता हूं कि किस राजनीतिक पार्टी ने उनको संरक्षण दिया अपने कलेजे पर हाथ रख कर जवाब दें। जिस समय पुलिस अपराधियों को पकड़ कर ले जा रही थी उस समय कौन सी राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने उन्हें बचाने का प्रयास किया। मैं राजनीतिक पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता। चूंकि मामला सी0 आई0 डी0 में चला गया है उसकी इनक्वायरी हो रही है, सही बात सामने आ जायेगी।

(व्यवधान)

सही बात बुरी लग रही है तो मैं उसे नहीं कहूंगा इसलिए दूसरे विषय पर आता हूं।

आपने कहा आक्सीजन बनाने वाले कारखाने के मालिक का प्रदेश में एकाधिकार है और आज तक शासन उसके एकाधिकार को तोड़ नहीं पाया है। मैं जानना चाहता हूं 1977 से 1980 तक उनकी पार्टी का शासन रहा तो उन्होंने उस एकाधिकार को क्यों नहीं तोड़ा और अगर नहीं तोड़ा तो उन्होंने अपने नेताओं को क्यों नहीं कोसा।

(व्यवधान)

वह इसलिए नहीं कर पाये क्योंकि आपस में लडते रहे, एक दूसरे की टांग खींचते रहे, कांग्रेस के नेताओं को झूठे मामले में फंसाते रहे इसलिए उनके लिए काम करना संभव नहीं हो पाया। इसके अलावा आपने कटौती के प्रस्ताव पर कुछ नहीं कहा।

(व्यवधान)

श्रीमन्, अब मैं असली बात पर आता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं इस शासन को और माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी को कि अपने पहली बार परिवार कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। विरोध पक्ष का सक्रिय सहयोग न मिलते हुए भी हमारे शासन ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। इसलिए मैं खासतौर से बधाई देता हूं। इस बजट में इस प्रकार के अच्छे काम के लिए गतवर्ष की तुलना में दुगनी धनराशि की व्यवस्था की गयी है। मैंने पिछले बजट भाषण में आगरा मेडिकल कालेज में मेडिसन विभाग हेतु कुछ अत्यन्त आवश्यक उपकरणों की चर्चा की थी जो न केवल निदान के लिए आवश्यक है बल्कि इलाज के लिए भी आवश्यक है तथा शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है। श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है कि इसी बजट सत्र में वह उसकी व्यवस्था कर देंगे। मैं आपके माध्यम से उनको याद दिलाना चाहूंगा कि

पिछले कई वर्षों से मैंने विधान सभा के अन्दर और बाहर माननीय मुख्य मन्त्री जी का और स्वास्थ्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया है कि आगरा में इमरजेन्सी विभाग नारकीय स्थिति में चल रहा है। मेरा अनुरोध है कि आगरा में कम से कम एक सौ बिस्तर का इमरजेन्सी हास्पिटल स्थापित हो जाय तो जो नारकीय स्थिति है वह काफी हद तक दूर हो जायेंगी। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है कि उसके लिए इस बजट सत्र में धनराशि की व्यवस्था करेंगे। आपके माध्यम से उन्हें बधाई देना चाहता हूं।

मैंने पिछले बजट सत्र में एक और दरख्वास्त की थी कि आगरा में एक रीजनल ब्लड बैंक की स्थापना की जाय। मान्यवर, पूरे प्रदेश में केवल लखनऊ में एक ब्लड बैंक है और कहीं नहीं है। जो केवल पूर्वी जिलों को ही फीड कर सकती हैं लेकिन पश्चिम के जिले जहां राजस्थान और मध्यप्रदेश लगा हुआ है उनकी भी यदि आगरे में जोनल ब्लड बैंक की स्थापना हो जाये तो आवश्यकता पूरी हो सकती है। मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि इस बजट में इसकी व्यवस्था करेंगे जिसके लिये मैं शासन को एवं उन्हे विशेष रूप से बधाई देता हूं।

मान्यवर, व्यावसायिक रक्तदाताओं की पिछले दिनों सदन में प्रश्नों के समय में चर्चा हुई थी मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि इसमें व्यावसायिक रक्तदाता, संस्थाओं को कोई नियम बनाकर समाप्त कर दिया जाना चाहिये और इस मद में जो ब्लड-बैंक 25 रुपया व्यावसायिक रक्तदाता (डोनर) को देते हैं वह बची हुई धनराशि ब्लड बैंकों की साजसज्जा एवं उपकरणों में खर्च हो सकेगी। इसलिये मान्यवर, आपके माध्यम से शासन से अनुरोध है कि 31 मार्च के पहले जो धनराशि प्रोफेशनल डोनर्स के मद में पड़ी हुई है उसका इस्तेमाल करने के आदेश प्रदान कर दें अन्यथा वह धनराशि लैप्स हो जायेगी।

इसके साथ ही साथ में आयुर्वेद पद्धति के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं मुझसे पूर्व वक्ता श्री उपाध्याय ने इस पर प्रकाश डाला लेकिन मैं स्टेट आयुर्वेदिक फार्मेसी, लखनऊ की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इसमें 250 कर्मचारी कार्य करते हैं। इस हेतु बहुत बड़ी धनराशि बजट की आवंटित होती है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस धनराशि से कितनी दवायें बनाई जाती हैं और कितनी दवायें खरीदी जाती हैं। मेरी जानकारी के अनुसार यह फार्मेसी दवायें बाहर की सब स्टैन्डर्ड फार्मेसियों से खरीदती है जिसमें लाखों रुपये का घोटाला है और वहां केवल डाइरेक्टर की ही चलती है। वन मैनशी है। इसका सारा बजट मेरी जानकारी के अनुसार बाहर से दवाओं के खरीदने में ही खर्च होता है। मुझे यह भी जानकारी है कि लाखों रुपये का रा-मैटेरियल वहां खरीद कर डाल दिया गया है लेकिन उसका आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। मान्यवर, आज आयुर्वेद की जो दवायें उन पर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि द्राक्षारिस्ट, जो दारुलसफा डिस्पेंसरी से मिलता है, की बोतल पर कोई लेवेल कम्पनी का नहीं है, किस फार्मेसी ने बनाया है यह नहीं लिखा है। यह लीक करती है ऊपर ढक्कन से और आज तक इसकी जांच और एनालिसिस करने का कोई साधन प्रदेश में नहीं है।

[डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--]

दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं यह हमारे पास च्यवनप्रास की बोतल है (सदन में दिखाई गयी), यह कहां और किस फार्मेसी ने बनाया है उसका नाम नहीं है, जबकि ड्रग-ऐक्ट में प्राविधान है कि बोतल पर कम्पनी का नाम होना चाहिये। कितनी मात्रा में है और कब इक्सपायर होगी आदि चीजें इस पर नहीं लिखी गयी हैं। यह सूंघने पर तम्बाखू की बदबू आती है। यह विधायकों व उत्तर प्रदेश के लोगों को दी जा रही है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसमें जांच करवा लें।

मान्यवर, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि विगत दिवस सदन में इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। लेकिन अनुरोध करना चाहूंगा कि इसको स्वैच्छिक करने पर थोड़ा विचार करलें। क्या एडीशनल डाइरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव डाक्टर्स जो हैं वह प्राईवेट प्रैक्टिस करेंगे तो इस प्रदेश में कैसे काम होगा? इस पर विचार करलें। इसको कम्पलसरी न बनायें और स्वैच्छिक बनायें।

इसके अलावा हमारे यहां फार्मेसी की एक ट्रेनिंग दी जाती है। मेरठ, आगरा, झांसी और कानपुर में 250 फार्मेसिस्ट अन ट्रेन्ड थे वह ट्रेनिंग ले रहे हैं, एक वर्ष की ट्रेनिंग के लिये उनको बुलाया गया था और 17 महीने हो गये हैं लेकिन उनकी ट्रेनिंग समाप्त नहीं हुई है। और 17 महीने के अन्दर केवल तीन महीने का पाठ्यक्रम उनको पढ़ाया गया। तो जो लोग रिटायरमेन्ट के नजदीक हैं या जिनको 20-20 और 25-25 साल सेवा करते हो गया है, उनको ट्रेनिंग के नाम पर जो लड़का रखा गया है, उसका कोई औचित्य नहीं है और एक साल का समय बीतने पर भी उन्हें वापस नहीं भेजा जा रहा है, यह चिन्ता की बात है। तत्काल कार्यवाही अपेक्षित है।

एक बात अभी मैं और कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में आज जिस प्रकार से चाय और पान की दुकानें हैं, उसी तरह से आज उत्तर प्रदेश में ब्लड बैंक हर मेडिकल कालेज और अस्पतालों के सामने और उसके आसपास खुल गये हैं और उन ब्लड बैंकों से ऐसा खून रोगियों को बेचा जाता है, जिसमें डिस्टिल्ड वाटर में कोगोरेड नामक रसायन मिलाकर उसे खून बना दिया जाता है तथा रोगियों की जान से खिलवाड़ किया जाता है। इस सम्बन्ध में जब मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान पहले आकर्षित किया था, तो उस पर यहां से कोई डाक्टर गुजराल गये थे। उन्होंने जांच की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ पता नहीं? तो मंत्री जी उस पर भी सख्ती से कार्यवाही करें, ताकि जनता के जान-माल के साथ इस तरह का खिलवाड़ बन्द हो। अन्त में मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विभाग की प्रगति और उत्थान के लिए जो कदम उठाए हैं, वह बहुत ही सराहनीय हैं और आशा है कि वह इसी प्रकार के कदम आगे भी उठाते रहेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह--

अध्यक्ष महोदय, चूंकि समय कम रह गया है और काफी सदस्य अभी बोलना चाहते हैं, अतः इसके लिए एक घंटे का समय आज बढ़ा दिया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

यह समय बढ़ाने के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव नेता विरोधी दल ने रखा है, यह हमें मंजूर है।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि इस अनुदान की मांग पर आज एक घंटे का समय बढ़ाने का जो प्रस्ताव नेता विरोधी दल ने किया है और जिसका समर्थन संसदीय कार्य मंत्री ने किया है, उसके अनुसार सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री के भाषण को बहुत गम्भीरता से सुना । स्वास्थ्य मंत्री ने जहां से शुरू किया था, वहीं से मैं भी शुरू कर रहा हूं । पहली बात उन्होंने कही कि परिवार नियोजन के कार्यक्रम को 1977 की जनता पार्टी की सरकार ने बिलकुल नजरन्दाज कर दिया था, इसके कारण जनसंख्या प्रदेश की बहुत तेजी से बढ़ने लगी । मान्यवर, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपने 1975-77 के बीच में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को बदनाम किया और इसी वजह से उत्तर प्रदेश के अन्दर नसबन्दी को लेकर विशाल पैमाने पर जनता में असन्तोष फैला । हमने शासन संभालने के बाद परिवार नियोजन कार्यक्रम को परिवार कल्याण कार्यक्रम के रूप में बदला ।

हिन्दुस्तान के अन्दर जनता पार्टी की प्रदेश में पहली सरकार थी, जिसने स्वास्थ्य सुविधाओं को गांव-गांव तक फैलाने के लिए वेयर-फुट डाक्टर्स की स्कीम बनायी यह जनकल्याणकारी स्कीम थी, जिसके तहत इलाज की सुबिधा गांव-गांव में गरीबों तक पहुंची । मान्यवर, जो लोकतान्त्रिक देश हैं--अमेरिका और इंग्लैण्ड तथा जो समाजवादी देश हैं---चीन और रूस, इन्होंने हमारी इस स्कीम के बारे में कहा था कि जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई काम हुआ है, जनता की भलाई का तो यह जनकल्याणकारी कार्यक्रम वेयर-फुटेड डाक्टर्स की स्कीम का है । लेकिन जिसकी आज आप बिलकुल नजरन्दाज कर रहे हैं । मंत्री जी ने अपने विभाग का जो लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है, उसमें कहा है कि एक हजार की जनसंख्या पर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्य कर्त्ताओं की नियुक्ति की जाएगी । लेकिन आज उसकी स्थिति क्या हो रही है । प्राइमरी हेल्थ सेन्टर के ऊपर जो जिला चिकित्सालयों के डाक्टर हैं, वह लोग इनका चयन करते हैं और इसका आधार यह है कि इस चयन में गांव प्रधानों की राय ली जाएगी । लेकिन स्थिति यह है जो डाक्टर हैं, वह 2-2, 3-3 हजार रुपया रिश्वत लेकर उनका चयन कर रहे हैं । हमारे जनपद सीतापुर में.

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मैं आपको बता दूं कि यह नियुक्तियां रद्द हो गई हैं और

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

इसमें पूरी तरह से घपला हो रहा है । इसी प्रकार दाइयों की नियुक्ति में भी बड़ा घपला हो रहा है । चिकित्सा की कोई सुविधा आज ग्रामीण जनता को उपलब्ध नहीं है । जो ग्रामीण स्तर पर आपने

[श्री मुख्तार अनीस--]

प्राइमरी हेल्थ सेन्टर खोलने की बात कही है, आज स्थिति यह है कि वहां कोई डाक्टर जाना पसन्द नहीं करता । अगर किसी डाक्टर का वहां तबादला कर दिया जाता है तो वह पालिटिकल प्रेशर डलवा कर अपना ट्रान्सफर वहां से करवा लेता है। आपका मंत्री जी, विभाग पर कोई नियन्त्रण नहीं है । गांव के अस्पतालों में डाक्टरों की कमी है ।

मान्यवर, सरकार के ही आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या बढ़ रही है और मृत्यु दर भी वहीं बढ़ रही है ग्रामीण क्षेत्र की जहां 40 प्रतिशत आबादी बढ़ी है, शहरों में वह 32 प्रतिशत है । इसी प्रकार मृत्यु दर गांवों में जहां 17 प्रतिशत है, शहरों में वह 10 प्रतिशत है अगर टाऊन एरिया की आबादी को भी हम गांवों में मान लें, तो भारत की 85 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है । इस लिये देहात की तरफ माननीय मंत्री जी को विशेष तवज्जह देना चाहिये । मैंने माननीय मंत्री जी से कई बार निवेदन किया कि हमारे यहां सीतापुर जिले में रेऊसा ब्लाक में 35 शैय्या वाला एक अस्पताल खुलवा दिया जाये । तम्बौर के अन्दर 33 शैय्याओं का एक अस्पताल 4 साल से बन रहा है और अभी तक पूरा नहीं हुआ है । आपके अधिकारी कुछ कर ही नहीं रहे हैं ।

डाक्टरों की मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन आज हालत यह है कि डाक्टर और इन्जीनियर समाज का शोषण कर रहे हैं । उन्होंने अपने पेशे को समाज के शोषण का आधार बना लिया है । उनके अन्दर समाज सेवा की भावना खत्म हो गयी है । यह लोग यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा धन कमालें । हर आदमी आज यही चाहता है कि उसकी लड़की की शादी डाक्टर या इन्जीनियर लड़के से हो जाये । डाक्टरों में बड़े पैमाने पर करप्शन व्याप्त है ।

जहां तक प्राइवेट प्रैक्टिस की बात है, आज बड़े पैमाने पर डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी दुकानें तक खोले हुए हैं । आप कोई सख्ती नहीं कर पाते । 17 दिसम्बर, 1982 को स्वास्थ्य सचिव, श्रीमती ललिता सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी हुई थी जिसमें यह तय किया गया था कि जो प्रथम श्रेणी के 32 डाक्टर हैं उनको सहायक स्वास्थ्य निदेशक बना दिया जाये । उनको प्रोन्नत कर दिया जाये । इस प्रकार प्रोन्नत करने पर उनको 250 रुपये का वेतन में लाभ होता । लेकिन उनमें से कोई भी डाक्टर सहायक स्वास्थ्य निदेशक के पद पर आने के लिये तैयार नहीं हुआ । क्यों ? वह समझते हैं कि यहां आकर उनकी आमदनी और कम हो जायेगी । तो यह स्थिति है जिस पर आपको विचार करना चाहिये ।

दवाओं की स्थिति यह है कि जो सामान्य जनता है उसको अस्पताल की दवा नहीं मिल रही है । यहां के करीब ही लखनऊ में कैपिटल सिनेमा के करीब जो डिस्पेन्सरी है उसमें मैं एक बार एक मरीज को भर्ती कराने के लिये गया । वहां आवश्यकता पड़ने पर एक ग्लास तक उपलब्ध नहीं था । अस्पतालों में गन्दगी बुरी तरह फैल रही है ।

(समय 5 बजे अपराह्न)

बीमारियों के इलाज का कोई समुचित प्रबन्ध नहीं है । जो हिन्दुस्तानी चिकित्सा पद्धति है, चाहे यूनानी हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, इसके बारे में मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो समाज में क्रान्ति हुई समाज वादी, उसकी

भी देखने का कष्ट करें । चीन की समाजवादी क्रान्ति ने अपने यहां की चिकित्सा पद्धति को नहीं छोड़ा और उसका इस्तेमाल किया गया । वहां पर एक्यूपंक्चर की पद्धति है, उसका प्रयोग हो रहा है । यह सदियों से चली आ रही थी । हिन्दुस्तान को जो चिकित्सा पद्धति है, उसको आगे बढ़ाने का काम करें । जो एलोपैथ की पद्धति है, उससे अनेक रोग पैदा हो रहे हैं, उनका साइड एफेक्ट बहुत बढ़ रहा है । कितना कम पैसा दिया आपने हिन्दुस्तानी चिकित्सा पद्धति के लिए । पहाड़ों पर जड़ी-बूटियां पैदा हो रही हैं बहुत हो रही हैं । उसका इस्तेमाल होना चाहिए । उसके लिए आप पहाड़ों पर कोई बहुत बड़ी इन्डस्ट्री लगायें, उनका प्रयोग हो और आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, सब को मिला कर चिकित्सा पद्धति का विकास करें । यही मुझे कहना है ।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी--

मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य मंत्री का जो बजट है और पेश किया है, जिसका मैं समर्थन करता हूं और आपने मुझे दो मिनट बोलने का मौका दिया । यह विधि की विडम्बना है, मैं विरोधी दल से इस विभाग की तमाम बुराइयों को सुन रहा हूं । 1977 से 1980 तक यह विभाग तथा अन्य विभाग आदरणीय सदस्य सम्हालते रहे । क्या यह बुराइयां जो आज बतायी जाती हैं, उस समय नहीं थीं ? क्या उस जमाने में दवाइयों की चोरी नहीं होती थी ? गरीबों को दवा बंटती थी और धनी लोग नहीं पाते थे और इस वक्त धनी पाते हैं और गरीब नहीं पाते हैं ।

बुन्देलखन्ड के बारे में बड़ी चर्चा आयी । 1977 से 80 तक बुन्देलखन्ड इस नक्शे में नहीं था ? उस समय सदस्यगण क्या करते थे ? बुन्देलखंड की कमियों को दूर करने में क्यों हिचकिचाते रहे ? आज यह बात हमारे ऊपर कही जा रही है कि बुन्देलखंड में कुछ नहीं हो रहा है, झांसी में कुछ नहीं हुआ, औरई में कुछ नहीं हुआ,

(कुछ सदस्यों द्वारा बैठे-बैठे कहने पर व्यवधान)

यह सारी बुराई 1980-82 के बीच में हो आयी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं । 1977 से 1980 के बीच के बाद 35 वर्षों का ही नमूना है, मुंह पर कालिख पुत गयी होती अगर 35 वर्षों के कारनामें हमारे न हुए होते । यह मुंह सफेद न हुआ होता काला हो गया होता । इसके बाद मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि सारे विभागों में कमियां होंगी, इसमें भी हैं, मगर इस तरह से एकतरफा जो बहस चल रही है उसको भी आप नजर रखें, इस विभाग को आपने भी सम्हाला था ।

(कुछ सदस्यों द्वारा बैठे-बैठे कहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

बोलने दीजिये ।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी--

मुझे तो यह सब सुनने में लज्जा आती है, कहने की क्या बात है। जिस विभाग को आप खुद सम्हालते रहे उसमें क्या दवाइयों की चोरियां नहीं होती रहीं, कम्पाउन्डर नहीं रहे, डाक्टर नहीं रहे, छोटे कर्मचारियों द्वारा दवा नहीं बंटती रही और इस वक्त सारी कमियां आ गयीं इस विभाग में जब हमने इस विभाग को सम्भाला। इसके अलावा मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि अपनी बुराई पहले अपने में देखिये। उसके बाद दूसरे के बारे में चर्चा करिये, क्योंकि आप भी सम्मानित जगह पर रह चुके हैं और जो कारनामे आपने किया है वह कहने की बात नहीं है।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, स्वास्थ्य बजट में विरोधी पक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो स्वास्थ्य विभाग का बजट रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, इधर स्वास्थ्य मंत्री जी काफी दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं, इसलिए उसका बजट दिशा विहीन हो, यह स्वाभाविक है। मुझे आशा थी कि वह कुछ नई दिशा दिखलायेंगे। मैं इनके कई बजट भाषण 74 से देख रहा हूं, लेकिन आज जितना नीरस और बेमन का बजट प्रस्तुत किया है, उससे इनके दिमाग की कैफियत का कुछ अंदाजा लग सकता है। मैं इस संदर्भ में केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप अपने विभाग पर अंकुश लगायेंगे नहीं, तो यह आपका विभाग आपको भी ले डूबेगा। मान्यवर, इस विभाग में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। मान्यवर, आपने क्या दिया है इस प्रदेश को, साढ़े 11 करोड़ का जो यह प्रदेश है और जो आपने बजट दिया है, यह प्रत्येक व्यक्ति 50 पैसा पड़ रहा है। लेकिन आप प्रति व्यक्ति 50 पैसे की दवा भी नहीं दे सकते। तो मैं नहीं समझता कि आज आप सरकार नाम की कोई चीज चला रहे हैं।

जिन लोगों के श्रम की कमाई से हम यहां पर बैठे हुए हैं, सरकार चल रही है, पैसा आ रहा है, लेकिन उनके लिए हम एक टेबलेट की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। जो प्रशासकीय खर्चा है, उसमें कटौती कीजिए और उस कटौती से जो पैसा मिले, उससे देहातों के जो सुदूर गांव बसे हुए हैं, उन तक दवा पहुंचाने की कृपा कीजिए। आप जो भी बजट दे रहे हैं, क्या वह सही दवा के नाम पर जा रही है? क्या उससे सही प्रकार की दवा खरीदा जा रही है। अभी डाक्टर दारुलशफा में जो दवा देता है, उसने दिखलाया कि ऐसी दवा आजकल आ रही है। तो जब माननीय विधायकों को इस प्रकार से धोखा दिया जाता है, माननीय मंत्रियों को जब धोखा दिया जा सकता है, तो जो गांव में रहता है, उनको कौन सी दवा दी जा सकती है? इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। अस्पतालों को जो दवा सप्लाई हो रही है, वह उन फर्मों से नहीं हो रही है, जो कि आपकी अप्रूव्ड हैं, जिनको आप ब्लैक लिस्टेड कहते हैं। वह अपने बोर्ड बदल कर एक दूसरा बोर्ड लगा देते हैं। दवा वही है। ब्लैक मेलिंग वहां है। बोर्ड बदल देते हैं, तो उनको भी मान्यता मिल जाती है। जो कुछ भी पैसा आपके पास है और उससे जो दवा दे रहे हैं, क्या उससे आप आश्वस्त होंगे कि वह सही दवायें हैं?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी चीज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं । चचा ने जनता पार्टी के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि चचा जैसे लोग वापस हो गये, इस सदन में, यह जनता पार्टी की ही देन है । मान्यवर, जो स्वास्थ्य रक्षक की अब तक नियुक्तियां हुई हैं, वह निर्देश के विपरीत हैं । उनसे दो–दो हजार रुपये लिया गया था । इसमें परतावल और महाराजदीन प्रारम्भिक चिकित्सा केन्द्रों में स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्तियां दो–दो हजार रुपये लेकर की गयी हैं । उनको हटा दीजिये । माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि लोगों ने दिया, यह मुनासिब नहीं है । मजबूरी में उनको पैसा दिया गया । तो इसकी आप जांच कराइये ।

मान्यवर, अगर जांच में हमारे आरोप सही हों तो ऐसे डाक्टर को कानून के हिसाब से जेलखाने में होना चाहिये । मान्यवर, भ्रष्टाचार का एक और उदाहरण और घटना में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । पिछले कई सालों से, जनता पार्टी के शासन में भी, गोरखपुर में जो भ्रष्टाचार हुआ, लड़कों को जो सेब खिलाया गया, जब सारे हिन्दुस्तान में 2 रुपये किलो सेब था गोरखपुर में 16 रुपये किलो खरीदा गया । उस आरोप की जांच भी हुई थी और इस मामले में अपराधी भी पाये गये थे, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अपराधी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है । मेरे प्रश्न का जवाब आया कि उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है । लेकिन मैं मन्त्री महोदय को बतलाना चाहती हूं कि स्थानान्तरण तो कर दिया गया, लोग एक महीने के लिए चले गए । लेकिन बदकिस्मती से हमारी सिफारिश पर या किसी दूसरे की सिफारिश पर वह वहीं पर पुनर्स्थापित कर दिये गये हैं । तो मैं कहना चाहता हूं कि जिनके ऊपर स्पष्ट आरोप हैं, उनको वहां से हटाया जाना चाहिये ।

मान्यवर, सी0 एम0 ओ0 के बारे में कहा गया । हमारी माननीय सदस्या श्रीमती किशोरी शुक्ला और गौरी देवी जो बैठी हैं, इन दोनों ने जो बातें कहीं हैं, मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि सच है ऐसे अधिकारी को एक मिनट अपनी कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है । मन्त्री जी को आश्वासन देना चाहिये, इन दोनों माननीय सदस्याओं से बात करके उनके आरोपों को सुनकर तुरन्त निलंबित करना चाहिये स्थानान्तरण से काम चलने वाला नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये पुनः कहना चाहूंगा कि जो पिछड़े इलाके हैं, जहां पर दवाओं की सुविधा नहीं है, उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाए और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में एक दृढ़ कदम उठायें । छापामार सचल दस्तों का आयोजन करें, जिससे जो दवा अस्पतालों में दी जा रही है, वह शुद्ध और विश्वसनीय मिल सके । इन शब्दों के साथ मैं पुनः कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

कुमारी अलमेलू अम्माल––

अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने हमारे पिछड़े हुये बस्ती जैसे जिले के लिये भी महिला स्वास्थ्य निरीक्षकों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निरीक्षकों के आवास बनाने के लिये, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र तथा आपरेशन थियेटर खोलने का कदम उठाया है । इसके लिए मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद दूंगी । इससे हमारे पिछड़े इलाके बस्ती जैसे जनपद में आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी ।

[कुमारी अलमेलू अम्माल--]

माननीय मन्त्री जी ने चिकित्सा और स्वास्थ्य में जो महुँमुखी विचारधारा या विकास किया है, उसके लिये मैं मन्त्री जी को धन्यवाद देते हुए, यह कहूँगी कि हमारा प्रदेश उनका सदैव आभारी रहेगा, ऋणी रहेगा। संजय गांधी संस्थान जो मन्त्री जी ने शुरू किया है, वह मन्त्री जी का स्थायी कीर्ति स्तम्भ होगा। मैं माननीय मन्त्री जी को कुछ सुझाव देना चाहती हूं। हमारे पिछड़े जो इलाके हैं तहसील मुख्यालय पर, वहां पर आई० सी०, यू० ई० सी० जी० की आवश्यकता है। वहां पर अगर किसी को तबीयत खराब हो जाती है तो उसको जिला केन्द्र पर, मुख्यालय पर ले जाना पड़ता है। इसलिए तहसील मुख्यालय पर एक्सरे प्लांट होना चाहिये।

मैं मन्त्री जी से यह भी कहूंगी कि आपने ग्रामीण लोगों के लिये बहुत कुछ किया है, लेकिन तहसील मुख्यालय पर एक्सरे प्लांट, ई० सी० जी० और हार्ट यूनिट हो, इसके लिये कोशिश करें। साथ ही साथ में यह कहना चाहती हूं कि अभी दो, तीन दिन पहले मैंने अपनी मां को बलरामपुर अस्पताल में भर्ती किया। मैं वहां ई० सी० जी० प्लांट देखने गई तो वहां पर टेक्निशियन नहीं है। लखनऊ जैसे बड़े शहर में और जो अस्पताल विधायकों के लिए रखा है, वहां टेक्नीशियन नहीं है। मन्त्री जी आप नोट कर लें और तुरन्त दो टेक्नीशियन की भर्ती करें।

अतः मैं चाहूंगी कि दो टेक्निशियन्स वहां पर आप नियुक्त कर दें, ताकि एक आदमी अगर छुट्टी पर जाये, तो दूसरा आदमी काम करने के लिये रहे। श्रीमन्, मैं आपके आशीर्वाद से नर्सेस एन्ड मिडवाइव्स कौंसिल की मेम्बर हूं, इसलिये मैं कुछ बातें उनके बारे में यहां कहना उचित समझती हूं। मान्यवर, मैंने देखा है कि अस्पतालों के कार्य संचालन में नर्सेस की भी बड़ी जिम्मेदारी है, नर्सेस के बिना अस्पताल नहीं चल सकते हैं। मान्यवर, नर्सेस के व्यवहार एवं उनकी कर्तव्यनिष्ठा से मरीजों को स्वास्थ्य लाभ होता है इसलिए जरूरी है कि हमको उनकी सेवा शर्तों और सुविधाओं की ओर ध्यान देना चाहिये। मान्यवर, आठ घंटे के लिये नर्सेस सेवा करती हैं, यह उनका समय नियत है, तो यदि इस नियत समय से उन्हें और अधिक काम करना पड़े, तो उसका उन्हें अन्य कर्मचारियों की भांति, ओवरटाइम एलाउन्स मिलना चाहिये। मान्यवर, उनके वेतनक्रम का पुनरीक्षण होना चाहिये।

माननीय मन्त्री जी, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आज नर्सेस को वर्दी भत्ता के रूप में विभाग की ओर से 120 रुपया सालाना दिया जा रहा है, यह बहुत ही कम है, श्रीमन्, इसमें तो धोबी का पैसा भी नहीं आ सकता है। इन्हें हर वक्त साफ सुथरी सफेद वर्दी पहननी पड़ती है तो मैं मांग करूंगी माननीय मन्त्री जी से कि वे नर्सेस की वर्दी भत्ते को बढ़ाने की कृपा करें। मान्यवर, जो नर्सेस मैरिज करके अपनी फेमिली में रहती हैं, उसको रहने के लिये फैमिली क्वार्टर्स वहीं अस्पताल के प्रांगण में दिये जाने चाहिये। अस्पताल में इनके लिये रेस्ट रूम्स होने चाहिये। इनका काम ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, कि जैसा पुलिस का है। कोई भी त्योहार चाहे वह दीवाली हो, ईद हो, उनको छुट्टी नहीं मिल पाती है। ठीक है छुट्टी मिलना मुश्किल है लेकिन उनके लिए भी इसकी कुछ सुविधा होनी चाहिये या इसके लिए उन्हें स्पेशल एलाउन्स मिलना चाहिये। मैं आपका एक बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि पहले इन नर्सेस को डिप्टी डाइरेक्टर (नर्सेस) जो स्वयं में लेडी होती थी, उनके अंडर में यह काम

कर रही थीं, जो उचित भी था, लेकिन शायद माननीय मन्त्री जी, आपने प्रगतिशील कदम उठाया: किन्तु मैं उसे पसन्द नहीं करती हूं कि इनको अब सी0 एम0ओ0 के अधीन कर दिया गया है, जो उचित नहीं है। अतः मैं आपसे मांग करूंगी कि नर्सेस को पुनः डिप्टी डाइरेक्टर (नर्सेस) के अधीन कर दिया जाये। श्रीमन्, मैं नर्सेस की कौंसिल की मेम्बर होने के नाते यह भी कह रही हूं कि उस कौंसिल की बैठक 2–3 महीने के बीच म एक बार बुलाना चाहिये। जो कमेटी के संचालक हैं, मैं चाहूंगी कि उस पद पर नर्सेस के बीच म से ही किसी को लेना चाहिये। क्योंकि इस समय जो संचालक हैं, वे डाक्टर हैं, तो डाक्टर लोगों के लिये अलग से बनवा दीजिये। इस काउन्सिल के संचालक को रजिस्ट्रार कहते हैं। मान्यवर, वे डाक्टर नहीं होना चाहिये।

माननीय मन्त्री जी, मैं आपका ध्यान अपने ग्रामीण इलाके की ओर आकर्षित करना चाहती हूं, क्योंकि मैं ग्रामीण इलाके से ही आयी हूं और ग्रामीण इलाके से ही इस हाउस की सदस्या हूं। मान्यवर, उस इलाके म टी बी0 और हार्ट के मरीज ज्यादा होते हैं। लेकिन मान्यवर, इन रोगियों के लिये हमारे जिला हेडक्वार्टर में दवायें बहुत कम मात्रा म उपलब्ध होती हैं और तहसील हेडक्वार्टर में तो वह उपलब्ध ही नहीं होती। वहां पर मान्यवर, योग्य डाक्टर भी नहीं हैं। इसलिए मैं मांग करूंगा कि हर तहसील हेडक्वार्टर में आप योग्य डाक्टर और टेक्निशियन्स की व्यवस्था करें। नर्सेस की भी मान्यवर कमी है, मैं चाहूंगा कि हर तहसील स्तर पर आप इसमें यथोचित व्यवस्था करायें। माननीय मन्त्री जी मैं आपसे आशा करूंगा कि आपका ग्रामीण इलाके में ध्यान रहेगा। इन शब्दों के साथ अध्यक्ष जी मैं आपको समय देने के लिये धन्यवाद देती हूं।

*श्री अकबाल हुसैन––

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे इस बजट चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं माननीय श्री विजय सिंह राना जी द्वारा चिकित्सा विभाग के बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

मान्यवर, इस विभाग में भ्रष्टाचार बहुत है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ तथ्य माननीय मन्त्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे जनपद गोंडा में जो इस वर्ष दरियां, कम्बल, चादरें तौलियां आदि चीजें खरीदी गयी हैं, वह सब मान्यवर, प्राइवेट दूकानों से खरीदी गयी हैं। पहले यह सब चीजें गांधी आश्रम से या खादी भन्डार से खरीदी जाती थीं। मान्यवर, यह सब चीजें इसलिए वहां से नहीं खरीदी गयी, क्योंकि वहां से किसी प्रकार की कोई गुंजाइश डाक्टरों को सी0 एम0 ओ0 साहब को या सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब को नहीं रहती है। मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो हैन्डलूम्स की दुकानें हैं। मान्यवर, इसको भी वह मान्यतायें दें मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे जनपद गोंडा में कम्बल जो मात्र 70 रूपये में पानीपत से आता है वह 158 रुपये में खरीदा गया। मैंने उसकी फोटो स्टेट कापी दी थी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अकबाल हुसैन---]

माननीय मंत्री जी को। मंत्री जी ने 6 तारीख को विशेष सचिव को 10 फरवरी तक आख्या भेजने के लिए लिखा। सेक्रेटेरियेट फाइलों का भंडार बन गया। पता नहीं कौन सी फाइल के नीचे माननीय मंत्री जी का आदेश छिप गया। आज भी जो 70 रुपये म कम्बल आते हैं वह 158 रुपये में खरीदे जा रहे हैं। गोंडा के सभी अस्पतालों के लिए खरीदे जा रहे हैं। माननीय मन्त्री जी डायनामिक हैं, योग्य हैं, अंकुश लगा सकते हैं। अगर उधर के माननीय सदस्य माननीय मन्त्री जी के बजट भाषण को सराहना कर दें, इधर के सदस्य कटौती के प्रस्ताव को बल दे दें तो प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है। कुछ माननीय सदस्य उधर से भौंक दे कुछ इधर से भौंक दे तो कोई कारगर कार्यवाही तो हो नहीं पायेगी, केवल भौंकना ही रह जायेगा। जो त्रुटियां हैं वह किसी तरह से उजागर की जायें, मंत्री जी की नालेज में लायी जायें, उनका निवारण हो तभी प्रदेश का कल्याण होगा।

स्वास्थ्य विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसको मन्त्री जी के समक्ष रख रहा हूं। मंत्री जी ने 70 में यह घोषणा की थी कि प्रदेश में जितने भी चिकित्सालय हैं, उनमें 30 नवम्बर, 1980 तक डाक्टर्स की नियुक्ति कर दी जायेगी। आज 22 फरवरी, 1983 हो गई। शासन ने अच्छे-अच्छे अस्पतालों में जहां भवन हैं, डाक्टरों के रहने के कमरे हैं, पिपरा में, डिहल्प सिंह में सालों से डाक्टर नहीं हैं। यह आपके संज्ञान में लाया गया परन्तु कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये। पचीस हजार की आबादी तक कहीं भी डाक्टर की सेवा उपलब्ध नहीं है। यदि माननीय मंत्री जी चिन्तित हों कि इस प्रदेश में बसने वाले लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे तो इस सदन में आज इस बात की घोषणा करें कि जिन अस्पतालों में कोई डाक्टर नहीं है वहां कम से कम 15 दिन के अन्दर या एक महीने के अन्दर डाक्टर की नियुक्ति कर दी जायेगी। अब गर्मियों का समय आने वाला है। तरह-तरह की बीमारियां होती हैं। उनकी रोक थाम के लिए आवश्यक है कि डाक्टरों की नियुक्ति किया जाय। बलरामपुर तहसील जो तराई का क्षेत्र है, में टी0 बी0 का भयंकर, प्रकोप है। टी0 बी0 के मरीज 90 प्रतिशत परिवारों में हैं। 70 प्रतिशत ऐसे हैं जो सेकेन्ड या लास्ट स्टेज के मरीज हैं। टी0 बी0 के मरीजों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जिला योजना के अन्तर्गत मात्र पांच हजार रुपया टी0 बी0 की दवाओं के लिए रखा गया है। जिला स्तर की योजना है। जब कोई बात रखी जाती है तो यह कह दिया जाता है कि यह जो जिला योजना के अन्तर्गत आना चाहिये। हमारे जनपद में एक आयुर्वेदिक अस्पताल आपके विभाग ने स्वीकृत किया है और वह ऐसी जगह पर है जहां एक किलोमीटर पहले से ही एक आयुर्वेदिक अस्पताल है। मैंने इस संबंध में एक पत्र निदेशक और यूनानी, निदेशक को लिखा था कि वहां पर एक अस्पताल खोल दिया जाय जिसके लिए एक भवन भी वहां मौजूद है 50 हजार आदमियों को वहां पर चिकित्सा सुविधा नहीं है। मैंने उसमें ये भी कहा था कि उसे जिला योजना के अन्तर्गत ले लिया जाय।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो चीजें शासन ने यहां स्वीकृत कर दी हैं, जिनको वहां पर ग्रामीण अंचलों में खुलना है, उसके लिए भी पिछले बजट में प्राविधान कर दिया गया है उनके लिए भी हमारे अधिकारी-गण कहते हैं कि जिला सेक्टर से यह प्रस्ताव आना चाहिए। माननीय मन्त्री जी आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें इतना विलम्ब होता है कि जिससे जन कल्याण नहीं हो पाता है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय श्री राना जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, पर बल देता हूं।

श्री बिहारी लाल--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने बजट रखा है, पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं तीन मुद्दों पर आपसे बात करूंगा। कृपया मंत्री जी उन पर ध्यान दें। मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कुष्ठ रोग आज पर्वतीय क्षेत्र में इतना ज्यादा फैल रहा है कि इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि हमारे पड़ोसी देश नेपाल से, टनकपुर, और पिथौरागढ़ क्षेत्र से काफी मात्रा में कुष्ठ रोग के बीमार लोग यहां पर आ रहे हैं जिससे यह बीमारी पर्वतीय क्षेत्र में तेजी से फैल रही है इसको सख्ती से रोकने की जरूरत है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं क्षय रोग के बारे में। इस संबंध में मैंने माननीय मंत्री जी को भी लिख दिया है और मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान देंगे। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र जिला नैनीताल में भुवाली सैनीटोरियम में आजमगढ़ का मरीज भी है, गोन्डा का मरीज भी है, बहराइच का मरीज भी है, लगभग सभी जगह के मरीज हैं तो मैं विशेष रूप से माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उसे बढ़ा दिया जाय। आपने कृपा पूर्वक वहां अच्छे अच्छे अधिकारी भेजे हैं लेकिन एक व्यवस्था और होनी चाहिए कि पुराने टाइम की जो चारपाई थी वही आज भी है, और वही गद्दा है तो वहां पर इन सब की व्यवस्था की जाय।

मान्यवर, तीसरी बात मैं कहूंगा फेमली प्लानिंग के बारे में। हमारे 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत यह एक बहुत बड़ा मामला है। मेरा क्षेत्र जिला नैनीताल में है, खटीमा मेरा क्षेत्र है जहां पर पर थारू बोक्शा, बंगाली और पंजाबी भाई भी हैं। आपके आशीर्वाद से वहां पर कुशल डाक्टर्स हैं और 200-300 लोग अपनी नशबन्दी कराना चाहते हैं। यदि आप भला काम करेंगे तो हम हमेशा आपका समर्थन करेंगे। माननीय श्री राना जी काफी बोले हुए हैं पता नहीं क्या खाते हैं। हमें भी वह बता दें कि क्या खाते हैं। श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में 8 जिले हैं।

(घोर व्यवधान)

लेकिन मुझे एक दिन का अध्यक्ष बनाया, उस दिन मैं, क्या दूसरा भी एक दिन में कुछ नहीं कर पायेगा, मान्यवर, जिस तरह से गांव-गांव में खोंचे वाले खोंचा लेकर फिरते हैं या पान की दुकान वाले जहां चाहते हैं अपनी दुकान खोलते हैं ठीक उसी तरह यह डाक्टर्स भी अपनी दुकानें खोले बैठे हैं जब उनसे कोई पूछता है तो कहते हैं कि हम डाक्टर हैं एम0 बी0 बी0 एस0 हैं और इस तरह वे न जाने कितने गरीबों की जाने ले रहे हैं। जिसकी शिकायत मैंने खुद वहां के सी0 एम0 ओ0 से की, लेकिन अधिकारीगण किसी भी बात को इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं। तो यह जो खिलवाड़ जनता के साथ इन डाक्टर्स ने मचा रखा है उस पर कृपया आप ध्यान दें। दूसरा निवेदन मैं मान्यवर, यह करना चाहूंगा कि जो मरीज क्षय रोग व कुष्ठ रोगों से पीड़ित हैं और बाहर जाकर उसका इलाज करवाते हैं, तो उन्हें रोका जाय और उन्हें उन्हीं के जिलों को वापस किया जाये जिससे यह पता चल सके कि किस जगह पर कितने रोगों

[श्री बिहारी लाल—]

से कितने लोग पीड़ित हैं और उनकी दवा आदि की व्यवस्था यहीं पर की जाय। तो इससे भी जनता को आसानी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, श्री राना द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और दो-चार बिन्दुओं पर केवल अपने विचारों को रखूंगा मान्यवर, आज स्वास्थ्य विभाग का बजट प्रस्तुत हुआ जो चर्चा हो रही है इससे पिछले वर्ष भी इस विभाग की चर्चा में यह बात आई थी कि इस विभाग को जो भी पैसा दिया जा रहा है, सही मायने में वह उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है जो इसके वास्तविक हकदार हैं और आज पूरे प्रदेश में यह स्थिति पैदा हो गई है कि अगर कोई मरीज किसी भी हालत में हो, उसकी हालत या स्थिति पर कोई ध्यान न देकर रिश्वत की ओर ध्यान पहले दिया जाता है, तब अस्पतालों में दाखिल हो पाता है और यदि कहने सुनने पर दाखिला हो भी जाए तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, न ही दवा आदि का कोई बन्दोबस्त है, बहुत हो एड़ी-चोटी का जोर लगाने पर शायद कहीं थोड़ी बहुत दवा दे दी जाती है, लेकिन आज इन दवाओं का असर भी आता नहीं रहा है क्योंकि एक्सपायर दवाएं आज अस्पतालों में सप्लाई हो रही हैं। इस पर मान्यवर, रोक लगाई जाए, इससे न जाने कितने मरीजों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। दूसरे मान्यवर, आपने जो स्वास्थ्य रक्षक के नाम से कुछ नौ-जवानों को रोजगार दिया है, जिससे कुछ अवश्य बेरोजगारी दूर होगी परन्तु उनके कार्य को यदि देखा जाय तो इससे गांवों में कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है क्योंकि उनका जो काम है, उसे वह न करके बहुत आगे बढ़ गये हैं, लोगों को वह सुइयां लगाते हैं और यहां तक की आपरेशन भी करने लगे हैं, जिससे जन-जीवन को दिन पर दिन खतरा इनसे बढ़ता जा रहा है, इस ओर तुरन्त ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है और दूसरे दाइयों को जो नियुक्तियां सरकार की हैं, उन अस्पतालों में, उनसे भी जनता को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है क्योंकि वह ठीक तरह से अपनी ड्यूटी की अंजाम नहीं दे रही हैं और इनकी नियुक्ति तो आज ऐसी हो गयी है जैसे लेखपाल का स्थानान्तरण एक स्थान से दूसरे स्थान को जल्दी-जल्दी होता रहता है। दूसरे मान्यवर, हमारे जनपद में तहसील टांडा नगर में माननीय मंत्री जी द्वारा एक प्रोजेक्ट दिया जाने वाला है और इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए 5 एकड़ जमीन हरिश्चन्द्र मिश्र एडवोकेट ने दान में दिया है और उसके बारे में प्रस्ताव माननीय मंत्री जी के पास विचाराधीन है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मुबारकपुर में उस प्रोजेक्ट का निर्माण शीघ्र शुरू करवायें।

*श्री भोला पाण्डेय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। श्रीमन्, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। मानव जीवन को जीने के लिए स्वास्थ्य की बड़ी ही आवश्यकता है। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि मौजूदा सरकार उत्तर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश के जन मानस को स्वस्थ रखने के लिए पूरी व्यवस्था कर रही हैं और उसको करने को कोशिश कर रही हैं। मैं कटौती के प्रस्ताव को सुनता रहा हूं तो मुझे ऐसा लगा कि विरोध पक्ष के लोग इस स्वास्थ्य विभाग के ऊपर नहीं बल्कि भ्रष्टाचार पर बोल रहे थे लेकिन ऐसा लग रहा है कि वे अपने भ्रष्टाचार का खुला अवलोकन कराते हुए यहां प्रस्तुत करने की योजना बनाई थी। मैं आपसे और विशेष रूप से माननीय मंत्री जी से जिन्होंने इस बजट को प्रस्तुत किया है, सबसे पहली बात कहना चाहता हूं कि परिवार नियोजन की बात कही गई है। इसमें दो राय नहीं है कि परिवार नियोजन और परिवार कल्याण की योजना सही तरीके से चलाई जानी चाहिये और उसको नियोजित ढंग से चलाया जाना चाहिए और विभाग को इसको बड़े पैमाने पर चलाने की आवश्यकता है। मान्यवर, जो गांव की बात कही गई है कि वहां पर दवायें क्यों नहीं पहुंच पाती हैं, मैं इस बात से साफ इनकार करता हूं। उधर से चीन के समाजवादी आन्दोलन की व्याख्या की गई, शायद चीन के बारे में उन माननीय सदस्य ने पूरा अध्ययन नहीं किया है। हमारे नेता सदन ने बड़े दावे के साथ कहा कि हमारे देश के अन्दर जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है उसको मौजूद रखने के लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग ठोस कदम उठायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह वास्तव में एक समाजवादी संरचना वाला बजट है और उसी को कायम रखने के लिए यह बजट लाया गया है, उसी दिशा में एक यह कदम उठाया गया है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक बात कही कि प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिन नगरों में औद्योगिकीकरण ज्यादा बढ़ रहा है वहां पर एक विशेष प्रकार का प्रदूषण बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए ठोस कदम उठाये जाने चाहिए। मान्यवर, जहां तक डाक्टरों की बात है, उन पर बड़े गम्भीर आक्षेप लगाये गये हैं मैं कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगा जैसे प्रदेश के सभी डाक्टर भ्रष्ट हो गये हैं। ऐसा लगा कि हिन्दुस्तान की सरजरी पर यह कुठाराघात कर रहे हैं और उनकी आलोचना कर रहे हैं, हमारे विरोध पक्ष के भाई। एक बात मान्यवर, प्राइवेट प्रैक्टिस के बारे में कही गई। मैं कहना चाहता हूं कि यह थोड़ी सी नागवार लगती है, लेकिन इसकी सच्चाई से इन्कार नहीं किया जा सकता है, प्राइवेट प्रैक्टिस की जो छूट दी गई है उससे बड़े डाक्टरों द्वारा छोटे डाक्टरों का शोषण किया जा रहा है। मान्यवर, इस पर दुबारा विचार किया जाना चाहिये। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि कई जगह पर गांवों में 3 हजार से लेकर 5 हजार तक की जनता के लिए अस्पताल की स्थापना की जा रही है और उस पर विभाग द्वारा सही प्रकार से और पैनी दृष्टि से अवलोकन किया जा रहा है, लेकिन उसका इम्पलीमेन्टेशन जिस प्रकार से होना चाहिए उस पर विभाग को बड़े पैमाने पर विचार करने की आवश्यकता है। कई जगहों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा रहे हैं और हमारे इस विभाग द्वारा जगह-जगह पर अस्पतालों का निर्माण कराया जा रहा है उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उनके ऊपर भी आप अंकुश लगाने की व्यवस्था करें। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि दवाओं का जो बंटवारा होता है उसमें लेबुल बदल दिया जाता है। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आये हैं और उन पर व्यापक रूप से रोक लगाने की व्यवस्था माननीय मंत्री जी ने की है और आज जनहित में

[श्री भोला पांडेय--]

प्रदेश की जनता अपने आपको संतुष्ट महसूस करती है। इस बात को विरोधी दल के सदस्यों को एक्सेप्ट करना चाहिये। कई जगहों पर भ्रष्टाचार के मामले पकड़े गये हैं लेकिन उन पर सरकार द्वारा रोक लगाई गई है और चाहे वह अधिकारी हो या कर्मचारी, सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही मंत्री जी ने की है।

मान्यवर, एक बात मैं अपने बलिया जनपद के बारे में कहना चाहता हूं। मैं बलिया जनपद से चुनकर आता हूं। मैंने व्यक्तिगत रूप से मंत्री जी से कहा है कि वे कृपा करके 3 हजार से 5 हजार के बीच की आबादी वाले क्षेत्रों में अस्पतालों की व्यवस्था करें और बलिया जनपद की ओर विशेष ध्यान दें ताकि वहां के लोगों का उत्थान हो सके उन्हें भी स्वास्थ सेवायें समय पर उपलब्ध हो सकें। दूसरी बात यह है कि आपका विभाग रोगियों का पोस्टमार्टम करता है लेकिन आपके विभाग में जो तथाकथित भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसका पोस्टमार्टम भी आप विधायकों के माध्यम से करने की व्यवस्था करें। मैं समझता हूं मंत्री जी इस ओर अवश्य ध्यान देंगे। अन्त में मैं चाहूंगा कि यह जो मौजूदा बजट है यह निश्चित रूप से एक प्रगतिशील बजट है और उसको सही रूप देकर एक स्वच्छ समाजवादी संरचना और बीस सूत्री कार्यक्रम को सही तरीके से कार्यान्वियन करके वास्तविक रूप से वह अपने स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण के अनुरूप हो सकेगा। अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वे रोगियों के पोस्टमार्टम के साथ-साथ विभाग में जो ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी हैं उनका भी पोस्ट-मार्टम करने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

(श्री विजय सिंह राना का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, आधा घन्टे का समय और बढ़ा दें थोड़ा समय मुझे भी बोलने के लिये दे दें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने राना जी को बुला लिया है, आप कृपया बैठ जांय।

*श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, मैं केवल कुछ सुझाव ही मंत्री जी के सामने रखना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि अपने जो प्राइवेट प्रैक्टिस खोल दी है उसके भयंकर परिणाम आपके सामने आने वाले हैं। आपके जो अस्पताल हैं वे एक मात्र व्यापारिक संस्थान के केन्द्र बने हुये हैं। जगह-जगह पर नये-नये अस्पताल उससे खोल दिये जायेंगे। मैं समझता हूं कि इस प्रदेश के बड़-बड़े डाक्टर बड़े-बड़े अस्पताल घर पर खोले हुये बैठे हुये हैं और ऐसा करके आपने उनको खुली छूट दे दी है, लाइसेन्स दे दिया है। इससे जो आपके सरकारी अस्पताल हैं वे पीछे रह जायेंगे और डाक्टर लोग जिन अस्पतालों को घर पर खोले हुये हैं उनको प्राइवेट प्रेक्टिस के रूप में चलायेंगे। ऐसे अस्पतालों का खुलना प्रारम्भ हो गया है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि ऐसे अस्पतालों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की मोनोपली खतम करने के लिये, ऐसे अस्पतालों को आगे बढ़ाने से रोकने के लिये आप ऐसी जगह पर जहां पर स्वास्थ्य सेवायें केन्द्रित हो गई हैं उनको विकेन्द्रित कर दें। आपके पास जो बड़े-बड़े अस्पताल और मेडिकल कालेज हैं उनको आप छोटा कर दें और सौ-सौ दो-दो सौ शैय्याओं के छोटे-छोटे अस्पताल खोल दें। उन्हें आप गांवों के लेबुल पर खोल दें ताकि शहरों में अस्पतालों में जो भीड़ एकत्र हो जाती है वह न हो सके और गांवों के लोगों को भी दवाइयों की सुविधा मिल सके।

साथ ही उनको आप शोध संस्थान के रूप में चलायें। इसके अतिरिक्त जो इमरजेन्सी की सेवायें हैं उन्हें शहरों में बड़े अस्पतालों में ज्यादा रखें। उसके पेशेन्ट बड़े अस्पतालों में भेज दिये जायें। इस तरह से जब आप अस्पतालों का विकेन्द्रीकरण करेंगे तभी आप इसमें सफल हो सकते हैं। ये बड़े डाक्टर जो अपने घरों में अस्पताल खोले हुये हैं ये सरकारी अस्पतालों में मरीजों को देखते नहीं हैं। चाहे वह चपरासी हो या चौकीदार हो या कोई भी कर्मचारी वे सब आपको एक ही बात कहेंगे कि यहां ठीक इलाज नहीं होता, फला डाक्टर के पास ले जाइये वहां अच्छा इलाज होता है तो यह एजेंसी जो है इसको खतम करना आवश्यक है इसके लिए स्वास्थ विभाग की सेवाओं का विकेन्द्रीयकरण करना अनिवार्य है।

दूसरी बात मुझे रनान-प्रेक्टिसिंग एलाऊंस के बारे में कहना है। कुछ कर्मचारी जो छोटे तबके के हैं उनको भी डाक्टरों के अलावा यह एलाउन्स मिलता था। बड़े डाक्टरों का बंद कर दिया लेकिन जो छोटे कर्मचारी हैं उनका बंद नहीं होना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको हमेशा योजना आयोग ने एक सिफारिश की है कि पास इतना पैसा बड़े संस्थान जो हैं उनमें पैसा लगा कर हम गलती करते हैं क्योंकि हमारे पैसा नहीं होता कि हम एक दम काम चालू कर सकें धीरे-धीरे पैसा लगाते हैं उसका परिणाम यह होता है कि काम पीछे पड़ जाता है और वह पैसा किसी उपयोग में नहीं आ पाता है। यही स्थिति आपके संजय गांधी आयुर्वेदिक संस्थान की है। आपने बहुत लम्बी चौड़ी स्कीम बना कर रख दी 527 एकड़ जमीन में वह बनेगा। इसमें 50 करोड़ 31 लाख रुपये खर्च होंगे जिसमें से दो करोड़ 10 लाख इस साल खर्च कर देंगे तो 50 करोड़ को खर्च करने में सालों लग जायेंगे। इस प्रकार पैसा फसता चला जायेगा। मैं अभी चुनाव के समय रायबरेली गया था वहां इसके लिए एक ईंटा भी नहीं लगा है। माननीय मंत्री जी अपने भाषण में इस बात को स्पष्ट करेंगे कि इसकी क्या स्थिति है।

इसी तरह से मलेरिया भी भयंकररूप में फैल रहा है देहात में यह बीमारी भयंकर रूप से फैल रही है। आपने पी० एच० सी० खोल रखी हैं लेकिन वहां पर कोई दवायें नहीं बटती हैं उनको बांटने का कोई दूसरा तरीका अपनायें। वह यह हो सकता है कि जैसा आपने सहकारी दूकानें खोल रखा है उनके माध्यम से इन दवाओं को बांटा जाय। ताकि जो दवायें वहां बांटने के लिए जाती हैं वह लोगों में बंट सकें। मलेरिया के संबंध में प्रचार और प्रसार किया गया इसके लिए 1953 में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम लागू हुआ जिसे

[श्री विजय सिंह राना—]

बदल कर 1958 में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया । बताया गया कि 1978 और 1982 के बीच में मलेरिया के रोगियों की संख्या केवल एक लाख रह गयी है । मैं जानता हूं कि एक लाख मरीज तो केवल आगरे में होंगे पूरे प्रदेश की बात आप छोड़ दें ।

श्री अध्यक्ष—

आप जरा समय भी देखें माननीय मंत्री जी को भी बोलना है ।

श्री विजय सिंह राना—

मेडिकल कालेज में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है इसको दूर करना पड़ेगा । बड़े डाक्टरों का वहां पर एकाधिकार हो गया है उन्हीं डाक्टरों के लड़कों का वहां एपोईंटमेंट होता है और उन्हीं के लड़कों को पोस्टग्रेजुवेशन के लिए लिया जाता है जिनके 60 परसेंट मार्क्स हैं उनको एडमिशन नहीं मिलता है । यह लोग कुंडली मार कर बैठ गये हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि इनके चंगुल से बचाइये इन्हीं के कारण हमारे देश के नये लड़के जो प्रतिभाशाली हैं बाहर पलायन कर रहे और बाहर जाना पसंद करते हैं । इसका उदाहरण मैं आपको आगरा का देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ माननीय मंत्री जी को बोलना है ।

श्री विजय सिंह राना—

मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं । आगरा में 12 लोगों ने सुसाइड किया है । जिनको इन लोगों ने कभी पास नहीं होने दिया । इस तरह के केसेज आगरा में आप देख सकते हैं और कुछ दिन पहले वहां यादव नाम का एक लड़का मरा है । बड़े-बड़े डाक्टरों को फसाने का काम करते हैं जिसका एक उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि बी0 डी0 शर्मा, जो विभागाध्यक्ष हैं, ने एक आपरेशन का केश किया और जो कैंची मरीज के पेट में छोड़ दिया, जिससे उसको बाद में तकलीफ हुई । मैंने इसमे जांच के लिए कहा तो जांच उनके रिश्तेदार को दी गयी और कुछ नहीं भी हुआ लेकिन जब बलरामपुर में वह लड़का भर्ती हुआ तो उसके पेट से कैंची निकली । तो यह बड़े डाक्टरों की स्थिति है । इसके अलावा वह अपने प्राईवेट क्लीनिक चला रहे हैं । तो इस तरफ मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये, धन्यवाद ।

श्री लोक पति—

मान्यवर मेरे लिये 5 मिनट का समय और बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इन विचाराधीन अनुदानों के लिये 5 मिनट का समय और बढ़ा दिया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री लोकपति--

श्रीमन्, मा0 राना जी ने बजट के ऊपर पहले शुरू किया-पुरानी मसल है-नीम हकीम खतरे जान। उन्होंने जो उद्धरण दिया तो व्यय की तीन मदें हैं-19,20, 21 चिकित्सा की और तीनों मदों को लिया जाये तो 1982-83 में चकित्सा के मद में 7 करोड़ 23 लाख रुपया और इस वर्ष 8 करोड़ 54 लाख है। परिवार कल्याण के मद में पिछले साल 54 करोड़ का और इस वर्ष 65 करोड़ है। स्वास्थ्य के मद में पिछले वर्ष 13 करोड़ था और इस वर्ष 13.496 करोड़ है। मान्यवर, हमारे यहां दो योजनायें चल रही हैं, उत्तर प्रदेश में जो भारत सरकार के शतप्रतिशत अनुदान से चलती है, उन योजनाओं को उससे जब अलग कर दिया गया तो आपका नान-प्लान इक्सपेंडीचर अधिक होना है। दूसरी बात दवायें, स्थापित चिकित्सालयों का विस्तार भी यह नानप्लान इक्सपेंडीचर से हो जाता है। 1980 में 8 करोड़ 50 लाख रुपये की दवा थी, 1981-82 में 23 करोड़ और इस समय 26 करोड़ की है, यह नान प्लान इक्सपेंडीचर है। इसलिये स्वास्थ्य विभाग में अन्य विभागों से कुछ अंतर है। आपने ठीक कहा था कि हमारे यहां जो निर्माण कार्य है वही नया है, बाकी अधिकांश कार्य नान प्लान का है। निर्माण के कार्यों की सूची इसीलिये आपको दी गई है। हमारे बड़ ठकेदार संसदीय कार्य मन्त्री हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग में, मैं इनका आभारी हूं कि आज से 8 साल पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग में बिल्डिग और रोड सेक्शन था, फिर बिल्डिग सक्शन समाप्त हो गया था लेकिन इन्होंने पुनः बिल्डिग और रोड कर दिया। इन्होंने स्पष्ट किया कि जो हमारे कार्य पिछड़े हैं उसमें वह गति देंगे।

श्रीमन्, दूसरा मुद्दा आया कुष्ठ रोग का, श्री बिहारी लाल ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में कुष्ठ चिकित्सालय कायम होने चाहिये। उन्होंने कहा कि नैनीताल में है, हम दिखवा लेंगे कि बढ़ रहा है कि घट रहा है।

मान्यवर, आपने मलेरिया की बात कही। वर्ष 1982-83 में 575 विकास खण्डों को हमने इसके लिए छोड़ा था कि इनमें मलेरिया उन्मूलन का कार्यक्रम चलाया जाए। तो हमको उपलब्धि हुई है। वर्ष 1982-83 में, 1980-81 व 1981-82 के मुकाबले में 13 प्रतिशत मलेरिया के केस कम हुए। इसको हम सघन रूप से चलायेंगे, ताकि सबकी परेशानी दूर हो सके।

डाक्टरों की कमी की बात कही गई है, यह सही है मैंने इस सदन में ही कहा था कि हमारे पास 2300 डाक्टरों की कमी है। इस बारे में अभी हमलोगों ने यानी शासन ने निर्णय लिया है कि हर वर्ष जो लगभग पांच-साढ़े पांच सौ डाक्टर्स रिटायर होते हैं और नई नियुक्ति होती है, तो इनके लिए प्रत्येक वर्ष एक वर्ष पहले से ही यह अभियाचन लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाय। जब हमने यह कहा था, तो उस समय 1325 रिक्तियां पुरुष संवर्ग में थीं, जिसका अधियाचन 17 फरवरी, 1982 को लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया था। 538 रिक्तियां महिला संवर्ग में थीं, जिसका अधियाचन 20 अप्रैल, 1982 को दे दिया गया था। 838 रिक्तियां पर्वतीय संवर्ग में थीं, जिसका अधियाचन 20 अप्रैल, 1982 को लोक सेवा आयोग को दिया गया था

[श्री लोकपति--]

यहां 63 महिला चिकित्सकों की कमी थी पर्वतीय संवर्ग में, वह भी इसी तारीख को भेज दिया गया था। लोक सेवा आयोग इन पर चयन का कार्य कर रहा है और उसने तीन साढ़े तीन सौ डाक्टरों को चयनित करके भेज भी दिया है।

पर्वतीय संवर्ग के लिए इसमें हमने प्रायरिटी दी थी। हमें बिश्वास है कि एक वर्ष भर में सारे डाक्टरों का चयन हो जायगा और सारे चिकित्सालयों में हम उनको भेज देंगे। यह हमारा भ्रम है जो हमलोग कहा करते हैं कि गांवों में और पर्वतीय क्षेत्र में डाक्टर लोग जाना नहीं चाहते हैं। वास्तविकता यह है कि हमारे पास डाक्टर ही नहीं हैं, तो किन्हें वहां पर भेजा जाय। अब हम डाक्टरों की कमी को पूरा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

यह हमारे सामने रहना चाहिए कि कितने किस वर्ष रिटायर होंगे यानी कितने डाक्टरों की आवश्यकता होगी, उसके लिये यदि एक वर्ष पहले ही लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाय, तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब से इस परम्परा को कायम किया गया है।

इस वर्ष से एक नया कार्यक्रम हम और आरम्भ कर रहे हैं। जो हमारे पुराने चिकित्सालय उपलब्ध हैं, जहां पर सुप्रिन्टेन्डेट के पद सृजित हैं लेकिन वहां पर अकेला वह व्यक्ति है। प्रदेश में ऐसे 112 चिकित्सालय हैं, इनको हम 30 शैय्या वाले अस्पतालों के रूप में परिणत करने जा रहे हैं। ताकि वह 112 चिकित्सालय और कार्य करने लगें। ऐसे अस्पताल आपके चन्दौसी (मुरादाबाद), सम्भल, अयोध्या और बहजोई आदि में हैं। इस वर्ष इन चिकित्सालयों को हम ले रहे हैं, एक साल में तो हम इनको नहीं ले सकते हैं, 3 सालों में इन सबको लेने का हमारा प्रयास होगा। इनमें एक महिला चिकित्सक, एक्सरे और पैथोलाजी आदि की व्यवस्था रहेगी। इस वर्ष तहसील स्तर पर हम 4 चिकित्सालय स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।

(समय 6 बजे अपराह्न)

अधिकांश तहसीलों में चिकित्सालय उपलब्ध हैं। वहीं आपके 239 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण किया जा रहा है और 112 चिकित्सालय जो आ रहे हैं, इसमें अधिकांश तहसील मुख्यालय उसमें आ जाते हैं। प्रदेश में 20-25 तहसीलें ऐसी बच जाती हैं, जहां पर आज चिकित्सालय की सुविधा नहीं है, वहां पर हम 30 शैय्या के चिकित्सालय की व्यवस्था कर रहे हैं। जो स्थान उप नगरों में आ गये हैं, वहां पर चिकित्सालय की सुविधा नहीं है। वहां पर राजकीय चिकित्सालयों की व्यवस्था करेंगे। जहां पर उपलब्ध हैं, उनका उच्चीकरण करेंगे। आगरा मेडिकल कालेज में बाल रोग विशेषज्ञ विभाग जो है, उसका उच्चीकरण का कार्य इस वर्ष हम ले रहे हैं। जैसे कानपुर में आपका कैंसर इन्स्टीट्यूट कार्डियोलोजी, आगरा में बाल रोग विभाग और यूरियालाजी डिपार्टमेंट पहले ही ले लिया गया था।

झांसी, गोरखपुर, मेरठ के मेडिकल कालेजों में प्राइवेट वार्ड नहीं हैं, उनमें 50-50 बेड वाले वार्ड की स्थापना करने की व्यवस्था कर रहे हैं। पिछले वर्ष मैंने कहा था कि बुन्देलखंड, झांसी में नर्सेज की बहुत कमी है। इस वर्ष

झांसी मेडिकल कालेज में नर्सेज को ट्रेनिंग का स्कूल कायम करने जा रहे हैं। झांसी में आंख, आपथैलमालोजी विभाग 1983-84 में कार्य करने लगेगा। आगरे में 100 शैय्या का इमरजेन्सी चिकित्सालय की स्थापना 1983-84 में की जायगी। शहरी क्षेत्र में बहुत से हमारे चिकित्सालय पुराने हैं। तहसील स्तर के एलापैथिक चिकित्सालयों का इक्सटेन्शन का कार्यक्रम बना दिया गया है। जो यह आपने कहा है, यह नान प्लान के अन्तर्गत इसको आठवें फाइनेंस कमीशन के पास भेज रहे हैं। प्रदेश के 57 जनपदों में, 23 जनपदों में आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापित हो गये हैं। इस वर्ष 10 जिला स्तरीय चिकित्सालय और स्थापित करेंगे। इनमें 4 शैय्यायें यूनानी की रहेंगी। यूनानी आयुर्वेदिक दोनों चिकित्सालय पद्धति की सुविधा उपलब्ध रहेगी। एक हमारे साथी ने कहा कि हिमालय में बहुत जड़ी-बूटियां पैदा होती हैं, तो सामाजिक वानिकीय योजना के अन्तर्गत हर जनपद में आयुर्वेदिक औषधियों का भी एक वानकीकरण किया जाय। हमारा विभाग इस प्रयास में है और मुझे विश्वास है कि इस वर्ष हम यह कार्य प्रारम्भ कर देंगे।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, मेरा यह निवेदन है कि पहाड़ों में सामाजिक वानिकीय योजना लागू नहीं है। तो क्या पहाड़ों पर भी कोई कृपा दृष्टि करेंगे ?

(व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) --

प्रदेश के सभी जगहों पर सामाजिक वानिकीय योजना की व्यवस्था की जा रही है।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, पहाड़ों पर सामाजिक वानिकीय योजना लागू नहीं है।

श्री लोकपति--

माननीय वित्त मन्त्री ने तो कह ही दिया, पैसा तो वित्त विभाग को ही देना है।

श्री ब्रह्मदत्त---

उसके विकल्प ढूंढ़ लेंगे।

श्री लोकपति--

माननीय डाक्टर कौशल ने दो सूचनाएं दी हैं। आयुर्वेदिक की कोई फार्माकोपिया नहीं है। भारत सरकार इसका निर्माण करने जा रही है। जहां तक आयुर्वेदिक फार्मेसी की दवाओं का सवाल है वर्ष 1982-83 में 29,51,642 रुपए की दवाएं वहां निर्मित हुयीं। जितनी दवाओं की आवश्यकता है, हमें आयुर्वेदिक कालेज फार्मेसी से दवाएं मिलती हैं तथा कोआपरेटिव फैक्टरी रानीखेत से दवाय हम ले रहे हैं। अगर दवाओं में गड़बड़ी है तो हम दवाओं को दिखवा लेंगे। श्रीमन्, वह सरकारी संस्था है। हम और आप वहां हैं।

एक सदस्य--

इसीलिए गड़बड़ी है ।

श्री लोकपति--

इसको कैसे मैं मान लूं ? हम और आप यहां बैठे हैं तो क्या यहां गड़बड़ी है ? इन शब्दों के साथ माननीय राना जी से मैं कहना चाहता हूं कि जो विषय उन्होंने उठाया है उससे जानकारी प्रदेश को हुयी । मैं निवेदन करूंगा कि वह अपने प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय राना जी क्या आप अपने कटौती के प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री विजय सिंह राना--

नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 78,01,29,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 54,28,09,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,19,27,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत आज चार सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री गोपीनाथ वर्मा, श्री मित्रसेन, श्री परमाई लाल, श्री राम आसरे वर्मा की बहराइच जिले के भिनगा थाने के अन्तर्गत रोकलपुरा गांव में 40 मकानों को जला दिए जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की झांसी नगर में अग्नेयास्त्र बनाने की फैक्ट्री बरामद होने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री राधेश्याम पटेल की शहर इलाहाबाद में पानी व बिजली गायब होने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना, श्री राम गोविन्द, श्री रियासत हुसैन, श्री अकबर हुसैन की जनपद बलिया में एक सब-इन्सपेक्टर को गोलीमार कर हत्या किए जाने के सम्बन्ध में है। ये सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई हैं। मैं किसी को भी स्वीकार नहीं करता हूं।

जहां तक श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की सूचना का सम्बन्ध है, शासन का ध्यान पहले ही इस ओर आकृष्ट किया जा चुका है और जहां तक श्री राधेश्याम पटेल की सूचना का सम्बन्ध है, उस पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है।

प्रदेश में बिजली की दरों में की गयी वृद्धि से बिजली उपभोक्ताओं में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में होने वाली चर्चा के स्थगन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या-12 के बारे में निवेदन है कि मुझे माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने प्रार्थना की है कि इसको स्थगित कर दिया जाय और इसके लिए कोई और तिथि निर्धारित कर दी जाय।

श्री रियासत हुसैन--

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो नियम 52 में चर्चा करने की सूचना दी थी, उसको भविष्य की किसी अन्य तिथि के लिए स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है जैसा कि श्री रियासत हुसैन जी ने कहा, बिजली की दरों में की गयी वृद्धि से बिजली उपभोक्ताओं में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर डेढ़ घंटे की चर्चा किसी अन्य तिथि के लिए स्थगित की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में संकल्प

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से इस संकल्प को प्रस्तुत करता हूं :--

"चूंकि इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 (ऐक्ट संख्या 54, 1948) की धारा 65 का उपधारा (3) के उपबन्ध के अनुसार राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की अनुमोदन से, जो सभा द्वारा 19 सितम्बर, 1980 को पारित एक संकल्प द्वारा प्रदान किया गया था, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा केवल 600 करोड़ मात्र (छः सौ करोड़ रुपए मात्र) निर्धारित की गयी थी ।

और चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने उक्त ऐक्ट की धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन अब तक 528·70 करोड़ (पांच सौ अट्ठाइस करोड़ सत्तर लाख रुपया) का ऋण लिया है और आगे वर्ष 1986-87 तक स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक निधि उपलब्ध कराने के लिए उसे और अधिक ऋण लेने की आवश्यकता होगी और इस कारण यह आवश्यक समझा गया है कि उक्त धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा 600 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए (एक हजार करोड़ रुपए मात्र) निर्धारित की जाय, जिससे परिषद् अपने आयोजनागत कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए जिसके लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं है, अपने साधन में वृद्धि कर सके,

अतएव अब विधान सभा, एतद्द्वारा उक्त धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा तात्कालिक प्रभाव से 600 करोड़ रुपए (छः सौ करोड़ रुपए मात्र) से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए (एक हजार करोड़ रुपए मात्र) निर्धारित करती है ।"

मान्यवर, इस सम्बन्ध में इसका अभिप्राय भी इसी में सम्मिलित है । इस समय विद्युत् परिषद् ने 528 करोड़ 70 लाख रुपए का ऋण ले रखा है और विभिन्न जनरेशन और ट्रांसमिशन्स लाइन्स के लिए अगले 1986-87 में 748 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी इसमें कुल मिलाकर 1277 करोड़ 50 लाख रुपया बनता है । 205 करोड़, 45 लाख रुपया वापस कर दिया जायेगा । मान्यवर, एक हजार करोड़ रुपए की लिमिट देने के लिए आवश्यक है कि भुगतान सुनिश्चित करने के लिए

हमें गारन्टी करना होगा । लेकिन गारन्टी की नौबत न आए, इसलिए मेरा सदन से निवेदन है कि वह इस संकल्प को पारित करें, ताकि हमारी जो नई योजनाएं विद्युत् के सम्बन्ध में हैं, वे पूरी हो सकें ।

*श्री हुकम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, एक ऐसा अधिष्ठान जिसमें 528 करोड़ रुपया ऋण के रूप में है, और उसके बाद आप एक हजार करोड़ रुपए की सीमा बढ़ाने की बात कर रहे हैं । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह कौन से कारण हैं, जिससे सीमा बढ़ा दी जाय ?

मान्यवर, इस अधिष्ठाना ने जिसके प्रति भी इसका उत्तरदायित्व है, जिसका भी उत्तरदायित्व है, उसने अपना उत्तरदायित्व निभाया है या नहीं उपभोक्ताओं के प्रति इसने उत्तरदायित्व निभाया है ? हर फ्रन्ट पर, हर कदम पर, इसकी सफलता, इनका फैल्योर, सर्वविदित है । जिसने हजारों करोड़ रुपया, 528 करोड़ ऋण ले लिया हो और इस समय गरीब खजाने से लेकर सारा रुपये का दुरुपयोग करने वाला आज यह अधिष्ठान है । इधर के ही नहीं बल्कि उस पक्ष में बैठने वाले सदस्य ही नहीं केन्द्र सरकार द्वारा गठित योजना आयोग ने इसकी इतनी आलोचना की है और इस अधिष्ठान को वह संज्ञा दी है कि जितना भी धन लगाया जा रहा है, उसका दुरुपयोग यह अधिष्ठान कर रहा है । तो क्या कारण है, आप किस पर रहम तो कर नहीं रहे, यह रुपया विद्युत् परिषद् पर खर्च कर रहे हैं ? आपने बताया था कि विद्युत् प्रजनन पर 15 पैसे प्रति यूनिट खर्च आता है और 50 से 70 पैसे की यूनिट ले रहे हैं । तो तीन गुना, चार गुना वसूल करने के बाद भी वह उस स्थिति में नहीं है कि रुपया दे सकें । तो मान्यवर, मैं इस संकल्प का इस कारण से विरोध करता हूं कि इस अधिष्ठान को जितना भी पैसा दिया जायेगा वह सब का सब दुरुपयोग होता रहेगा । इसलिए मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं कि इसका कोई औचित्य नहीं है ।

श्री ऊदल—

मुझे बड़ा आश्चर्य है कि माननीय वित्त मंत्री, श्री ब्रह्म दत्त जी ने आज फिर उसी सफेद हाथी को जिसका पेट इतना लम्बा चौड़ा है, जैसे सुरसा का मुंह, उसके ऋण को इसमें बढ़ाने का संकल्प प्रस्तुत कर दिया । श्रीमन् आश्चर्य तो तब होता है जब संकल्प आपने प्रस्तुत कर दिया । लेकिन उसके जो कारनामे हैं, अगर कुछ वह भी बता देते तो बड़ी अच्छी बात होती परिषद् ने कोई अच्छा काम किया हो तो मैं समझता हूं संकल्प बहुत अच्छा था कि उसको पहले ही सीमा से उसको ऋण लेने की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता थी । मैं दो-तीन प्रश्न करूंगा । हमारे प्रदेश में विद्युत् उत्पादन क्षमता इस समय 3 हजार मेगावाट के करीब है और जो उत्पादन हो रहा है, आंकड़ों को आप दुरुस्त करेंगे, दो हजार से लेकर 22 सौ मेगावाट...

(व्यवधान)

आप बताइयेगा, यह हो रहा है ? दूसरा श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विद्युत् परिषद् ने जिन योजनाओं को लिया है, आज टाइम से एक भी पूरी नहीं हो रही हैं, तो क्यों हम उसके ऋण की क्षमता को बढ़ावें और सरकार गारंटी कर दे वह नहीं दे सके तो सरकारी खजाने से, जो जनता के टैक्स से वसूल

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ऊदल—]

हो, उससे हम दें ? तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि विद्युत् परिषद् में बिजली की चोरी, मेरा ख्याल है, एक वर्ष में करोड़ों रुपये की हो रही है और उसमें दोनों की मिली भगत है, बड़े-बड़े उपभोक्ताओं की भी और अधिकारी, कर्मचारी की भी। उसको देखने में विद्युत् परिषद् कितना कामयाब हुआ, मैं यह जानना चाहता हूं ? हिन्दुस्तान में हर प्रदेशों में जो लाइन लास है वह हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा है, उसको रोकने के लिए विद्युत् परिषद् ने क्या किया ? रद्दी तार, अल्यूमिनियम का तार, ताम्बे की जगह पर लगाया जा रहा है, लाइन रद्दी लायी जा रही है। विद्युत् परिषद् एकदम फेल्योर है। दारूलसफा के ए0 ब्लाक और बी0 ब्लाक में रोजाना तीन-तीन बार घंटों और एक आध दिन तो पूरी रात भर बिजली की सप्लाई नहीं होती। अंधेरे में रहना पड़ता है। इस संकल्प द्वारा इस विधान सभा की मंजूरी ली जाय इसका विरोध मैं इन शब्दों के साथ करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन—

बिजली बोर्ड की हालत उसी तरह से है जैसे झांसी स्टेशन आप गये होंगे वहां पर एक बम्बा खेड़ा है। उसमें लिखा है फोड मी। लोग उसमें रद्दी कागज, केले के छिलके आदि डाल देते हैं। पेट नहीं भरता। उसमें फोड भी लिखा है। उपभोक्ताओं से 15 रु0 से साढ़े बाइस रुपये की वसूली कर ली। 600 करोड़ की लिमिट थी, 1,000 करोड़ ले जाना चाहते हैं इस संकल्प द्वारा ताकि एल0 आई0 से और जगहों से लोन लेकर फोड करते रहें। बम्बों की तरह आप फोड करने के लिये आये दिन उत्सुक हैं। प्रोडक्शन जेनरेटिंग कैपासिटी से 50 प्रतिशत है। ट्रान्सफार्मर आपके यहां नहीं, मीटर नहीं, कंडक्टर, पोल फ्यूज कुछ भी आपके यहां नहीं यदि किसान को कहीं जरूरत पड़ जाये तो कोई भी चीज आपके यहां उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद 125 करोड़ रुपये का एरियर ऐसा पड़ा है जिसको आप एफेक्टिव तरीके से वसूल कर नहीं पा रहे हैं। चारों तरफ से इकट्ठा करेंगे। इधर से उधर से मिलकर बम्बों को फोड करेंगे। सी0 आई0 ए0 के अन्तर्गत रूरल एरिया को विद्युतीकरण स्कीम है 20 सूत्री कार्यक्रम में। मुरादाबाद को 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया।

सारे ब्लाकों को छोड़कर मूंडा ब्लाक की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक गांव बेरा मदाम 83 नम्बर पर लिखा है। इस नाम का कोई गांव है ही नहीं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने विभाग से मालूम कर लें और मुझे सूचित कर दें कि जिस कान्स्टीटुएन्सी को मैं सन् 1957 से रोदता चल आ रहा हूं उस कान्स्टीटुएन्सी में कोई ऐसा भी गांव है जो मुझे मालूम नहीं। वह गांव वहां मौजूद ही नहीं। भगतपुर टांडा में 77 नम्बर पर बहेड़ी लिखा है पुनः 86 नम्बर पर बहेड़ी लिखा है। वहां पर अभी तक बहेड़ी में विद्युतीकरण हुआ भी नहीं। दो-दो जगह लिखा है। भगतपुर में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ। जितने गांव हैं भगतपुर ब्लाक में, बेहारी लालपुर, बहेड़ी कहीं पर भी विद्युतीकरण नहीं हुआ। कुछ गांव ऐसे हैं मूंडा के जहां ट्यूबवेल बने हैं, ट्यूबवेल तक बिजली गयी, गांव के बाहर ट्यूबवेल हैं वहां भी बिजली गयी, गांव में नहीं है। आपके रिकार्ड में वह टाऊन हो गया। विद्युतीकरण के सम्बन्ध में वह टाऊन हो गया है। विद्युतीकरण की लिस्ट में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह आ गया है । मान्यवर, सन् 1974 से भीरपुर और दौलतपुर गांवों में खम्भे गड़े हैं लेकिन उन पर तार नहीं लगा हुआ है तो बिजली होने का सवाल ही नहीं उठता है लेकिन वह भी आपने विद्युतीकरण की लिस्ट में सम्मिलित कर दिया । माननीय मंत्री जी, मेरी समझ में नहीं आता है कि आखिर आपकी नियत क्या है । यह बिजली बोर्ड जिसके ऊपर सारे प्रदेश के विकास का दारोमदार है, इनर्जी के बगैर आपके प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है । आपको बताऊं कि आपने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया और ट्यूबवेल निगम से ट्यूबवेल लगाने के लिये लोन लिया लेकिन मान्यवर, मेरे मुंडी ब्लाक में केवल 21 ट्यूबवेल बोर हुए हैं पिछले दो साल से, लेकिन ट्यूबवेलों में बिजली गई है ? किसान को उम्मीद हो गयी कि उसके ट्यूबवेल का बोर हो गया है, लेकिन वहां अभी तक बिजली नहीं गयी ।

मान्यवर, एक ट्यूबवेल बोर हुआ सीटी ब्लाक मुरादाबाद में वगैर ट्यूबवेल कारपोरेशन के कर्मचारियों और अधिकारियों से कनसर्न करके 7 किलोमीटर से उसे इनरजाइज कर दिया गया, फलस्वरूप वह ट्यूबवेल बन्द रहा । ट्यूबवेल कारपोरेशन वाले कहते हैं कि अगर आप बसन्तपुर, सहालपुर के बीच से ले जाते तो यह कुल 6 किलोमीटर पड़ता और तब यह हमारा 6 किलोमीटर से इनर-जाइज हो जाता । अब ट्यूबवेल कारपोरेशन वाले कहते हैं कि जिस समय आपने इसे 7 किलोमीटर की दूरी से इनरजाइज किया था उस समय हमसे कनसर्न किया था तो तब हम इसको इनरजाइज करने के लिये बताते । नतीजा यह हुआ कि 21 ट्यूबवेल्स में से केवल 6 ट्यूबवेल इनरजाइज हो पाये । आपने कहा कि यह रुपया वापस हो जायेगा तो अभी तक मान्यवर, जो पैसा बिजली बोर्ड ने खाया है वह वापस भी हुआ है तो हम समझ लेंगे कि यह वापस हो जायगा ।

मान्यवर, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि जब माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी बिजली मंत्री थे तब भी मैंने कहा था कि बिजली बोर्ड में जो करोड़ों रुपये का नुकसान है वह नुकसान नहीं है, वह पैसा सरकारी खजाने में जाने के बजाय लाइनमैन से लेकर चीफ इन्जीनियर के जेब में चला जाता है । 5 साल पहले आपके सर्विस में जो लाइनमैन आया था तो 5 साल पहले उसका लिविंग आफ स्टैन्डर्ड क्या था और पांच साल में उसके पास क्या सामान हो गया है । आपके असिस्टेंट इन्जीनियर का कुत्ता जो रबड़ी और मलाई खाता है तथा कारों में घूमता है आपके लाइनमैन की हालत यह है कि आज एक लाइन कट जाती है तो वहां 6 दफा हाजिर होने के बाद वह जुड़ पाती है । आज प्रदेश की जनता के ऊपर 10 रुपये पर हेड इन्ट्रस्ट लगा दिया गया है । आप इस गरीब प्रदेश की जनता पर कुछ तो रहम करें, आप विकास करना चाहते हैं और रुपया भी लेना चाहते हैं तो लाइनमैन और चीफ इन्जीनियर के कानों को कुछ तो टाइट कीजिये । कुछ तो करप्सन कम हो । इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं संकल्प का विरोध दो तकनीकी और व्यवहारिक दृष्टियों से कर रहा हूं पहली तकनीकी दृष्टि तो यह है कि कम्पनी एक्ट के मुताबिक चुकता पूंजी का 10 प्रतिशत कर्जा लेने का ही अधिकार पब्लिक कम्पनी को है । विद्युत् परिषद् में 15 अरब रुपये की चुकता पूंजी, सब कर्ज मिलाकर है । 15 अरब रुपये 10 परसेन्ट डेढ़ अरब रुपया हुआ । यदि आपकी कम्पनीज कारपोरेशन ऐक्ट के अन्तर्गत आती हैं तो 10 परसेन्ट से ज्यादा कर्जा नहीं लेना चाहिये और आप इसे

[श्री राम स्वरूप वर्मा--]

6-7 गुना पहुंचाये जा रहे हैं। तकनीकीकरण का मंशा यह है कि जो नागरिकों पर लगाया गया है, सरकार पर क्यों नहीं लागू होता है, होना चाहिये, सरकार को ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिये तो पहला एतराज यह है कि अगर पब्लिक कम्पनी ऐक्ट के अन्तर्गत किसी पब्लिक कम्पनी को 10 प्रतिशत से अधिक ऋण लेने का अधिकार नहीं है। इस हिसाब से आपको 15 अरब की लागत पर डेढ़ अरब रु0 ऋण के रूप में लेना होगा, जिससे 4 गुना अधिक आप पहले ही 6 अरब रु0 ले चुके हैं। अब आपका किस सीमा तक यह ऋण बढ़ाया जा सकता है। दो तरह के कानून इस देश में नहीं होने चाहिए जोकि एक तो इस सरकार के लिए हो और दूसरा दूसरे नागरिकों के लिए हो। मान्यवर, मेरा दूसरा एतराज यह है कि आप में अब ऋण अदा करने की ताकत बिल्कुल नहीं रह गयी है। 15 अरब रु0 की लागत को लगाकर तो आप 8 अरब रु0 घाटे में खा चुके हैं और इसके अलावा एक अरब रु0 तो आपने दर भार द्वारा बढ़ाया नागरिकों के ऊपर। 55 पैसा प्रति यूनिट आपने बिजली की दर कर दी जो बिहार को छोड़कर सारे देश में सबसे अधिक है और फिर भी आपका घाटा पूरा नहीं हुआ और न आप पूरा कर ही सकते हैं क्योंकि आपकी दक्षता अब शून्य हो गयी है। केन्द्र सरकार की रपट के अनुसार प्रति मेगावाट पर 1·7 प्रति व्यक्ति होना चाहिए और आपके यहां प्रति मेगावाट 5·3 व्यक्ति लगे हैं। तीन गुने आदमी। तो इस तरह आदमियों की फौज बढ़ाकर भी आपके यहां काम नहीं हो पा रहा है। इसके मुकाबिले में देखिए तीन बड़े प्राइवेट बिजली उद्योग जो टाटा बिड़ला के देश में हैं। आपसे तिहाई व्यक्तियों से अधिष्ठापित क्षमता का 90 प्रतिशत उत्पादन कर रहे हैं और आप अधिष्ठापित क्षमता का केवल 35 प्रतिशत बिजली उत्पादन कर रहे हैं, जब कि आपके पास तीन गुने आदमी और उत्पादन उनसे तिहाई। तो इस तरह आपका विद्युत् परिषद् कभी भी मुनाफे पर नहीं चल सकता है। इसलिए मैं इस आदरणीय सदन से निवेदन करूंगा कि आप इन किसी भी आधार पर इस प्रदेश की जनता का विश्वास सरकार को न दें। इनको अब तक दिये गये कर्ज के अलावा और कर्ज न दिया जाए। आप अपने पहले कर्ज को ही कभी भी अदा नहीं कर सकते हैं जिसका सारा बोझ निरर्थक जनता पर ही पड़ेगा। इसलिए मैं आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस ऋण की सीमा को न बढ़ायें। क्योंकि यह परिषद् बिगड़ैल लड़के की तरह अय्याशी में पैसे को खर्च करने लगती है, अगर इस पर प्यार से उसके मां-बाप और पैसा देने लगेंगे और उसकी भ्रष्टता पर ध्यान न दिये तो वह और भ्रष्ट हो जायेगा क्योंकि इनकी दक्षता आज शून्य पर है, उससे इस प्रदेश की स्थिति और ऋणात्मक रूप में पहुंच जायेगी। मेरा आदरणीय सदन से आग्रह है कि वह इस संकल्प को स्वीकार न करें। इन शब्दों के साथ में संकल्प का विरोध करता हूं।

श्री भगवती सिंह विशारद--

माननीय अध्यक्ष जी, आपको स्मरण होगा कि सन् 1980 में जब इस सदन में 600 करोड़ रुपये के ऋण की सीमा निर्धारित करने के लिए माननीय विद्युत् मन्त्री जी, जो उस समय विद्युत् मन्त्री थे और आज वित्त मन्त्री हैं, एक संकल्प रखा था और उसमें उन्होंने उसके औचित्य को बताते हुए यह कहा था कि चूंकि उत्पादन के लिए अलग विद्युत परिषद् का निर्माण किया जा रहा है इसलिए 600 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी है जिससे इस प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके, लेकिन आज जो संकल्प माननीय

वित्त मन्त्री जी द्वारा यहां पर प्रस्तुत किया गया है उसके औचित्य पर तो प्रकाश डाल देते, तो बड़ी कृपा होती ।

मान्यवर, विद्युत परिषद् में इतने अधिकारी हैं मैं कहना चाहता हूं कि विद्युत परिषद् की स्थिति तो ऐसी कभी नहीं हुई कि वह अपने पैरों पर खड़ी हुई हो, तो 1000 करोड़ की जो सीमा निर्धारित की गयी है उससे भी विद्युत परिषद् अपने पैरों पर खड़ी होने वाली नहीं है तो इसकी मांग करने का क्या कारण है । विद्युत परिषद् में जो अधिकारी हैं यह वही हैं जिनके खिलाफ बड़े-बड़े चार्जज हैं, जिनके खिलाफ सी0 आई0 डी0 जांच, विजिलेन्स की जांच हुई है, मामले करप्शन डिपार्टमेन्ट को दिये हुये हैं और उन्हीं को आपने सचिव उप सचिव के पद पर बैठा रखा है, सदस्य के पद पर बैठा रखा है और न जाने कौन-कौन पदों पर बैठा रखा है । मेरा एक प्रस्ताव है कि आप एक कमेटी बना दें इस सदन के सदस्यों की जो इनकी जांच करे कि विद्युत परिषद् इस योग्य है या नहीं कि उसको 1000 करोड़ रुपये की ऋण की सीमा निर्धारित की जाय अथवा नहीं, क्या उसकी इतनी साख है । अगर आप यह नहीं करते हैं तो मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी बिजली उपभोक्ता हैं उनमें एक सरकुलर आप भेज दें और उनकी राय मांग ली जाय । अगर राय आपके पक्ष में आ जाती है तो विधान सभा इस बात को सहर्ष स्वीकार कर ले और 1 हजार करोड़ रुपये की ऋण की सीमा निर्धारित कर दी जाय । अगर विद्युत उपभोक्ता इस पर अपनी असहमति प्रकट करें तो आपको इस पर सोचना होगा कि इसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए और फिर आप इस संकल्प को वापस ले लें ।

*श्री अकबाल हुसैन---

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने जो आज इस संकल्प को माननीय सदन के सामने रखा है, जिसके द्वारा 600 करोड़ रुपये को बढ़ा कर 1000 करोड़ माननीय वित्त मन्त्री जी करना चाहते हैं । माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा कि जब माननीय वित्त मन्त्री जी इसको देखते थे उस समय से अब के समय में कुछ कमियां आयी हैं । बिजली के उत्पादन को लेकर, बिजली की सप्लाई को लेकर उसमें कमियां आयी हैं । मान्यवर, यह विद्युत विभाग, यह विद्युत परिषद एक ऐसा सफेद हाथी है जिसके ऊपर करोड़ो रुपया खर्च किया जाता है और इसमें बैठे हुये जो अधिकारी हैं जो चीफ इंजीनियर से लेकर लाइन मैन तक हैं, जैसा कि भाई रियासत हुसैन ने कहा, सब लूट खसोट में फंसे हुये हैं । मैं आपके माध्यम से 2/1 उदाहरण अपने गोंडा जनपद के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूं । वहां के एक विकास खंड पचपेड़िया, जहां हमारे वित्त मन्त्री जी सन् 80 से 2/4 बार चले गये हैं, वहां पर सन् 80 में लाइन खींची गई थी और दो-दो बार वहां एलम्यूनियम के तार लाखों रुपया लगा कर खींचे गये थे लेकिन वे सब चोरी हो जाते हैं और वहीं पर एक एलम्यूनियम फैक्टरी है जिसमें वे सब तार डाल कर उनके बरतन बना लिये जाते हैं । उसके बारे में एफ0 आई0 आर0 भी होती है किन्तु अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं होती है । इस तरह से लूट खसोट मची हुई है । इसी तरह से नवम्बर, 1982 में जनपद गोंडा की नगर कोतवाली में डीजल शेड बनाये गये हैं वहां यू0 पी0 इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के केबुल 60 हजार की मालियत के पकड़े गये । लेकिन उसके सम्बन्ध में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है । एक से एक अनाप-सनाप बातें रखी जाती हैं और जो लोग उसमें हैं, अधिकारी और कर्मचारी पकड़े जाते हैं उनको मुक्त कर दिया गया है । यहां पर बेईमानी की प्रथा चल गई है । हम उसके लिये 600 करोड़ से बढ़ा कर 1000 करोड़ की व्यवस्था करने जा रहे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अकबाल हुसैन--]

हूं । मान्यवर, उसके लिये 1 लाख करोड़ की भी व्यवस्था की जाय तो वह सब अधिकारियों की जेबों में जायेगा ।

मैं कहना चाहता हूं जनपद गोंडा को इस वित्तीय वर्ष में 385 निजी नलकूप उर्जित करने थे । हमारे क्षेत्र के दो विकास खन्डों के तीन सौ कृषकों ने यह मांग की कि हमारे ट्यूबवेल के लिये बिजली दे दी जाय । लेकिन हमारे जनपद के जिलाधिकारी श्री आनन्द बिहारी श्रीवास्तव का एक पत्र प्राप्त हुआ है अभी इसी 19/20 फरवरी को, जिसमें उन्होंने कहा है कि विद्युत विभाग के इंजीनियर ने यह सुझाव दिया है कि वहां पर इस वित्तीय वर्ष में 15 नलकूप ही उर्जित हुये हैं और अन्य के लिये कोई मांग नहीं है । इस तरह से वहां के अधिकारी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं । तीन सौ कृषकों ने केवल एक विकास खंड से प्रार्थना-पत्र दिया है कि उनके ट्यूबवेल्स के लिए बिजली दी जाय लेकिन वहां के इंजीनियर और जिलाधिकारी लिखते हैं कि वहां से केवल 15 ट्यूबवेल्स की मांग आयी है जिससे वह पैसा लेप्स हो जाय और उसे अन्य मदों पर खर्च किया जाय । मान्यवर, इस प्रदेश के प्रोडक्शन को बढ़ाने में जो सबसे ज्यादा जिसका हाथ है वह उर्जा और पावर का है और इस तरह से गलत आंकड़े और गलत तथ्य देकर प्रदेश के विकास कार्य को विभाग के कर्मचारी और अधिकारी रोके हुए हैं, यह ठीक बात नहीं है । जिनको 385 ट्यूबवेल को बिजली देनी थी केवल 15 को ही बिजली दे पाये, झूठी रिपोर्ट लगाकर जनता के साथ खिलवाड़ किया गया है । ऐसे लोगों को अगर आप मान्यवर, 600 करोड़ से 1 हजार करोड़ या 1 लाख करोड़ भी इनकी क्षमता बढ़ा दें तो वह उनकी जेबों के लिए ही नाकाफी होगा । जैसा कि माननीय रियासत भाई ने कहा वे लोग किस तरह से विलासिता की जिन्दगी बिता रहे हैं, जिसके बारे में सभी वाकिफ हैं । मान्यवर, गोंडा से लगा हुआ एक बाजार बढ़नी पड़ता है वहां से हर इतवार को या छुट्टी के दिन विद्युत् के अधिशासी अभियन्ता और पी0 डब्लू0 डी0 के अधिशासी अभियन्ता और खास तौर से बिजली विभाग के अधिशासी अभियन्ता के बारे में श्री छेदी लाल विधायक जी जो कि कांग्रेस (आई) के थे उन्होंने मान्यवर, एक शिकायती पत्र दिया था जिसमें हम लोगों की दस्तखत भी थी कि अधिशासी अभियन्ता के घर लाखों रुपये का नैपाली सामान मौजूद है । तो अगर उनके घर में नैपाली सामान पहुंचाने की मंशा है तो यह संकल्प स्वीकार होना चाहिये । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश का पैसा इस तरह से बरबाद न करें । इसलिए इस संकल्प का विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

(श्री पंचानन राय से) आप संक्षेप में कहें ।

*श्री पंचानन राय--

मान्यवर, इस विद्युत परिषद् से आज पूरी जनता आशंकित है । माननीय वित्त मन्त्री जी ने ऋण की सीमा बढ़ाने के लिए एक संकल्प प्रस्तुत किया है । जो ऋण विद्युत परिषद् के पास पहले से हैं उस पर जो सूद आता है उसको भी ऋण में परिवर्तित कर दिया जाता है और सूद देने की स्थिति में भी विद्युत परिषद नहीं है । सार्वजनिक क्षेत्र में निगम भ्रष्टाचार का खुला अड्डा बन गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है। वहां पर जिस प्रकार पैसे का अपव्यय हो रहा है उसका नतीजा है कि बिजली की दरें बढ़ती जा रही हैं उसके बावजूद भी घाटा बढ़ता जा रहा है। मैं माननीय विद्युत मंत्री के संकल्प का समर्थन तो करता हूं वह इसलिए करता हूं कि आगे नये प्रोजेक्ट चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। निश्चित रूप से उर्जा के स्रोत बढ़ने से विकास की गति बढ़ेगी। उसके लिए ऋण लेकर भी नये संसाधन जुटाने हों तो जुटाने चाहिये। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।

विद्युत परिषद् स्वायत्तशासी संस्था है लेकिन उसे इतने ज्यादा छूट नहीं होना चाहिये कि वह किसानों का खुलेआम शोषण करे और जनप्रतिनिधियों की परवाह तक न करे। एक तरफ गरीब किसानों की बिजली की दरें बढ़ा दी और दूसरी तरफ जो छोटे-छोटे किसान थे उनके ऊपर पाबंदी लगा दी कि तीन हार्स पावर का नलकूप नहीं लगा सकेंगे। जो छोटे-छोटे किसान इस तरह से सिंचाई कर लेते थे उनको भी वंचित कर दिया गया है। सरकार ने जो सदन में संकशन दी है उनका भी वह पालन नहीं करते हैं। मैं चाहता हूं कि वित्त मन्त्री जी कम से कम इस पर नियंत्रण करें और किसान विरोधी जो इनका काम है उसको नियंत्रित करें। विद्युत परिषद के अधिकारी एक तरह से पैरलल शासन चलाते हैं। मेरा सुझाव है कि किसानों के लिए जो 5 हार्स पावर की सीमा लगा दी है कनेक्शन लेने की, उसको समाप्त कर दिया जाय। कम से कम इस संकल्प के साथ माननीय विद्युत मन्त्री जी घोषणा कर दें जैसे वह सुबह आधा कह कर रह गये, किसानों को इसकी छूट दे दें। विद्युत परिषद् में जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त यदि नहीं किया जायेगा तो एक हजार करोड़ क्या दो, चार, छे हजार करोड़ दे दें वह सब पैसा डूब जायेगा और प्रदेश के पैसे के साथ खिलवाड़ होगा। उसको चैक करने की जरूरत है।

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो यह एक हजार करोड़ ऋण की सीमा बढ़ाने की बात है यह हम नये एसेट्स क्रियेट करने के लिए कर रहे हैं।

(व्यवधान)

यह रोजाना के खर्च के लिए नहीं है। माननीय सदस्यों ने जिस ओर ध्यान आकर्षित किया है उसका एक ही इलाज है कि हम ज्यादा बिजली बनायें और आपको ज्यादा नलकूपों के लिए बिजली दें। हम पैसे का बंदोबस्त करें।

(व्यवधान)

श्री विद्यासागर नौटियाल--

हमने आपको धन मंत्री बनाया आप ऋण मंत्री बन रहे हैं।

श्री ब्रह्मदत्त--

जो वित्त मंत्री ऋण नहीं ले सकता है उसे वित्त मन्त्री रहने का हक नहीं है, ऋण लेना उसकी क्वालीफिकेशन है। लेकिन इससे मैं सहमत हूं कि उसमें कार्यकुशलता लानी चाहिए। माननीय सदस्य रियासत साहब और ऊबल जी मेरे से ज्यादा उदार हैं विद्युत परिषद् के लिए।

[श्री ब्रह्मदत्त--]

विद्युत् परिषद् के प्रति श्री ऊदल ने कहा कि 3500 मेगावाट की क्षमता है और इस समय 2200 मेगावाट बिजली बन रही है और श्री रियासत हुसैन ने कहा कि 50 प्रतिशत बन रही तो मैं इतना दावा नहीं कर सकता हूं लेकिन मैं इतना दावा जरूर कर सकता हूं कि कुशलता आनी चाहिये तो वह लाने के लिये प्रयत्नशील हूं ।

मान्यवर अब मैं दो और बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 1974-75 में लाईन लासेज साढ़े 24 प्रतिशत थीं और अब घटकर साढ़े 18 प्रतिशत रह गयी हैं, 6 प्रतिशत की कमी लाये हैं और 14 प्रतिशत घटाकर लाने की कोशिश कर रहे हैं । चूंकि ईंधन और फर्निश तेल 1981 में एक मिलियन युनिट पर 31 किलोलीटर लगता था जो घटाकर साढ़े 19 किलोलीटर पर लाये हैं ।

मान्यवर, नियुक्तियों पर पाबंदी और ओवरटाइम पर रोक किये हैं । इसके साथ ही यदि शिकायतें आती हैं तो उन पर एक्शन कड़ाई से ले रहे हैं । इसलिये निवेदन है कि एक हजार करोड़ की लिमिट नये पावर हाऊसेज बनाने, नई लाईनें लगाने के लिये है, इससे एसेस्ट्स बन जायेंगी तो उनकी कार्य-कुशलता पर हम निगाह रखेंगे, यह हमारा काम है, और निगाह रख रहे हैं इसलिये निवेदन है कि इस लिमिट को बढ़ाने के इस संकल्प का माननीय सदस्य विरोध न करें और यदि विरोध करते हैं तो इसके माने कि वह बिना समझे ही विरोध कर रहे हैं । इससे प्रदेश की प्रगति ही होगी । इसलिये माननीय सदय मेरे संकल्प को एक स्वर से पास करें ।

श्री रियासत हुसैन--

1980 में जब आप विद्युत् मंत्री थे तो 600 करोड़ की लिमिट बनाई थी और 1980 से आजतक कितनी एसेस्ट्स आपकी बढ़ी हैं और विद्युत् परिषद् में कितना लास बढ़ा है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, तबसे 7 प्रोजेक्ट्स सैन्कशन हुये हैं तो उनको बनाने में पैसा दिया जा रहा है ।

मान्यवर, श्री राम स्वरूप वर्मा जी ने कहा कि 10 प्रतिशत ऋण होना चाहिये । तो जहां तक मेरी जानकारी है कि इसमें इक्वीटी नहीं है, इसमें कोई शेअर कैपिटल नहीं है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मेरा कहना है कि पब्लिक कम्पनी पेड-अप-कैपिटल का 10 प्रतिशत से अधिक कर्ज नहीं ले सकती है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि "चूंकि इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 (ऐक्ट संख्या 4, 1948) की धारा 65 की उपधारा (३) के उपबन्ध के अनुसार राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की अनुमोदन से, जो सभा द्वारा 19 सितम्बर, 1980 को पारित एक संकल्प द्वारा प्रदान किया गया था, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्

द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा केवल 600 करोड़ रुपये (छः सौ करोड़ रुपये मात्र) निर्धारित की गयी थी।

और चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने उक्त ऐक्ट की धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन अब तक 528 70 करोड़ (पांच सौ अठ्ठाइस करोड़ सत्तर लाख रुपए) का ऋण लिया है और आगे वर्ष 1986-87 तक स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक निधि उपलब्ध करने के लिये उसे और अधिक ऋण लेने की आवश्यकता होगी और इस कारण यह आवश्यक समझा गया है कि उक्त धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा 600 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये (एक हजार करोड़ रुपये मात्र) निर्धारित की जाय, जिससे परिषद् अपने आयोजनागत कार्यों को कार्यान्वित करने के लिये जिसके लिये पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं है, अपने साधन में वृद्धि कर सकें।

अतएव, अब विधान सभा, एतद्द्वारा उक्त धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा तात्कालिक प्रभाव से 600 करोड़ रुपये (छः सौ करोड़ रुपए मात्र) से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये (एक हजार करोड़ रुपए मात्र) निर्धारित करती है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

तारांकित प्रश्न संख्या 2 (नत्थी 'ख') के उत्तर के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न 2 के बारे में जो एक स्पष्टीकरण की बात प्रातःकाल थी, उसके बारे में अब श्री गुलाब सेहरा स्पष्टीकरण देंगे।

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)--

नत्थी 'ख', प्रश्न संख्या-2 के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि श्री जनार्दन प्रसाद ओझा द्वारा लिखित रूप से मैजिस्ट्रियल जांच के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाना नहीं प्रतीत होता है। जिला मैजिस्ट्रेट ने तथ्यों को देखते हुए मैजिस्ट्रियल जांच का औचित्य नहीं पाया।

प्रश्नकर्ता विधायक महोदय का कोई पत्र शासन स्तर पर प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 55 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:

22 फरवरी, 1983

भाल चन्द्र शुक्ल,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

मेरा पुस्तकालय विद्यालय सबका

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 404 पर)

तालिका

शाखा	पदनाम
1--पुलिस मुख्यालय	1--खलासी
	2--माली कम चौकीदार
	3--चौकीदार
2--जिला पुलिस का तकनीकी स्टाफ	1--सीनियर इलेक्ट्रीशियन
3--जिला पुलिस संवर्ग	1--रिक्रूट कान्सटेबिल
4--अपराध अनुसंधान विभाग	1--हेड फोटोग्राफर
	2--द्वितीय सहायक फोटोग्राफर
	3--मूवी कैमरामैन
	4--कान्सटेबिल सशस्त्र पुलिस
	5--वाटर मैन
	6--स्वीपर कम फर्राश
5--पुलिस प्रशिक्षण संस्थान	1--आर्टिस्ट
6--कम्प्यूटर शाखा	1--सहायक प्रोग्रामर
	2--डी0 आई0 (एम) स्टेनो
	3--ए0 एस0 आई0 (एम)
	4--एस0 आई0 (एम) स्टेनो
	5--कान्सटेबिल ड्राइवर
	6--कार्यालय चपरासी
	7--अर्दली
	8--चौकीदार
	9--सफाई मजदूर
	10--अर्दली/चपरासी
	11--स्टेंशिल मशीन आपरेटर

उदय प्रकाश सक्सेना

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 435 पर)

सूची

मार्ग	कि0 मी0 नं0	कटान की लम्बाई	कि0 मी0 नं0	डूबने की लम्बाई	कि0 मी0 नं0	क्षतिग्रस्त पुल एवं पुलिया
1	2	3	4	5	6	7
1—गाजीपुर-बक्सर मार्ग	22	200 मी0	12	300 मी0	12	3 मी0 आर्च पुलिया
	26	400 मी0	21	200 मी0	15	1 मी0 स्पान पुलिया
	27	100 मी0	22	300 मी0	16	तदेव
	28	50 मी0	26	300 मी0	17	तदेव
	29	50 मी0	27	300 मी0	25	2 मी0 स्पान
	35	100 मी0	28	200 मी0	27	3 मी0 स्पान
	38	50 मी0	29	300 मी0	30	1·5 मी0 स्पान
	41	60 मी0	35	300 मी0	41	तदेव
			38	200 मी0		
			41	200 मी0		
2—नाड़ीघाट-वारा मार्ग	14	100 मी0	1	200 मी0	1	4·2 मी0 स्पान
	15	100 मी0	2	100 मी0	14	विगवाल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	1	200 मी0	5	100 मी0	10	तदेव
			6	200 मी0		
			7	200 मी0		
			10	200 मी0		
			14	200 मी0		
			15	500 मी0		
3—मलसा–ढढनी–सोहवल मार्ग	11	100 मी0	11	200 मी0		
4—ढढनी–ताजपुर मार्ग	1	100 मी0	1	200 मी0		
	5	100 मी0	5	200 मी0		
5—कुण्डेसर–शेरपुर मार्ग	2	100 मी0	2	300 मी0		
	3	200 मी0	3	400 मी0		
	4	100 मी0				
6—भांवरकोल–बीरपुर मार्ग	1	200 मी0	..	..		
	2	100 मी0	..	..		
7—भांवरपुर–अवथही मार्ग	1	50 मी0	..	..		
8—संदपुर–देवचन्दपुर मार्ग	8	200 मी0	4	200 मी0	4	3 मी0 ब्लान पुलिया
	9	100 मी0	5	200 मी0		
9—चाहीपुर–देवचन्दपुर मार्ग	9	100 मी0	10	200 मी0		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
10—रामपुर मझा—पहाड़पुर मार्ग	4	100 मी0	4	200 मी0	6	3 मी0 स्थान पाइल-ब्रिज
	5	50 मी0	6	200 मी0	..	..
11—चोचकपुर-गोंसन्देपुर मार्ग	3	200 मी0	3	400 मी0	..	..
	4	200 मी0	4	400 मी0	..	..
	5	200 मी0	5	400 मी0	..	..
12—गोसन्देपुर-धरम्मरपुर मार्ग	1	200 मी0	1	300 मी0	..	..
	2	300 मी0	2	200 मी0	..	..
	3	50 मी0	3	400 मी0	..	..
			4	200 मी0	..	..
13—बडसरा-आरी-साइता पट्टी	1	200 मी0	1	200 मी0	..	..
				290 मी0	..	..
	3	50 मी0	2	100 मी0	..	..
14—कोंटवा-नरायनपुर लठ्ठाडीह	4	100 मी0	4	100 मी0	14	3 मी0 स्पान आर्च पुलिया
	8	200 मी0	8	100 मी0	16	3 मी0 स्पान
	9	100 मी0	9	100 मी0	17	तदेव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	13	100 मी०	15	200 मी०	..	..
	15	100 मी०	16	200 मी०	..	..
	17	200 मी०	17	400 मी०	..	..
15—युसुफपुर-बालापुर मार्ग	2	50 मी०	1	200 मी०	..	..
	4	50 मी०	2	200 मी०	..	..
			7	100 मी०	..	..
			8	100 मी०	..	..
16—जोगा-करिमुद्दीनपुर मार्ग	1	200 मी०	1	200 मी०	..	..
	2	200 मी०	2	200 मी०	..	..
17—सैयदराज-गाजीपुर मार्ग	..	..	39	500 मी०	..	..
	..	..	40	300 मी०	..	..
	..	..	41	300 मी०	..	..
18—गाजीपुर-बलिया मार्ग	..	..	31	600 मी०	..	..
			32	200 मी०	..	..
19—गोमती ब्रिजडाइवर्सन मार्ग	..	..	3	500 मी०	..	..
			4	500 मी०	..	..
20—बद्धुपुर-बोगना मार्ग	..	..	..	..	6	6 मी० स्थान पुलिया
21—मरदह-जलालाबाद मार्ग	..	..	..	..	2	90 से० मी० ह्यूम-पाइप ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
22—भुडकुडा–बद्धुपुर मार्ग	..	..	..	..	7	6 मी0 स्पांन आर0 सी0 सी0 ।
23—गाजीपुर–बहरियाबाद मार्ग	..	..	..	..	32	90 से0 मी0 स्पान पाइप ।
24—तलवल-बुजुर्ग मार्ग	..	..	..	..	2	1·5 मी0 स्पान पुलिया ।
25—गाजीपुर–चौचकपुर मार्ग	..	..	..	..	7	3 मी0 आर्च पुलिया
				..	10	तदेव
26—नन्दगंज–शादियाबाद मार्ग	..	..	..	..	6	30 से0 मी0 ह्यूम पाइप ।
				..	8	60 से0 मी0 ह्यूम पाइप ।
27—संदपुर–सादात–मजुई मार्ग	..	..	..	..	6	3 मी0 स्पान
28—संदपुर–बहरियाबाद मार्ग	..	..	..	..	13	3 मी0 स्पान पुलिया

उपरोक्त 28 मार्गों को सही हालत में लाने हेतु 123 लाख रुपये व्यय होंगे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 496 पर।)

स्थापित: 1 जनवरी, 1979 फोन: नं0 44920

राष्ट्रीय टेक्सटाइल वर्कर्स फेडरेशन
केन्द्रीय कार्यालय 96/2-ए चुन्नीगंज, कानपुर

पत्रांक, दिनांक 4 जून, 1982

सरक्षक,
जगदीश चन्द्र दीक्षित,
श्रम मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार।
सभापति,
सूर्य प्रसाद अवस्थी,
भूतपूर्व एम0, एल0 ए0
तथा एम0 एल0 सी0।
उप सभापति,
प्रियदर्शी जेतली,
एम0 एल0 ए0
प्रधान मन्त्री।
यमुना प्रसाद दीक्षित,
एम0 ए0।

प्रिय महोदय,

अभी मैंने श्री राम प्रताप, निवासी गौरा का प्रार्थना इस आशय का कि ग्राम गौरा में जो नलकूप का कनेक्शन दिया जा रहा है, वह नलकूप ग्राम समाज की भूमि पर लगा है तहसील अकबरपुर के नायब तहसीलदार ने जांच कर अपनी रिपोर्ट दी है, इसी कारण उक्त जमीन पर नलकूप लगाने वाले व्यक्ति के खिलाफ भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत धारा 122 बी का मुकदमा तहसील द्वारा कायम किया है जो अदालत में चल रहा है उक्त भूमि को जब तक न्यायालय उक्त व्यक्ति को घोषित न कर दें तब तक शासन की सम्पत्ति को बचाने का कर्तव्य प्रत्येक अधिकारी का कर्तव्य होता है मैंने जन प्रतिनिधि की हैसियत से आपको उसकी सूचना दी है लेकिन आपने उसको भी नहीं माना। आपसे पुनः इस पत्र द्वारा कहना चाहता हूं कि आप तहसीलदार अकबरपुर से लिखित इस बात की जानकारी पर आपका कर्तव्य हो जाता है और कार्यवाही का आदेश दें। ऐसा न कर आप जान कर सरकारी सम्पत्ति को बरबाद करना चाहते हैं।

सेवा में
ज्याउद्दीन खां,
अधिशासी अभियंता,
विद्युत अकबरपुर

धन्यवाद,
भवदीय,
ह0
प्रियदर्शी जेतली

4-6-82

सत्य प्रतिलिपि

ह0,
उपखन्ड अधिकारी,
ग्रा0 वि0 उपखन्ड, अकबरपुर।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 75 का उत्तर पीछे पृष्ठ 511 पर ।)

सूची--क

दिनांक 20/21-9-82 को डकैती से सम्बन्धित 11 अभियुक्तों का विवरण:--

क्रमांक	अभियुक्त का नाम व पता	अभ्युक्ति
1	राम नाथ तेली पुत्र राम औतार तेली, सा0 नोनार, थाना बनकटा, जिला देवरिया	दौरान तफतीश गिरफ्तार किये गये ।
2	सतन पुत्र पलटन हरिजन, सा0 सोहनपुर, थाना बनकटा	तदेव
3	देवनन्दन हरिजन पिता अभियुक्त रमाशंकर हरिजन, सा0 हट्ठीचक, थाना बनकटा	तदेव
4	स्वामीनाथ पुत्र दुखी हरिजन, सा0 बनजारिया, थाना बनकटा	तदेव
5	सुमेश्वर पुत्र चन्चल धोबी, सा0 सोहनपुर, थाना बनकटा	तदेव
6	राम बड़ाई यादव पुत्र स्वामीनाथ, सा0 बनकटा	न्यायालय में आत्मसमर्पण किये ।
7	रमाशंकर पुत्र देवनन्दन हरिजन सा0 हट्ठीचक, थाना बनकटा	तदेव
8	ठग पुत्र नारायण	तदेव
9	सुदर्शन पुत्र राम चन्द कानू	तदेव
10	हबीर पुत्र दिल मोहम्मद सा0 परसिया जय सिंह, थाना खामपार	तदेव
11	हंसनाथ पुत्र पूजन कुरमी सा0 रोहनिया थाना खामपार	तदेव
12	शंकर यादव पुत्र राम दत्त, सा0 मथदेवगिरी, थाना भाटपार रानी	तदेव

नत्थी "ङ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 110 का उत्तर पीछे पृष्ठ 523 पर ।)

अध्यक्ष, प्रमाणित किसान संघर्ष समिति, टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना, फैजाबाद द्वारा जिलाधिकारी, फैजाबाद को दिये गये ज्ञापन, दिनांक 20-9-82 के विषय में कृत कार्यवाही का विवरण ।

1--राज्य विद्युत् परिषद् ने नियुक्तियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा रखा है फिर भी परियोजना में निर्माण-कार्यों पर श्रमिकों की आवश्यकता देखते हुये कुछ प्रभावित कृषकों को मस्टर रोल पर नियुक्त किया गया है । भविष्य में जब कभी श्रमिकों की ऐसी आवश्यकता होगी प्रभावित कृषकों में से नियुक्ति पर विचार किया जायगा ।

2--जिन प्रभावित व्यक्तियों/सदस्यों को उपरोक्त कार्य पर रखा गया है और जिन्होंने 240 दिन से अधिक परियोजना में कार्य कर लिया है उनकी रेगुलर नियुक्ति अभी सम्भव नहीं है क्योंकि निर्माण कार्य अस्थायी रूप के होते हैं ।

3--अभी परियोजना स्तर पर कोई कैन्टीन/दूकान नहीं चलाई जा रही है भविष्य में इस विषय पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

4--परियोजना हेतु आवश्यकतानुसार जमीन अधिग्रहीत की जा चुकी है अतएव स्वेच्छा से घर/जमीन छोड़ने वालों की जमीन/घर के अधिग्रहीत करने एवं मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

5--परियोजना में कार्यरत कम्पनियां आवश्यकता व योग्यता अनुसार प्रभावित किसानों को भी कार्य पर रखती हैं इस विषय पर राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा किसी कम्पनी पर दबाव नहीं डाला जा सकता है ।

6--प्रभावित कृषकों में से, जिन डिप्लोमाधारी व्यक्तियों की 50 प्रतिशत से अधिक जमीन ली गयी है, को मस्टर रोल पर नियुक्त किया जा चुका है । प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य विद्युत् परिषद् के अधिकार क्षेत्र से बाहर है ।

7--शिक्षकों की नियुक्तियां योग्यता के आधार पर शिक्षा विभाग के नियमानुसार की जाती हैं । परिषद् द्वारा कोई प्राथमिकता देने का प्रश्न नहीं उठता है । परियोजना के स्कूल में परियोजना कर्मचारियों के बच्चों को ही प्राथमिकता दी जाती है ।

8--प्रतिकार का मामला विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, फैजाबाद द्वारा तय किया जा रहा है । प्रभावित ग्रामों से मुख्य सड़क पर आने जाने हेतु परियोजना की सुरक्षा को देखते हुये, उचित मार्ग दिया जा चुका है ।

9--ऐसी कोई सुविधा परिषद् द्वारा न तो अन्यत्र ही कहीं दी गई है तथा न ही टाण्डा तापीय परियोजना के लिये देने का कोई औचित्य है ।

10--यह प्राविधान सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है इसे शिथिल करना सम्भव नहीं है ।

11--प्रभावित किसानों को गेट पास देना राज्य विद्युत् परिषद् के सुरक्षा नियमों के प्रतिकूल है ।

12--इस पर जिलाधिकारी, फैजाबाद से सूचना प्राप्त की जा रही है ।

13--जिलाधिकारी, फैजाबाद से सूचना प्राप्त की जा रही है ।

14--परियोजना का नामकरण शासन द्वारा पहले ही हो चुका है इसमें किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

नत्थी "च"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 111 का उत्तर पीछे पृष्ठ 523 पर ।)

श्याम लाल वाजपेयी, (कापी) स्थान: 106 नया बी ब्लाक
विधायक, कांग्रेस ई0 (हंदरगढ़), दारुल सफा,
ग्राम शरीफाबाद, लखनऊ ।
डाकघर अ0 शरीफावाद, दिनांक 30-8-1982
जि0 वाराबंकी (उ0 प्र0) ।

माननीय मुख्य मंत्री जी,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
मान्य महोदय,

29-8-1982 को अपने क्षेत्र हंदरगढ़ के दौरे पर गया था । हंदरगढ़ में ठाकुर जंग बहादुर सिंह ने मुझे पत्र दिया, जो उन्हें बैरंग पत्र-जिला कारागार से श्री अजय कुमार सिंह कुख्यात अपराधी ने भेजा था प्राप्त पत्र की फोटो स्टेट कापी प्रेषित है ।

पत्र में मार्ग डकैती तथा गम्भीर अपराधों के वर्णन के साथी मेरी हत्या करने की योजना तथा योजनाकारियों के नाम भी दिये गये हैं श्री अजय सिंह ने पत्र में स्वीकार किया है कि यदि मैं बन्द न हो गया होता तो अब तक किसी न किसी तरह श्री वाजपेयी को अवश्य मार देता ।

सन् 1980 में चुनाव जीतने के बाद मैंने वाराबंकी के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (आजकल उन्नाव), श्री अजय सिंह तथा भारतीय जनता पार्टी के पराजित उम्मीदवार पर अपनी हत्या करने के षड्यन्त्र करने सम्बन्धी पत्र शासन को लिखा था इन्हीं तथ्यों पर श्री अजय सिंह का तबादला देवरिया हो गया था । जब श्री अजय सिंह सुल्तानपुर आ गये तब फिर उन्होंने अपना काम शुरू किया आज उन्नाव से कार्य संचालन कर रहे हैं ।

हंदरगढ़ में उप चुनाव कराने हेतु पराजित प्रत्याशी श्री सुन्दर लाल उनके साथी श्री जैकरन एवं श्री हर करन तथा प्रसिद्ध अपराधी श्री रंजीत बहादुर श्रीवास्तव स्वयं अथवा वादी बदमाशों से मेरी हत्या करने के लिए प्रयत्नशील हैं ।

सम्मान में निवेदन है कि प्रेषित पत्र एवं फोटो स्टेट कापी की जांच किसी डी0 आई0 जी0 स्तर के गुप्तचर विभाग के अधिकारी से कराने की कृपा करें ।

सादर

भवदीय

ह0 श्याम लाल बाजपेई ।

नत्थी "छ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 125 का उत्तर पीछे पृष्ठ 529 पर ।)

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय, दिनांक 29-7-1982

फैजाबाद ।

हम प्रार्थीगण ग्राम सभा पालपुर, थाना कुमारगंज, जिला फैजाबाद के निवासी हैं । हम आप को निम्न समस्याओं से अवगत कराना चाहते हैं :--

1--पालपुर ग्राम सभा में ग्राम समाज की कृषि योग्य उपयुक्त जमीनें छिपा ली गई हैं । जो सर्कस लोगों के कब्जे में हैं । अनुपयुक्त जमीनों का आवंटन किया गया है, जिन पर भी गरीबों को कब्जा नहीं मिल पाया है ।

2--सहकारी समिति, देवगांव का सचिव एक भ्रष्ट अधिकारी है । वह असरदार लोगों के चंगुल में फंसा है । अन्त्योदय योजना व आई0 आर0 डी0 के तहत जो भी सहायता गरीबों को मिलनी चाहिये उन्हें न मिलकर बड़े व असरदार लोगों को मिल रही है ।

3--गांव में कुमारगंज की पुलिस व असमाजिक तत्व साथ-साथ शराब पीते हैं और आये दिन जुल्म ढाते रहते हैं । गांव में गुण्डों व पुलिस का आतंक व्याप्त है ।

4--खंडासा देवगांव मार्ग जिला परिषदीय मार्ग है । जिस पर विगत वर्षों में कंकड़ की कुटाई का निर्माण कार्य हुआ था शेष 10 कि0 मी0 बाकी है । सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि मार्ग पर कार्य का सेंक्शन हो चुका है और श्रीमान् डी0 एम0 महोदय चक नहीं दे रहे हैं ।

5--फरवरी, 1981 का बहुचर्चित हत्या काण्ड में हरिजनों की हत्या हुयी थी, जिसके कारण सम्भ्रान्तों का आतंक व्याप्त है स्थानीय गरीबों व किसानों, हरिजनों में आत्म सुरक्षा हेतु बन्दूक की लाइसेंस हेतु प्रार्थना पत्र दिया था । तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने फैजाबाद में तत्कालीन जिलाधिकारी श्री ए0 के0 दास व पुलिस अधीक्षक को लाइसेन्स हेतु निर्देशित किया था किन्तु आज तक यह निर्गत नहीं किया गया, जबकि श्री जगजीवन ने एक हजार एन0 एस0 सी0 भी जमा किया है ।

6--गांव सभा पालपुर की हरिजन बस्ती में एक कुएं के निर्माण के लिये आदेश हो चुका था अभी तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है ।

आपसे निवेदन है कि उक्त समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उल्लिखित भ्रष्टाचार, आतंक व समस्याओं को अपने स्तर से जांच करवाकर दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए ।

भवदीय

डा0 वहीद अन्सारी,

मंत्री ।

ह0 आफाकउल्ला अन्सारी,

अध्यक्ष,

नवजवान सभा ब्रांच कमेटी, पालपुर,

सुल्तानपुर

ह0 मोहम्मद शाकिर

ह0 कमरुद्दीन

उप मंत्री

ह0 मुश्ताक अहमद

ह0 जग जीवन

उपाध्यक्ष ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी0 एस0 यू0 प 0--40 वि0 सभा-- 10- 0-83--813 (पी डी0) ।